हरियाणा विधान सभा
की
कार्यवाही
25 अगस्त, 2023
खण्ड-2, अंक- 1
अधिकृत विवरण

विषय सूची
शुक्रवार, 25 अगस्त, 2023

पृष्ठ संख्या

शोक प्रस्ताव

चन्द्रयान 3 की चन्द्रमा पर सफल लैडिंग के लिए बधाई देना

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य का अभिनंदन

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

हरियाणा पत्रकार संघ, करनाल के सदस्यों का अभिनंदन

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज को हाउस में बुलाने बारे सूचना देना

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

नियम 84 के तहत प्रस्ताव पर चर्चा करने का मामला उठाना

कैग की रिपोर्ट से संबंधित फाईनैंशियल मिसमैनजमेंट का मामला उठाना

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणाएं –

(i) चेयरपर्संज के नामों की सूची के संबंध में ।
(ii) सदस्य की अनुपस्थिति के संबंध में ।

नेवा परियोजना कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला के आयोजन बारे सूचना देना

सचिव द्वारा घोषणा

कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट पेश करना

शून्यकाल में भाग लेने के लिए सदस्यों के नामों के संबंध में सूचना

बैठक का स्थगन

शून्यकाल में विभिन्न मामले/मांगे उठाना

हरियाणा पत्रकार संघ, करनाल के सदस्यों का अभिनंदन

शून्यकाल में विभिन्न मामले/मांगे उठाना(पुनरारम्भ)

गुरू गोबिन्द सिंह पब्लिक स्कूल, पानीपत के अध्यापकों तथा विद्यार्थियों का अभिनंदन

शून्यकाल में विभिन्न मामले/मांगे उठाना (पुनरारम्भ)

स्थगन प्रस्ताव के बारे में सूचना

अल्पावधि सूचना संख्या 1 को ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 20 में कन्वर्ट करने के संबंध में मामला उठाना

स्थगन प्रस्ताव/ ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के बारे में सूचना

अल्पावधि सूचना संख्या 1 को ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 20 में कन्वर्ट करने के संबंध में मामला उठाना (पुनरारम्भ)

स्थगन प्रस्ताव/ ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के बारे में सूचना

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव-

हाल ही में भारी बारिश के कारण जिला अम्बाला, पंचकूला, यमुनानगर, कुरूक्षेत्र, करनाल, कैथल, फतेहाबाद, पानीपत, सोनीपत, सिरसा, फरीदाबाद, पलवल इत्यादि में एकत्रित हुए पानी के कारण जान-माल के भारी नुकसान से संबंधित

वक्तव्य-

उप मुख्यमंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

जन विकास शिक्षा समिति ट्रस्ट, चण्डीगढ़ के विद्यार्थीगण एवं अध्यापकगण का अभिनंदन

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (पुनरारम्भ)

वाक-आउट

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (पुनरारम्भ)

विशेषाधिकार मामले के संबंध में विशेषाधिकार समिति का प्रथम प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना

नेवा पोर्टल के माध्यम से सदन की मेज पर रखे गए कागज पत्र

विधायी कार्य –

पुर:स्थापित किए जाने वाले विधेयक

1. हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2023
2. हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2023
3. हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023

हरियाणा विधान सभा
शुक्रवार, 25 अगस्त, 2023

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान मंडल, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रात: 11:00 बजे हुई । अध्यक्ष (श्री ज्ञान चन्द गुप्ता) ने अध्यक्षता की ।

शोक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री जी शोक - प्रस्ताव रखेंगे।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र के बाद और इस सत्र के प्रारम्भ होने से पहले जो महान विभूतियां इस संसार को छोड़कर चली गई हैं, उन महान विभूतियों को श्रद्धांजलि देते हुए मैं शोक प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं:-

चौधरी रणधीर सिंह, सिक्किम के भूतपूर्व राज्यपाल

यह सदन सिक्किम के भूतपूर्व राज्यपाल चौधरी रणधीर सिंह के 15 अप्रैल, 2023 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म पहली जुलाई, 1924 को हुआ। वे वर्ष 1967 में लोक सभा के सदस्य चुने गये। उन्होंने 10 मार्च, 1996 से 17 मई, 2001 तक सिक्किम के राज्यपाल पद को सुशोभित किया। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। वे एक उच्चकोटि के लेखक भी थे। उन्होंने कई पुस्तकों की रचना की, जिन्हें विश्व के कई पुस्तकालयों में प्रदर्शित किया गया है। उनके निधन से देश एक स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद्, राजनीतिज्ञ एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

सरदार प्रकाश सिंह बादल, पंजाब के भूतपूर्व मुख्यमंत्री

यह सदन पंजाब के भूतपूर्व मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल के 25 अप्रैल, 2023 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 8 दिसम्बर, 1927 को हुआ। वे वर्ष 1957, 1969, 1972, 1977, 1980, 1985, 1997, 2002, 2007, 2012 तथा 2017 में ग्यारह बार पंजाब विधानसभा के सदस्य चुने गये। वे वर्ष 1970-71, 1977-80, 1997-2002, 2007-12 तथा 2012-17 के दौरान पांच बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। वे वर्ष 1977 में लोक सभा के सदस्य चुने गये तथा 28 मार्च, 1977 से 19 जून, 1977 तक केंद्रीय कृषि एवं सिंचाई मंत्री भी रहे। वे वर्ष 1972, 1980 तथा 2002 में तीन बार पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी चुने गये। उनकी अतुल्य सेवाओं के लिए उन्हें वर्ष 2015 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। वे एक लोकप्रिय राजनेता थे, उन्होंने देश व पंजाब के विकास में अहम योगदान दिया। वे आजीवन किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहे। उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्र उन्हें सदैव कृतज्ञता के भाव से याद रखेगा। उन्होंने अपने लम्बे तथा यशस्वी जीवन में राजनयिक तथा राजनेता के रूप में अमिट छाप छोड़ी। उनके निधन से देश एक प्रखर

राजनेता एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है ।

श्री रतन लाल कटारिया, संसद सदस्य

यह सदन संसद सदस्य श्री रतन लाल कटारिया के 18 मई, 2023 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 19 दिसम्बर, 1951 को हुआ। वे वर्ष 1987 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गये। वे वर्ष 1999, 2014 तथा 2019 में तीन बार लोकसभा के सदस्य चुने गये। वे 30 मई, 2019 से 07 जुलाई, 2021 तक केंद्रीय जल शक्ति तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री रहे। वे एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनके जाने से मैं वास्तव में अपनी व्यक्तिगत क्षति भी महसूस करता हूं क्योंकि जब वे प्रदेश के अध्यक्ष थे तब मैंने उनके साथ महामंत्री के रूप में भी वर्षों कार्य किया है। उनके निधन से देश एक अनुभवी राजनीतिज्ञ एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री जय नारायण खुंडिया, हरियाणा के भूतपूर्व उप मंत्री

यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व उप मंत्री श्री जय नारायण खुंडिया के 20 अप्रैल, 2023 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 04 अक्तूबर, 1942 को हुआ। वे वर्ष 1977 तथा 1987 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये। वे वर्ष 1979-1980 के दौरान उप मंत्री रहे तथा मंत्रिमंडल में रहते हुए उन्हें नगर एवं ग्राम आयोजना, शहरी सम्पदा, मत्स्य, संसदीय मामले तथा वक्फ जैसे महत्वपूर्ण विभाग संभालने का गौरव हासिल हुआ। वे समाज के गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण एवं उत्थान के लिए सदैव समर्पित रहे। उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक- संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

महाशय परमानंद, स्वतंत्रता सेनानी

यह सदन स्वतंत्रता सेनानी महाशय परमानंद, गांव फाजिलपुर बादली, जिला गुरुग्राम के 21 मई, 2023 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतम परिवार के सदस्यों के प्रति अपनों हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

हरियाणा के शहीद

यह सदन प्रदेश के उन वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता है, जिन्होंने मातृभूमि की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। इन वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार है:

1. सहायक कमांडैंट कृष्ण कुमार, गांव कोट, जिला भिवानी।

2. निरीक्षक राकेश राठी, बहादुरगढ़, जिला झज्जर।

3.उप-निरीक्षक अमित, गांव सागरपुर, जिला महेन्द्रगढ़।

4. उप निरीक्षक अत्तर सिंह गांव सुन्द्रह, जिला महेन्द्रगढ़।

5. सहायक उप निरीक्षक नरेश कुमार, गांव पबनेरा, जिला सोनीपत।

6. सहायक उप निरीक्षक दलीप सिंह गांव डोहर कलां जिला महेन्द्रगढ़।

7. सूबेदार जोरावर सिंह, गांव हिडोल, जिला चरखी दादरी।

8. हवलदार पवन कुमार, गांव नागल पीपा, महेन्द्रगढ़।

9. हवलदार रोहित चौधरी, गांव गोठडा टप्पा डहिना, जिला रेवाड़ी।

10. हबलदार रॉबिन कुमार, जुलाना, जींद।

11. हवलदार मनोज कुमार, गांव भागेश्वरी, जिला चरखी दादरी।

12. हवलदार सुशील कुमार, गांव चांदपुर, जिला जीन्द।

13. हवलदार सतेन्द्र कुमार, गांव सरोला, जिला झज्जर।

14. हवलदार जगदीश, गांव बधावड़, जिला हिसार।

15. हवलदार सुखदेव सिंह, ग्राम पट्टी शहजादपुर, जिला कुरुक्षेत्र

16. हवलदार कृष्ण कुमार, ग्राम ईशाक, जिला कुरूक्षेत्र।

17. हवलदार जितेन्द्र सिंह, गांव बिरोहड़, जिला झज्जर।

18. हवलदार सोमबीर, गांव सिकरी, जिला करनाल।

19. सारजेंट मंजीत सिंह, ग्राम बनिहाड़ी, जिला महेंद्रगढ़।

20. लीडिंग एयरक्राफ्टमैन अमित कुमार, गांव नेहरूनगर, जिला महेंद्रगढ़।

21. नायक सोनू जांगड़ा, गांव जुगलान, जिला हिसार।

22. नायक सोनू राम, गांव बालावास, जिला हिसार।

23. नायक शोभित सिंह, ग्राम बेलरखा, जिला जीन्द।

24. नायक विनोद कुमार, ग्राम खटकड़, जिला जीन्द।

25. लांस नायक अमित कुमार, ग्राम हांडी खेड़ा, जिला सिरसा।

26. लांस नायक तेजपाल सिंह, गांव संगेल, जिला नूंह।

27. एयरमैन साहिल मान, गांव महमूदपुर, जिला सोनीपत।

28. गनर मनमोहन, गांव बहीन, जिला पलवल।

29. सिपाही पवन कुमार, ग्राम खरल, जिला जीन्द।

30. सिपाही राजीत तोमर, गांव गुढ़ान, रोहतक।

31. सिपाही महेश, गांव जड़वा, जिला महेंद्रगढ़।

32. सिपाही नरेश कुमार, गांव नियामतपुर महेंद्रगढ़।

33. सैनिक विक्रम सिंह, गांव सिसोठ, जिला महेंद्रगढ़।

34. सिपाही नरेन्द्र कुमार, ग्राम लालावास, जिला भिवानी।

35. सिपाही मुकेश कुमार तंवर, ग्राम तिगड़ाना, जिला भिवानी।

36. सिपाही बलविन्द्र सिंह, गांव ग्योंग, जिला कैथल।

37. सिपाही मनीष कुमार, गांव टोडी खेड़ी, जिला जीन्द।

38. सिपाही रविन्द्र, गांव बिठला, जिला झज्जर।

39. सिपाही सिकंदर, गांव बेरी, जिला झज्जर।

40. सिपाही अंकित कुण्डू, गांव गद्दी खेड़ी, जिला रोहतक।

41. सिपाही जसविन्द्र सिंह, ग्राम बकाना, जिला कुरूक्षेत्र।

42. नाविक मोहित, गांव लडायन, जिला झज्जर।

यह सदन इन वीरों की मृत्यु पर शत्-शत् नमन करता है और शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

रेल दुर्घटना

यह सदन 2 जून, 2023 को ओडिशा के बालासोर जिले में बेंगलुरू- हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, कोरोमंडल एक्सप्रेस व एक मालगाड़ी के आपस में टकरा जाने से हुई दुर्घटना में मारे गये यात्रियों के दुःखद व असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। यह सदन दिवंगतों के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी हमले

यह सदन 20 अप्रैल, 2023 को जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले तथा 5 मई, 2023 को राजौरी जिले में हुए आतंकवादी हमलों में शहीद हुए सुरक्षाकर्मियों के दुःखद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। यह सदन आतंकवादी घटनाओं की कड़ी निन्दा करता है तथा महान वीरों की शहादत पर शत्-शत् नमन करता है।

यह सदन दिवंगतों के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन

सांसद श्री बृजेन्द्र सिंह की नानी श्रीमती छन्न कौर

विधायक डॉ. रघुवीर सिंह कादियान की चाची, श्रीमती कांता देवी,

विधायक चौधरी आफताब अहमद के मामा, श्री अलाउद्दीन तथा मामी श्रीमती कमाली;

विधायक श्री जगवीर सिंह मलिक के भाई, श्री राजेन्द्र सिंह मलिक;

विधायक श्रीमती निर्मल रानी की माता, श्रीमती ओमपति देवी;

विधायक श्री गोपाल कांडा के भाई, श्री रतिश मोहन;

विधायक श्री राजेन्द्र सिंह जून की चाची, श्रीमती विद्या देवी; तथा

विधायक श्री मामन खान के चाचा, श्री जमालुद्दीन के दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ।

यह सदन दिवंगतों के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा(गढ़ी-सांपला-किलोई) धन्यवाद, स्पीकर साहब। सदन के नेता ने सदन में जो शोक प्रस्ताव रखे हैं मैं भी अपने आपको उनके साथ जोड़ता हूं। मैं अपनी व अपनी पार्टी की तरफ से सिक्किम के भूतपूर्व राज्यपाल चौधरी रणधीर सिंह के 15 अप्रैल, 2023 को हुए दुःखद

निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ। उनका जन्म पहली जुलाई, 1924 को हुआ। वे वर्ष 1967 में लोक सभा के सदस्य चुने गये। उन्होंने 10 मार्च, 1996 से 17 मई, 2001 तक सिक्किम के राज्यपाल पद को सुशोभित किया। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। वे एक उच्चकोटि के लेखक भी थे। उन्होंने कई पुस्तकों की रचना की, जिन्हें विश्व के कई पुस्तकालयों में प्रदर्शित किया गया है। उनके निधन से देश एक स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद्, राजनीतिज्ञ एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

मैं अपनी व अपनी पार्टी की तरफ से पंजाब के भूतपूर्व मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल के 25 अप्रैल, 2023 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ। उनका जन्म 8 दिसम्बर, 1927 को हुआ। वे वर्ष 1957, 1969, 1972, 1977, 1980, 1985, 1997, 2002, 2007, 2012 तथा 2017 में ग्यारह बार पंजाब विधानसभा के सदस्य चुने गये। वे वर्ष 1970-71, 1977-80, 1997-2002, 2007-12 तथा 2012-17 के दौरान पांच बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। वे वर्ष 1977 में लोक सभा के सदस्य चुने गये तथा 28 मार्च, 1977 से 19 जून, 1977 तक केंद्रीय कृषि एवं सिंचाई मंत्री भी रहे। वे वर्ष 1972, 1980 तथा 2002 में तीन बार पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी चुने गये। उनकी अतुल्य सेवाओं के लिए उन्हें वर्ष 2015 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। वे एक लोकप्रिय राजनेता थे, उन्होंने देश व पंजाब के विकास में अहम योगदान दिया। वे आजीवन किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहे। उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्र उन्हें सदैव कृतज्ञता के भाव से याद रखेगा। उन्होंने अपने लम्बे तथा यशस्वी जीवन में राजनयिक एवं राजनेता के रूप में अमिट छाप छोड़ी। उनके निधन से देश एक प्रखर राजनेता एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से संसद सदस्य श्री रतन लाल कटारिया के 18 मई, 2023 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। उनका जन्म 19 दिसम्बर, 1951 को हुआ। वे वर्ष 1987 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गये। वे वर्ष 1999, 2014 तथा 2019 में तीन बार लोकसभा के सदस्य चुने गये। वे 30 मई, 2019 से 7 जुलाई, 2021 तक केंद्रीय जल शक्ति तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री रहे। वे एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता थे। वे हमारे साथ भी रहे हैं । वे जब भी सैंट्रल हाल में जाते थे तो हमारे को उनका हंसमुख चेहरा मिलता था । उनके निधन से देश एक अनुभवी राजनीतिज्ञ एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से हरियाणा के भूतपूर्व उप मंत्री श्री जय नारायण खुंडिया के 20 अप्रैल, 2023 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। उनका जन्म 04 अक्तूबर, 1942 को हुआ। वे वर्ष 1977 तथा 1987 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये। वे वर्ष 1979-1980 के दौरान उप मंत्री रहे तथा मंत्रिमंडल में रहते हुए उन्हें नगर एवं ग्राम आयोजना, शहरी सम्पदा, मत्स्य, संसदीय मामले तथा वक्फ जैसे महत्वपूर्ण विभाग संभालने का गौरव हासिल हुआ। वे समाज के गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण एवं उत्थान के लिए सदैव समर्पित रहे। उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से स्वतंत्रता सेनानी महाशय परमानंद, गांव फाजिलपुर बादली, जिला गुरुग्राम के 21 मई, 2023 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से प्रदेश के उन वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता हूं, जिन्होंने मातृभूमि की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। इन वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार है:-

1. सहायक कमांडैंट कृष्ण कुमार, गांव कोट, जिला भिवानी।

2. निरीक्षक राकेश राठी, बहादुरगढ़, झज्जर

3.उप-निरीक्षक अमित, गाव सागरपुर, जिला महेन्द्रगढ़

4. उप निरीक्षक अत्तर सिंह गांव सुन्द्रह, जिला महेन्द्रगढ़

5. सहायक उप निरीक्षक नरेश कुमार, गांव पबनेरा, जिला सोनीपत।

6. सहायक उप निरीक्षक दलीप सिंह गांव डोहरकलां जिला महेन्द्रगढ़।

7. सूबेदार जोरावर सिंह, गांव हिंडोल, जिला चरखी दादरी।

8. हवलदार पवन कुमार, गांव नागल पीपा, जिला महेन्द्रगढ़।

9. हवलदार रोहित चौधरी, गांव गोठड़ा टप्पा दुहिना, जिला रेवाड़ी।

10. हबलदार रॉबिन कुमार, जुलाना, जिला जींद।

11. हवलदार मनोज कुमार, गांव भागेश्वरी, जिला चरखी दादरी ।

12. हवलदार सुशील कुमार, गांव चांदपुर, जिला जींद ।

13. हवलदार सतेन्द्र कुमार, गांव सरोला, जिला झज्जर ।

14. हवलदार जगदीश, गांव बधावड़, जिला हिसार ।

15. हवलदार सुखदेव सिंह, गांव पट्टी शहजादपुर, जिला कुरूक्षेत्र।

16. हवलदार कृष्ण कुमार, गांव ईशाक, जिला कुरूक्षेत्र ।

17. हवलदार जितेन्द्र सिंह, गांव बिरोहड़, जिला झज्जर ।

18. हवलदार सोमबीर, गांव सिकरी, जिला करनाल ।

19. सारजेंट मनजीत सिंह, गांव बनिहाड़ी, जिला महेन्द्रगढ़ ।

20. लीडिंग एयरक्राफ्टमैन अमित कुमार, गांव नेहरूनगर, जिला महेन्द्रगढ़ ।

21. नायक सोनू जांगड़ा, गांव जुगलान, जिला हिसार ।

22. नायक सोनू राम, गांव बालावास, जिला हिसार ।

23. नायक शोभित सिंह, गांव बेलरखा, जिला जींद ।

24. नायक विनोद कुमार, गांव खटकड़, जिला जींद ।

25. लांस नायक अमित कुमार, गांव हांडी खेड़ा, जिला सिरसा ।

26. लांस नायक तेजपाल सिंह, गांव संगेल, जिला नूंह ।

27. एयरमैन साहिल मान, गांव महमूदपुर, जिला सोनीपत ।

28. गनर मनमोहन, गांव बहीन, जिला पलवल ।

29. सिपाही पवन कुमार, गांव खरल, जिला जींद ।

30. सिपाही राजीत तोमर, गांव गुढान, जिला रोहतक ।

31. सिपाही महेश, गांव जड़वा, जिला महेन्द्रगढ़ ।

32. सिपाही नरेश कुमार, गांव नियामतपुर, जिला महेन्द्रगढ़ ।

33. सिपाही विक्रम सिंह, गांव सिसोठ, जिला महेन्द्रगढ़ ।

34. सिपाही नरेन्द्र कुमार, गांव लालावास, जिला भिवानी ।

35. सिपाही मुकेश कुमार तंवर, गांव तिगड़ाना, जिला भिवानी ।

36. सिपाही बलविंद्र सिंह, गांव ग्योंग, जिला कैथल ।

37. सिपाही मनीष कुमार, गांव टोडी खेड़ी, जिला जींद ।

38. सिपाही रविन्द्र, गांव बिठला, जिला झज्जर ।

39. सिपाही सिकंदर, गांव बेरी, जिला झज्जर ।

40. सिपाही अंकित कुण्डू, गांव गद्दी खेड़ी, जिला रोहतक ।

41. सिपाही जसविन्द्र सिंह, गांव बकाना, जिला कुरूक्षेत्र ।

42. नाविक मोहित, गांव लडायन, जिला झज्जर ।

मैं अपनी तथा अपनी पार्टी के सदस्यों की तरफ से इन वीरों की शहादत पर शत्-शत् नमन करता हूँ और शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से 2 जून, 2023 को ओडिशा के बालासोर जिले में बेंगलुरू-हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, कोरोमंडल एक्सप्रेस व एक मालगाड़ी के आपस में टकरा जाने से हुई दुर्घटना में मारे गए यात्रियों के दुःखद व असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ । मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगतों के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ । अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से 20 अप्रैल, 2023 को जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले तथा 5 मई, 2023 को राजौरी जिले में हुए आतंकवादी हमलों में शहीद हुए सुरक्षाकर्मियों के दुःखद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ। मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से आतंकवादी घटनाओं की कड़ी निन्दा करता हूँ तथा महान वीरों की शहादत पर शत्-शत् नमन करता हूँ और दिवंगतों के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ । अध्यक्ष महोदय, सांसद श्री बृजेन्द्र सिंह की नानी व हरियाणा विधान सभा की पूर्व सदस्या रही श्रीमती प्रेमलता जी की माता श्रीमती छन्न कौर, विधायक डॉ. रघुवीर सिंह कादियान की चाची, श्रीमती कांता देवी, विधायक चौधरी आफताब अहमद के मामा श्री अलाउदीन तथा मामी श्रीमती कमाली, विधायक श्री जगबीर सिंह मलिक के भाई, श्री राजेन्द्र सिंह मलिक, विधायक श्रीमती निर्मल रानी की माता, श्रीमती ओमपति देवी, विधायक श्री गोपाल कांडा

के भाई, श्री रतिश मोहन, विधायक श्री राजेन्द्र सिंह जून की चाची, श्रीमती विद्या देवी तथा विधायक श्री मामन खान के चाचा श्री जमालुदीन के दु:खद निधन पर भी गहरा शोक प्रकट करता हूँ । मैं अपनी तरफ से तथा अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगतों के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ ।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सदन में जो शोक प्रस्ताव रखे हैं और उन पर विपक्ष के नेता ने भी अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं, इनके अलावा मुझे जानकारी मिली है कि श्री मोहन लाल बड़ोली, विधायक के मामा श्री मांगे राम जी, जिनका निधन भी 29 मई, 2023 को हो गया था, मैं उन का नाम भी शोक प्रस्ताव की सूची में शामिल करता हूँ और मैं भी अपने आपको उनकी भावनाओं के साथ जोड़ता हूँ और शोक व्यक्त करता हूँ और परमपिता परमातमा से प्रार्थना करता हूँ कि वह सभी दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दे ।

मैं इस सदन की भावनाओं को सभी शोक संतप्त परिवारों के पास पहुंचा दूंगा । अब मैं सभी माननीय सदस्यों से विनती करूंगा कि उन महान आत्माओं की शांति के लिए खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण करें ।

(इस समय सदन में उपस्थित सभी सदस्यों ने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण किया ।)

चन्द्रयान-3 की चन्द्रमा पर सफल लैंडिंग के लिए बधाई देना

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री जी विशेष घोषणा करेंगे ।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, हरियाणा विधान सभा का मानसून सत्र शुरू होने से दो दिन पहले ही भारत ने चांद पर चन्द्रयान-3 उतारकर मानव इतिहास की बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है । **(इस समय सदन में मेजे थपथपाई गई ।)** चन्द्रयान-3 की सफल लैंडिंग से भारत, चांद के दक्षिणी ध्रूव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है । **(इस समय सदन में मेजे थपथपाई गई ।)** इस महान उपलब्धि पर देश भर में हर्ष और उल्लास का वातावरण है। साथ ही यह सदन भी हर्ष और गौरव का अनुभव कर रहा है । हम सब अपने सभी वैज्ञानिकों

और विशेष रूप से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) को हार्दिक बधाई देते हैं । हमारे महान वैज्ञानिकों के कौशल, साहस और बुद्धिमता के बल पर ही भारत आकाश से भी उंची इस उपलब्धि को प्राप्त करने में सफल हुआ है । यह सफलता इस बात का प्रमाण है कि भारत का ज्ञान-विज्ञान फिर से दुनिया पर अपना परचम फहरा रहा है ।आज प्राचीन काल के हमारे वैज्ञानिकों बौधायन, भास्कराचार्य, वराह मिहिर, आर्यभट्ट, कणाद तथा चरक आदि की आत्मायें प्रफुल्लित हो रही होंगी । हमारे लिए और भी गर्व की बात है कि चन्द्रयान-3 की सफलता में हरियाणा का भी महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें रोहतक में बने नट-बोल्ट और रेवाड़ी में बनी स्पेशल केबल का प्रयोग किया गया है। इस मिशन के वैज्ञानिक दल में शामिल अम्बाला की आरूषि सेठ, भिवानी के देवेश ओला और हिसार के यज्ञ मलिक ने सराहनीय योगदान दिया है । **(इस समय सदन में मेजे थपथपाई गई ।)**

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां हल्का तौशाम से जूहीं गांव का एक बच्चा जिसका नाम आशीष लाम्बा है जोकि इसरो में साइंटिस्ट है, वह भी वैज्ञानिक दल में शामिल हुआ है। अत: सदन के माध्यम से मेरा अनुरोध है कि उसका नाम भी इसमें जोड़ लिया जाये ।

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या उस वैज्ञानिक का नाम मुझे भेज दें तो उनका नाम भी शामिल कर लिया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष: किरण जी, आप यह नाम लिखकर दे दें ।

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, ठीक है। मैं यह नाम लिखकर दे दूंगी । (विघ्न)

श्री नीरज शर्मा: अध्यक्ष महोदय, इसके लिए फरीदाबाद से भी कल पूर्जे बनकर गए हैं ।

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, देश को इस तरह की ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए गौरवान्वित होने का अवसर देने के लिए हम विजनरी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं **। (इस समय सदन में मेजे थपथपाई गई ।)** उन्होंने हर पल वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाया है और उन्हें प्रोत्साहित और प्रेरित करने का काम किया है । उनके कुशल नेतृत्व

में भारत अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में अपनी अलग ही पहचान बना रहा है। यह आत्म निर्भर भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है । हम अपने वैज्ञानिकों की मेहनत, समर्पण और मेघा की पुन: सरहाना करते हैं और भविष्य के लिए शुभकामनायें देते हैं। धन्यवाद । जय हिंद।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा (गढ़ी-सांपला-किलोई): अध्यक्ष महोदय, हम भी इसका पूर्ण समर्थन करते हैं लेकिन इसके साथ ही एक बात यह भी याद रखनी चाहिए कि यह जो देश की अचीवमैंट हुई है, कोई एक दिन की, पांच-सात साल की मेहनत का परिणाम नहीं है बल्कि आजादी के 75 सालों में हमारे वैज्ञानिकों और इस दौरान रहे देश के विभिन्न प्रधानमंत्रियों की मेहनत का परिणाम है । भारतीय अंतरिक्ष अनुंसधान संस्थान (इसरो) में पंडित जवाहर लाल नेहरू से लेकर आज तक हर प्रधानमंत्री का भी योगदान रहा है । **(इस समय विपक्ष की तरफ से मेजे थपथपाई गई ।)**

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज): अध्यक्ष महोदय, हुडा साहब को देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का भी नाम ले लेना चाहिए ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, श्री नरेन्द्र मोदी जी का नाम तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ले ही लिया है । मैंने तो हर प्रधानमंत्री के योगदान की बात कही है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मेरा नेता प्रतिपक्ष से कहना है कि वे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का नाम भी ले दें । (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, इनको मोदी जी का नाम लेने में क्या पेट में दर्द हो रहा है ? (शोर एवं व्यवधान) ये सिर्फ एक बार मोदी जी का नाम लेकर कह दें कि मोदी जी का भी धन्यवाद । (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इन्हें सिर्फ इतनी बात करनी चाहिए । (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, श्री नरेन्द्र मोदी जी देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं । वे इलैक्टिड माननीय प्रधानमंत्री हैं । (विघ्न) विज साहब के पास सीआईडी नहीं है । लोग मरवा दिए । इनको इसकी 3 बजे खबर मिली थी । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, ये मोदी जी का नाम तो लें । मोदी जी आज देश की रहनुमाई कर रहे हैं । ये 75 साल की बात कर रहे हैं । आज की बात क्यों नहीं कर रहे हैं ? (विघ्न) अध्यक्ष

महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं । आप मुझे एक बात कहने का मौका दीजिए । (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, अगर ऐसी ही बात करनी है तो फिर हम बाहर चले जाते हैं । (शोर एवं व्यवधान) ये क्या बात कर रहे हैं ?

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, ये मोदी जी का नाम तो लें । यह सफलता देश को तब मिली है जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं । (विघ्न)

श्रीमती शकुंतला खटक : अध्यक्ष महोदय, यह गलत है । (विघ्न)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, क्या गलत है इसमें ? यह ऐतिहासिक है । यह इतिहास में लिख गया है कि यह कार्य मोदी जी के समय में हुआ है । (शोर एवं व्यवधान) अब मोदी जी का धन्यवाद तो करो । (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, फिर इंदिरा जी का भी नाम ले दो । उन्होंने एस्ट्रोनॉट राकेश जी से बात की थी । (शोर एवं व्यवधान) मैं हर प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : विज साहब, उन्होंने उस प्रस्ताव का समर्थन किया है जिसमें मोदी जी का नाम है । (विघ्न) हुड्डा साहब ने उस प्रस्ताव का समर्थन किया है जिसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय लेकर आये हैं और उसमें मोदी जी का नाम है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, उन्होंने मोदी जी का नाम नहीं लिया है । (शोर एवं व्यवधान) मोदी जी का नाम लेने में क्या दिक्कत है ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, ये क्या नंबर बनाना चाहते हैं ? इस प्रस्ताव में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का नाम है जिसका हम सबने समर्थन किया है । अध्यक्ष महोदय, इस विषय में इनके द्वारा जो भी बोला गया है उसको सदन की कार्यवाही से डिलीट करवा दिया जाए । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, मोदी जी का नाम सदन की कार्यवाही से डिलीट कैसे करवा सकते हैं ? नहीं, ऐसे नहीं होता ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, ये जो गलत कह रहे हैं क्या वह डिलीट नहीं होगा ? प्रस्ताव में मोदी जी का नाम है यह बात हमने उनको बता दी है । आप इसे डिलीट करवाओ । यह बात रिकॉर्ड में कैसे चली जाएगी ? (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा । प्रस्ताव में मोदी जी का नाम है यह मैंने उनको बता दिया है । (विघ्न) आपने तो नाम लिया ही नहीं । आपने प्रस्ताव का समर्थन किया है । मैंने कहा है कि आपने प्रस्ताव का समर्थन किया है और उसमें मोदी जी का नाम है ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, ये श्री नरेन्द्र मोदी जी की बात कर रहे हैं । मैं इनको बताना चाहता हूं कि ये उनको जानते भी नहीं थे तब से वे मेरे साथ रहे हैं । यह बात इनको पता नहीं है ।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि ये बस एक बार मोदी जी का अपने मुखारविन्द से नाम लेकर उनका धन्यवाद कर दें ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो प्रस्ताव पढ़ा है कि- ISRO के वैज्ञानिकों द्वारा चंद्रयान-3 की चंद्रमा पर जो सफल लैंडिंग की गई है । उसके लिए यह सदन सभी वैज्ञानिकों को, उनकी टीम को एवं देशवासियों को बधाई देता है। भारत विश्व में ऐसा पहला देश हो गया है जिसने चन्द्रमा के दक्षिणी छोर पर चन्द्रयान की सफल लैंडिंग करवायी है। यह सदन हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को भी उनके कुशल नेतृत्व में जो भारत ने यह सफल कार्य किया है इसके लिए उनको भी बधाई देता है।

(इस समय सदन में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाकर बधाई दी गयी।)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, मैंने जो पंडित जवाहर लाल नेहरू तथा अन्य सभी प्रधानमंत्रियों के नाम जोड़ने के बारे में कहा है तो उनका नाम भी इसमें जोड़ लें।

श्री अध्यक्ष: हुड्डा साहब, आपकी कही हुई बात को इन्कल्यूड कर देंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, ठीक है।

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि इस काम के लिए सदन के द्वारा एक स्टेंडिंग बधाई दी जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, जी।

(इस समय सदन में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों द्वारा सदन में खड़े होकर तालियां बजाकर चन्द्रयान-3 की चन्द्रमा पर सफल लैंडिंग के लिए इसरों के वैज्ञानिकों को बधाई दी गयी तथा इसके लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा भी सभी का धन्यवाद भी किया गया।)

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि इसमें यह भी एड कर दिया जाए कि इस काम की शुरूआत कहां से हुई है? अध्यक्ष महोदय, यह तो बड़प्पन होगा। इसके लिए सारे प्रधानमंत्रियों का नाम एड कर दें।

श्री अध्यक्ष: ठीक है । किरण जी, अब आप बैठ जाएं।

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का नाम बोल दिया है। यह बहुत अच्छी बात है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, जब माननीय मंत्री जी इडिपेंडेंट मैम्बर चुनकर आये थे तब से मैं उनको जानता हूं। माननीय मंत्री जी तो उनको अब जानने लगे हैं।

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, इस काम के लिए माननीय नेता प्रतिपक्ष माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का नाम ले लें।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, देश के प्रधानमंत्री जी का नाम लेने में कोई झिजक नहीं है।

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, यह अच्छी बात है। मैं इसके लिए इनका आभार प्रकट करता हूं। माननीय नेता प्रतिपक्ष के मुंह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का नाम निकला है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, आप माननीय मंत्री जी को इस तरह बोलने से रोक दें।

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, मैं तो इसके लिए इनका आभार प्रकट कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: प्लीज, आप सभी बैठ जाएं।

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, यह देश का मामला है। इसको इस लेवल पर नहीं घसीटना चाहिए। इस काम की शुरूआत आज से ही नहीं हुई है बल्कि यह काम सालों साल से चला आ रहा है। पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने इसरो की स्थापना की थी। ये देश का मामला है। हम गर्व महसूस करते हैं कि ये काम हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: किरण जी, प्लीज आप बैठ जाएं।

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, श्री नरेन्द्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और यह काम माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, इनको बाहर निकाल दें। Shut him out. (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम इनको कहना चाहूंगा कि how dare you say ? क्यों बाहर निकालें? (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, इन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का आभार प्रकट किया है, इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विज साहब, प्लीज, कॉपरेट करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, क्या मैं बाहर चला जाउं? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विज साहब, प्लीज, कॉपरेट करें। प्लीज, आप बैठ जाएं।

(इस समय माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज सदन से बाहर चले गये।)

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब प्रश्न काल शुरू होता है।

बाई-पास का निर्माण

*1. **श्री लक्ष्मण नापा** : क्या उप-मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे किः -

(क) क्या यह तथ्य है कि रतिया शहर में टोहाना की ओर जाने वाली सड़क पर जाम लगा रहता है तथा यह सड़क टोहाना को फतेहाबाद से वाया रतिया को जोडती है**(** तथा

(ख) क्या रतिया कस्बे में फतेहाबाद सड़क से टोहाना सड़क तक बाई-पास बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है**(** यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

Deputy Chief Minister (Shri Dushyant Chautala): (a) & (b) No Sir.

श्री लक्ष्मण नापा: अध्यक्ष महोदय, मैं आप के माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि रतिया शहर पंजाब राज्य के एरिया के साथ लगता है। सिरसा, फतेहाबाद और आसपास के लोग चण्डीगढ़ जाते हैं तो वे रतिया शहर से होकर जाते हैं। जो पंजाब के लोग विदेश जाने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं वे भी यही से होकर जाते हैं, इसलिए यह बहुत ही जरूरी है कि रतिया शहर का एक बाईपास बनें ताकि लोगों को हर रोज के ट्रैफिक जाम और ध्वनि प्रदूषण से निजात मिले। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से यही कहूंगा कि रतिया शहर के लिए एक बाई पास बनाया जाए।

श्री दुष्यंत चौटाला :अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पंजाब बॉर्डर पर इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात की है । रतिया में बुढलाडा सड़क की वाईडनिंग का प्रपोजल ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है और इसका टैंडर जल्दी ही इन्वाईट कर दिया जायेगा । जहां तक रतिया टोहाना सड़क की वाईडनिंग की बात है तो पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी टोहाना गये थे तो उन्होंने इसकी अनाउंसमैंट की थी । इसका जैसे ही टैंडर ऐस्टीमैट बनकर तैयार हो जायेगा तो हम इसका टैंडर फ्लॉट करने का काम कर देंगे । जहां तक रतिया शहर की बात है तो शहर में सभी सड़कें ऑलरेडी फोरलेन बन चुकी है । चूंकि अर्बेनाइजेशन दिन प्रति दिन बढ़ती ही जा रही है और माननीय सदस्य ने जो बात रखी है उसको देखते हुए ट्रैफिक डैनसिटी का हम तुरन्त एक महीने में सर्वे करवा लेंगे । अगर सर्वे फिजीबल आता है तो सरकार इस पर जरूर विचार करेगी ।

श्री लक्ष्मण नापा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि पंजाब बॉर्डर से लेकर राजस्थान बॉर्डर तक रोड बनाने के लिए 185 करोड़ रूपये मंजूर हुए हैं मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय उप मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद प्रकट करता हूं । रतिया टोहाना रोड की सी.एम. अनाउंसमैंट है लेकिन इन दोनों सड़कों को जोड़ने के लिए बाई पास नहीं है । अगर यह बाई पास बन जायेगा तो टोहना, रतिया, फतेहाबाद और सिरसा के लोगों के लिए यह बहुत बड़ी सौगात होगी । मैं समझता हूं कि यह हमारी सरकार के लिए भी बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि इससे यहां के लोगों को सुविधा मिलेगी ।

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं इसका सर्वे करने के लिए तुरन्त आदेश दे देता हूं जैसे ही फिजीबिलिटी ट्रैफिक डैनसिटी की रिपोर्ट आयेगी, सरकार इसके उपरांत निर्णय लेगी ।

रेलवे अंडर पास तथा रेलवे उपरि पुल का निर्माण करना

***2. श्री जगदीश नायर :** क्या उप मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि क्या होडल सड़क पर गोरोटा रेलवे क्रॉसिंग, भुलवाना रेलवे क्रॉसिंग, बन्चारी से डाकोरा रेलवे क्रॉसिंग, मितरोल, डीघोट, मरोली, बन्चारी से गोरोटा रेलवे क्रॉसिंग पर रेलवे उपरि पुल बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; तथा यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

Deputy Chief Minister (Shri Dushyant Chautala): Sir, Statement of reply to the question is laid on the table of the house.

Statement

LC No.	Location	Status/ reply
ROB at LC-554	**Gorauta railway crossing on Hodal road**	A revised GAD has been submitted to Railways on dated 12.08.2023 for approval. After approval of the GAD, DPR will be prepared and sent to the Government for according Administrative Approval
ROB / RUB at LC-552	**Bulwana to Chamelivan road**	ROB/RUB is not feasible in this location on account of site conditions and restricted Right of Way (ROW).
ROB at LC-556-A Spl	**Banchari to Dakora road**	ROB in this location is being taken up by Railways at their own level.
ROB at LC-560 Spl.	**Mitrol to Deeghot road**	ROB in this location is being taken up by Railways at their own level.
ROB at LC-557-B	**Road from Delhi-Mathura Road to village Maroli**	GAD has been approved by the Railways on dated 27.07.2023, DPR is under preparation and will be sent to the Government for according Administrative Approval shortly.

ROB / RUB at LC 556	**Banchari to Gorauta road**	LC 556 falls on Banchari to Gorauta road which is under the jurisdiction of Haryana State Agriculture Marketing Board (HSAMB) and at present there is no proposal of construction of ROB / RUB at this LC on this road.

EXECUTIVE SUMMARY

(a) Construction of two lane ROB at <u>LC-554</u> on Mumbai Delhi Railway track crossing on Hodal to Khambi via Pangaltu, Railway km. 1452/14-16 in Palwal District (<u>Road from Hodal to village Gorauta</u>).

The GAD of ROB was sent to office of Dy. Chief Engineer/ RSW/Gwalior vide letter no. 358/HSRDC dated 15.03.2023 for approval. The GAD was re-submitted by Railways vide letter No. DYCE/CE/GSU/AGC/ROB/554 dated 08.06.2023 which has been further corrected as per site requirement in consultation with Railway Authorities and sent by the Consultant vide letter No. JCTPL/PB/HSRDC/LC-554/39156 dated 12.08.2023 for approval and approval is awaited from the Railways. After approval of GAD, Detailed Project Report will be prepared and sent to the Government for arranging Administrative Approval.

(b) Construction of ROB at <u>LC-552</u> on Delhi Agra Railway line crossing Bulwana to Chamelivan road in Palwal District.

The Right of Way (ROW) of road at the location is 33 feet before LC & less than 33 feet after level crossing towards, Chamelivan. The area in and around level crossing is thickly populated and ROB/RUB is not feasible without demolition of private structure and land acquisition.

(c) Construction of ROB at <u>LC-556-A</u> Spl. On Delhi Agra Railway line crossing Banchari to Dakora road in Palwal District.

The Right of Way (ROW) of road is 33 feet. Additional land shall have to be acquired for construction of ROB. GAD for construction of ROB has been sent by Executive Engineer, Provincial Division, PWD B&R Br., Palwal vide letter no. 1568 dated 01.05.2023 to Northern Central Railway. Railways is

taking up the work of construction of this ROB including land acquisition at its own level as intimated by Railways vide its letter no. AGRA/GSU/DY.CE/MISC/300 dated 21.08.2023.

(d) Construction of ROB at LC-560 on Delhi Agra Railway line crossing Mitrol to Deeghot road in Palwal District.

The Right of Way (ROW) of road is 33 feet. Additional land shall have to be acquired for construction of ROB. GAD for construction of ROB has been sent by Executive Engineer, Provincial Division, PWD B&R Br., Palwal vide letter no. 1568 dated 01.05.2023 to Northern Central Railway. Railways is taking up the work of construction of this ROB including land acquisition at its own level as intimated by Railways vide its letter no. AGRA/GSU/DY.CE/MISC/300 dated 21.08.2023.

(e) Construction of ROB at LC-557-B on Delhi Agra Railway line crossing Delhi-Mathura Road to Maroli Road in Palwal District (Road from NH -19 to village Maroli).

For construction of ROB at LC-557-B additional private land measuring 1.5 Acres shall have to be acquired. The GAD of proposed ROB at LC-557-B has been approved by the Chief Engineer/ Construction, AGC, Agra on dated 27.07.2023. Now DPR is under preparation and will be sent to the Government for according Administrative Approval.

(f) Construction of ROB at LC 556 on Delhi Agra Railway line crossing Banchari to Gorauta road in Palwal District.

The Level crossing is existing on road under the jurisdiction of Haryana State Agriculture Marketing Board (HSAMB). Right of Way of the road is 22 feet. Drain is exiting after crossing of level crossing so RUB is not feasible. ROB is feasible only with acquisition of additional private land. At present there is no proposal of construction of ROB / RUB at LC 556.

श्री जगदीश नायर : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस क्वैश्चन का उत्तर पढ़ लिया है लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि एल.सी. 554 पर Gorauta railway crossing on Hodal road पर स्कूल में आने जाने वाले बच्चों को काफी लम्बे ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है और वहां पर एम्बुलैंस भी फंसी रहती है । यू.पी., राजस्थान और हरियाणा का यह मुख्य मार्ग है । इसी रास्ते पर मंडी भी पड़ती है । यहां पर आर.ओ.बी. बनाना बहुत जरूरी है इसलिए मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि इसकी डी.पी.आर. कब तक तैयार हो जायेगी ? अध्यक्ष महोदय, बुलवाना से चमेलीवन रोड पर एल.सी. 552 पड़ता है इस पर आर.ओ.बी. बनाने के लिए उप मुख्यमंत्री जी ने इन्कार कर दिया है । मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि यह गांव इसके एक

तरफ रह जाता है और जो किसान खेती बाड़ी का कार्य करते हैं उसका रास्ता दूसरी तरफ पड़ता है । यहां से उत्तर प्रदेश के वाहन भी गुजरते हैं इसलिए यहां के लोगों को बड़ी भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है । यहां पर कई बार पशुओं के साथ भी हादसे हो चुके हैं और यह आमजन के लिए भी मुसीबत का कारण बनी हुई है, जिसके कारण आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं । इसके अलावा मेरा यह भी कहना है कि बंचारी से डाकोरा रोड पर एल.सी. 556-ए पड़ता है इस पर सरकार ने आर.ओ.बी. बनाने की मंजूरी दे दी है जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा । सरकार ने यह हमारे लोगों को बहुत बड़ा तोहफा दिया है । अध्यक्ष महोदय, मितरोल से डीघोट रोड पर एल.सी. 560 पड़ता है इस पर आर.ओ.बी. बनाने पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय उप मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद प्रकट करना चाहूंगा कि इन्होंने वहां की जन समस्या को समझा । दिल्ली मथुरा रोड से गांव मरोली सियाखामी रोड पर एल.सी. 557-बी पड़ता है इस रोड पर बहुत सारा ट्रैफिक गुजरता है इसके लिए माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसकी डी.पी.आर. तैयार हो रही है इसलिए मेरा इनसे अनुरोध है कि इसकी डी.पी.आर. जल्दी से जल्दी तैयार करवाने का काम करें और इसका कार्य भी तेज गति से करवाया जाये । बन्चारी से गोरौटा रोड एल.सी. 556 पर पड़ता है इस रोड का ट्रैफिक बाजार में आता है जिसके कारण बाजार में लम्बी-लम्बी कतार लगी रहती है । इसके लिए भी मेरा अनुरोध है कि इस रोड पर भी आर. ओ.बी. बनाया जाये । धन्यवाद ।

श्री दुष्यंत चौटाला :अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने खुद ही सारी सड़कों का ब्यौरा दे दिया है लेकिन मैं सदन के सामने दो सड़कों का ब्यौरा रखना चाहूंगा । जहां तक एल.सी. 556 की बात है वह इसलिए फिजीबल नहीं हो सकती क्योंकि इसके दोनों तरफ लैंड एक्विजिशन करनी पड़ेगी जो वहां पर मकान और दुकानें बनी हुई हैं उनको तोड़ना पड़ेगा । फिर भी हम इसका अल्ट्रनेटिव रूट बनाकर आगे एग्जामिन करवा लेंगे क्योंकि वहां पर राईट ऑफ वे रिस्ट्रिक्टिड है । माननीय सदस्य ने जो 556 की बात की है तो यह रोड मार्केटिंग बोर्ड की है तो हम मार्केटिंग बोर्ड को लिखकर दे देंगे अगर वहां पर राईट ऑफ वे होगा और अगर वह रोड हमें ट्रांसफर हो सकती है तो हम इसको रेलवे से टेकअप कर लेंगे । जहां तक दिल्ली-मथुरा रोड से मरोली रोड की बात है तो इसकी जी.ए.डी. अप्रूव हो चुकी है । अब इंडियन रेलवे जैसे ही नक्शा अप्रूव करके हमें देगी हम इसका टैंडर कर देंगे ।

श्री जगदीश नायर : अध्यक्ष महोदय,हमें गोरौटा रेलवे फाटक की सबसे ज्यादा जरूरत है क्योंकि यह आम जनता की मांग है । वहां पर जनसंवाद के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी गये थे तब भी इसकी मांग उठाई गई थी इसलिए इस पर विशेष ध्यान दिया जाये । धन्यवाद ।

Øf"kax tksu esa ok;q xq.koÙkk MkVk

***3. MkW- vHk; flag ;kno %** D;k i;kZoj.k] ou ,oa oU;tho ea=h d`I;k crk,axs fd&

¼d½ ukaxy pkS/kjh fo/kku lHkk fuokZpu {ks= ds /kksysM+k Øf"kax tksu esa xr ,d o'kZ ds nkSjku dk ok;q xq.koÙkk MkVk D;k gS(

¼[k½ D;k izHkkfor {ks= esa vkl&ikl ds xkaoksa ds ukxfjdksa ds LokLF; ij ok;q iznw'k.k ds izHkko ij dksbZ v/;;u fd;k x;k gS(

¼x½ D;k bl {ks= dh xq.koÙkk dks lq/kkjus rFkk izHkkfor xkoksa esa LokLF; ekinaMksa dh fuxjkuh djus ds fy, dksbZ fo"ks'k dk;ZØe vk;ksftr fd;s x, gSa(

¼?k½ D;k bl {ks= esa iznwf'kr /kwy dks jksdus ds fy, dksbZ fo"ks'k midj.k yxkus dk izLrko ljdkj ds fopkjk/khu gS \

i;kZZoj.k] ou rFkk oU; tho ea=h ¼Jh daoj iky½ %

¼d½ Jheku th] gfj;k.kk jkT; iznw'k.k fu;U=.k cksM+Z ds }kjk ftyk egsUnzx<+ dh ifjos'kh ok;q xq.koÙkk dh fuxjkuh] y?kq lfpoky;] ukjukSy esa LFkkfir lr~r ifjos"kh ok;q xq.koÙkk ekWuhVfjax LVs'ku ¼lh- ,- ,- D;w- ,e- ,l-½ ds ek/;e ls dh tk jgh gS] fiNys o"kZ dk MkVk fnukad 01-04-2022 ls 15-08-2023 rd **vuqcU/k&1** ij j[kk x;k gSA ukaxy pkS/kjh fuokZpu {ks= ds xkao /kksysM+k esa cksMZ ds }kjk tqykbZ] 2023 ls gLrpkfyr ekWfuVfjax ekid ;U= ds ek/;e ls ifjos'kh ok;q xq.koÙkk dh fuxjkuh 'kq: dj nh xbZ gSA ftldk MkVk **vuqcU/k&2** ij j[kk x;k gSA

¼[k½ flfoy ltZu] ukjukSy us fnukad 24-06-2022 ls 02-07-2022 rd xkao /kksysM+k rFkk fudVorhZ nl xkaoksa esa LokLF; f"kfoj vk;ksftr fd;k Fkk A ftlesa 657 O;fDr;ksa dh tkap dh xbZA ftlesa ls 20 O;fDr ,sls gS ftlesa 3 izfr"kr ds YkaXt bQSD"ku dks vlkekU; ik;k x;kA

¼x½ ftyk iz"kklu] ukjukSy rFkk ou foHkkx] gfj;k.kk us egsUnzx<+ esa tqykbZ] 2023 esa 3-75 yk[k o`{kks dk ikS/kkjksi.k@foÙkj.k dk ,d fo"ks'k vfHk;ku pyk;k gSA buesa ls yxHkx 70 gtkj ikS/ks ok;q xq.koÙkk lq/kkj ds fy, ukaxy pkS/kjh fuokZpu {ks= esa jksis x, FksA LVksu ØS"kj ekfyd rFkk [kuu ifj;kstuk,a lM+d /kwy dks nckus ds fy, LVksu ØS"kj rFkk [kkukasa dh vksj tkus okyh lM+dksa ij fu;fer :i ls ikuh dk fNM+dko djus ds funsZ'k fn, x;s gSA

¼?k½ yksd fuekZ.k foHkkx ¼Hkou ,oa lM+ds½ us /kksysM+k eq[; lM+d rFkk /kksysM+k ckbZikl dks lhesaV dadjhfVax ds fy, ifj;kstuk vuqeksfnr dh gSA dsUnzh; iznw'k.k fu;U=.k cksM+Z ok;q xq.koÙkk dh fuxjkuh djus ds fy, ftyk egsUnzx<+ esa LVksu ØSf"kax {ks=ksa ds fudV ik¡p lr~r ifjos"kh ok;q xq.koÙkk ekWuhVfjax LVs'ku ¼lh- ,- ,- D;w- ,e- ,l-½ yxkus dh izfØ;k esa gSA

Annexure-1

Air Quality Index (AQI) data referred to in reply to starred question no. 3 put by Dr. Abhe Singh Yadav, MLA

AQI value for Jan, 2022 to Dec 2022

Day	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec
1	201	178	122	132	148	160	28	28	48	107	172	210
2	247	NA	157	180	127	138	29	28	40	108	211	219
3	282	169	108	120	NA	125	36	28	39	71	343	200
4	275	NA	NA	123	NA	113	42	44	29	85	269	217
5	231	99	61	153	138	117	56	98	NA	87	273	267
6	141	159	110	144	219	126	94	51	31	87	139	185
7	160	126	114	175	216	164	NA	74	52	23	132	134
8	49	191	161	184	172	217	58	35	60	NA	203	127
9	49	209	125	118	142	150	46	71	88	47	111	164
10	49	99	107	119	137	156	75	46	78	22	97	158
11	84	102	157	116	122	138	34	29	58	NA	251	117
12	71	91	NA	116	149	128		30	49	64	136	111
13	173	NA	NA	140	169	108	NA	48	32	95	116	110
14	NA	119	NA	255	240	74	NA	28	NA	115	128	99
15	151	129	218	176	133	56	NA	69	34	128	140	99
16	74	121	126	177	186	77	NA		28	126	165	111
17	88	121	119	225	213	61	NA	28	29	117	115	117
18	90	NA	177	146	270	NA	NA		62	115	112	134
19	201	83	171	141	226	50	NA	29	88	137	130	160
20	188	107	128	128	239	49	NA	28	83	123	132	172
21	227	92	135	135	255	50	28	41	57	126	214	177
22	143	101	161	101	254	49	28	33	NA	NA	115	NA
23	114	109	163	133	140	49	81	38	NA	135	102	187
24	64	198	145	170	57	87	40	28	NA	167	98	187
25	110	229	157	167	93	68	56	NA	30	176	157	105
26	140	84	134	138	60	64	44	48	55	135	118	151
27	155	55	125	170	60	58	28	42	59	134	134	231
28	115	62	177	147	60	59	28	60	66	145	179	125
29	173		144	122	NA	52	28	66	84	207	209	134
30	154		178	121	209	28	28	NA	93	174	217	134
31	213		178		154		36	58		157		280
MINIMUM	49	55	61	101	57	28	28	28	28	22	97	99
MAXIMUM	282	229	218	255	270	217	94	98	93	207	343	280
AVERAGE	147.0666667	126.4	142.9	149.1	163.9	95.55	43.95	44.67	54.88	114.8	163.9	160.7

AQI Category (Range)

Good (0-50)	**Poor (201-300)**
Satisfactory (51-100)	**Very Poor (301-400)**
Moderately (101-200)	**Severe (401-500)**

Station : CAAQMS Station installed at Mini Secretariat, Shastri Nagar, Narnaul, Haryana

Air Quality Index (AQI) data referred to in reply to starred question no. 3 put by Dr. Abhe Singh Yadav, MLA

AQI value for Jan, 2023 to Aug 2023

Day	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec
1	111	NA	96	NA	74	48	327	39				
2	161	NA	102	NA	NA	55	335	53				
3	172	99	113	106	NA	78	86	61				
4	150	159	80	69	71	171	82	64				
5	209	176	60	97	101	121	NA	66				
6	159	185	86	NA	124	87	219	NA				
7	179	140	121	116	97	170	NA	64				
8	247	80	96	173	113	186		81				
9	251	181	50	NA	113	87	NA	92				
10	157	122	93	NA	100	81	192	97				
11	238	102	131	190	105	97	NA	100				
12	340	104	134	123	118	190	NA	92				
13	328	68	160	138	150	.	NA	72				
14	284	82	160	138	121	91	NA	76				
15	191	186	173	184	69	84	59	87				
16	263	225	129	122	67	77	NA					
17	249	NA	NA	115	140	57	42					
18	NA	244	74	128	105	46	52					
19	317	270	NA	260	80	36	NA					
20	221	NA	96	118	112	62	NA					
21	217	97	NA	115	117	92	67					
22	314	195	96	148	NA	72	NA					
23	317	159	78	NA	104	94	NA					
24	313	118	70	NA	120	99	NA					
25	170	164	NA	142	43	92	66					
26	184	137	142	NA	32	24	NA					
27	130	149	119	NA	NA	38	38					
28	170	151	114	179	NA	68	26					
29	290		114	135	77	288	64					
30	NA		98	93	65	338	23					
31	61		NA		NA		94					
MINIMUM	61	68	50	69	32	24	23	39				
MAXIMUM	340	270	173	260	150	338	335	100				
AVERAGE	220.45	149.71	107.1	137.6	96.72	104.4	110.8	74.57				

AQI Category (Range)

Good (0-50)	**Poor (201-300)**
Satisfactory (51-100)	**Very Poor (301-400)**
Moderately (101-200)	**Severe (401-500)**

Station : CAAQMS Station installed at Mini Secretariat, Shastri Nagar, Narnaul, Haryana

Annexure-2

Air Quality Status of Manual Monitoring Stations installed at Village - Dholera of Nangal Chaudhary Constituency referred to in reply to starred question no. 3 put by Dr. Abhe Singh Yadav, MLA				
Station- Water Supply Boosting Station of PHED at Village Dholera, Nangal Chaudhary				
AR No. and date	**Date of Sample**	**PM10** (100 , µg/m3 **)**	**PM2.5** (60 , µg/m3 **)**	**Remarks**
176 dated 18.07.2023	13.07.2023 to 14.07.2023	134	99	Values are exceeding the prescribed standards of National Ambient Air Quality
191 dated 24.07.2023	19.07.2023 to 20.07.2023	-	145	
249 dated 17.08.2023	08.08.2023 to 09.08.2023	167	105	
260 dated 21.08.2023	16.08.2023 to 17.08.2023	172	-	

M/S NIMAWAT GRANITES PVT.
Plot No.- 3, Bakhrija

HARYANA GOVERNMENT

ENVIRONMENT AND CLIMATE CHANGE DEPARTMENT

Notification

The 11th November, 2022

No. 16/10/2015-3Env.— Whereas, article 48-A of the Constitution of India *inter-alia* envisages that the State shall endeavor to protect the environment;

Whereas, it is necessary and expedient to take immediate steps under sections 5 and 7 of the Environment (Protection) Act, 1986 (Central Act 29 of 1986) and section 19 of the Air (Prevention and Control of Pollution Act, 1981 (Central Act 14 of 1981) and rules framed there under to maintain ecological balance in the State to prevent environmental degradation and to avoid human health hazards;

And Whereas, the State Government has already taken a decision to maintain ecological balance keeping in the view industrial development and also to maintain the quality of environment and to avoid health hazard for the residents of the area;

And Whereas, as per Haryana Government, Environment Department, notification No. S.O. 12/C.A.29/ 1986/S.5 and 7/2016, dated the 11th May, 2016, directions were given for stone crushing units in regard to siting criteria norms as per Schedule I, emission norms and pollution control measures requirement as per Schedule II, identification of zones and availability of sites as per Schedule III and procedure for establishment and operation in identified zones as per Schedule IV;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986, (Central Act 29 of 1986) read with Government of India, Ministry of Environment and Forests, Department of Environment, Forests and Wildlife, Notification No. S.O. 152 (E), dated the 10th February, 1988 and in pursuance of the provisions of section 7 of the said Act and rule 4 of the Environment (Protection) Rules 1986, and supersession of the Haryana Government, Environment Department, Notification No. S.O. 12/C.A. 29/1986/Ss. 5 and 7/2016 dated 11th May 2016, The Governor of Haryana hereby proposes to issue the following directions for establishment of stone crushers in regard to siting criteria norms as per Schedule I and emission norms and pollution control measures requirement as per Schedule II;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under clause (a) of sub-rule (3) of rule-4 of the Environment (Protection) Rules 1986, notice is hereby given that draft of notification shall be taken into consideration by the Government on or after expiry of a period of thirty days from the date of publication of draft notification in the Official Gazette, together with objection or suggestion, if any, which may be received in the office of all the Additional Chief Secretary to Government, Haryana, Environment Department, Chandigarh from any person with respect to the notification:-

SCHEDULE I

NORMS FOR SITING OF STONE CRUSHERS IN HARYANA

Serial No. 1	**Criteria** 2	**Distance in KM** 3
1.	Minimum distance required from the nearest National Highway and State Highway	0.5
2.	Minimum distance required from the limits of National Capital Territory of Delhi	5.0
3.	Minimum distance required from the limits of nearest Municipal Corporation of the same district.	2.0
4.	Minimum distance required from the nearest Town/City/Municipal Limits	1.0
5.	Minimum distance required from the nearest Village Phirni. In case if there is no phirni then the distance be measured from *abadidehand* in case *of be-chirag* revenue estate (to be certified by the Tehsildar concerned), actually on the spot, the distance will be measured from the nearest inhabited revenue estate.	0.5
6.	Minimum distance required from any land recorded as forest in Government record (revenue or forest department) except strip forests / plantation alongroads, canals, railway lines and bunds.	0.25

Serial No. 1	Criteria 2	Distance in KM 3
7.	Minimum distance required from approved water supply scheme open to sky of 20 KL capacity.	1.0
8.	Minimum distance required from any indoor health treatment unit catering to 25 or more bed for catering indoor patients	1.0
9.	Minimum distance required from National Parks, Wild Life Sanctuaries and Conservation Reserves	2.0 (NP) 1.0 (WLS)
10.	Minimum distance required from education institutions	0.5
11.	Minimum distance required from any mining area / hillock	0.5

The following directions are also given in respect of above said Schedule:

(i) All distances, unless specifically mentioned above, except the distance from village, are to be measured as the crow flies from the nearest boundary of the land of the stone crusher to the periphery of the feature concerned.

(ii) In case of villages where any hill / hillock / mountain fall between the individual stone crusher and the village, the distance criteria from the village shall be considered along the shortest line of hill / hillock / mountain, with the condition that there should be a minimum of 300m distance from the foot of the hill / hillock / mountain for safeguarding the environment and the decision in this regard shall be taken on case to case basis considering the local environment.

(iii) The existing, approved crusher zones and their extension shall not be affected by the above siting minimum distance criteria as the feasibility of heaving a conglomeration of stone crushing units in conjunction with the above siting criteria may not be possible. The above mentioned siting criteria shall only be applicable to stone crushing units to be established in the area outside the existing, approved crusher zones or their extension.

(iv) The crusher zones shall be identified and approved by the Mining and Geology Department, after taking concurrence from all the stakeholder Departments and Haryana State Pollution Control Board.

(v) No stone crushing unit shall be allowed to be set up or operate outside the identified crusher zones in Faridabad, Palwal (earstwhile Faridabad District) and Gurugram Districts.

(vi) In case, eco sensitive zone of a protected area like National Park, Wild Life Sanctuary or Conservation Reserve is notified having restrictions for a distance of more than one / two kms, as the case may be, then the same shall be adhered to.

(vii) The distance of the stone crushers from various prescribed locations shall be certified/verified by the concerned Tehsildar and for the forest land the report regarding the siting distance shall be taken from the Divisional Forest Officer concerned. The Regional Officer of the Board concerned, shall verify distances of the prescribed locations other than those verified by Divisional Forest Officer or Tehsildar.

SCHEDULE II

EMISSION NORMS AND POLLUTION CONTROL MEASURES REQUIREMENTS

Item I

Pollution Control Parameters:

The suspended particulate matter (hereinafter referred to as SPM) measured between 3 meters and 10 meters from any process equipment of a stone crushing unit shall not exceed 600 micrograms per cubic meter. The measurements of SPM are to be conducted as per Environment (Protection) Act, 1986 (Central Act 29 of 1986) and rules made thereunder.

Item II

Pollution Control Measures:

The following pollution control devices and measures are required to be installed and operated as mandatory obligation by the stone crushing units under the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:-

1. Dust containment cum suppressing system for the equipment in the form of covered sheds and sprinklers;
2. All existing stone crushers shall ensure additional air pollution control measures like laying of tiles in the entire area of the unit, fully covering their conveyors and installing fogger machines in their units, within a period of one year of issuance of the notification.

3. Construction of approved wind breaking wall of at least 50 meter length and minimum 16 feet height alongwith provision of telescopic chute to ensure that the crushed material from the nod is released from a point which is at least 2 feet below the height of the wind breaking wall. The wall shall be structurally sound and shall cover the vulnerable abadi side of the crusher unit.

4. Construction and maintenance of metalledroads for vehicular movement within the premises of the crushing units or within the zone housing the stone crushing units as approved by the Haryana State Pollution Control Board at the time of grant of Consent to Establish.

5. The metalled roads to be provided either individually within the premises or jointly by the crushers in the approved crusher zones will be as determined by Haryana State Pollution Control Board in consultation with Engineer-in-Chief, Public Works Department (Bridge & Road). These roads shall be constructed as per satisfactory specifications of construction and maintenance. Haryana State Pollution Control Board will have the authority to cancel continued operation of stone crusher in zone or isolated sites or premises within zones where such metalled roads are not satisfactorily constructed or maintained individually or jointly as applicable to the area in question.

6. Regular cleaning and wetting of the ground within the premises and the remaining enclosure of the crushing units and the zone where the unit is situated.

7. All stone crushing units shall provide a green belt along the periphery having avenue plantation of two rows after approval of plantation plan by the Divisional Forest Officer concerned. Till plantation within the premises is fully developed, the project proponent shall erect a barrier/barricade along the periphery to contain the dust emissions. Such barricade should completely enclose the premises from all sides and may be either a boundary wall or of flexible cloth (tarpaulin etc.) or a combination of two. The height of the barricade shall not be less than the height of the highest tip of the conveyor belts.

8. The stone crushing units shall provide at least 50 number sprinklers alongwith a water storage facility of minimum 10 kiloliter capacity. Further they must sprinkle at least 10 kilolitre of water per day for a stone crushing capacity of 100 tones per day and *pro rata* accordingly for higher capacity crushing units.

9. In order to ensure the regular operation of sprinklers system, the stone crushing units shall provide inter locking system alongwith separate energy meter having load survey and demand features.

10. A log book, containing the daily data, as recorded by the energy meter for the consumption of energy by such pollution control measure be made available to the Haryana State Pollution Control Board or its authorized officers immediately on its demand on the spot or within a period of three working hours thereafter at the most;

11. The stone crushing units shall obtain raw material only from legal sources and will have exclusive contract with legitimate mining lease holders and will submit complete data relating to the sources and quantity of raw material utilized and exploited by the stone crushing units alongwith production data, taxes and duties paid as applicable thereon under the law of land;

12. A green belt along any approved zone shall be for a depth of alteast 100 meters or along the periphery of the crusher zone with minimum 10 rows of such trees in the direction of the depth of the green belt. The spacing of such trees along the periphery shall not exceed 8 meters along the periphery. The nature of trees to be planted and their protection measures required for such tree plantation shall be subject to the approval of the concerned Divisional Forest Officer. The responsibility for the planting and maintaining of green belt shall be collectively with the stone crusher association of all the stone crushing units operating in the zone and in case the association fails to ensure the compliance of the norms, the operation of all the crushers in that zone shall be suspended by the State Pollution Control Board till the compliance is made in this regard.

13. No stone crusher will be allowed to be set up in choe, steam or river bed within their flood protection embankments.

14. Consent policy orders dated the 6th March, 2014 of the Haryana State Pollution Control Board notified on 15th April, 2014 as amended from time to time shall also be applicable for obtaining consent to establish and consent to operate under Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (Central Act 6 of 1974) and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (Central Act 14 of 1981)

Item III

Requirement of Land

Every new stone crushing unit whether in approved zone or outside, must possess and operate in a minimum area of one acre of land, if it has only one set of machinery and at least 1.5 acre of land if it has more than one

set of machinery. In case land is taken on lease, then the lease should be registered with revenue authority and if the land is taken on lease from Panchayat then it should be with the written permission of the Principal Secretary to Government Haryana, Panchayat and Development Department. The lease period shall not be less than seven years and shall be irrevocable.

Item IV

Resolving the issues relating to subsequent introduction of new establishments, affecting the existing stone crushers

In those instances, where, due to subsequent introduction of a new establishment requiring the siting norms (a new road, a new notified forest, an expanded Municipal area, a new education institution, a new Health Care Facility, etc.), compelling the existing stone crusher units to be shifted, the fact that in the modern, expanding and developing urban / rural mapping, it is unavoidable to introduce the above mentioned establishments for the over-all development and modernization of the society, is recognized, but the crusher units which have established themselves have to face shifting involving considerable cost. It is, therefore, mandatory for all the stone crusher units to take an NOC from all the Departments concerned, before their establishment that there would be no additional siting norm requiring establishment, at least for the next five years in the area under question which might affect the proposed stone crushing unit, and in case, if under unavoidable circumstances, such establishments are allowed, necessary precautions shall be the responsibility of the new establishment as well, besides imposition of additional pollution control measures on the stone crusher unit. Thus, the consent shall be renewed after every five years, only after taking the necessary NOC and undertaking from the crusher unit concerned. Further, in cases, where the new establishments requiring siting parameters have been introduced subsequently, half of the distance criteria for such units, along with the stringent norms of Air Pollution Control Measures (APCM) for the unit shall be considered, on case to case basis. Those units, which are not even meeting the half earmark shall need to be relocated, within a period of one year.

VINEET GARG,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Environment and Climate Change Department.

9970—C.S.—H.G.P., Pkl.

Proceedings of the meeting held on 02.05.2023 at 11:30 Hrs. of High Powered Committee constituted vide Govt. of Haryana, EF&W Department Order Endst. No.16/03/2023 - 3Env dated 19.04.2023 for implementation of orders passed by Hon'ble NGT in M.A. No. 74/2022 in O.A No. 976 of 2019- Gurinder Singh &Ors. vs Union of India &Ors.

The list of participants attached as Annexure-A.

The Member Convener of the Committee explained the directions issued by the Hon'ble NGT in M.A. No. 74/2022 in OA No.976 of 2019- Gurinder Singh & Ors. vs. Union of India & Ors., to the participants. In compliance of these orders, Govt. of Haryana, EF&W Department vide Order Endst. No.16/03/2023 – 3 Env dated 19.04.2023 constituted a High Powered Committee for planning and execution for utilisation of environment compensation funds. It was decided during the meeting held under the chairmanship of Chief Secretary on 03.03.2023 that the existing exclusive account for receiving the environmental compensation in the HSPCB will continue to be used and no separate account is required to be opened and funds will be released for utilization from this account by the Member Secretary, HSPCB based on the directions of the High Powered Committee. It was also informed that approx. Rs. 74.5 crore has so far been deposited on account of environment compensation in the exclusive account, out of which Rs. 52 crore has been deposited by different units as environmental compensation imposed by the HSPCB and Rs. 22.5 crore has been deposited through SEIAA as environmental compensation.
The order of Hon'ble NGT was discussed and suggestions for utilization of environmental compensation, keeping in view of NGT directions, were given by representatives of the departments.

After detailed discussion, it was decided that;

1. 50% amount of environment compensation shall be utilised in the districts from where the amounts were collected and the balance could be allotted to any district as per requirement of District Environment Plans.
2. School and Higher Education Departments may submit comprehensive proposals regarding funding eco-clubs and organizing awareness programmes in schools and colleges. The proposals may cover gaps under existing schemes and budget allotted in this regard. The proposals may include online courses for school/college students regarding environment awareness/issues.

3. Regional Officers of HSPCB may co-ordinate with Deputy Commissioners concerned and other stake holders departments to send proposals to meet gaps identified under the District Environment Plan and seek funds, with full justification.

4. The concerned departments may also submit detailed proposals for allocation of funds to undertake activities identified under the District Environment Plans, as per discussion held, if required.

Next meeting of the HPC will be held under the Chairmanship of ACS to Govt. of Haryana, Industries & Commerce Department and members of the Committee may be requested to attend the meeting personally.

The meeting ended with a vote of thanks to the Chair and all participants.

*****

Annexure-A

List of participants
(S/Sh)

1. Vineet Garg, IAS, ACS to Govt. Of Haryana, EF&W Department
2. P. Raghavendra Rao, Chairman, HSPCB
3. Vikas Gupta, Secretary, Urban Local Bodies Department
4. Pardeep Kumar, Member Secretary, HSPCB
5. Ajit Singh, Dy. Director, Higher Education, Education Department
6. Sat Pal Sharma, HCS, Secretary, Secondary Education, Education Department
7. Mahabir Prasad, Addl. Director, Elementary Education, Education Department
8. Rakesh Kumar, Chief Engineer, Public Health Engineering Department
9. Arun Kumar Pandey, HoD, HSIIDC

कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, क्षेत्रीय मण्डल, महेन्द्रगढ़
फोरेस्ट कॉम्प्लेक्स, महेन्द्रगढ़ ।
दूरभाष : 01285–220229, ई–मेल : *dfomgarh@yahoo.co.in*

क्रमांक : 2388 दिनांक : 21/8/23

सेवा में :

हरियाणा राज्य प्रदूषण बोर्ड,
क्षेत्रीय कार्यालय, महेन्द्रगढ़,
एस.सी.ओ.–डी–6, डी–7,
सनसिटी कमर्शियल कॉम्पलैक्स,
सेक्टर–6, ए–ब्लॉक, रेवाड़ी ।

विषयः मुक्त–सप्लाई किए गए पौधों की सप्लाई बारे ।

सन्दर्भः आपका दूरभाष संदेश दिनांक 21.08.2023

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको अगवत करवाया जाता है कि इस वन मण्डल द्वारा वर्ष 2023–24 में 375000 नं0 पौधे मुक्त सप्लाई किए गए हैं, जिसमें नांगल चौधरी रेंज द्वारा 70000 नं0 पौधे मुक्त सप्लाई किए गए हैं । यह आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

वन मण्डल अधिकारी,
महेन्द्रगढ़ ।

Health Camp Summary

Health camps were organized by Health Department District Mahendergarh in 70 crushers sites and adjacent 11 villages to knew the effect of dust/population on employees and villagers mainly respiratory disease, Anaemia, HB and Diabetes mallets during period 24/06/2022 to 02/07/2022.

Observations:

Total 657 persons were examined out of which 642 were males and 15 females. General Health status of all was good.

- Anaemia: Out of 657, 553 persons were normal, 86 Mild Anaemia, 17 Moderate Anaemia and 01 Severe Anaemia.
- Blood Pressure: Out of 657, 551 have normal BP, 106 have high blood pressure.
- Diabetes Mellites: Out of 657, 610 have normal Blood sugar, 47 Diabetic/prediabetic.
- Respiratory system: Out of 657 spirometry test 637 have normal value and 20 have abnormal spirometry test. 255 persons were sent for x-ray, out of which 244 have normal x-ray, 11 have abnormal x-ray findings. Out of 11 abnormal x-ray 05 have finding suggestive of pneumoconiosis, 05 have old tubercular lesions in x-ray and 01 was diagnose as new pulmonary tuberculosis patient.

Conclusion:

It is observed that these 657 persons are exposed in dusty environment of crushers for a variable period. Out of 657 persons, 20(3%) have abnormal spirometry finding and 05(0.75%) have abnormal chest x-ray suggestive of

pneumoconiosis. This could be because of effect of dust/environmental pollution on respiratory system.

Anaemia found in 104(16%), High Blood Pressure found in 106(16%), High Blood Sugar found in 47(7%). This could be because of dietary habit, life style, age and hereditary factor. Pulmonary T.B found in 1(0.15%) is infective disease.

Civil Surgeon
Narnaul

Health Camp Organized on 24, 25 , 27 June 2022 & from 30 June 2022 to 02 July 2022

List of Villages Covered

Sr. No.	Name of Village
1	Bigopur
2	Dholera
3	Gangutana
4	Jainpur
5	Bakhrija
6	Khatoli Ahir
7	Kultajpur
8	Lutafpur
9	Bayal
10	Berundla
11	Dokhera

From

Mining Officer,
Mines & Geology Department Cum
Member Secretary,
District Mineral Foundation, Narnaul

To

1. Hon'ble Minister, Social justice and Empowerment Sh. Om Parkash Yadav.
2. Hon'ble Member Parliament, Sh. Dharambir Singh.
3. Hon'ble M.L.A, Nangal Chaudhary Dr.Abhay Singh Yadav.
4. Hon'ble M.L.A., Mahendergarh, Sh. Dhan Singh Yadav.
5. Hon'ble M.L.A., Ateli, Sh. Seeta Ram Yadav.
6. Additional Deputy Commissioner, Narnaul, Vice Chairperson
7. Divisional Forest Officer, Mahendergarh.
8. Executive Engineer, PWD (B&R), Mahendergarh & Narnaul
9. Executive Engineer, Panchayati Raj, Mahendergarh & Narnaul
10. Chief Medical Officer, Narnaul.
11. Regional Officer, HSPCB, Dharuhera.
12. District Education Officer, Narnaul.
13. District Social Welfare Officer, Narnaul.
14. Sh. Satish Kumar Garg, from Mukundpura Mines.
15. Sh. Parmesh Sangwan from Bakrija Mines Plot No.-2,Distt. Mahendergarh.
16. Sh. Naresh kumar from Bakrija Mines Plot No.-3, Distt. Mahendergarh.
17. Sh. Abhishek1st Class Mines Manager, Bakhrija Mines.
18. Sh. Kanchan Chakarborty working as 1st Class Mines Manager in A.N.E. Mining Industries, Narnaul.

Special Invitees

19. Sub Divisional Magistrate (C), M.Garh/Narnaul/Kanina.
20. Project Officer, W.C.D.Deptt., Narnaul
21. D.D.P.O., Narnaul
22. B.D.P.O., Narnaul/Nangal Choudhary & Mahendergarh.
23. Tehsildar, Narnaul, Nangal Chaudhary & Mahendergarh.
24. XEN, Irrigation, Mahendergarh & Narnaul
25. Deputy Director, Agriculture, Narnaul
26. Principal, I.T.I., Narnaul
27. XEN, Public Health, Mahendergarh, Narnaul
28. Assistant Geologist, Ground Water Cell, Narnaul.

Memo No: Mining/NNL/DMF/ 954-82 Date: 22/03/2023

Subject: - **Approved Minutes of District Mineral Foundation Mahendergarh at Narnaul, to be held on 17-03-2023 at 12:30 PM under the Chairmanship of worthy Deputy Commissioner Narnaul - Regarding.**

On the subject noted above.

Please find enclosed herewith the approved minutes of DMF meeting held on 17-03-2023 under the Chairmanship of worthy Deputy Commissioner Narnaul at 12:30 PM in Conference Hall, Mini- Secretariat, Narnaul for your kind information and necessary action please.

Mining Officer-cum-
Member Secretary,
District Mineral Foundation,
Narnaul

Endst. No. Mining/NNL/DMF/ 983 Date: 22-03-2023

A copy is forwarded to the P.A. to Deputy Commissioner, Narnaul for kind information of W/ Chairman please.

Mining Officer-cum-
Member Secretary,
District Mineral Foundation,
Narnaul

Minutes of the Meeting of DMF held on 17.03.2023 at 12:30PM under the Chairmanship of Dr. Jai Krishan Abhir, IAS, Deputy Commissioner Mahendergarh at Narnaul.

At the very outset of the meeting the Mining officer Narnaul welcomed the worthy Chairman and all other members. A list of officers who attended the meeting is given below.

1. Miss Vaishali Singh, IAS, ADC, Mahendergarh
2. Sh. Harshit Kumar, IAS, SDM, Mahendergarh
3. Sh. Manoj Kumar, HCS, SDO(C), Narnaul
4. Dr. Mangal Sain, HCS, CTM-cum-DDPO, Narnaul
5. Sh. Krishan Kumar, RO, HSPCB, Dharuhera
6. Sh. Rohtash Singh, DFO, Narnaul
7. Sh. Niranjan Lal, MO, Narnaul
8. Dr. R.C. Arya, Civil Surgeon, Narnaul
9. Sh. Ashwani Kumar, EE, PwD(B&R)
10. Sh. Nitin Bhargav, XEN Irrigation, Narnaul
11. Sh. Dharmender Kadian, AIPRO,Narnaul
12. Sh. Parmod, BDPO Nangal Choudhary
13. Sh. Sandeep Sharma, BDPO, Nizampur
14. Ms. Nisha Tanwar, BDPO, Mahendergarh
15. Sh. Deepak Kumar, MI, Mining Department Narnaul
16. Sh. Dinesh Kumar, O/o M/s Nimawat Granites Pvt. Ltd., Bakhrija Plot No. 03
17. Sh. Kanchan Chakarborty, Ist Class ANE Mines Manager
18. Sh. Bhoop Singh, O/o M/s Tirupati viniyoge Pvt. Ltd., Bakhrija Plot No. 02
19. Sh. Satbir, O/o M/s Satish Garg lease (Bayal & Mukandpura)

The Mining Officer stated that in District Mahendergarh at present 07 mining lease/contracts are in operation after obtaining requisite Environmental Clearance & other mandatory clearances, the details of which are as under:

Sr. No	Name of Mining lease	Name of the lessee	Name of Village
1.	Narnaul	M/s A.N.E. Industries Pvt Ltd.	Narnaul
2	Mukundpura	M/s Satish Kumar Garg	Mukundpura
3.	Bakhrija Plot No. 2	M/s Tirupati Viniyoge Pvt Ltd	Bakhrija
4.	Bakhrija Plot No. 2	M/s Nimawat Granites Pvt Ltd	Bakhrija
5.	Dokhera	M/s Xandy Mines and Mineral	Dokhera
6.	Bayal	M/s Bayal Quartz & Feldspar	Bayal
7.	Bayal	M/s Satish Kumar Garg	Bayal

Currently in DMF account, an amount of Rs. 18,62,18,794/- stands deposited or transferred till 15.03.2023, out of which an amount of Rs. 1,63,54,814.83/- has already been utilized for various schemes like corona relief fund, Renovation of office of Tehsil Nangal Choudhary, playground of Dholera Government school, etc. Now, an amount Rs.16,98,63,979.17/- (with Fixed deposit and interest) remains balance in account of DMF till 15.03.2023. The detailed deliberations on all the issues, the Chairman gave the following directions to all the concerned departments:

1. The Mining Officer explained the house that according to the Haryana District Mineral Foundation Rules, 2017, the funds may be utilised in the following manner: -
   A. 20% of the funds shall be kept aside as endowment for taking care of future expenses after mining activities have ended in the area.
   B. At least 60% of the funds shall be utilised on directly affected areas on prescribed basis like for the drinking water supply, for centralized preservation and pollution control measures, for welfare improvement and protection of health conditions, health check-up camps, for infrastructure and development of government educational institutions, for skill development for livelihood support, for sanitation, collection, transportation and disposal of waste, etc.
   C. 20% funds shall be utilised in the directly affected areas and for providing roads, bridges, railways and waterways projects, for developing techniques of irrigation and sources of energy.
2. The Member Secretary put up the proposals, received from the XEN, PWD(Building & Roads), Narnaul vide their office memo no.771 dated 02.02.2023 [regarding estimate cost of Rs.448.48lacs improvement of Dholera Bye Pass road with length of 2.40Km] & memo no.804

58

dated 03.02.2023 [regarding estimate cost of Rs.446.86 lacs for improvement of road from Narnaul-Nangal Choudhary road(MDR-129) to Dholera upto MDR-128, 10.30Km to 12.40Km(road ID 2655) with length of 2.1Km] and later Haryana Public Works Department (Building & Roads) Chandigarh office letter vide memo no.854-RII-2022/20460 dated 09.02.2023 [regarding estimated cost for Improvement of road from Narnaul-Nangal Choudhary road(MDR-129) to Dholera upto MDR-128, 10.30Km to 12.40Km(road ID 2655)] and memo no. 853-RII-2022/20464 dated 09.02.2023 [regarding cost estimate for Improvement of road Dholera Bye Pass].

The house was apprised about the Haryana District Mineral Foundation Rule, 2017, notified on dated 19 December 2017 and the rule no.14(3) says that:

"Twenty percent funds shall be utilised -

(a) For providing roads, bridges, railways and waterways projects;

(b) For developing alternate sources of irrigation, adoption of suitable and advanced irrigation techniques;

(c) For development of alternate sources of energy (including micro-hydel) and rainwater harvesting system, Development for plantation, orchard, integrated farming and economic forestry and restoration of catchments;

Provided that while using funds as per sub-rule (2) and (3) atleast 60% of funds shall be spent on directly affected areas."

(i) An amount of Rs. 3,72,43,759/- (20% of Rs. 18,62,18,794/-) has been kept aside as endowment for taking care of future expenses after mining activities have ended in the area.

(ii) An amount of Rs. 11,17,31,276/- (60% amount of Rs. 18,62,18,794/-) for the works in directly affected areas.

(iii) An amount of Rs. 3,72,43,759/- (20% amount of Rs. 18,62,18,794/-) for various other defined works including roads in the rule.

In this way, as per (ii) and (iii), 60% amount can be utilized in directly affected area means road etc. share of (iii) i.e. 60% of Rs. 3,72,43,759/-, an amount of Rs. 2,23,46,255/- can be utilised in directly affected area and Rs. 1,48,97,503/- can be used in indirectly affected areas for roads works and the same was approved for the roads mentioned in para-No. 2. The mode of payment (either

2023/9/20 09:54

59

in instalments or lumpsum) for the project needs to be cleared by the department. It was also decided that Addl. Deputy Commissioner, Mahendragarh and Sub Divisional Officer(C), Narnaul will conduct the inspection of the roads alongwith the Executive Engineer, PWD(B&R), Narnaul for the priority of the work.

3. The Member Secretary put up the demand of Sarpanch village Kharkara and Nimbi of Tractor-Trolly for sanitary purpose and also mentioned that above said villages come under indirectly affected areas. On that worthy Chairman said that this can be considered at alater stage after checking the instructions in the matter.

4. The SDM Narnaul put up the proposal of the estimate for construction of boundary wall at GMS Nasibpur under Samagra Shiksha (SS) Mahendergarh at Narnaul which cost Rs. 9.63 lacs. On that worthy Chairman directed the Member Secretary to sanction the above said project.

5. The Member Secretary put up matter discussed in DMF meeting dated 23.01.2023, that the lowest quotation of Parshant Goyal and company (Charted accountant) wages of Rs.17,000 till 31st March,2023 for all the pending works till date had passed by this house but due to pendency of audit since 2017, the above firm refused to audit from 2017 in Rs.17000/-. On that worthy Chairman directed the Member Secretary to again put up the proposed quotation from various firms for regarding conducting of audit of the DMF expenditure since 2017 till this financial year in next meeting.

The following directions were also issued in the meeting by the Chairman: -

a) The CMO will boost up the pending work of the approved proposal in the meeting dated 05.08.2022 for improving health facilities.
b) The BDPO, Nangal Chaudhary will submit the proposal of library setup in directly affected villages.
c) The Chairman advised the house members to submit the proposals regarding development of villages/towns for better facilities.

The meeting ended with a vote of thanks to the Chair.

Deputy Commissioner-cum-Chairman,
DMF, Mahendergarh at Narnaul.

2023/9/20 09:54

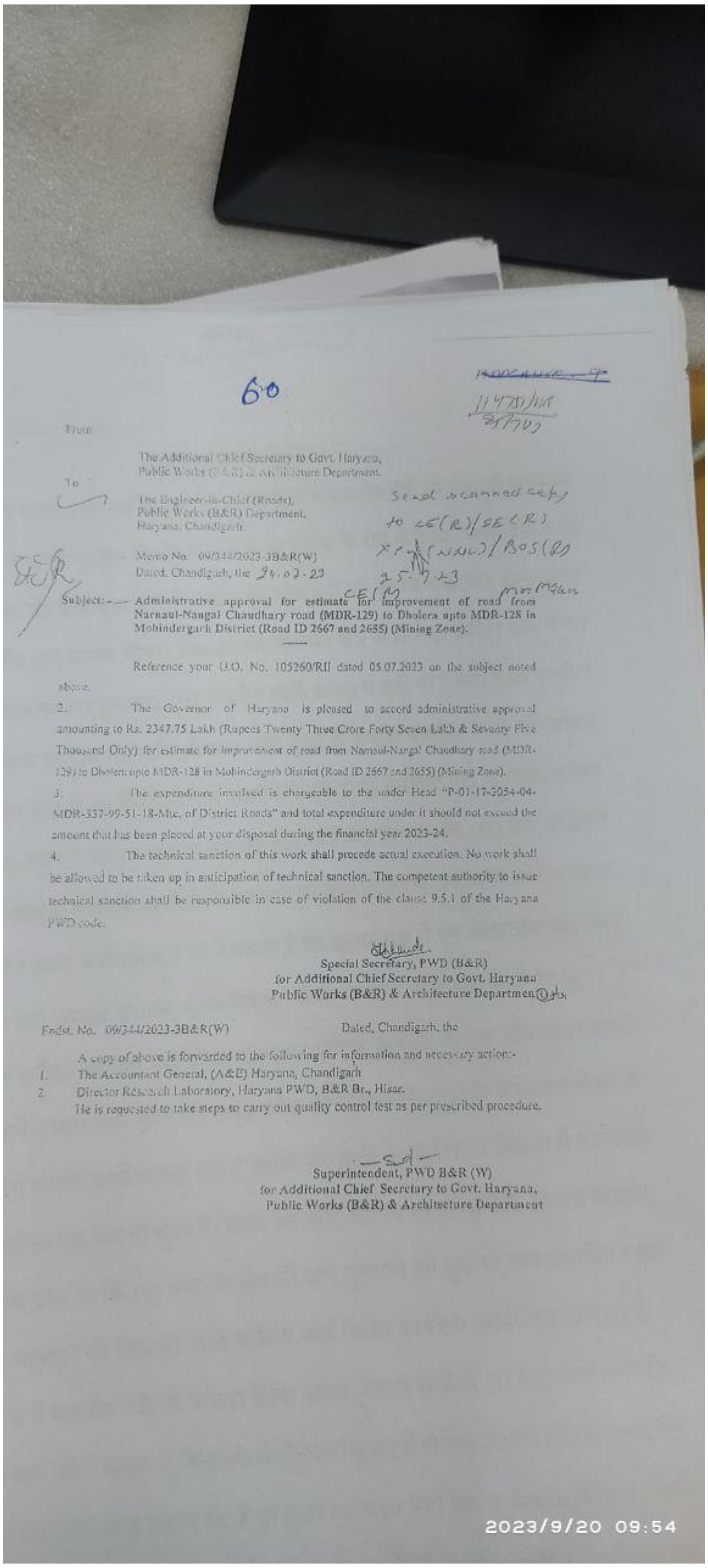

From

The Additional Chief Secretary to Govt. Haryana,
Public Works (B&R) & Architecture Department.

To

The Engineer-in-Chief (Roads),
Public Works (B&R) Department,
Haryana, Chandigarh.

Memo No. 09/344/2023-3B&R(W)
Dated, Chandigarh, the 24.07.23

Subject:- Administrative approval for estimate for improvement of road from Narnaul-Nangal Chaudhary road (MDR-129) to Dholera upto MDR-128 in Mohindergarh District (Road ID 2667 and 2655) (Mining Zone).

Reference your U.O. No. 105260/RII dated 05.07.2023 on the subject noted above.

2. The Governor of Haryana is pleased to accord administrative approval amounting to Rs. 2347.75 Lakh (Rupees Twenty Three Crore Forty Seven Lakh & Seventy Five Thousand Only) for estimate for improvement of road from Narnaul-Nangal Chaudhary road (MDR-129) to Dholera upto MDR-128 in Mohindergarh District (Road ID 2667 and 2655) (Mining Zone).

3. The expenditure involved is chargeable to the under Head "P-01-17-3054-04-MDR-337-99-51-18-Mtc. of District Roads" and total expenditure under it should not exceed the amount that has been placed at your disposal during the financial year 2023-24.

4. The technical sanction of this work shall precede actual execution. No work shall be allowed to be taken up in anticipation of technical sanction. The competent authority to issue technical sanction shall be responsible in case of violation of the clause 9.5.1 of the Haryana PWD code.

Special Secretary, PWD (B&R)
for Additional Chief Secretary to Govt. Haryana
Public Works (B&R) & Architecture Department

Endst. No. 09/344/2023-3B&R(W) Dated, Chandigarh, the

A copy of above is forwarded to the following for information and necessary action:-
1. The Accountant General, (A&E) Haryana, Chandigarh
2. Director Research Laboratory, Haryana PWD, B&R Br., Hisar.
He is requested to take steps to carry out quality control test as per prescribed procedure.

-Sd-
Superintendent, PWD B&R (W)
for Additional Chief Secretary to Govt. Haryana,
Public Works (B&R) & Architecture Department

2023/9/20 09:54

डॉ. अभय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री जी तथा उप मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि क्रेशर जोन में जो सीमेंट के रोड थे उनको बना दिया गया। अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न कुछ और थे जबकि माननीय मंत्री जी जवाब कुछ और ही दे रहे हैं। मेरा प्रश्न था कि (क) नांगल चौधरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के धोलेड़ा क्रशिंग जोन में गत एक वर्ष के दौरान का वायु गुणवत्ता डाटा क्या है ? इसके जवाब में मंत्री जी ने कहा है कि नारनौल

मिनी सचिवालय पर एक मॉनिटरिंग सिस्टम लगा हुआ है जबकि नारनौल मिनी सचिवालय धोलेड़ा क्रशिंग जोन से 10 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर है। इसलिए यहां का डाटा क्रशिंग जोन का डाटा नहीं हो सकता। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह मेरा प्रश्न था कि (ख) क्या प्रभावित क्षेत्र में आस-पास के गांवों के नागरिकों के स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के प्रभाव पर कोई अध्ययन किया गया है ? इसके जवाब में मंत्री जी ने बताया है कि जुलाई माह में एक हैल्थ चेक अप कैम्प लगाया गया था। अध्यक्ष महोदय, हैल्थ चेकअप कैम्प में बल्ड प्रेशर तथा प्लस रेट नापने से पॉल्यूशन के इम्पैक्ट का पता नहीं होता। पॉल्यूशन इम्पैक्ट के लिए तो एक डीप स्टडी करनी होती है जिसमें एक्सरा तथा लोगों की श्वांस वगैरा की जांच करनी होती है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह सारी बात स्पेशल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे हल्के के गांव मेघोट बिनजा में ऑलरेडी सिलिकोसिस का एक केस हो चुका है जिसमें उस पेशेंट की डेथ भी हो चुकी है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह मेरा प्रश्न था कि (ग) क्या इस क्षेत्र की वायु गुणवत्ता को सुधारने तथा प्रभावित गांवों में स्वास्थ्य मापदंडों की निगरानी करने के लिए कोई विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं ? इसके जवाब में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि नांगल चौधरी हल्के में 70,000 पौधे लगा दिए गए हैं। इस बात को मैं मानता हूं कि हल्के में पौधे लगाए गए हैं लेकिन क्रशिंग जोन में या तो पेड़ लगाए नहीं गए और अगर लगाए गए हैं तो उन्होंने सर्वाइव नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, सिर्फ पेड़ लगाने से क्रशिंग जोन की डस्ट कंट्रोल नहीं हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह मैंने पूछा था कि (घ) क्या इस क्षेत्र में प्रदूषित धूल को रोकने के लिए कोई विशेष उपकरण लगाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? इसके जवाब में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि पक्की रोड बना दी गई और वहां जुलाई के माह में मैन्यूअल मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू किया है। यह शायद मेरे प्रश्न भेजने के बाद में शुरू किया गया है। उसका रिप्लाई एनैक्सचर-2 में दिया हुआ है। मैंने इसमें एयर सैम्पल की बजाय एयर क्वॉलिटी का प्रश्न पूछा था। इसमें लिखा है कि "Water Supply Boosting Station of PHED at Village Dholera, Nangal Chaudhary" उसके सैम्पल्स लिए गये हैं और रिमार्क्स के कॉलम में लिखा है कि- "The values are exceeding the prescribed standards of National Ambient Air Quality". मुझे तो यह समझ में नहीं आता कि पानी के सैम्पल से एयर की क्वॉलिटी की कैसे जांच हो गई? Anyway, मेरा निवेदन सिर्फ यह है कि 30 साल पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एस.सी. मेहता वर्सिज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में पॉल्यूटर पेज का एक प्रिंसीपल लेड डाउन किया उसमें यह कहा था कि जो एनवायरनमैंट को डैमेज करेगा वह उसके लिए खर्च देगा। जो लोग एनवायरनमैंट को डैमेज कर रहे हैं सरकार उनके ऊपर टैक्स लगाये और कोई ऐसी डिवाईस वहां पर लगाये जिससे वहां का पॉल्यूशन कंट्रोल हो। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अभय जी, आप सप्लीमैंट्री पूछिए।

डॉ. अभय सिंह यादव : अध्यक्ष जी, मैं यह एक बात तो यह पूछ रहा हूं कि कम से कम उनकी जो डस्ट की कंवेयर बैल्ट है जहां से डस्ट नीचे गिरती है क्या उनको कवर करने की सरकार के पास कोई योजना है? जिससे उनको कवर कर दिया जाये ताकि डस्ट ओपन एयर में न जाये। मेरी पहली सप्लीमैंट्री तो यह है। दूसरी सप्लीमैंट्री यह है कि क्या सरकार की वहां पर हाई राईजिंग वॉल बनाने की कोई प्रपोजल है? तीसरी सप्लीमैंट्री यह है कि क्या वहां पर स्प्रिंकलर सैट्स या फव्वारे लगाने की कोई प्रपोजल है। मैं सरकार को पानी का सोर्स भी बताना चाहता हूं। वहां से दो किलोमीटर दूर बकरीजा की माईन्स हैं उनकी गहरी खुदाई हो चुकी है जहां पर सारी जगह पानी भरा है। अगर वहां से पानी लेकर उसके ऊपर रेगूलरली स्प्रिंकलिंग करवा दी जाये तो भी डस्ट कंट्रोल हो सकती है। एक बात मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं कि मैं सैकिण्ड टाईम इस प्रश्न को लेकर आया हूं। पिछली विधान सभा में जब मननीय विपुल गोयल जी उद्योग मंत्री थे उन्होंने उस समय यह कहा था कि हम हर हफ्ते रेगूलरली इसकी मॉनीटरिंग करवायेंगे। अध्यक्ष जी, इस हाऊस में एश्योरैंस देने के बाद भी अगर कुछ भी काम नहीं होता तो फिर उस प्रश्न को लेकर हाऊस में दोबारा आना ही पड़ता है। मेरा निवेदन यह है कि लोगों की हैल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है। सस्टेनेबल डिवैल्पमैंट का कांसैप्ट सारी दुनिया को पता है। हम कहते हैं कि वहां पर पत्थर पीसे जायें लेकिन ऐसा काम न किया जाये जिससे लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो। मैं तो मंत्री जी से सिर्फ यह आश्वासन चाहूंगा कि वे इस समस्या का प्रॉपर इलाज जल्दी से जल्दी करवा दें।

श्री कंवर पाल : स्पीकर सर, माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिये वे सभी बहुत अच्छे हैं। एक तो उन्होंने यह कहा कि जो कंवेयर है उसको कवर करवाया जाये। हम इस पर निश्चित तौर पर विचार करेंगे। दूसरी बात उन्होंने फव्वारे लगाने की बात कही है और साथ में पानी के अरेंजमैंट के बारे में भी बताया है। हम इस पर भी विचार करेंगे। जो उन्होंने वहां पर पेड़ लगाने की बात कही है कि 350 पेड़ लगाने किसी भी स्टोन क्रैशर के लिए जरूरी हैं। इसकी प्रॉपर चैकिंग करवाई जायेगी और अगर किसी ने नहीं लगाये होंगे तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। वहां पर पेड़ भी लगवाये जायेंगे। उन्होंने पॉल्यूशन की भी बात की है। मैंने इनको पहले भी बताया था कि महेन्द्रगढ़ में स्टोन क्रैशर जोन के निकट 5 वायु गुणवत्ता सुधार स्टेशन लगाने की प्रक्रिया चल रही है। जल्दी ही इस काम को भी कर दिया जायेगा। (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरी : स्पीकर सर, मुझे भी इस विषय पर सप्लीमैंट्री पूछना है।

श्री अध्यक्ष : किरण जी, आप इसके लिए क्वैश्चन लगायें।

श्रीमती किरण चौधरी : स्पीकर सर, आप हमारे क्वैश्चन तो लगाते ही नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : किरण जी, आप ये बिलकुल गलत एलीगेशन लगा रही हैं क्योंकि हम प्रश्न ड्रॉ ऑफ लॉट से लगाते हैं। आप अपना प्रश्न लगायें आपको उसका उत्तर मिलेगा।

____

हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य का अभिनन्दन

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, श्री रण सिंह मान, भूतपूर्व सदस्य, हरियाणा विधान सभा आज अध्यक्ष दीर्घा में सदन की कार्यवाही देखने के लिए उपस्थित हैं। यह सदन उनका स्वागत करता है।

____

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

;w&VuZ dk fuekZ.k djuk

***4- Jh ujsanz xqIrk]** D;k eq[;eU=h d`I;k crk,axs fd&

(d½ D;k ;g rF; gS fd jk"Vªh; jktekxZ] fnYyh@ eFkqjk jksM+ ij xqM bZ;j dV can dj fn;k x;k gS] ftlds dkj.k सैक्टर&3] 7] 8 vkSj lhgh xkao ds yksxksa dks fnYyh tkus ds fy, cYyHkx<+ ls ;w&VuZ ysuk iM+rk gS vkSj cYyHkx<+ iqy ds uhps ls ;w&VuZ ysrs le; VSªfQd tke gks tkrk gS(rFkk

([k½ D;k mDr leL;k ls NqVdkjk ikus ds fy, jk"Vªh; jktekxZ Åij ;w&VuZ fuek.kZ djus ds fy, dksbZ izLrko ,Q0 ,e0Mh0,0 ds fopkjk/khu gS(;fn gkWa] rks mDr izLrko ds dc fØ;kfUor fd, tkus dh laHkkouk gS\

eq[;eU=h (Jh euksgj yky½%

(d½ gka Jheku th] xqM bZ;j dV jk"Vªh; jktekxZ izkf/kdj.k)kjk can fd;k x;k gS

([k½ ugh Jheku thA

श्री नरेन्द्र गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप-मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो उत्तर उन्होंने दिया है कि यातायात सुरक्षा उद्देश्यों के कारण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण(एन.एच.ए.आई.) द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली/मथुरा रोड पर गुड ईयर कट को बंद कर दिया गया है। मैं बताना चाहूंगा कि इस कट के बंद होने के कारण हमारी सूरदास

जी की जन्मस्थली सीही गांव और सैक्टर 3, 4, 6,7, 8 और बल्लभगढ़ विधान सभा क्षेत्र की त्रिखा कॉलोनी, शिव कॉलोनी तथा सैक्टर 3 के साथ-साथ ही तिगांव विधान सभा क्षेत्र के भी लाखों लोग इसी रास्ते से होकर दिल्ली जाते हैं। वहां से तीन-तीन विधान सभाओं के लोग निकलते हैं और उनको ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है। बल्लभगढ़ में जो अंडरपास बना हुआ है वहां पर कई किलोमीटर लम्बा जाम लग जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और उप-मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि चूंकि अब एफ.एम.डी.ए. भी बन गया है तथा पैसा भी काफी मिलता है तो इस यू-टर्न पर पैसा भी ज्यादा खर्च नहीं होना है इसलिए इस पर अवश्य विचार किया जाये। सरकार एन.एच.ए.आई. के पास प्रस्ताव लेकर जा रही है यह खुशी की बात है। उप-मुख्यमंत्री जी ने स्वयं माना है कि इसका रख-रखाव एन.एच.ए.आई. द्वारा किया जाता है तो इसका प्रस्ताव भी एन.एच.ए.आई. से अनुमोदित होना जरूरी है। जनता को सुविधाएं प्रदान करने और यातायात को सुगम करने के लिए एफ.एम.डी.ए. द्वारा इस मुद्दे को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण(एन.एच.ए.आई.) के साथ उठाया जायेगा। मेरी तो सरकार से यही डिमांड है कि यू-टर्न बनाने का बहुत अधिक खर्चा नहीं होता है और उसके बन जाने से जनता को अधिक सुविधा मिलेगी। अंडरपास बन जाने से भी बहुत अधिक ट्रैफिक जाम रहता है। एन.एच.ए.आई. के द्वारा इतनी अच्छी-अच्छी सड़कें बनाई जा रही हैं तो राज्य सरकार को भी इस तरह के कार्यों के लिए थोड़ा बहुत पैसा लगा देना चाहिए। माननीय उप मुख्यमंत्री जी के पास पी.डब्ल्यू.डी बी.एण्ड आर. डिपार्टमैंट है तो इसकी डी.पी.आर. बनवा लेनी चाहिए। मैं इस बारे में माननीय उप-मुख्यमंत्री जी से कोई आश्वासन चाहता हूं। अगर रेवेन्यू की बात की जाये तो गुरूग्राम के बाद फरीदाबाद रेवेन्यू देने में दूसरे नम्बर पर आता है। इसके दोनों ओर बहुत बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं। गुडईयर अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इसलिए माननीय उप मुख्यमंत्री इसकी डी.पी.आर. बनवाने की घोषणा अवश्य करें।

श्री नीरज शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोग भी वहीं से आते-जाते हैं इसलिए इसकी डी.पी.आर. अवश्य बनवाई जाये।

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने नैशनल हाईवे से संबंधित बात रखी है और यह समस्या शेरशाह सूरी मार्ग का हिस्सा है। इस पर लगातार काम चला है और समय के साथ इस पर कई फ्लाईओवर बने हैं और कई अंडरपास भी इस पर बनाए गये हैं। माननीय सदस्य जिस गुडईयर चौंक की बात कर रहे हैं वहां पर मैट्रो स्टेशन आने के कारण फ्लाईओवर नहीं बनाया जा सकता था क्योंकि वहां पर जमीन की उपलब्धता नहीं थी। मैंने इस विषय पर अधिकारियों के साथ भी चर्चा की है और मैं माननीय सदस्य को सदन के पटल पर आश्वासन देता हूं कि हम इस बारे में एन.एच.ए.आई. को लिख कर भेजेंगे। दिल्ली-मथुरा रोड़ पर एक नहीं बल्कि दो बोटल नैक हैं चाहे वह एन.आई.टी. की बात हो, चाहे वह बल्लभगढ़ की बात हो या

माननीय सदस्य श्री नरेन्द्र गुप्ता जी के निर्वाचन क्षेत्र की बात हो। इन दोनों प्वायंट्स की स्टडी करवाई जायेगी और जैसे हमने गुरूग्राम में राजीव चौंक पर किया है या एम.एन्स मॉल के आगे दिल्ली बॉर्डर पर हाईवे के नीचे से अंडरपास बनाया है उसकी फिजिबिलिटी चैक करने का काम एन.एच.ए.आई. का है। स्टेट और गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया दोनों कोस्ट शेयरिंग बेसिज पर चाहे उसमें एफ.एम.डी.ए. आए, चाहे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, फरीदाबाद आए। इसको हम कोस्ट शेयरिंग बेसिज पर तुरंत टेकअप करेंगे क्योंकि इसमें एक नहीं कम से कम चार सैक्टर्स ओल्ड फरीदाबाद के और फिर बल्लभगढ़ और ये सारी पॉपूलेशन जो आगे पलवल तक मॉनेटिरिंग करती है । उन सभी के लिए एक बोटलनैक बना है और इस बोटलनैक को सुलझाने का काम हरियाणा सरकार करेगी ।

श्री नरेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं उप मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आश्वासन दिया है परंतु डायरैक्टली डी.पी.आर. के लिए आश्वासन देते तो और अच्छा होता क्योंकि एन.एच.ए.आई. ने अभी इस नैशनल हाई-वे पर चार-पांच अण्डर पास बनाने के लिए पास किये हैं लेकिन उस जगह पर मैट्रो स्टेशन बनाने की बात भी की गई थी । वैसे वहां जगह की कमी नहीं है । मेरा कहना है कि एन.एच.ए.आई. को बार-बार उनके पास जाने में अभी बहुत समय लगेगा और वहां जनता बहुत दु:खी है । मुझे लगता है कि बजट ज्यादा नहीं है । इस संबंध में मैंने पी.डब्ल्यू.डी. डिपार्टमैंट के अधिकारी से भी बात की है । उन्होंने बताया है कि दो यू टर्न बनाने का खर्चा 90 करोड़ रूपये का है । मैं पुन: उप मुख्यमंत्री जी से अपने विधान सभा क्षेत्र की तरफ से और परिवहन मंत्री श्री मूल चन्द शर्मा जी की तरफ से भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा क्योंकि वे खड़े नहीं हो रहे हैं जबकि वहां सबसे ज्यादा बल्लभगढ़ की जनता परेशान हो रही है क्योंकि बल्लभगढ़ में दो-दो, तीन-तीन किलोमीटर तक का जाम लगता है इसलिए कम से कम पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा डी.पी.आर. की एश्योरैंस तो दे दीजिए जिसमें केवल 20-25 लाख रूपये का ही खर्चा है जोकि कोई ज्यादा नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : गुप्ता जी, आपको उप मुख्यमंत्री जी ने एश्योरैंस दे दी है।

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जो ये नैशनल हाई-वे है वह स्टेट गवर्नमैंट का नहीं है । हम तो सिर्फ कोस्ट शेयरिंग करेंगे । डी.पी.आर. बनाने का काम भी गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया नैशनल यानी हाई-वे अथोरिटी ऑफ इण्डिया का है । आज मैं इनको यह इंश्योर करवाता हूं कि बाई मिड नाईट टूडे हम उस चिट्ठी की कॉपी आपको भी सी.सी. कर देंगे कि हमारी तरफ से इसमें दोनों गट्स हैं। अण्डर पास के लिए फिजिबिलिटी स्ट्डी भी, डी.पी.आर. भी और जो कोस्ट शेयरिंग आएगी उसके लिए हरियाणा सरकार केन्द्र सरकार को पत्र लिखेगी ।

श्री नरेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, पोर्टल पर यू टर्न बनाने के लिए उसकी डी.पी.आर. एफ.एम.डी.ए. के द्वारा पी.डब्ल्यू.डी., हरियाणा ही कराएगा। मेरी उप मुख्यमंत्री जी से फिर से प्रार्थना है कि वे इसको अच्छी तरह से स्ट्डी कर लें कि डी.पी.आर. पी.डब्ल्यू.डी., हरियाणा ही कराएगा जिसके लिए एफ.एम.डी.ए. ने पी.डब्ल्यू. डिपार्टमैंट को पैसा दिया है। यह बहुत थोड़ा सा खर्चा है फिर हम माननीय उप मुख्यमंत्री जी के साथ नीतिन गडकरी जी से मिल लेंगे। अगर डी.पी.आर. बन जाए तो कोस्ट शेयरिंग की बात करें ।

श्री अध्यक्ष : गुप्ता जी, आप एक बार नीतिन गडकरी जी से व्यक्तिगत रूप से मिल लो ।

टयूबवैल कनेक्शन जारी करना

***5. श्रीमती नैना सिंह चौटाला :** क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बताएंगे किः-

(क) वर्ष 2018 से पहले सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवेदन धारकों को बिजली के कनेक्शन जारी न करने के कारण क्या हैं ; तथा

(ख) क्या वर्ष 2019 से 2021 के दौरान आवेदक किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन के आवंटन में 10 बी.एच.पी. मोटर क्षमता/7.5 किलोवाट के सोलर कनेक्शन देने की लगी शर्त को हटाकर ऐच्छिक या वैकल्पिक प्रणाली को जोड़कर कोई योजना बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव के कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री रणजीत सिंह):

(क) श्रीमान जी, हरियाणा सरकार सोलर कृषि पंपों की स्थापना पर 75% सब्सिडी (30% एमएनआरई $ 45% राज्य सरकार) प्रदान करती है। किसान को कुल स्थापित लागत का केवल 25% वहन करना पड़ता है। सिंचाई के उद्देश्य के लिए सोलर कृषि पम्प बिजली ट्यूबवेल का एक कामयाब विकल्प है। इससे ट्यूबवेल कनेक्शन चलाने के लिए बिजली पर दी गई सब्सिडी की भी बचत होती है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को भरोसेमंद, निरंतर और दिन के समय हरित नवीकरणीय ऊर्जा प्रदान करना है।

हरित नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, राज्य सरकार ने 10 बीएचपी तक के नये ट्यूबवेल कनेक्शन सोलर मोड पर जारी करने का निर्णय लिया है।

(ख) नहीं, श्रीमान जी। ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्या का प्रश्न है उसमें हम ज्यादा सोलर कनैक्शन पर जा रहे हैं क्योंकि नये जमाने में सभी लोग इसी पर जा रहे हैं क्योंकि इसके लिए हमने भारत सरकार से न्यू रेनेवल ऐनर्जी मिनिस्ट्री से 30 प्रतिशत की सब्सिडी मिलती है और 45 प्रतिशत सब्सिडी स्टेट गवर्नमैंट देती है । इस तरह से हम इस पर 75 प्रतिशत सब्सिडी दे रहे हैं । इसका फायदा यह हो रहा है कि किसान अब अपने खेतों में पानी दिन में लगा रहा है । इसका एक फायदा यह भी है कि किसान को यह कनैक्शन केवल 25 प्रतिशत अपने हैड पर पड़ता है जिसका किसान को बड़ा लाभ मिलता है । पहले किसान को रात में 10 बजे से लेकर सुबह 4:00 बजे तक जब भी बिजली होती थी तो उसको पानी मिलता था लेकिन अब सोलर कनैकशन से किसान अपने खेतों में दिन में पानी लगा लेते हैं । दूसरा इनका प्रश्न है कि जो पहले वाले सोलर के कनैक्शन हैं उनको सोलर से हटा कर दूसरे कनैक्शन दिये जा रहे हैं । उसके लिए हमारी सरकार की तरफ से यह निर्णय है कि ऐसा कोई कनैक्शन नहीं दिया जा रहा है हम सभी कनैक्शन सोलर पर ही रखेंगे ।

श्रीमती नैना सिंह चौटाला :अध्यक्ष महोदय, मेरे बाढड़ा विधान सभा क्षेत्र को वर्ष 2011 में डार्क जोन घोषित कर दिया गया था उसके बाद सरकार ने यह रोक भी हटा दी थी । उसके बाद वर्ष 2018 तक अनकों किसानों ने ट्यूबवैल कनैक्शंज के लिए आवेदन दिये थे लेकिन पांच साल का लम्बा अरसा होने के बाद इस बारे में मेरे से पहले भी सरकार को कहा गया है और मैं भी बार-बार इस संबंध में आवाज उठा रही हूं कि हमारे क्षेत्र के किसानों को ट्यूबवैल कनैक्शन दिये जाएं क्योंकि हमारे क्षेत्र में इतना पानी नहीं है । पांच साल के इंतजार के बाद जब सरकार की ट्यूबवैल कनैक्शन देने की बात आई तो इस संबंध में सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहूंगी कि उस समय जिन किसानों ने आवेदन दिये थे उस आवेदन में यह कहीं नहीं लिखा हुआ था कि अगर हम पांच साल बाद आपको ट्यूबवैल कनैक्शन दे रहे हैं तो हम सोलर कनैक्शन देंगे । दूसरी बात बाढड़ा विधान सभा क्षेत्र रेतीला इलाका है, पहाड़ी क्षेत्र है और जहां के पानी का भू-जल स्तर 400 फीट गहराई तक चला गया है । अगर सरकार ने पूरे हरियाणा में ये सोलर सिस्टम की योजना लागू की है तो उसमें सरकार को यह चीज देखनी चाहिए कि जैसे यमुनानगर, करनाल और कुरूक्षेत्र में तो 100 फीट गहराई पर ही पानी है जबकि बाढड़ा क्षेत्र में तो 400 फीट की गहराई पर पानी है ।इस प्रकार सोलर सिस्टम से सिंचाई कैसे हो सकती है? सोलर पम्प नीचे से पानी उठा ही नहीं रहा है । हमारे क्षेत्र के किसान पानी के लिये अपने आप

को बहुत ज्यादा ठगा महसूस कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय बिजली मंत्री जी से फिर से कहना चाहूंगी कि वर्ष 2018 तक जितने भी किसानों ने ट्यूबवैल कनेक्शन के लिये आवेदन किया है उन किसानों को सोलर पम्प से हटाकर बिजली से चलने वाले ट्यूबवैल कनैक्शन दिये जायें ।

श्री रणजीत सिंह: अध्यक्ष महोदय, हमने यह कहा हुआ है कि जितने भी कनैक्शन 100 मीटर से नीचे के हैं वे माइक्रो इरीगेशन के माध्यम से दिये जायेंगे । जो पहले के कनैक्शन हैं अर्थात् जिन्होंने ऑलरेडी कनैक्शन लिये हुए हैं उन्हें कहा गया है कि वे अपने कनैक्शन डिक्लेयर कर दें । अध्यक्ष महोदय, नये कनैक्शन बिजली के माध्यम से नहीं दिये जायेंगे क्योंकि जो गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया से सोलर पम्प पर सब्सिडी मिलती है उससे भी हमें गाइडिड रहना पड़ता है। जो नये कनैक्शन की डिमाण्ड कर रहा है उसके ऊपर कंडीशन है कि जो 100 फीट से नीचे हैं तो वह सोलर पम्प के साथ जुड़ेगा, नहीं तो उसको कनैक्शन नहीं दिया जायेगा । जो कनैक्शन पहले से चल रहे हैं वे अपने कनैक्शन डिक्लेयर कर दे और उसको फिर हम मान लेंगे।

श्रीमती नैना सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, किसानों ने जो सोलर पम्प लगा रखे हैं वह मजबूरीवश अपने पशुओं को पानी पिलाने के लिये या फिर खुद पानी पीने के लिये लगाये थे, क्योंकि बाढड़ा क्षेत्र में पीने का पानी नहीं है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय व माननीय बिजली मंत्री जी से बार-बार अनुरोध करती हूं कि हमारे क्षेत्र के किसानों को बिजली ट्यूबवैल कनैक्शन देने का काम करे । वर्ष 2018 में पूरे दादरी जिले के लगभग 400 किसानों ने ट्यूबवैल कनैक्शन के लिये जिन्होंने अपनी फीस किंही कारणों से जमा नहीं करवाई, सरकार को उन्हें एक मौका दोबारा से देना चाहिये ताकि वे अपनी फीस जमा करवा कर दोबारा ट्यूबवैल कनैक्शन ले सके । अध्यक्ष महोदय, माननीय बिजली मंत्री जी मेरे पितातुल्य हैं क्योंकि रिश्ते में मेरे चाचा जी लगते हैं, इसलिए हमारे बाढड़ा निर्वाचन क्षेत्र के किसानों पर रहम करते हुए बिजली से चलने वाले ट्यूबवैल कनैक्शन देने की कृपा करे क्योंकि बाढड़ा क्षेत्र के किसानों का सोलर पम्प से काम चलने वाला नहीं है । वहां पर सोलर पम्प चल ही नहीं रहे हैं क्योंकि पत्थर वगैरह आ जाते हैं । इस प्रकार से उन ट्यूबवैल कनैक्शन का फायदा ही क्या है जो किसी के काम नहीं आ रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, किसान ट्यूबवैल कनैक्शन के लिये 5 सालों से इंतजार कर रहे हैं । जब उनकी ट्यूबवैल कनैक्शन लेने की बारी आई तो बिजली विभाग ने कंडीशन लगा दी । पानी नहीं मिलने पर लोग कहीं ना कहीं तो मजबूरीवश सोलर सिस्टम लगायेंगे ही । चाहे उन्होंने अपने पशुओं के लिये लगाया हो या फिर खुद के पानी पीने के लिये लगाया हो । माननीय बिजली मंत्री जी बिजली विभाग की यह कंडीशन हटाकर हमें बिजली से चलने वाले ट्यूबवैल कनैक्शन देने का काम करे । माननीय बिजली मंत्री जी मैं रिश्ते में आपकी बहू लगती हूं, इसलिए आपको यह काम तो करना ही पड़ेगा । (हंसी)

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, इसमें रिश्ते वाली बात नहीं होनी चाहिये बल्कि सभी के लिये बिजली से चलने वाले चलने वाले ट्यूबवैल कनैक्शन की बात होनी चाहिये । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: बहन किरण जी, माननीय सदस्या ने अपने क्षेत्र के लिये मांग की है ।

श्री रणजीत सिंह: अध्यक्ष महोदय, अगर यह sentiments and feelings की बात होती तो हम घर में ही बात कर लेते । यह सदन है और सदन में सदन की मर्यादाओं से ही कहना पड़ता है । मैं माननीय सदस्या को बता देता हूं कि सोलर इतना ज्यादा पॉपुलर है कि जब हम दो घंटे के लिये भी पोर्टल खोलते हैं तो हमारे पास कनैक्शन के लिये ज्यादा से ज्यादा आवेदन आते हैं और बिजली वाले कनैक्शन के आवेदन कम आते हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को पिछले एक साल का रिकॉर्ड बता देता हूं कि हमें 61158 आवेदन आये थे जिनमें सोलर सिस्टम के 33810 आवेदन हैं और बिजली के कनैक्शन के लिये लगभग 27 हजार आवेदन हैं । स्पीकर सर, 33810 सोलर सिस्टम के कनैक्शन हम 6 महीने के अंदर दे देंगे और जो 27 हजार ट्यूबवैल कनैक्शन की डिमाण्ड वर्ष 2019 से 2021 तक दो साल के पीरियड में आई है उनको कनैक्शन देने में लगभग 1 साल का समय लग जायेगा । नये कनैक्शन बिल्कुल भी नहीं दिये जो रहे हैं जो ट्यूबवैल कनैक्शन दिये जो रहे हैं उनके ऊपर माइक्रो इरीगेशन की कंडीशन लगा दी है ।

श्रीमती नैना सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, जो वर्ष 2018 तक जितने भी ट्यूबवैल कनैक्शन के आवेदन आये हुए हैं उनको बिजली से चलने वाले ट्यूबवैल कनैक्शन दे दीजिए ।

श्री रणजीत सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो कहा है वे इस संबंध में अपने कागजात मेरे पास भिजवा दें उनको एग्जामिन करके यदि वे हमारे पैरामीटर्ज में आयेंगे तो हम जरूर कंसीडर करेंगे ।

श्री बलराज कुंडू: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का रिप्लाई सुनकर अच्छा लगा । (विघ्न)

\-------------

हरियाणा पत्रकार संघ, करनाल के सदस्यों का अभिनन्दन

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आज सदन की कार्यवाही देखने के लिये हरियाणा पत्रकार संघ, करनाल के सदस्यगण दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं । यह सदन उनका स्वागत करता है ।

\-----------

प्रयोगशालाओं में जांचे गए विद्युत मीटरों की संख्या

***6. श्री वरुण चौधरी :** क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बताएंगे किः-

(क) राज्य में गत तीन वर्षों में प्रयोगशालाओं में जांचे गए विद्युत मीटरों की वर्ष-वार संख्या कितनी है तथा उन मीटरों की पृथक-पृथक संख्या कितनी है जो धीमी गति तथा तेज गति से चलते हुए पाए गए हैं; तथा

(ख) विद्युत मीटरों को परीक्षण हेतु स्वतंत्र प्रयोगशालाओं में न भेजे जाने के कारण क्या हैं?

ऊर्जा मंत्री (श्री रणजीत सिंह): श्रीमान विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) वर्ष-वार विवरण निम्न प्रकार दिया गया है-

क्र. सं.	वित्त वर्ष	राज्य में प्रयोगशाला में जांचे गए मीटरों की संख्या	धीमी गति/छेड़छाड वाले पाए गए मीटरों की संख्या	तेज चलते पाए गए मीटरों की संख्या*
1	2020.21	156840	3682	107
2	2021.22	109510	5150	122
3	2022.23	120525	7110	109
4	2023.24 (31.07.2023 तक)	53777	1870	70

*ये मीटर स्वीकार्य सीमा से परे कार्य करते हुए पाए गए।

(ख) विद्युत मीटरों के परीक्षण के लिए राज्य में धूलकोट (अंबाला)] यमुनानगर] कैथल] करनाल] रोहतक] गुरुग्राम] फरीदाबाद] हिसार] सिरसा और चरखी दादरी में 10 मीटरिंग और परीक्षण (एम एंड टी) प्रयोगशालाएं स्थित हैं। इन प्रयोगशालाओं में विद्युत मीटरों की उच्च गुणवत्ता जांच के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं हैं।

उपरोक्त 10 एम एंड टी प्रयोगशालाओं में से] 6 प्रयोगशालाएँ (धूलकोट (अंबाला)] यमुनानगर] कैथल] करनाल] रोहतक और गुरुग्राम) आईएसओ/आईईसी 17025:2017 के लिए नेशनल टेस्टिंग एण्ड कैलीबरेशन लेबोरेटरी मान्यता बोर्ड (एनएबीएल)] भारत सरकार से विधिवत रूप से मान्यता प्राप्त हैं।

इन-हाउस उच्च गुणवत्ता और एनएबीएल मान्यता प्राप्त मीटर जांचने की प्रयोगशालाओं को देखते हुए] विद्युत मीटरों की जांच करने के लिए स्वतंत्र प्रयोगशालाओं में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री वरूण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, यह हितों के टकराव का मामला है, यह conflict of interest का मामला है क्योंकि मीटर भी बिजली विभाग के हैं और जांच भी बिजली विभाग की ही प्रयोगशालाओं में हो रही है । अध्यक्ष महोदय, यह Principle of Natural Justice के भी खिलाफ है । प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत हैं कि कोई भी अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता । अध्यक्ष महोदय, हमें स्वतंत्रत प्रयोगशालाओं की बहुत ज्यादा आवश्यकता है । माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में लिख दिया है कि स्वतंत्रत प्रयोगशालाओं की कोई आवश्यकता नहीं है । माननीय मंत्री जी ने जो विवरण अपने रिप्लाई में दिया है उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि जो बिजली के मीटर तेज चलते पाये हैं उनकी संख्या बहुत ही कम अर्थात् 107, 122, 109 व 70 के करीब है । विभाग की प्रयोगशालाओं में एक साल में तकरीबन सवा लाख से लेकर डेढ़ लाख मीटर चैक हो रहे हैं और उनमें तेज चलते हुए मीटरों की संख्या केवल 100 के करीब ही मिल रही है । इससे साफ पता चल रहा है कि यहां कहीं ना कहीं हितों का टकराव है । विभाग के ही ट्रांसफार्मर्ज हैं जिनको विभाग अपनी प्रयोगशालाओं में जांचती है और उसके बाद स्वतंत्र प्रयोगशालाओं में भी भेजती है । जब विभाग खुद यह मानता है कि ट्रांसफार्मर्ज अपनी प्रयोगशालाओं में जांच करने के बाद स्वतंत्रत प्रयोगशालाओं में भी भेजने की आवश्यकता है तो जनता से क्या दुश्मनी है । जनता जो बिजली के उपभोक्ता हैं अगर उनके मीटर भी स्वतंत्र प्रयोगशाला में जांच के लिये चले जायेंगे तो इसमें आपत्ति ही क्या है? उपभोक्ताओं के बिजली के बिल बढ़ते ही जा रहे हैं और जनता बढ़े हुए बिलों से त्रस्त हैं । कोई ना कोई इस संबंध में उनकी समस्या का समाधान होना ही चाहिये क्योंकि जब व्यक्ति यह कह रहा है कि मेरा बिजली का मीटर ठीक नहीं चल रहा है अर्थात् तेज गति से चल रहा है और विभाग जांच करके कह देता है कि नहीं, ठीक चल रहा है । मेरा मूल प्रश्न माननीय बिजली मंत्री से यह है कि उस व्यक्ति को अपील करने का कोई ना कोई प्रावधान क्यों नहीं है?

श्री रणजीत सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हमारे पास जब भी इस प्रकार की कोई शिकायत आती है तो उसके बराबर उसी की च्वाईस का पैरलल मीटर लगा देते हैं । उसके साथ ही साथ उसकी वीडियोग्राफी भी होती है । जब दो मीटर एक साथ चलेंगे तो सामने सही बात आ जाती है । माननीय सदस्य के स्वतंत्र प्रयोगशाला वाली बात के बारे में यह कहना चाहता हूं कि इसमें स्टेट ही नहीं बल्कि National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया का भी रोल है । इस प्रकार से हमारी 10 लैब और भी हैं । उसमें भी यदि कोई उपभोक्ता अपना मीटर चैक करवाना चाहता है तो 1000/- रूपये फीस भरकर चैक करवा सकता है । यदि उसका रिजल्ट संतोषजनक पाया जाता है तो उसके एक हजार रूपये भी रिफंड हो जाते हैं । आज तक सभी स्टेटों में इसी प्रकार का सिस्टम चलता आ रहा है । हमारे यहां पर भी यही सिस्टम है । पहले

कांग्रेस पार्टी की सरकार में भी यही सिस्टम चलता आ रहा था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यह सिस्टम इस बार से ही आ रहा है ।

श्री वरूण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को लगता है कि सिस्टम ठीक नहीं है तो वे इस प्रणाली में सुधार कर सकते हैं, इसमें हर्ज ही क्या है या फिर माननीय मंत्री जी सदन में यह कह दें कि कभी प्रणाली में सुधार होना ही नहीं चाहिये । माननीय मंत्री जी सदन को पहले यह बता दें कि स्वतंत्र प्रयोगशाला में ट्रांसफार्मर जांच के लिये क्यों भेजे जा रहे हैं? विभाग की लैब के अंदर भी ट्रांसफार्मर की जांच होती है उसके बाद भी उसकी जांच हेतु स्वतंत्र प्रयोगशालाओं में भेज रहे हैं । उसका क्या कारण है?

श्री रणजीत सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य को बताया है कि हमारी National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया की है । इसमें सारी की सारी वीडियोग्राफी होती है, इससे ज्यादा और क्या बात हो सकती है?

श्री वरूण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, जब ट्रांसफार्मर्ज स्वतंत्र लैब में जांच के लिये भेजे जा रहे हैं तो जनता के मीटर जांच हेतु स्वतंत्र प्रयोगशाला में क्यों नहीं भेजे जा रहे हैं?

श्री रणजीत सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह एक अलग इशू है । जब वीडियोग्राफी हो रही है तो इससे ज्यादा पारदर्शिता इसमें और क्या होगी?

श्री वरूण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मान लो किसी प्रयोगशाला के अंदर वैज्ञानिक जांच/प्रयोग कर रहे हैं और हम वहां पर बैठे हों तो भी हमें क्या समझ में आयेगा कि वैज्ञानिक क्या प्रयोग कर रहे हैं । क्या हमें समझ में आ जायेगा? नहीं सर, हमें समझ में नहीं आयेगा । उसी प्रकार से उपभोक्ता को क्या समझ में आयेगा कि उनके सामने क्या जांच हो रही है । अध्यक्ष महोदय, जो इस संबंध में वीडियोग्राफी हो रही है उससे जनता को कोई लाभ नहीं हो रहा है । मेरा सिर्फ यही कहना है कि जो पीड़ित उपभोक्ता हैं उनको अपील करने का मौका दिया जाये । यदि कोई उपभोक्ता यह कहता है कि मैं विभाग की प्रयोगशाला के परिणाम से संतुष्ट नहीं हूं तो उसके लिये जरूर कोई ना कोई प्रावधान होना चाहिये अर्थात् उसके मुताबिक उसके मीटर की जांच स्वतंत्र लैब में जरूर होनी चाहिये ।

श्री बलराज कुंडू: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि ***

श्री अध्यक्ष: कुंडू साहब, प्लीज आप बैठ जाइये । कुंडू साहब जो बोल रहे हैं उसको रिकॉर्ड ना किया जाये ।

श्री रणजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हमारा लाइन लॉस पहले से कम हुआ है । यह अब 9.35 परसैंट है जबकि पहले यह 31 परसैंट होता था । हमारा सिस्टम ठीक है तभी यह कम हो रहा है । अगर इस तरह की कोई बात है तो मैं माननीय सदस्य को कहूंगा कि ये हमें अपना सुझाव दे दें । हम इसमें कंज्यूमर के स्तर पर भी देखेंगे और अपने विभाग के स्तर पर भी देखेंगे । अगर कोई ठीक बात हुई तो उसे कंसीडर कर लिया जाएगा । जब कांस्टीच्यूशन में अमैंडमैंट हो सकती है तो इसमें बदलाव करना कोई खास बात नहीं है । अगर कोई प्रैक्टिकल सुझाव हा तो उस बारे में विचार कर लिया जाएगा ।

श्री वरूण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, सुझाव तो मैंने दे दिया है ।

श्री अध्यक्ष : वरूण जी, माननीय मंत्री जी ने आपके सुझाव को मान लिया है । क्या अब आप रिटन में चाहते हैं ?

चेयर के आदेशानूसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

श्री वरूण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी कह दें कि उसमें अपील का प्रावधान कर दिया जाएगा ।

----

tsy LFkkukarfjr djuk

***7. Jh yhyk jke] fo/kk;d dSFky :** D;k tsy ea=h —i;k crk,axs fd %&

¼d½ D;k tsy dks dSFky 'kgj ls ckgj LFkkukarfjr djus dk dksbZ izLrko ljdkj ds fopkjk/khu gS(rFkk

¼[k½ ;fn gka] rks blds dc rd LFkkukarfjr fd, tkus dh laHkkouk gS ****

tsy ea=h ¼ Jh j.kthr flag½:

¼d½ th ugha Jheku(rFkk

¼[k½ iz'u dk mRrj ykxw ugha gS] JhekuA

श्री लीला राम : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि शहर से जेल के बाहर शिफ्टिंग का यह मामला पूरे कैथल शहर की मांग है । इसके कई कारण हैं । अध्यक्ष

महोदय, वहां पर उस जेल से केवल 100 मीटर दूर नीम साहब के नाम से एक ऐतिहासिक गुरूद्वारा है । वहां पर हर अमावस्या को हजारों लोग माथा टेकने के लिए आते हैं । उस समय वहां पर मेले जैसा माहौल बन जाता है और व्हीकल्स व जनता की काफी भीड़ हो जाती है । वहां पर वाल्मीकि समाज की एक बहुत बड़ी कॉलोनी है । वहां पर जेल के रास्ते के साथ लगता हुआ एक बहुत बड़ा स्कूल है । वहां पर बच्चों को आने-जाने में बड़ी असुविधा होती है । यह पूरे शहर की मांग है । मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं माननीय मंत्री जी से यह मांग करता हूं कि जितना जल्दी हो सके इस जेल को शहर से बाहर शिफ्ट किया जाए ।

श्री रणजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने इस जेल को शहर से बाहर शिफ्ट करने की मांग की है लेकिन अब तक यह मांग न तो जेल प्रशासन की ओर से हमारे पास आई है और न ही जिला प्रशासन की ओर से आई है । वैसे जहां पर जेलों के स्थानांतरण की जरूरत होती है वहां पर हम स्थानांतरण कर रहे हैं । पिछले दिनों हमने फतेहाबाद की जेल को स्थानांतरित किया है । हमारी जेलों में अभी 20 हजार कैदियों के रखने की कैपेसिटी है जबकि हमारी जेलों में 26 हजार कैदी रह रहे हैं । अभी हम फतेहाबाद में एक जेल बना रहे हैं । इसके अलावा हमने भिवानी में भी एक जेल बनाई है जिसमें करीब 1 हजार कैदी रह सकेंगे । इसी तरह हमारे पास दादरी जेल का भी एक प्रपोजल है लेकिन कैथल से अभी तक कोई प्रपोजल नहीं आया है । अगर कोई ऐसी बात है तो हम उस पर गौर कर लेंगे । माननीय सदस्य हमारे पास इसका प्रपोजल भिजवा दें । मैं पुन: बताना चाहता हूं कि हमारे पास कैथल से अभी तक कोई प्रपोजल नहीं आया है ।

चारमार्गी सड़कों का निर्माण करना

***8. श्री सुभाष गांगोली :**- क्या उप-मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि:-

(क) क्या जींद-पानीपत तथा सफीदों-असंध चारमार्गी सड़कों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; तथा

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त सड़कों का निर्माण कार्य कब तक आरम्भ किए जाने की संभावना है?

Deputy Chief Minister (Shri Dushyant Chautala):

(a)

(i) The improvement work of Panipat-Safidon-Jind road has been approved, which includes 4-lanning of Panipat-Safidon stretch from RD 0 to 28.600 Kms and 10 mtr widening of Safidon-Jind stretch from RD 30.700 to 67.430 Kms.

(ii) No proposal for four lanning of Safidon to Assandh road is under consideration of the Government.

(b) The tender for the construction work of Jind-Safidon-Panipat road will be called after forest clearance. No time frame can be given at this stag.

श्री सुभाष गांगोली : अध्यक्ष महोदय, मेरे विधायक बनने के बाद जितने भी विधान सभा के सैशन आये हैं उन सभी सैशंज में मैंने जींद-पानीपत रोड को फॉरलेन करने के मामले को उठाया है । माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 3 अप्रैल, 2022 को सफीदों में जींद-सफीदों रोड की घोषणा की थी । पिछले सैशन में भी मैंने इस कार्य को टाइम बाउंड मैनर में करवाने की बात की थी । जो काम न करना हो उस पर वन विभाग की अड़चन बता दी जाती है । मैं कब और कहां जाऊं ? इस रोड के कार्य के लिए मुझे इससे बड़ा प्लेटफार्म कहीं नजर नहीं आता । मेरा जींद-पानीपत रोड कब फॉरलेन बन जाएगा ? मैंने पहले सैशन से लेकर अब तक हर सैशन में इस रोड की बात उठाई है । मुझे यह बता दिया जाए कि इस रोड को बनवाने के लिए मैं कहां जाऊं या फिर इस काम को टाइम बाउंड किया जाए । जींद-सफीदों का जो रोड है इसका 7-8 किलोमीटर का एक टुकड़ा कैथल-सफीदों जाने के लिए बचता है क्योंकि दनौली गांव असंध के एरिया में पड़ता है । वहां तक का रोड तो मंजूर है । यह 8-10 किलोमीटर का एक टुकड़ा सफीदों-असंध जाने के लिए है जिसका 'न' में जवाब मिला है । मेरा माननीय उप-मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि इस रोड को फॉरलेन करने की ओर भी ध्यान दिया जाए । जींद-पानीपत रोड को टाइम बाउंड मैनर में पूरा करवाया जाए क्योंकि इसके जब भी बनाने की बात की जाती है तो उस पर वन विभाग की अड़चन बता दी जाती है । यह वन विभाग भी हरियाणा सरकार के अंडर ही आता है और पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.) विभाग भी हरियाणा सरकार के अंडर आता है। अध्यक्ष महोदय, आप कृपा करके इस काम को टाईम बाउंड जरूर करवाएं। मैंने एक भी सैशन नहीं छोड़ा है जिसमें संबंधित रोड का क्वैश्चन न लगाया हो।

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पानीपत-सफीदों-जींद रोड की बात रखी है। इन्होंने जींद-सफीदों अकेले रोड की बात नहीं रखी है। इसके लिए 184.44 करोड़ रूपये सी.आई.आर.एफ. के अन्दर गवर्नमैंट ऑफ इंडिया से एप्रूव होकर हरियाणा सरकार के पास आ चुके हैं। हम इस पूरे प्रोजैक्ट की फोरेस्ट क्लीयरैंस लेने के लिए 28 हेक्टेयर जमीन की तलाश कर रहे हैं। यह जमीन एन्वायरनमैंट मिनिस्ट्री, भारत सरकार को दे देंगे ताकि इस प्रोजैक्ट के लिए जो पेड़ कटेंगे उनके लिए नयी जगह पर पैरलली लगा सकें। इस प्रोजैक्ट के लिए

एन्वायरनमैंट क्लीयरैंस आने में गवर्नमैंट ऑफ इंडिया कितना टाईम लेगी, उसके बारे में आज इस सदन के पटल पर नहीं बताया जा सकता। इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य ने जो सफीदों-असंध रोड की बात की है और जो पैच बताया है उसके लिए हम सर्वे करवा लेंगे। अगर हमारे पास राईट ऑफ वे रहेगा तो इसको टेक अप जरूर करेंगे।

श्री सुभाष गांगोली: अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि इस काम को टाईम बाउंड जरूर करवा दें क्योंकि वन विभाग भी हरियाणा सरकार के अंडर ही है। यह 28 हेक्टेयर जमीन देने के लिए टाईम बाउंड कर दें कि यह 15 या 20 दिनों में दे दी जाएगी? इसके लिए टाईम बाउंड कर दें ताकि लोगों को संबंधित सड़क पर चलने का मौका मिले।

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदय, इसमें एन्वायरनमैंट मिनिस्ट्री, गवर्नमैंट ऑफ इंडिया से एप्रूवल आनी है, इसलिए इसके लिए स्टेट गवर्नमैंट टाईम बाउंड नहीं कर सकती। जैसे ही वहां से एप्रूवल आएगी तो जो 28 हेक्टेयर जमीन एल्टरनेट देनी है उसके लिए बाई दा टाईम इंतजाम कर लेंगे ताकि फर्दर डिले न हो। हमारे पास जो 184.44 करोड़ रूपये आये हुए हैं उनके लिए जैसे ही एप्रूवल आ जाएगी तो हम टैंडर फ्लॉट करके काम शुरू करवा देंगे।

----

vfHk;kaf=dh महाविधालय खोलना

***9. श्री संजय सिंह** : क्या उच्चतर शिक्षा मंत्री यह बताने की कप्या बताएंगे कि

(क) क्या उप-मंडल तावडू में एक vfHk;kaf=dh महाविधालय खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है; और

¼[k½ यदि हां, तो उक्त महाविधालय कब तक [kksys tkus की संभावना है?

उच्चतर शिक्षा मंत्री (श्री मूल चंद शर्मा):

(क) नहीं, श्रीमान जी।

¼[k½ प्रश्न का यह भाग उत्तपन नहीं होता।

श्री संजय सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि सोहना विधान सभा क्षेत्र में कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। तावड़ू उप मंडल का बहुत बड़ा

क्षेत्र है जिसमें करीब सैकड़ों गांव साथ में लगते हैं इसलिए इस क्षेत्र को देखते हुए वहां पर एक इंजीनियरिंग कॉलेज बनाना बहुत जरूरी है। इसके अतिरिक्त अगर पूरे जिले की बात करें तो बहुत ज्यादा आबादी है जिसके लिए एक इंजीनियरिंग कॉलेज की आवश्यकता है। कृपा करके इसको खुलवाने का कष्ट करें।

श्री मूल चन्द शर्मा: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने के बारे में बात की है। वर्तमान में 04 राज्य सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज और 12 राज्य विश्वविद्यालय बी.ई./बी.टेक. कोर्स की पेशकश कर रहे हैं। राज्य में इसके अतिरिक्त 04 केन्द्र सरकार संस्थान/ विश्वविद्यालय भी बी.ई./बी.टेक. कोर्स की पेशकश कर रहे हैं। राज्य में 01 सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान भी बी.ई./बी.टेक. कोर्स की पेशकश कर रहा है। बी.ई./बी.टेक. कोर्स की पेशकश करने वाले राज्य सरकार के संस्थानों और विश्वविद्यालयों की सूची प्रवेश स्थिति अनुलंग्नक-1 में संलग्न है। राज्य सरकार के संस्थानों और विश्वविद्यालयों में सीटों की कुल संख्या 5151 है जिनमें से शैक्षणिक सत्र 2022-23 के दौरान 3394 सीटें भरी हुई हैं और 35 प्रतिशत सीटें खाली हैं। इसलिए वर्तमान क्षमता का भी पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है। जिला नूंह में एक सरकारी सहायता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज और एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज पहले से ही कार्यरत है। शैक्षणिक सत्र 2022-23 के दौरान मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज नूंह (सरकारी सहायता प्राप्त) में 54 प्रतिशत सीटें खाली हैं। सरकारी/सरकार से सहायता प्राप्त/विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेजों की दूरी तावडू से इस प्रकार है- मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज, पलवल, जिला नूंह -12 किलोमीटर है। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर, रेवाड़ी- 31 किलोमीटर है। गुरूग्राम विश्वविद्यालय, गुरूग्राम - 37 किलोमीटर है। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, गांव दुधोला, पलवल- 37 किलोमीटर है। जे.सी.बोस. विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय (वाई.एम.सी.ए.) फरीदाबाद- 50 किलोमीटर है। राव बीरेन्द्र सिंह राज्य इंजीनियरिंग संस्थान एवं टेक. जैनाबाद, रेवाड़ी - 61 किलोमीटर है। यह सारा एरिया नजदीक है और इन कॉलेजों में सीटें खाली हैं। अध्यक्ष महोदय, इसलिए वहां पर अभियांत्रिकी महाविद्यालय खोलना उचित नहीं है।

स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज को हाउस में बुलाने बारे सूचना देना

श्री अध्यक्ष :माननीय सदस्यगण, मैं यह कहूंगा कि अभी छोटी सी कन्फ्यूजन हो गई है मैंने श्री अनिल विज को अपनी सीट पर बैठने के लिए कहा था, शायद उन्होंने यह समझ लिया कि उन्हें बाहर जाने के लिए कहा गया है । मैंने उनको बाहर जाने के लिए नहीं कहा है । मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे सदन में रहेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा ।

सड़क की मरम्मत करना

***10. श्री बलराज कुंडू** : क्या उप-मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि

(क) क्या गांव बहलबा में बेरी-महम सड़क के क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या गांव बहु-अकबरपुर से निंदाना तक सड़क की अवस्था सुधारने का भी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; तथा

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त सड़कों की मरम्मत / सुधार कब तक किए जाने की संभावना है?

Deputy Chief Minister (Shri Dushyant Chautala):

(a) Yes Sir;

(b) Yes Sir;

(c) The work of Beri – Meham road portion in village Behlba is likely to be completed by 10-11-2023 and the work from Bahu Akbarpur to Nindana likely to be completed by 30.05.2024.

श्री बलराज कुंडू : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे क्वेश्चन आवर में बोलने के लिए जो समय दिया मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं । इस क्वैश्चन का उपमुख्यमंत्री जी ने हां में जवाब दिया है । मेरे पास इस मामले से संबंधित एक वीडियो है जो मैं इनको भेज दूंगा । मेरी गांव बहलबा वाली सड़क पर दो ट्रक रोड़ी डाली गई है और एक जे.सी.बी. मशीन भेजी गई है। उस जे.सी.बी. से रोड़ा डालने का काम किया जा रहा है, उसने पूरी रोड पर लूज रोड़ा डाल दिया है, मेरे पास इसकी वीडियो भी है जो मैं इनको भेज दूंगा । वहां पर आने जाने के लिए जैसे पशु हैं, बैलगाड़ी हैं और गाड़ी घोड़ा आदि सभी परेशान हो रहे हैं यानी एक रोड बनाने के लिए जो मशीनरी रिक्वायरर्ड होती है वह मेरे ख्याल से मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता होगा आप भी नहीं जानते

होंगे । आज सिर्फ एक क्वैश्चन लगने की वजह से वहां पर फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी गई । वहां पर 4-5 टैंडर और भी हो रखे हैं वहां पर कोई काम शुरू नहीं हुआ है सिर्फ वहां पर फॉर्मेलिटीज ही पूरी हो रही है । मैंने संबंधित कांट्रेक्टर से इस बारे में पसर्नली भी बात कर ली है । आज वहां पर हालात किस प्रकार से बने हुए हैं वे भी कहते हैं कि काम शुरू होने से पहले ही हम बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं तो ऐसे में हम वहां पर काम कैसे शुरू करे ? वहां पर इस प्रकार की हालत बनी हुई है । मेरा आपसे निवदेन है कि पहली बात तो यह है कि टैंडर करने में बहुत समय लग जाता है क्योंकि इनकी अप्रूवल आने में काफी समय लग जाता है । बहलबा रोड की हालत काफी खस्ता हो चुकी है । उप मुख्यमंत्री जी को बहलबा वासी कम से कम 10 बार मिल चुके हैं । जो उप मुख्यमंत्री जी के कार्यकर्ता भी हैं लेकिन आज भी उसकी हालत बहुत बुरी बनी हुई है । मैं इनको इसकी वीडियो भी भेजूंगा, ये उस वीडियो को देख लेंगे तो इनको पूरी बात का पता लग जायेगा । वहां पर दो ट्रक रोड़ी और एक जे.सी.बी. मशीन लगा रखी है । उसने पूरे रोड पर लूज रोड़ा डाल रखा है । मेरा बहु-अकबरपुर का बाईपास का मैटर है जो निंदाना और समर गोपालपुर का एक किलोमीटर रोड जाता है उस रोड की बहुत ज्यादा खस्ता हालत बनी हुई है । उस रोड पर लोगों का पैदल निकलना भी दूभर हो गया है । बैंसी से गुगाहेड़ी रोड पर कुछ भी नहीं निकल सकता है क्योंकि वहां पर एक-एक फीट गहरे गड्ढे हो रखे हैं जिसकी वजह से वहां पर बुजुर्गों के दो तीन एक्सीडैंट भी हो चुके हैं । वहां पर हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है सरकार जो वहां पर काम करवा रही है उसको मॉनिटर भी करने का काम किया जाये । पूरे प्रदेश में सड़कें उखाड़ दी गई हैं । इन पर वर्क शुरू नहीं किया गया है इसलिए उपमुख्यमंत्री जी आप खुद इनको मॉनिटर करने का काम करें । अगर आप मुझे कहते हो तो मैं आपको इनसे संबंधित फोटो और वीडियो रोडवाइज भेज दूंगा । वहां पर कंट्रोल करने की बहुत जरूरत है । मैं पूरे प्रदेश में अनेकों जगह जाता हूं । जगह-जगह रोडज उखाड़ रखे हैं । इन रोडज के टैंडर भी हो चुके हैं लेकिन वहां पर वर्क प्रोग्रेस में नहीं है । इस बात से लोग बहुत परेशान हो रखे हैं । मेरा उपमुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि आप इन रोडज को पर्टिकुलर मॉनिटर करके इस विषय को सीरियसली से लेने का काम किया जाये क्योंकि लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रखे हैं । मैं कई बार जुलाना भी गया हूं वहां पर कम से कम 10 सड़कें उखाड़ रखी हैं । मैं उचाना में भी गया था तो वहां पर भी दो तीन सड़कों का बहुत बुरा हाल हो रखा है । प्रदेश के अंदर ऐसी अनेकों सड़कों का बुरा हाल हो रखा है । इन सड़कों को बनाने के लिए टैंडर हो चुके हैं लेकिन वर्क प्रोग्रेस में नहीं है । इसको सीरियस से लेते हुए विभाग को कहा जाये कि एक-एक वर्क को मॉनिटर करने का काम किया जाये ।

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बजरी और रोड़ा डालने की बात की है । माननीय सदस्य भी सिविल कांट्रेक्टर है । मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि सड़क

का काम, जब पोस्ट मानसून शुरू होता है और मानसून आ जाता है तो उसके बीच में रोड वर्कस के काम को बंद कर दिया जाता है। यह दुनिया भर में प्रैक्टिकैल्टी अपनाई जाती है । उसके बावजूद भी 62 लाख रूपये यह जो बहलबा वाला पैच है इसके लिए मंजूर हो गये हैं । बजरी और रोड़ों पर इंटरलोकिक पैवर्स बिछाये जायेंगे जिससे वह सड़क जल्द ही मोटरेबल हो जायेगी। जो माननीय सदस्य ने दूसरी सड़क के बारे में बताया है, वह मार्केटिंग बोर्ड की सड़क है और उसके लिए 90 लाख रूपये का टैंडर फ्लॉट हो चुका है जो वर्ष 2024 तक कम्पलीट हो जायेगा । इस काम की 11 महीने की कम्पलीशन डेट है मैं समझता हूं कि इससे पहले-पहले यह काम कम्पलीट करके इनको हैंड ओवर कर दिया जायेगा ।

श्री बलराज कुंडू : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उपमुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं । अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि जो बहु-अकबरपुर का पोर्शन है उससे दो रोड निंदाना और समर गोपालपुर के लिए निकलते हैं । यह पोर्शन पी.डब्ल्यू.डी. के अंडर आता है । वह मार्केटिंग बोर्ड के अंडर नहीं आता है । जहां तक मानसून से पहले की बात है तो मैं उपमुख्यमंत्री जी की बात से सहमत हूं लेकिन मेरा कहना है कि पब्लिक को परेशान करने के लिए मानसून से पहले ही उन रोडज को क्यों उखाड़ दिया जाता है ? मेरे कहने का मतलब यही है कि मानसून के बाद उन रोडज को डिस्मेंटल कर देते । उसके बाद इस रोड पर काम शुरू करते । क्या यह चीज विभाग की प्लानिंग का हिस्सा नहीं होती है? क्या यह बात डिपार्टमैंट को नहीं देखनी चाहिए थी ? क्या यह बात विभाग के अधिकारियों को पता नहीं है कि बरसात के दिनों में सड़कों का और भी बुरा हाल हो जाता है और उल्टा उन सड़कों को उखाड़कर उन पर रोड़ा डालने का काम किया जा रहा है । आप भी इस बात का अंदाजा लगाये कि बरसात के मौसम में उन रोडज का क्या हाल होता होगा ? कई ऐसे रोडज हैं जो पूर्ण रूप से बंद हो चुके हैं जिसके कारण लोगों को 10-15 किलोमीटर तक घूम कर अपने-अपने गांवों में जाना पड़ रहा है । मैं समझता हूं कि यह बात डिपार्टमैंट को भी देखनी चाहिए । अगर सरकार मानसून के दौरान इन सड़कों की हालत ठीक नहीं कर सकती तो मानसून के चलते उन रोडज को बनाने का काम नहीं करना चाहिए । उन रोडज को उखाड़ने का किसका अधिकार बनता है इसलिए मेरा कहना यह है कि इन रोडज को उखाड़ना नहीं चाहिए था बल्कि विभाग को इसकी प्लानिंग बनानी चाहिए थी और बरसात के बाद ही इन रोडज को उखाड़ा जाना चाहिए था ।

सड़को, उपरि पुल, अंडर पास तथा चार मार्गी सड़क का निर्माण करना

***11 श्री भव्य fc”uksbZ** : क्या उप–मुख्यमंत्री कृप्या बताएंगे:-

(क) आदमपुर मंडी बाई-पास से बस अड्डा, मंडी आदमपुर से सदलपुर, मंडी आदमपुर से सीसवाल, काबरेल, हिसार से बगला-घुड़साल सड़कों का निर्माण कार्य कब तक आरम्भ किए जाने की संभावना है;

(ख) क्या यह तथ्य है कि आदमपुर मंडी में रेलवे फाटक संख्या-114 सी पर उपरि पुल का निर्माण कार्य आरम्भ हुआ था तथा 80 प्रतिशत कार्य पुरा हो गया है परंतु अब कार्य बंद पड़ा है; यदि हां, तो पुल के उक्त लंबित निर्माण कार्य के कब तक आरम्भ किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या आदमपुर मंडी में क्रांति चौंक के रेलवे फाटक संख्या 113-सी पर अंडर-पास का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है तथा उसका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह भी तथ्य है कि अग्रोहा से आदमपुर होते हुए राजस्थान सीमा तक चारमार्गी सड़क के निर्माण की प्रक्रिया आरम्भ हुई थी तथा उक्त प्रस्ताव का अनुमान भी तैयार हो गया था; तथा

(ड) यदि हां, तो उक्त कार्य के लिए बजट कब तक जारी किए जाने की संभावना है तथा उक्त सड़क का निर्माण कार्य कब तक आरम्भ किए जाने की संभावना है?

Deputy Chief Minister (Shri Dushyant Chautala): Sir, the details are placed on the floor of House.

To Construct Roads, Over Bridge, Underpass and Four Lane Road

Question	Reply
(a) the time by which the construction work of roads from Adampur Mandi bye-pass to Bus Stand, Mandi Adampur to Sadalpur, Mandi Adampur to Siswal, Kabrel, Hisar to Bagla-Ghudsal are likely to be started;	(i) Adampur Mandi bye-pass to Bus Stand road relates to HSVP and at present there is no proposal under consideration of HSVP for construction of said road. (ii) For construction of Mandi Adampur to Sadalpur, Mandi Adampur to Siswal-Kabrel and Hisar to Bagla-Ghudsal road at present there is no proposal under consideration of Government.

(b) whether it is a fact that the construction work of the over bridge on the Railway Crossing no. 114-C in Adampur Mandi was started and the 80 percent work has been completed but the work is lying closed; if so, the time by which the said pending construction work of the bridge is likely to be started;	The construction work of the Railway over bridge at Railway Crossing No. 114-C in Adampur Mandi is in progress and 80% completed. The scope of the work has increased which is under process of approval. The work will be taken up shortly and will be completed by February, 2024.
(c) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct under pass on the Railway Crossing no. 113-C of Kranti Chowk in Adampur Mandi togetherwith the details thereof;	There is no proposal under consideration of the Government to construct under pass on the Railway crossing No. 113-C of Kranti Chowk in Adampur Mandi.
(d) whether it is also a fact that the process to construct four lane road from Agroha to Rajasthan Border via Adampur was started and the estimate for said proposal had also been prepared; and	At present there is no proposal under consideration of the Government to construct four lane road from Agroha to Rajasthan Border via Adampur and no such estimate for said proposal had been prepared.
(e) If, so the time by which the budget of said work is likely to be released togetherwith the time by which the construction work of said road is likely to be started ?	In view of the status explained above, no time frame can be given at this stage.

श्री भव्य बिश्नोई: अध्यक्ष महोदय, आदमपुर उप चुनाव से पहले आदमपुर मंडी बाई पास से बस स्टैंड रोड के निर्माण के लिए जब हमने एच.एस.वी.पी. के अधिकारियों से बात की तो बताया गया था कि एच.एस.पी.पी. की कुछ सड़कें पी.डब्ल्यू.डी. (बी.एण्ड आर.) डिपार्टमैंट को दे रखी हैं । जिनमें मंडी आदमपुर बाई पास से बस स्टैंड चौक की सड़क, बी.डी.पी. ऑफिस से हनुमान मंदिर की सड़क भी शामिल है जबकि हनुमान मंदिर की सड़क पी.डब्ल्यू.डी. (बी.एण्ड आर.) डिपार्टमैंट द्वारा हाल ही में बनाई भी गई थी। अध्यक्ष महोदय, रिप्लाई में लिखा है कि यह सड़क एच.एस.वी.पी. के पास है जबकि एच.एस.वी.पी. का कहना है कि सड़क पी.डब्ल्यू.डी. (बी.एण्ड आर.) डिपार्टमैंट के पास है। इस तरह दोनों विभागों के असमंजस के कारण आदमपुर के आम जनमानस को बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से माननीय उप-मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि इस कन्फ्यूजन को सुलझाया जाए और यदि यह सड़क एच.एस.वी.पी. के पास है तब भी इस सड़क को पी.डब्ल्यू.डी. (बी.एण्ड आर.) डिपार्टमैंट के अन्दर लाकर इसका निर्माण करवाया जाए क्योंकि आपके पी.डब्ल्यू.डी. (बी.एण्ड आर)

डिपार्टमैंट के पास बजट भी ज्यादा है। साथ ही मंडी आदमपुर से सदलपुर रोड, मंडी आदमपुर से सीसवाल, काबरेल रोड, हिसार से बगला-घुड़साल सड़कों के निर्माण के रिप्लाई में डिपार्टमैंट ने लिखा है कि वर्तमान में ये आपके डिपार्टमैंट के विचाराधीन नहीं हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि गंभीरता तथा तुरंत प्रभाव के साथ इन सड़कों के निर्माण पर विचार किया जाए क्योंकि ये सड़कें हमारे हल्के की सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण मार्गों में से हैं। अगर मैं कहूं कि ये तीनों सड़कें आदमपुर हल्के के 80 प्रतिशत गांवों को मंडी आदमपुर से जोड़ती हैं तो शायद गलत नहीं होगा। यहां पर रोजाना हजारों की संख्या में आम जनमानस यात्रा करती है लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यहां पर खड्डे ज्यादा और सड़क कम है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय उप-मुख्यमंत्री से प्रार्थना के साथ ही मेरा सवाल भी है कि इन सभी मार्गों का निर्माण कार्य कब शुरू होगा तथा सरकार द्वारा इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल कब तक मिल पाएगी?

श्री दुष्यत चौटाला: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बात रखी है कि आदमपुर मंडी बाई पास से बस स्टैंड रोड में एक conflict है कि इस सड़क में ऑनरशिप एच.एस.वी.पी. की है या पी.डब्ल्यू.डी. (बी.एण्ड आर.) डिपार्टमैंट की है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इस सड़क की ऑनरशिप एच.एस.वी.पी. की है। यह सड़क जिस दिन पी.डब्ल्यू.डी. (बी.एण्ड आर.) डिपार्टमैंट को हैंडओवर कर दी जाएगी हम उसे टेक अप कर लेंगे। दूसरी बात माननीय सदस्य ने रेलवे क्रोसिंग संख्या-113 सी की बात की, यहां पर राइट ऑफ वे नहीं है। इसलिए ब्रिज नहीं बनाया जा सकता। जहां तक बरवाला से लेकर भादरा तक वाया अग्रोहा से आदमपुर की सड़क का प्रश्न है। हमने गवर्नमैंट ऑफ इंडिया को भी इसका दो बार लैटर भेजा है कि तीन नेशनल हाईवेज का कनेक्शन है। एन.एच. इसको टेकअप करे। उसके बाद उनका रिप्लाई नहीं आया तो फेस्ड मेनर में पहला फेस हमने बरवाला से लेकर अग्रोहा तक इसको वाईडन करने का काम किया है और जो अग्रोहा से लेकर आदमपुर तक का पोर्शन है यह अंडर कंसीड्रेशन है। इसमें राईट ऑफ वे अगर हमारे पास पूरा रहेगा तो इसको भी हम आगे फोरलेन टेक अप करेंगे। जहां तक छोटे रास्तों की बात है तो इनमें कई रास्ते मार्केटिंग बोर्ड के भी हैं और कई पी.डब्ल्यू.डी. (बी.एण्ड आर.) डिपार्टमैंट के भी हैं। प्रत्येक रास्ता आज के दिन डिफैक्ट लाइबिलिटी पीरियड के अंदर है और जो रास्ते डिफैक्ट लाइबिलिटी पीरियड के बाहर थे वे एम.एल.ए. प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर 25 करोड़ रुपये हर विधायक के विधान सभा क्षेत्र में हमने लगाया है। जिसमें अधिकतम टैंडर्ज हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल के माध्यम से फ्लॉट हो चुके हैं। मानसून के तुरंत बाद इन पर काम चल जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य प्रायोरिटी के हिसाब से यह सोचे कि funds बहुत ज्यादा है तो मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि स्टेट का अपना एक दायरा है। एन.एच.ए.आई. तो बोन्ड वगैरा के द्वारा फंड इक्ट्ठा करती है जबकि हमें पैसा स्टेट हैड से मिलता है। इस बार रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 3200 करोड़ रुपये से 3400 करोड़ रुपये के बीच

में था। इसमें से 2400 करोड़ रुपये तो हमने सिर्फ एम.एल.ए. के 25 करोड़ रुपये के फंड की प्रायोरिटी पर लगाया है तथा 700 करोड़ रुपये हमने गवर्नमैंट ऑफ इंडिया के एन.एच.ए.आई. को देने का काम किया है। इसके साथ-साथ जो मेजर रोड डिवैल्पमैंट वर्क्स हैं उसके ऊपर हम प्रायोरिटी के साथ काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने इंटरनल रोड्स की जो भी बातें रखी हैं। अगले साल के बजट के अन्दर हम प्रयास करेंगे कि उन्हें ठीक करवाएं।

श्री भव्य विश्नोई: अध्यक्ष महोदय, क्रांति चौक रेलवे फाटक संख्या-183 पर जिस अंडर पास का निर्माण होना है। उस पर भी माननीय उप-मुख्य मंत्री जी का रिप्लाई आया था कि यह हमारे विभाग के अन्दर विचाराधीन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि इस फाटक के एक तरफ एफ.जी.एम. कॉलेज, आई.टी.आई., पॉलिटैक्निक के साथ-साथ आदमपुर के अनेकों ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्युशंज हैं जिनके कारण रोजाना पांच हजार से ज्यादा छात्र-छात्राएं इन पर यात्रा करते हैं । इसके साथ-साथ फाटक के एक तरफ दुकानें हैं और दूसरी तरफ लोगों के घर हैं। यह सरकार का दायित्व बनता है कि वह लोगों को सुविधा और कंफर्ट प्रदान करे। इस विषय के बारे में मैंने माननीय रेल मंत्री जी को भी पत्र लिखा था। इसके साथ ही साथ मेरा यह भी कहना है कि यह आदमपुरवासियों की एक बहुत लम्बे समय से चली आ रही मांग भी है। मेरी आपसे इसके लिए भी प्रार्थना है और मेरा सवाल है कि जो फाटक पर अण्डरपास बनना है उसका निर्माण कार्य भी जल्दी से जल्दी शुरू करवाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाये। धन्यवाद।

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने क्रांति चौंक, आदमपुर की बात की है। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको अभी तक टेक-अप नहीं किया गया। माननीय सदस्य ने यह नहीं बताया कि इसके अलावा जो तीन फाटक और थे आदमपुर में हमने रेलवे ओवरब्रिज के माध्यम से उनकी कनैक्टिविटी बेहतर की है। क्रांति चौंक से महज 100 मीटर की दूरी पर ही रेलवे ओवरब्रिज कंस्ट्रक्ट हुआ है। उसकी वॉयबिलिटी बहुत अच्छी है क्योंकि वहां पर हमारे पास लैंड थी। वहां पर काम चल रहा है और 80 परसैंट के लगभग काम कम्पलीट भी हो गया है। मैं यह मानता हूं कि दिसम्बर, 2023 तक उसको पूरी तरह से फंक्शनल कर दिया जायेगा। जो माननीय सदस्य कह रहे हैं कि दुकानें हैं, मोटरेबिलिटी है, कॉलेजिज हैं मेरा इसमें यही कहना है कि 100 मीटर की डॉयवर्सन के बाद फिर आने वाले समय में आदमपुर को यह दिक्कत नहीं रहेगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब प्रश्न काल समाप्त होता है।

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त फसलों का मुआवजा

***12. श्री अभय सिंह चौटाला** : क्या उप मुख्यमंत्री कृप्या बताएंगे–

(क) इस वर्ष जुलाई महीने में राज्य में बाढ़ के कारण कितने एकड की फसलें क्षतिग्रस्त/खराब हुई तथा उसका जिलेवार तथा फसल–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) बाढ़ के कारण खराब फसलों के मुआवजे के लिए ई–मुआवजा पोर्टल पर तथा संबंधित अधिकारियों को प्राप्त आवेदनों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या बाढ़ के कारण हुए नुकसान पर कोई कृषि विभाग द्वारा कोई रिपोर्ट दी गई है; यदि हां, तो ब्यौरा क्या है; तथा

(घ) क्या किसानों को उनकी फसलों के नुकसान का कोई मुआवजा दिया गया है; यदि हां, तो मुआवजे की दर/ प्रतिशत क्या है तथा उसका ब्यौरा क्या है?

उप मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) :

क) जुलाई 2023 में बाढ़ के कारण ई–क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपलोड किए गए दावों के अनुसार कुल 6,48,222 एकड़ में फसलें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। फसल–वार विवरण अनुबंध 'ए' पर हैं और जिले–वार विवरण अनुबंध 'बी' हैं ।

ख) फसलों को हुए ऐसे नुकसान के लिए दिनांक 21.08.2023 तक ई–क्षतिपूर्ति पोर्टल पर कुल 1,33,625 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन आवेदनों के दावों का सत्यापन राजस्व विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों–संबंधित पटवारी, कानूनगो, सीआरओ, एसडीएम और उपायुक्त द्वारा आवेदक को मुआवजा देने से पहले किया जायेगा।

ग) कृषि एवं किसान कल्याण विभागए हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 9426, दिनांक 09.08.2023 में निम्नानुसार बताया गया है:-

[illegible]	[illegible]
[illegible] 60 [illegible]	[illegible], 2023 [illegible]
[illegible]	[illegible]

[illegible] 20 [illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

घ) प्रभावित किसानों द्वारा उनकी फसल क्षति के लिए दावे प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, राज्य सरकार ने एक समर्पित पोर्टल यानी https://ekshatipurti.haryana.gov.in/ लन्च किया है। पोर्टल पर कुल 1,33,625 किसानों ने 6,48,222 एकड़ क्षेत्र के लिए अपना दावा दर्ज कराया है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा इन दावों के सत्यापन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मुआवजे का वितरण निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए मानदंडों के अनुसार सत्यापन पूरा होने के बाद किया जाएगा।

107

Annexure-'A'

CommodityName	Number of farmers	Area in acres
Maize	380	1100.148
Bajra	77802	282598.018
Arbi	35	47.336
Cotton	23656	53016.19
Bitter Gourd	92	101.115
Bottle Gourd	552	928.099
Brinjal	134	150.572
Cauliflower	145	221.56
Chikoo	2	1.6
Cucurbits	106	213.741
Ginger (Adrak)	2	1.206
Ground Nut	116	191.031
Guar	536	770.23
Jowar	436	478.272
Leafy vegetables	4	6.519
Papaya	4	3.6
Arhar	98	159.825
Turmeric (Haldi)	5	3.769
Carrot	29	77.665
Til	222	394.801
Amla	4	2.013
Bhindi	204	202.878
Capsicum	20	24.039
Onion	8	7.308
Tomato	43	32.674
Ridge Guard	116	116.774
Round Melon	32	30.303
Cucumber	109	134.209
Sem	2	2
Lobia	14	17.544
Radish	72	105.065
Guava	106	157.09
Peach	7	8
Beal	18	31.418
Grapes	2	1.944
Litchi	1	0.238
Mango	11	7.051
Pear	1	5.102
Date Palm	2	1.613
Pomegranate	6	2.95
Gooseberry	1	4.338
Malta	16	43.484
Mandarin	2	1.575
Lemon	57	54.785
Loquat	1	1
Marigold	53	68.257
Chilli	176	247.879
Kinnow	49	100.121
Cabbage	18	19.663
Coriander	42	33.836
Methi	1	0.944
Ber	20	19.851
Sweet orange	3	2.25
Moth	2	3.925
Urd	38	48.852
Soyabean	1	0.988
Kharif Onion	5	3.714
Moong	740	1525.575
Paddy - Non Basmati	41563	256243.234
Paddy - Basmati	8760	41474.286

120

108

Sugarcane	2180	6798.787
Aloe Vera	2	1.331
Ashwagandha	7	4.013
Coleus	1	0.919
Harad	10	8.67
Pipali/Long pepper	2	0.606
Ambrette seed	6	4.395
Davana	2	5.857
Eucalyptus Citriodora	41	74.292
French Jasmine	1	0.969
Lemon Grass	2	1.744
Other Aromatic Plants	12	11.141
Palmarosa	2	1.588
Mentha	6	18.499
Amaranthus	6	13.702
Spinach	13	8.864
Celery	1	1
Lettuce	2	2.201
Banana	12	9.565
	158990	648222.21

109

Annexure 'B'

Name	Total villages	Total farmers	Area registered
Ambala	395	7335	40898.657
Bhiwani	250	3216	16154.033
Charkhi Dadri	172	17853	79605.614
Faridabad	63	1187	8454.976
Fatehabad	188	9906	75330.633
Gurugram	182	3007	12999.253
Hissar	117	249	1057.04
Jhajjar	206	2369	11698.76
Jind	108	191	797.952
Kaithal	200	5801	43963.948
Karnal	272	2311	11265.097
Kurukshetra	397	13996	82736.508
Mahindergarh	374	49622	183999.717
Mewat	102	170	852.487
Palwal	117	1743	10827.697
Panchkula	76	331	967.346
Panipat	77	307	1419.133
Rewari	376	6802	26762.916
Rohtak	122	1757	9697.119
Sirsa	95	1368	6408.52
Sonipat	214	3502	20009.276
Yamunanagar	347	2134	6894.213
Total	4450	133625	652800.295

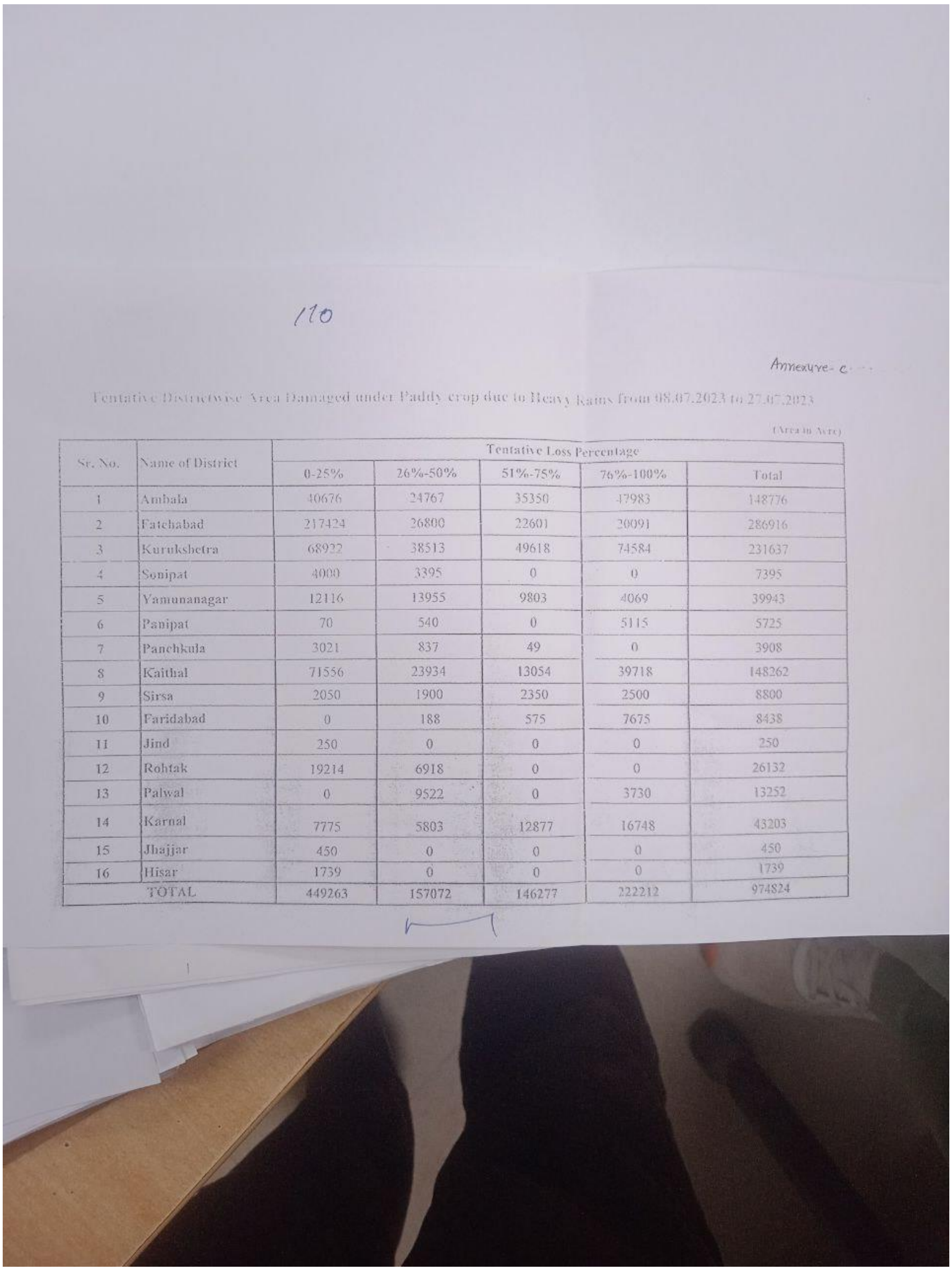

110

Annexure- C

Tentative Districtwise Area Damaged under Paddy crop due to Heavy Rains from 08.07.2023 to 27.07.2023

(Area in Acre)

Sr. No.	Name of District	Tentative Loss Percentage				
		0-25%	26%-50%	51%-75%	76%-100%	Total
1	Ambala	40676	24767	35350	47983	148776
2	Fatehabad	217424	26800	22601	20091	286916
3	Kurukshetra	68922	38513	49618	74584	231637
4	Sonipat	4000	3395	0	0	7395
5	Yamunanagar	12116	13955	9803	4069	39943
6	Panipat	70	540	0	5115	5725
7	Panchkula	3021	837	49	0	3908
8	Kaithal	71556	23934	13054	39718	148262
9	Sirsa	2050	1900	2350	2500	8800
10	Faridabad	0	188	575	7675	8438
11	Jind	250	0	0	0	250
12	Rohtak	19214	6918	0	0	26132
13	Palwal	0	9522	0	3730	13252
14	Karnal	7775	5803	12877	16748	43203
15	Jhajjar	450	0	0	0	450
16	Hisar	1739	0	0	0	1739
	TOTAL	449263	157072	146277	222212	974824

ty Hkjko dh leL;k dk lek/kku djuk

*13. **Jh dqynhi oRl%** D;k eq[;ea=h d`Ik;k crk,axs] fd%&

¼d½ D;k ;g rF; gS fd cknyh fo/kku lHkk fuokZpu {ks= ds xkao cknyh] [ksMh tÍ] xks;yk dyka] [ksM++dk xqtj] [kqaxkbZ] xqHkuk] ektjh] ns'kyiqj] cqikfu;ka]

'kkgiqj] xaxMok] yqDlj] txjriqj] eq.Mk[ksM+k] bLekbyiqj] nsoj[kkuk] ck<+lk] lkSa/kh] ;kdwciqj] dksV ckftriqj] fldanjiqj] tgkaxhjiqj] lqgjk] dyksbZ] efqueiqj] nknuiqj] jk;iqj] xhtkMksn] lqyks/kk] ckcjk] Mkoyk] jbZ;k] gluiqj] fdjMksn] lqjsgrh] leliqj ektjk] ekNjksyh] [kqïu] NIikj] vgjh veknyiqj] [ksMh lqYrku] dgkMh] fxj/kiqj] ckcsiqj] flykuk] flykuh] lqckuk] pkanksy] <kdyk] tSriqj us;ksyk] dkluh] ikVksnk] yksgkjh] dqykuk rFkk dksdk bR;kfn xkao ds ekulwu rFkk csekSleh cjlkr ds dkj.k [ksr esa ty Hkjko dh cM+h leL;k gS ftlds ifj.kkeLo:Ik lHkh Qlysa [kjkc@{kfrxzLr rFkk ?kj Hkh th.kZ&'kh.kZ gks x, gSa; rFkk

¼[k½ ;fn gka] rks mDr ty&Hkjko dh leL;k dk lek/kku djus ds fy, ljdkj }kjk D;k ix mBk, x, gS rFkk mijksDr leL;k dk LFkkbZ lek/kku dc rd fd, tkus dh laHkkouk gS rFkk mldk C;kSjk D;k gS \

eq[;ea=h ¼Jh euksgj yky½%

¼d½ gka] Jheku thA ekulwu ds ekSle vkSj csekSle ckfj'k ds dkj.k bu xkaoksa esa ty Hkjko gks x;k FkkA

¼[k½ ekStwnk cqfu;knh <kaps ds vykok bySfDVªd iEi lsV@Mhty iEi lsV yxkdj vkSj ty fudklh ikbZiykbu fcNkdj tyHkjko ds ikuh dks fudkyus ds fy, mipkjkRed mik;ksa dh ;kstuk cukbZ xbZ vkSj mUgsa ykxw fd;k x;k gSA fooj.kh lnu ds iVy ij j[kh xbZ gSA

fooj.kh

1- **cknyh%&** bZaV Hkêksa ds fy, feêh mBkus ds dkj.k dqN vyx&vyx bykdksa esa ck<+@tyHkjko gqvk gS ftudk dqy {ks=Qy yxHkx 20 ,dM+ gSA fdlkuksa dks xM~<s okyh i)fr viukus dh lykg nh xbZ gS vkSj ;gka rd fd t:jr ds vk/kkj ij bysfDVªd iai Hkh miyC/k djk, x, gSaA

2- **[ksM+h tV%&** bZaV Hkêksa ds fy, feêh mBkus ds dkj.k dqN vyx&vyx bykdksa esa ck<+@tyHkjko gksrk gSA ftldk dqy {ks=Qy yxHkx 65 ,dM+ gSA fdlkuksa dks xM~<s okyh i)fr viukus dh lykg nh xbZ gS vkSj ;gka rd fd t:jr ds vk/kkj ij bysfDVªd iai Hkh miyC/k djk, tkrs gSaA

3- **xks;yk dyka%&** bZaV Hkêksa ds fy, feêh mBkus ds dkj.k dqN vyx&vyx bykdksa esa ck<+@tyHkjko gksrk gSA ftldk dqy {ks=Qy yxHkx 75 ,dM+ gSA fdlkuksa dks xïs okyh i)fr viukus dh lykg nh xbZ gS vkSj ;gka rd fd t:jr ds vk/kkj ij bysfDVªd iai Hkh miyC/k djk, tkrs gSaA

4- **[ksM+dk xqTtj%&** 'kwU; tyeXu {ks=A

5- **[kqaxkbZ%&** bl xkao esa vR;f/kd o"kkZ ds dkj.k xkao ds rkykc ds vksoj¶yks gks tkus ls tyHkjko gqvkA 1 bysfDVªd iafiax lsV yxkdj ikuh [kqaxkbZ fyad Mªsu esa fudkyk x;kA

6- **xqHkkuk%&** 'kwU; tyeXu {ks=A

7- **ektjh %&** 'kwU; tyeXu {ks=A

8- **nslyiqj%&** xkao nslyiqj dh flapkbZ Mkcksnk ekbuj ls dh tk jgh gSA ;g xkao Mkcksnk ekbuj ds vafre Nksj ij iM+rk gSA vrhr esa] cjlkr ds ekSle esa] ugj ds ikuh dh de ekax ds dkj.k] fdlkuksa }kjk viLVªhe esa vkmVysV can dj fn, x,] ftlds ifj.kkeLo:i vfrfjä ikuh vafre Nksj rd igq¡p x;k vkSj bl çdkj ekbuj vksoj¶yks gks x;k vkSj xkao nslyiqj ds [ksrksa esa ikuh tek gks x;kA blds LFkk;h lek/kku ds fy, Mkcksnk

ekbuj ds vfrfjä ikuh dks eksM+us ds fy, ihohlh ikbi ykbu fcNkdj Mkcksnk ekbuj vkSj ljk; vkSjaxkckn dlkj fyad Mªsu dks tksM+us dk dk;Z 30-06-2022 dks 76 yk[k #i;s dh ykxr ls iwjk gks x;k gSA bl o"kZ bl xkao dk yxHkx 32 ,dM+ {ks= tyeXu gks x;kA ftls Mkcksnk ekbuj dh cqthZ la[;k 25000 ij 2 bysfDVªd iai lsV yxkdj ljk; vkSjaxkckn dlkj fyad Mªsu esa ikuh dks fudky fn;k x;kA

9- cqifu;k%& xkao cqifu;k dh flapkbZ iqjkus cqifu;k ekbuj ls dh tk jgh gSA ;g xkao iqjkus cqifu;k ekbuj ds vafre Nksj ij iM+rk gSA bl o"kZ ds nkSjku] bl xkao dk yxHkx 30 ,dM+ {ks= tyeXu gks x;k Fkk vkSj ftls 1 bysfDVªd iai lsV yxkdj dqyrkuk NqM+kuh cqifu;k ¼dslhch½ Mªsu esa ikuh dks cgk fn;k x;kA blds vykok] dslhch Mªsu ds fdukjksa dks etcwr djus dk dk;Z çxfr ij gS vkSj 31 ekpZ] 2024 ls igys iwjk dj fy;k tk,xk] ftlls ck<+ ds ikuh dks 'kh?kz fudkyus esa enn feysxhA

10- 'kkgiqj%& 'kwU; tyeXu {ks=A

11- xaxjok%& xkao xaxjok dh flapkbZ xqHkkuk ekbuj ls dh tk jgh gSA bl o"kZ ds nkSjku] bl xkao dk yxHkx 20 ,dM+ {ks= tyeXu gks x;k Fkk vkSj 1 bysfDVªd iai lsV yxkdj dqyrkuk NqM+kuh cqifu;k ¼dslhch½ Mªsu esa ikuh fudkyk x;kA blds vykok LFkk;h lek/kku ds :Ik esa] 128-30 yk[k :i;s dh ykxr ls 335 fe0eh0 O;kl dh ikbZiykbu fcNkus dh eatwjh gfj;k.kk lw[kk jkgr ,oa ck<+ fu;a=.k cksMZ dh 54oha fefVax esa nh xbZA ;g ikbZiykbu xaxjok xkao ds [ksrksa ls dslhch Mªsu rd fcNkus dk izko/kku gS] bldk dk;Z çxfr ij gS vkSj 31 ekpZ] 2024 rd iwjk gksus dh laHkkouk gSA

12- yqdlj%& bl xkao dh flapkbZ xqHkkuk ekbuj ls dh tk jgh gSA bl o"kZ ds nkSjku] bl xkao dk yxHkx 30 ,dM+ {ks= tyeXu gks x;k Fkk vkSj ftls 1 bysfDVªd iai lsV yxkdj dqyrkuk NqM+kuh cqifu;k ¼dslhch½ Mªsu esa fudkyk x;kA blds vykok] dslhch Mªsu ds fdukjksa dks etcwr djus dk dk;Z çxfr ij gS vkSj 31 ekpZ] 2024 ls igys iwjk dj fy;k tk,xk] ftlls ck<+ ds ikuh dks 'kh?kz fudkyus esa enn feysxhA

13- txjriqj ¼tjndiqj½%& bl o"kZ ds nkSjku] bl xkao dk yxHkx 56 ,dM+ {ks= tyeXu gks x;k Fkk vkSj ftls 1 bysfDVªd iai lsV yxkdj dqyrkuk NqM+kuh cqifu;k ¼dslhch½ Mªsu esa cgk fn;k x;kA blds vykok] dslhch Mªsu ds fdukjksa dks etcwr djus dk dk;Z çxfr ij gS vkSj 31 ekpZ] 2024 ls igys iwjk dj fy;k tk,xk] ftlls ck<+ ds ikuh dks 'kh?kz fudkyus esa enn feysxhA

14- eqaMk[ksM+k%& vkmVQ,y Mªsu uacj 8 dk vksoj¶yks gksuk tyHkjko dk dkj.k cuk gSA vkmVQ,y Mªsu uacj 8 ds nkfgus fdukjs ds fuekZ.k dk dk;Z 50osa gfj;k.kk jkT; lw[kk jkgr vkSj ck<+ fu;a=.k cksMZ esa vuqeksfnr fd;k x;k Fkk] vkSj ftls 30 twu] 2022 dks iwjk fd;k x;k] tks vklikl ds {ks=ksa esa mä Msªu ds fdlh Hkh çdkj ds vksojQ~yks dks jksdus esa enn djrk gS] tksfd vrhr esa ,d fu;fer leL;k FkhA bl o"kZ vR;f/kd o"kkZ ds dkj.k bl xk¡o dh Hkwfe lhek esa 20 ,dM+ {ks= tyeXu gks x;kA çHkkfor Hkwfe] tks vkmVQ,y Mªsu uacj 8 ds vklikl Fkh] mldk ikuh çk—frd :i ls Mªsu uacj 8 esa fudy x;k vkSj nwj&njkt ds {ks=ksa ds fy,] 2 bysfDVªd iai lsV yxkdj vfrfjä ikuh dks vkmVQ,y Mªsu uacj 8 esa fudky fn;k x;k FkkA

15- bLekbyiqj%& 'kwU; tyeXu {ks=A

16- nsoj [kkuk%& 'kwU; tyeXu {ks=A

17- ck<+lk%& bl xkao esa vR;f/kd o"kkZ ds dkj.k xkao ds rkykc ds vksoj¶yks gks tkus ls ck<+ vk xbZA ftls 1 bysfDVªd iai lsV yxkdj vkmVQ,y Mªsu uacj 8 esa ikuh fudkyk x;kA

18- lkSa/kh%& 'kwU; tyeXu {ks=A

19- ;kdwciqj%& vkmVQkWy Mªsu ua- 8 vksojQ~yks gksus ds dkj.k vklikl dk {ks= tyeXu gqvkA bl o"kZ bl xk¡o dh Hkwfe lhek esa vR;f/kd o"kkZ ds dkj.k 85 ,dM+ {ks= tyeXu gks x;kA çHkkfor Hkwfe] tks vkmVQ,y Mªsu uacj 8 ds vklikl Fkh] mldk ikuh izkd`frd :Ik ls Msªu uacj 8 esa fudy x;kA fupys bykdksa vkSj nwj&njkt ds {ks=ksa ds fy, 3 bysfDVªd iai lsV yxkdj vfrfjä ikuh dks vkmVQ,y Mªsu uacj 8 esa fudky fn;k x;kA blds vykok] vkmVQ,y Mªsu uacj 8 ds nkfgus fdukjs ds fuekZ.k dk dk;Z 30 twu] 2022 dks iwjk fd;k x;k] ftlls fudVorhZ {ks= esa Mªsu ds fdlh Hkh çdkj ds vksoj¶yks dks jksdus esa enn feyh] tks vrhr esa ,d fu;fer leL;k FkhA

20- dksV%& vkmVQkWy Mªsu ua- 8 vksojQ~yks gksus ds dkj.k vklikl dk {ks= tyeXu gqvkA bl o"kZ bl xk¡o dh Hkwfe lhek esa vR;f/kd o"kkZ ds dkj.k 60 ,dM+ {ks= tyeXu gks x;kA ftls 1 bysfDVªd iai lsV yxkdj Mªsu uacj 8 esa cgk fn;k x;kA blds vykok] vkmVQ,y Mªsu uacj 8 ds nkfgus fdukjs ds fuekZ.k dk dk;Z 30 twu] 2022 dks iwjk fd;k x;k] ftlls fudVorhZ {ks= esa Msªu ds fdlh Hkh çdkj ds vksoj¶yks dks jksdus esa enn feyh] tks igys ,d fu;fer leL;k FkhA

21- ckftriqj%& bl o"kZ bl xzke dh Hkwfe lhek esa vR;f/kd o"kkZ ds dkj.k 32 ,dM+ {ks= tyeXu gks x;kA ftls 1 bysfDVªd iai lsV yxkdj fldanjiqj ekbuj esa fudky fn;k x;kA

22- fldUnjiqj%& bl xk¡o esa vR;f/kd o"kkZ ds dkj.k xk¡o ds rkykc ds vksoj¶yks gks tkus ds dkj.k tyHkjko gqvkA ftls 1 Mhty iai lsV yxkdj >Ttj vkmVQ,y fyad Mªsu esa ikuh dks fudkyk x;kA

23- tgk¡xhjiqj%& 'kwU; tyeXu {ks=A

24- lqgjk%& 'kwU; tyeXu {ks=A

25- dyksbZ%& 'kwU; tyeXu {ks=A

26- equheiqj%& vkmVQkWy Mªsu ua- 8 vksojQ~yks gksus ds dkj.k vklikl dk {ks= tyeXu gqvkA bl o"kZ bl xk¡o dh Hkwfe lhek esa vR;f/kd o"kkZ ds dkj.k 39 ,dM+ {ks= tyeXu gks x;kA ftls 1 bysfDVªd iai lsV yxkdj vkmVQ,y Mªsu uacj 8 esa fudky fn;k x;kA blds vykok] vkmVQ,y Mªsu uacj 8 ds nkfgus fdukjs ds fuekZ.k dk dke 30 twu] 2022 dks iwjk fd;k x;k] ftlls fudVorhZ {ks= esa Msªu ds fdlh Hkh çdkj ds vksoj¶yks dks jksdus esa enn feyh] tks igys ,d fu;fer leL;k FkhA

27- nknuiqj%& 'kwU; tyeXu {ks=A

28- jk;iqj%& 'kwU; tyeXu {ks=A

29- fxtkjksM%& bl o"kZ bl xzke dh Hkwfe lhek esa vR;f/kd o"kkZ ds dkj.k 20 ,dM+ {ks= tyeXu gks x;kA ftls 1 bysfDVªd iai lsV vkSj 1 Mhty iEi lsV yxkdj lykS/kk ekbuj esa fudky fn;k x;kA LFkkbZ lek/kku ds :i esa] gfj;k.kk jkT; lw[kk jkgr ,oa ck<+ fu;a=.k cksMZ dh 54oha cSBd esa fxtkjksM xkao ds [ksrksa ls vkmVQ,y Mªsu uacj 8 esa ikuh dks fudkyus ds fy, ncko;qä ikbi ykbu fcNkus ds fy, 158-76

yk[k #i;s dh Ldhe dks eatwjh ns nh xbZ gS vkSj dk;Z çxfr ij gS vkSj 31 ekpZ] 2024 rd iwjk gksus dh laHkkouk gSA

30- lqyks/kk%& 'kwU; tyeXu {ks=A

31- ckcjk%& bl xk¡o esa vR;f/kd o"kkZ ds dkj.k xk¡o dk rkykc Hkj ds vksoj¶yks gks tkus ls tyHkjko gks x;kA 1 bysfDVªd iai lsV yxkdj t[kaMk fyad Mªsu esa ikuh dks fudkyk x;kA

32- nkoyk%& bl xk¡o esa vR;f/kd o"kkZ ds dkj.k xk¡o dk rkykc Hkj ds vksoj¶yks gks tkus ls tyHkjko gks x;kA 1 bysfDVªd iai lsV yxkdj t[kaMk fyad Mªsu esa ikuh dks fudkyk x;kA

33- jS;k%& 'kwU; tyeXu {ks=A

34- gluiqj%& 'kwU; tyeXu {ks=A

35- fdjnks/k%& 'kwU; tyeXu {ks=A

36- lqjsgrh%& bl xk¡o esa vR;f/kd o"kkZ ds dkj.k xk¡o ds rkykc ds vksoj¶yks gks tkus ls tyHkjko gks x;kA 1 bysfDVªd iai lsV yxkdj vkmVQ,y Mªsu uacj 8 esa ikuh dks fudkyk x;kA

37- leliqj ektjk%& bl xkao esa vR;f/kd o"kkZ ds dkj.k xkao ds rkykc ds vksoj¶yks gks tkus ls tyHkjko gks x;kA 2 bysfDVªd iai lsVksa dks yxkdj tkfgniqj ekbuj esa fxjus okys ikuh dks fudkyk x;kA

38- eNjkSyh%& bl xk¡o esa vR;f/kd o"kkZ ds dkj.k xk¡o ds rkykc ds vksoj¶yks gks tkus tkus ls tyHkjko gks x;kA 1 bysfDVªd iai lsV yxkdj tkfgniqj ekbuj esa ikuh dks fudkyk x;kA

39- [kqnku%& bl o"kZ bl xk¡o dh Hkwfe lhek esa vR;f/kd o"kkZ ds dkj.k 220 ,dM+ {ks= tyeXu gks x;kA 73-00 yk[k

:Ik;s dh ykxr ls [kqnku fyad Mªsu dk fuekZ.k djk;k x;k] tks tkfgniqj ekbuj dh cqthZ la[;k 17000&nk,a ij fxjrh gS vkSj tek gq, ikuh dks 2 bysfDVªd iai lsV yxkdj [kqnku fyad Mªsu ds ek/;e ls fudkyk tk jgk gSA

40- Nlij%& bl xk¡o esa vR;f/kd o"kkZ ds dkj.k xk¡o ds rkykc ds vksoj¶yks gks tkus ls tyHkjko gks x;kA 1 bysfDVªd iai lsV vkSj 1 Mhty iEi lsV yxkdj tek gq, ikuh dks lkYgkokl fyad pSuy esa fudky fn;k x;kA

41- vgjh%& bl xk¡o esa vR;f/kd o"kkZ ds dkj.k xk¡o dk rkykc ds vksoj¶yks gks tkus ls tyHkjko gks x;kA 1 Mhty iai lsV yxkdj tek gq, ikuh dks [kqnku fyad Mªsu ds ek/;e ls fudkyk x;kA

42- veknyiqj%& 'kwU; tyeXu {ks=A

43- [ksM+h lqYrku%& 'kwU; tyeXu {ks=A

44- dgkM+h%& 'kwU; tyeXu {ks=A

45- fxj/kjiqj%& bl xk¡o esa vR;f/kd o"kkZ ds dkj.k xk¡o ds rkykc ds vksoj¶yks gks tkus ls tyHkjko gks x;kA 1 bysfDVªd iai lsV yxkdj lkYgkokl fyad pSuy esa ikuh fudkyk x;kA

46- ckcsiqj%& bl o"kZ bl xkao dh Hkwfe lhek esa vR;f/kd o"kkZ ds dkj.k 130 ,dM+ {ks= tyeXu gks x;kA 1 bysfDVªd iai lsV yxkdj lkYgkokl fyad pSuy esa ikuh dks fudkyk x;kA

47- flykuk%& 'kwU; tyeXu {ks=A

48- flykuh%& vkmVQkWy Mªsu ua- 8 vksojQ~yks gksus ds dkj.k vklikl dk {ks= tyeXu gqvkA bl o"kZ vR;f/kd o"kkZ ds dkj.k bl xk¡o dh Hkwfe lhek esa 40 ,dM+ {ks= tyeXu gks x;kA çHkkfor Hkwfe] tks vkmVQ,y Mªsu uacj 8 ds vklikl Fkh] mldk ikuh izkd`frd :Ik ls Msªu uacj 8 esa fudy x;k vkSj

nwj&njkt ds {ks=ksa ds fy, 1 bysfDVªd iai lsV yxkdj vfrfjä ikuh dks Mªsu esa fudkyk x;kA blds vykok] vkmVQ,y Mªsu uacj 8 ds nkfgus fdukjs ds fuekZ.k dk dke 30 twu] 2022 dks iwjk gks x;k] ftlls vklikl ds {ks=ksa esa Mªsu ds fdlh Hkh çdkj ds vfrçokg dks jksdus esa enn feyh] tks vrhr esa ,d fu;fer leL;k FkhA

49- lqckuk%& xkao lqckuk dh flapkbZ dh deku <kdyk ekbuj ,oa lqckuk ekbuj ls nh tkrh gSA xkao lqckuk esa cjlkrh ikuh dh fudklh dk LFkkbZ lek/kku djus ds fy, o"kZ 2021 esa Hkwfexr ncko;qä ikbi ykbu Mªsu dk fuekZ.k 392-78 yk[k :Ik;s dh ykxr ls djok;k x;k vkSj ,df=r gq, ikuh dks bl ikbiykbu ds ek/;e ls fudkyk tkrk gS tks tkfgniqj ekbuj dh cqthZ la[;k 5385&ck,a ls fudyrh gSA bl o"kZ] vR;f/kd o"kkZ ds dkj.k 76 ,dM+ {ks= tyeXu gks x;k Fkk] ftldks 6 bysfDVªd iai lsV vkSj 440 ikbi yxkdj tkfgniqj ekbuj esa fudkyk x;kA

50- pkanksy%& LFkk;h lek/kku ds :i esa] dkluh ekbuj ,oa fHkaMkokl fyad Mªsu dh Vsy dks tksM+us okyh ikbi ykbu fcNkus dk dk;Z 30 twu 2022 dks 110-79 yk[k :Ik;s dh ykxr ls iw.kZ fd;k x;kA bl o"kZ] bl xk¡o dh Hkwfe lhek esa vR;kf/kd o"kkZ ds dkj.k 57 ,dM+ {ks= tyeXu gks x;k Fkk vkSj ftls 3 bysfDVªd iai lsVksa dks yxkdj dkluh ekbuj esa fudky fn;k x;k Fkk] tks vkxs pydj fHkaMkokl fyad Mªsu esa cg x;kA

51- <kdyk%& LFkkbZ lek/kku ds :i esa dkluh ekbuj dh Vsy ,oa fHkaMkokl fyad Mªsu dks tksM+us okyh ikbi ykbu dks fcNkus dk dk;Z 30 twu 2022 dks 110-79 yk[k :Ik;s dh ykxr ls iw.kZ fd;k x;kA bl o"kZ] bl xk¡o dh Hkwfe lhek esa vR;kf/kd o"kkZ ds dkj.k 245 ,dM+ dk {ks= tyeXu gks x;k

Fkk vkSj ftls 9 bysfDVªd iai lsVksa dks yxkdj dkluh ekbuj esa fudky fn;k x;k Fkk] tks vkxs pydj fHkaMkokl fyad Mªsu esa cg x;kA

52- tSriqj%& bl o"kZ bl xkao dh Hkwfe lhek esa vR;kf/kd o'kkZ ds dkj.k 50 ,dM+ {ks= tyeXu gks x;kA ftls 1 bysfDVªd iai lsV yxkdj Hkwfexr ncko;qä ikbiykbu ds ek/;e ls lkYgkokl fyad pSuy esa fudkyk x;kA

53- usvksyk%& bl xk¡o esa vR;kf/kd o"kkZ ds dkj.k xk¡o ds rkykc Hkj ds vksoj¶yks gks tkus ls tyHkjko gks x;kA 1 Mhty iai lsV yxkdj ikuh dh fudklh lkYgkokl fyad pSuy esa dh xbZA

54- dkluh%& LFkk;h lek/kku ds :i esa dkluh ekbuj dh Vsy ,oa fHkaMkokl fyad Mªsu dks tksM+us okyh ikbi ykbu dks fcNkus dk dk;Z 30 twu 2022 dks 110-79 yk[k :i;s dh ykxr ls iw.kZ fd;k x;kA bl o"kZ] bl xk¡o dh Hkwfe lhek esa vR;kf/kd o"kkZ ds dkj.k 35 ,dM+ dk {ks= tyeXu gks x;k Fkk ftldks 1 bysfDVªd iai lsV vkSj 272 ikbi yxkdj dkluh ekbuj esa fudky fn;k x;k Fkk] tks vkxs pydj fHkaMkokl fyad Mªsu esa cg x;kA

55- ikVksnk%& 'kwU; tyeXu {ks=A

56- yksgkjh%& 'kwU; tyeXu {ks=A

57- dqykuk%& 'kwU; tyeXu {ks=A

58- dksdk%& bl xk¡o esa vR;kf/kd o"kkZ ds dkj.k xk¡o ds rkykc ds vksoj¶yks gks tkus ls tyHkjko gks x;kA 1 bysfDVªd iai lsV yxkdj ikuh dh fudklh lkYgkokl fyad pSuy esa dh xbZA

blds vykok] tyHkjko dh leL;k dks de djus ds fy,] foHkkx us ekulwu ds ekSle vkSj cs&ekSle ckfj'k ds nkSjku {ks= dh vko';drk ds vuqlkj eksckby iai lsV ¼Mhty iai@bysfDVªd iai½

rSukr fd,A >Ttj esa eSdsfudy fMohtu MhokVfjax v,ijs'ku dh ns[kjs[k djrk gS] ftlesa 2187 D;wlsd dh fMLpktZ {kerk ds 268 bysfDVªd iai lsV] 100 Mhty iai lsV vkSj 104 ofVZdy VckZbu iai lsV miyC/k gaSA

ekulwu 2023 ds nkSjku] mfYyf[kr 58 xkaoksa esa ls] 23 xkaoksa esa 'kwU; tyHkjko dh lwpuk feyh Fkh] 13 xkaoksa esa rkykc vksoj¶yks gksus ds dkj.k tyHkjko gqvk] ftlesa flapkbZ vkSj ty lalk/ku foHkkx }kjk iapk;r foHkkx dh vko';drk ds vuqlkj ty fudklh ds mís'; ls iai lsV miyC/k djk, tk jgs gSa vkSj 'ks"k 22 xkaoksa esa] yxHkx 1437 ,dM+ {ks= tyeXu gks x;k] ftlesa ls tek ikuh dks fudkyus ds fy, flapkbZ vkSj ty lalk/ku foHkkx }kjk ty fudklh vfHk;ku pyk;k tk jgk gSA

bu 22 xkaoksa esa 1437 ,dM+ tyeXu {ks= dh fudklh ds fy, ekStwnk cqfu;knh <kaps esa ty fudklh ikbiykbu fcNkus ds lkFk&lkFk yxHkx 60 bysfDVªd@Mhty iai lsV yxk, x, gSaA orZeku esa] yxHkx 3 xkaoksa esa 125 ,dM+ {ks= ¼<kdyk ¾ 80 ,dM+] panksy ¾ 25 ,dM+ vkSj lqckuk ¾ 20 ,dM+½ esa ty teko gS] tksfd 31 vxLr] 2023 rd ikuh dh fudklh dk dk;Z lekIr gksus dh laHkkouk gSA bl 125 ,dM+ {ks= ds vykok] dksbZ Qly ckfj'k ds dkj.k {kfrxzLr ugh gqbZA

tgka rd LFkk;h lek/kku dk laca/k gS] 792-57 yk[k #i;s dh ykxr ls 5 LFkk;h ;kstuk,a orZeku ekulwu lhtu 'kq: gksus ls igys gh iwjh gks pqdh gSaA buesa 11 xkaoksa dks doj fd;k x;k gS] ftlls [ksrksa esa ls ck<+ dk ikuh le; ij fudky fn;k x;kA blds vykok] 587-06 yk[k #i;s dh ykxr okyh 3 ;kstuk,sa çxfr ij gSaA buesa 5 xkaoksa dks doj fd;k tk,xk] ftlls fudV Hkfo"; esa ck<+ ds ikuh dks le; ij fudkyus esa enn feysxhA ykHkkfUor gksus okys xkaoksa lfgr ;kstukokj fooj.k bl çdkj gS%&

Sr. No.	Name of scheme	Amount (Rs. in lakhs)	No. of villages benefitted/ to be benefitted	Name of villages benefitted/to be benefitted	Status
1	Linking of Dabodha Minor with Sarai Aurangabad Kassar Link Drain by laying PVC Pipeline.	76.00	1	Deshalpur	Completed (30.06.2022)
2	Construction of right bank of Outfall Drain No. 8.	140.00	5	Munda Khera, Silani, Yakubpur, Kot, Munimpur	Completed (30.06.2022)
3	Laying of underground pressurized pipeline to drain the flood water at RD 5385-L of Zahidpur Minor.	392.78	1	Subana	Completed (30.06.2021)
4	Constructing RCC Pipe Line Drain around Village Khudan out falling into village pond of the Khudan Link Drain.	73.00	1	Khuddan	Completed (30.06.2023)
5	Laying of pipeline from RD 0 to 7850 off taking from RD 35800/L of Kasni Minor and out falling in Bhindawas link drain at Km. 6.081	110.79	3	Kasni, Dhakla, Chandol	Completed (30.06.2022)
6	Rehabilitation of KCB Drain from 0 to 139000.	300.00	3	Bupania, Luksar, Jagratpur (Zardakpur)	In-progress (Date of completion is 31.03.2024)
7	Agenda note for laying HDPE pipeline 355 mm dia in Gangarwa village to KCB drain.	128.30	1	Gangarwa	In-progress (Date of completion is 31.03.2024)
8	Agenda for laying pressurized pipeline for dewatering of flooded fields of Gijarodh out falling into outfall Drain No. 8 at Km. 12.100-R	158.76	1	Gijarod	In-progress (Date of completion is 31.12.2023)
	TOTAL	**1379.63**	**16**		

अनाज मंडी को स्थानांतरित करना

***14. श्री धर्मपाल गोंदर:** क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कृपया बताएंगे कि-

(क) क्या यह तथ्य है कि नीलोखेड़ी में स्थित अनाज मंडी को बाहर जी.टी. रोड़ पर स्थानांतरित करने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई थी; तथा

(ख) यदि हां, तो उक्त अनाज मंडी को शहर में लगातार बढ़ते जाम को ध्यान में रखते हुए कब तक स्थानांतरित किए जाने की संभावना है तथा उसका ब्यौरा क्या है?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (**श्री जय प्रकाश दलाल**):

(क) जी हां श्रीमान~;

(ख) विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा नई अनाज मंडी बनाने हेतू पूजम व मनक माजरा गांव की 23.50 एकड़ पंचायती भूमि के स्थानांतरण की स्वीकृति दी गई है। वर्ष 1979 के दौरान "20 सुत्रीय कार्यक्रम" के अन्तर्गत मनक माजरा गांव की प्रस्तावित भूमि पर 100 वर्ग गज के प्लॉट आबंटित किए गए थे तथा इन प्लॉटों के स्थानांतरण की प्रक्रिया जिला प्रशासन के पास विचाराधीन है अतः वर्तमान स्थिति में कोई समय सीमा नही दी जा सकती।

----

izkFkfed LokLF; dsUnz dk iqufuZek.k djuk

***15. Jh tksxh jke flgkx** ;k LokLF; ea=h d`i;k crk,axs fd&

¼d½ D;k cjokyk fo/kkulHkk fuokZpu {ks= ds xkao lkrjksM+ dyka rFkk ykMok esa izkFkfed LokLF; dsUnz dk iqufuZek.k dc rd fd, tkus dh laHkkouk gS(rFkk

¼[k½ ;fn gka] rks buds dc rd iqufuZfeZr fd, tkus dh laHkkouk gS \

LokLF; ea=h ¼Jh vfuy fot½%

¼d½ gka Jheku thA

¼[k½ xzke lkrjksM dyka esa izkFkfed LokLF; dsUnz ds fuekZ.k ds fy, 04 ,dM+ Hkwfe miyC/k gSA izkFkfed LokLF; dsUnz dh vuqeksfnr MªkbZxa yksd fuekZ.k foHkkx ¼Hkou o lM+d “kk[kk½ dks dPpk ykxr vuqeku cukus ds fy, Hksth xbZ gSA

xzke ykMok esa izkFkfed LokLF; dsUnz ds fuekZ.k ds fy, fodkl ,oa iapk;r foHkkx }kjk LokLF; foHkkx dks 12-07-2023 dks Hkwfe iÍs ij ns nh xbZ gS vkSj MªkbZxa rS;kj djus ds fy, yksdfuekZ.k foHkkx ¼Hkou o lM+d “kk[kk½ dks lkbZV Iyku cukus ds fy, vuqjks/k fd;k x;k gSA

nksuksa dk fuekZ.k dk;Z vko”;d Lohd`fr;ka tkjh gksus ds mijkUr vkjEHk fd;k tk,xk vkSj blds yXkHkx 02 o’kZ esa iw.kZ gksus dh lEHkkouk gSA

बाढ़ रोकने के अतिरिक्त उपाय

***16. श्री असीम गोयल नन्योला**:- क्या उपमुख्यमंत्री कृप्या बताएंगे कि अम्बाला शहर विधान सभा क्षेत्र में बाढ़ को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या अतिरिक्त उपाय किए जा रहे हैं तथा उनका ब्यौरा क्या है?

उपमुख्यमंत्री ¼श्री दुष्यंत चौटाला½%महोदय, अम्बाला शहर विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं:-

- अंबाला जिला प्रशासन ने हाल ही में जुलाई 2023 में आई बाढ़ के दौरान सेना की मदद से घग्गर नदी में आई बड़ी दरार को भरने का काम किया है।
- अंबाला नगर निगम ने पानी की निकासी के लिए 19 पंप सेट और 4 मोटरें तैनात कीं और भविष्य में किसी भी बाढ़ की स्थिति में तैनाती के लिए 8 और पंप सेट खरीदे।
- नगर निगम अम्बाला शहर में स्थापित टीपीएस की क्षमता बढ़ाने के लिए 16 नई मोटरें खरीदने की प्रक्रिया में है।

- अंबाला नगर निगम ने बाढ़ को रोकने के लिए नालों की सफाई का काम शुरू कर दिया है।
- सिंचाई और जल संसाधन विभाग ने दरारों को भरने का काम पूरा कर लिया है और सुदृढ़ करने का काम प्रगति पर है और इसके दिनांक 30.08.2023 तक पूरा होने की संभावना है।
- सिंचाई और जल संसाधन विभाग ने बाढ़ के दौरान सुरक्षा बांधों और नालों के किनारों में आई दरारों को भरने जैसे आपातकालीन सुरक्षा उपाय किए। पंपों को तैनात करके विभिन्न क्षेत्रों में जमा बाढ़ के पानी की समय पर निकासी भी सुनिश्चित की गई और मोबाइल पंपों की तैनाती करके जलमग्न क्षेत्रों से पानी निकाला गया।
- जल निकासी कार्यों के लिए अंबाला में सिंचाई और जल संसाधन विभाग के पास 962 क्यूसेक की कुल क्षमता वाले इन्वेंटरी पंप उपलब्ध हैं।
- सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग जहां भी आवश्यकता हो वहां बांधों को ऊंचा करने और मजबूत करने पर विचार कर रहा है। आबादी और कृषि क्षेत्रों / भूमि की सुरक्षा के लिए बाढ़ सुरक्षा उपायों जैसे स्टोन स्टड, स्टोन स्टेनिंग और अंदरूनी तरफ पिचिंग का प्रावधान प्रदान किया जाएगा।
- विभाग का आगे प्रस्ताव है कि अंबाला नाले के गेट को ऊंचा किया जाए और उसे एनएच-152 के पास वाली साइट पर स्थानांतरित किया जाए और मोटर मार्केट क्षेत्र में एक अतिरिक्त गेट प्रदान करने का प्रस्ताव है।
- सिंचाई और जल संसाधन विभाग पंजाब के अधिकारियों के साथ मामला उठाने के बाद नरवाना शाखा के पुनर्वास की परियोजना पर भी विचार कर रहा है क्योंकि आरडी 0-160765 की पहुंच पंजाब राज्य में पड़ती है।
- उपरोक्त के अलावा, विभाग नदियों को जोनों में विभाजित करने का प्रस्ताव कर रहा है और किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए अगले मानसून के मौसम की शुरुआत से पहले संवेदनशील स्थलों की नियमित निगरानी के लिए जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी।
- उपरोक्त कदमों के अलावा, मिट्टी से भरे ईसी बैगों का भंडारण, बल्लियों, एमएस तारों, क्रेटों, मोबाइल पंपों (ईपी, डीपी और वीटी सेट) की व्यवस्था के अलावा मिट्टी के निकटतम स्रोत की पहचान करने जैसे उपयुक्त उपाय भी किए जा रहे हैं। किसी भी दुर्घटना/ दरार की स्थिति में उसे बहाल करने और आस-पास के क्षेत्रों में बाढ़ से बचने के लिए तत्काल उपाय किए जा सकते हैं।

सड़कों की मरम्मत/पुनर्निर्माण

* 17. **श्री बलबीर सिंह**: क्या उप-मुख्यमंत्री कृप्या बताएंगे कि-

(क) क्या यह तथ्य है कि इसराना विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के गांवों की निम्नलिखित सड़कें बुरी अवस्था में हैं-

1. मतलौडा से भण्डारी वाया वैसर;

2) डुमियाना से छिछड़ाना;

3) पाथरी से छिछड़ाना-सींक रोड;

4) भण्डारी से सुताना वाया लोहारी;

5) वजीरपुर टिटाना से मांडी वाली सड़क तक;

6) वजीरपुर टिटाना से इसराना वाया पलड़ी;

7) मतलौडा से शेरा;

8) मतलौडा से बालजट्टा वाया थिराना से खांडरा;

9) रिफाइनरी फाटक से बोहली तक;

10) पुठर से लाखु बुआना तक; उलराना

11) भण्डारी से भाउपुर;

12) भंडारी से नैन तक;

13) परठा.kk से शाहपुर;

14) mjykuk कलां से सफीदों एन.एच तक वाया दरियापुर;

15) कुराना से छतहरा;

16) कुराना से बुसाना;

17) मतलौडा से जोशी; तथा

ख) क्या उपरोक्त सड़कों की मरम्मत/पुनर्निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है; यदि हां, तो उपरोक्त सड़कों की मरम्मत/पुनर्निर्माण कब तक किए जाने की संभावना है?

उपमुख्यमंत्री ¼श्री दुष्यंत चौटाला½% श्रीमान जी,

क) सड़कवार विवरण निम्नानुसार सारणीबद्ध है:-

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	[illegible] ([illegible])	[illegible]	23.08.2017	[illegible] 23.0[illegible]
2	[illegible]	[illegible] ([illegible])	[illegible]	05.04.2017	[illegible] 05.0[illegible]
3	[illegible]- [illegible];	[illegible] ([illegible])	[illegible]	17.09.2017	[illegible] 17.0[illegible]
4	[illegible];	[illegible] ([illegible])	[illegible]/ [illegible]	31.12.2017 /14.06.2019	"[illegible] 31.1[illegible]

					[illegible] 14.0 [illegible]
5	[illegible];	[illegible]	[illegible]	10.03.2019	[illegible] 10.0 [illegible]
6	[illegible];	[illegible]	[illegible]	14.05.2018	13.1 [illegible]
7	[illegible]	[illegible] ([illegible])	[illegible]	31.03.2022	[illegible] 03.2 [illegible] III [illegible]
8	[illegible];	[illegible] ([illegible])	[illegible]	29.08.2018 /23.08.2019 /18.05.2019	[illegible] 29.0 [illegible]

					□□□ 23.0 □□□ □□□ □□ □□ □□□ 18.0 □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□
9	□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□;	□□□□□□□□□□□□□ (□□ □□□ □□)	□□□ □□□□□ □□□□	15/03/2016	□□ □□□ □□□ 23.0 □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□
10	□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□;	□□□□□□□□□□□□□ (□□ □□□ □□)	□□□□□□□□□□	15.06.2021	□□ □□□ □□□ 15.0 □□□ □□□ □□□ □□□ 1515 □□ □□□ □□□ □□□ □□□
11	□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□;	□□□□□□□□□□□□□ (□□ □□□ □□)	□□□ □□□□□ □□□□	15.04.2017	□□ □□□ □□□ 15.0 □□□

					[illegible]
12	[illegible];	[illegible]	[illegible]	17.12.2018	[illegible] 15.0[illegible] [illegible]
13	[illegible]	[illegible] ([illegible])	[illegible]	05.06.2015	[illegible] XXVI[illegible] [illegible]
14	[illegible]	[illegible] ([illegible])	[illegible]	10.07.2019	[illegible] 10.0[illegible] [illegible] 3875[illegible] [illegible]
15	[illegible];	[illegible]	[illegible]	30.06.2015	179.[illegible] [illegible]

					[illegible]
16	[illegible];	[illegible] ([illegible])/ [illegible]	[illegible]	21.12.2024 /31.07.2013	[illegible] 1.8[illegible] [illegible] 21.1[illegible] 30 [illegible] 1.55[illegible] [illegible] 30.0[illegible] [illegible]
17	[illegible];	[illegible] ([illegible])	[illegible]	10.07.2016	[illegible] 29.0[illegible] [illegible]

					□□□ □□

ख) इस स्तर पर कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती।

“ke”kku ?kkV dk mi;qDr j[k j[kko

***18. Jh jktsUnz flag twu %** D;k fodkl ,oa iapk;r ea=h d`i;k crk,axs fd%&

¼d½ D;k ;g rF; gS fd cgknqjx<+ fo/kkulHkk fuokZpu {ks= ds xkao ijukyk dk “ke”kku ?kkV cgqr cqjh voLFkk esa gS; rFkk

¼[k½ ;fn gka] rks D;k mijksDr “ke”kku ?kkV ds “kSM dk fuekZ.k] mi;qDr j[k j[kko] lQkbZ rFkk lQsnh djus dk dksbZ izLrko ljdkj ds fopkjk/khu gS rFkk blds C;kSjk D;k gS rFkk mijksDr izLrko ds dc rd fØ;kfUor fd, tkus dh laHkkouk gS

fodkl ,oa iapk;r ea=h ¼Jh nsosUnz flag ccyh½%

¼d½ ugha Jheku~ thA

¼[k½ vfrfjä 'ksM ds fuekZ.k vkSj ekStwnk pkjnhokjh dh lykLVfjax vkSj lQsnh gsrq eq0 4-11 yk[k :i;s dh ç'kkldh; Lohd`fr fnukad 22-08-2023 dks tkjh dh tk pqdh gSA bl foRr o’kZ ds vUr rd dk;Z iw.kZ gksus dh laHkkouk gSA “ke”kku ?kkV dh lkQ&lQkbZ o j[kj[kko dk dk;Z xzke iapk;r }kjk xzke iapk;r fuf/k ls djok;k tk jgk gSA

लाल डोरा मुक्त गांवों की संख्या

***19. श्री राम कुमार**: क्या उप मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि राज्य में ऐसे गांवों की संख्या कितनी है जहां गांव को लाल डोरा मुक्त बनाने के पश्चात् लाभार्थियों को रजिस्ट्रियां उपलब्ध कराई गई हैं तथा उनका ब्यौरा क्या है?

Deputy Chief Minister (Shri Dushyant Chautala): Sir, Till 21st August, 2023, 4,61,930 Lal Dora property deeds have been registered in 3613 villages under the SVAMTIVA Scheme. Further, 25,17,266 property cards covering 6260 number of Lal Dora villages have been conclusively finalised. Out of these 24,51,613 property cards have been distributed and linked with Parivar Pehchan Patra of the owners.

टाउन पार्क विकसित करना

***20. श्री राजेश नागर**: क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि नए विकसित ग्रेटर फरीदाबाद में एक टाउन पार्क विकसित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है यदि हां तो इसके कब तक विकसित किए जाने की संभावना है?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : नहीं ,श्रीमान जी।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

;equk unh esa Bksdjsa ¼LVM~l½ yxkuk

1. Jh nhid eaxyk% D;k eq[;ea=h d`i;k crk,axs fd D;k xkao pkangV esa NRrk eafnj rFkk fdlkuksa ds vkl&ikl ds [ksrksa dh Hkwfe&dVko dks jksdus ds fy, ;equk unh ds nwljh rjQ dqVh ds lkeus rFkk pkaV ds taxy ij Bksdjsa yxkus dk dksbZ izLrko ljdkj ds fopkjk/khu gS rFkk mldk C;kSjk D;k gS\

eq[;ea=h ¼Jh euksgj yky½% ugha] Jheku thA gkykafd] orZeku ck<+ dk ekSle lekIr gksus ds ckn lkbV dh tkap dh tk,xh vkSj ;fn vko';d gqvk rks xkao pkangV esa LVM ds fuekZ.k ds fy, ck<+ ,tsaMk rS;kj fd;k tk,xk vkSj gfj;k.kk jkT; lw[kk jkgr vkSj ck<+ fu;a=.k cksMZ dh vkxkeh 55oha cSBd esa fy;k tk,xkA

सीढ़ियों का निर्माण करना

2. श्री दीपक मंगला : क्या उप-मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि:-

(क) क्या पलवल में अलावलपुर सड़क पर निर्मित उपरि पुल पर सीढ़ियों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; तथा

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त उपरि पुल पर सीढ़ियों का निर्माण कब तक किए जाने की संभावना है तथा उसका ब्यौरा क्या है ?

उप-मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला):

(क) हाँ, श्रीमान् जी।

(ख) सीढ़ियों के डिजाइन में बदलाव के कारण, विभाग द्वारा संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति मांगी गई है। इस स्तर पर कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती है।

संपत्ति पहचान पत्रों का ब्यौरा

3. श्री भारत भूषण बतरा : क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृपया बताएंगे कि:-

(क) राज्य के नगरपालिका क्षेत्रों में वाणिज्यिक तथा आवासीय संपत्तियों के लिए संपत्ति पहचान पत्रों के पंजीकरण के लिए सरकार की नीति क्या है; तथा

(ख) यदि संपत्ति पारिवारिक निपटान में सह-हिस्सेदार/विरासत के रूप में दी गई है और वे संपत्ति का भाग या हिस्सा संयुक्त रूप से या अलग से बेचना चाहते हैं तो उन्हें अलग पहचान पत्र लिए बिना बेचने की अनुमति न होने के कारण क्या हैं तथा वह कानून क्या हैं जिसके तहत सरकार/उप-रजिस्ट्रार दस्तावेजों के पंजीकरण से इंकार कर सकते हैं?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (डॉ. कमल गुप्ता):

(क) संपत्ति आईडी के पंजीकरण का कोई प्रावधान नहीं है। हालाँकि, संपत्ति आईडी बनाने का प्रावधान है। हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 76 और हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 97 पालिकाओं को पालिका क्षेत्र में आने वाली सभी भूमि और भवनों की संपत्ति सूची तैयार करने का अधिकार देती है। उपर्युक्त दोनों प्रावधानों को निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है:

हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973, धारा 76:-

[76. संपत्ति सूची.- इस अधिनियम में अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर, प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र में सभी भूमि और भवनों की एक संपत्ति सूची ऐसे रूप

और तरीके से तैयार कराएगी कि इसमें प्रत्येक भूमि और भवन के संबंध में विवरण शामिल होंगे, जैसे निर्धारित किया जाए,

हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994, धारा 97:– [97. संपत्ति सूची.– इस अधिनियम में अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर, प्रत्येक नगर निगम क्षेत्र में सभी भूमि और भवनों की एक संपत्ति सूची ऐसे रूप और तरीके से तैयार कराएगा कि इसमें प्रत्येक भूमि और भवन के संबंध में विवरण शामिल होंगे, जैसे निर्धारित किया जाए,

(ख) हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 99क और हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 96क में प्रावधान है कि प्रत्येक संपत्ति मालिक को नगर पालिका क्षेत्र में होने की स्थिति में संपत्ति पंजीकृत कराने के लिए 'नो ड्यूज सर्टिफिकेट' (एनडीसी) प्राप्त करना होगा। प्रावधानों को निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया हैः

हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973, धारा 99कः–

["99क. कतिपय दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए बेबाकी प्रमाण-पत्र जारी करनाः– नगरपालिका क्षेत्र, में स्थित किन्हीं भूमियों या भवनों का किसी रीति में विक्रय, अन्तरण, पट्टा, उपहार या हस्तांतरण के संबंध में कोई दस्तावेज जो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 16) की धारा 17 के अधीन पंजीकृत किया जाना अपेक्षित है, तब तक पंजीकृत नहीं किया जाएगा जब तक उक्त दस्तावेज राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए बेबाकी प्रमाण-पत्र के साथ न हो, जो तीन मास की अवधि के लिए या ऐसी अन्य समयावधि, जो राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर यह प्रमाणित करते हुए कि इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों, उप विधियों या विनियमों के अधीन भुगतानयोग्य या वसूलीयोग्य, दस्तावेज में यथा वर्णित ऐसी भूमियों तथा/या भवनों के सम्बंध में किरायों, करों, उपकरों प्रभारों, फीसों, जुर्मानों तथा शास्तियों सहित सभी नगरपालिका देयों का पूर्ण रूप से भुगतान कर दिया गया है, विनिर्दिष्ट की जाए, के लिए वैध रहेगाः

परन्तु राज्य सरकार आदेश द्वारा, ऐसी भूमियों, या भवनों जो अधिनियम की धारा 3 तथा 4 के अधीन जारी की गई अधिसूचना के परिणामस्वरूप नगरपालिका क्षेत्र में प्रथम बार या नए सिरे से आए हैं, को, ऐसी अवधि, जो राज्य सरकार उचित समझे, के लिए इस धारा की अपेक्षाओं से पूर्णतः या भागतः छूट दे सकती है।"।

हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994, धारा 96कः–

[''96क कतिपय दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए बेबाकी प्रमाणपत्र जारी करनाः-
नगरपालिका क्षेत्र में स्थित किन्हीं भूमियों या भवनों का किसी रीति में विक्रय, अन्तरण, पट्टा, उपहार या अन्य संक्रामण के संबंध में कोई दस्तावेज जो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 16) की धारा 17 के अधीन पंजीकृत किया जाना अपेक्षित है, तब तक पंजीकृत नहीं किया जाएगा जब तक उक्त दस्तावेज आयुक्त द्वारा जारी किए गए बेबाकी प्रमाणपत्र के साथ न हो, जो तीन मास की अवधि के लिए या ऐसी अन्य समयावधि, जो सरकार द्वारा, समय-समय पर, यह प्रमाणित करते हुए कि इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों, उप-विधियों या विनियमों के अधीन भुगतानयोग्य या वसूलीयोग्य, दस्तावेज में यथा वर्णित ऐसी भूमियों तथा/या भवनों के सम्बंध में किरायों, करों, उपकरों, प्रभारों, फीसों, जुर्मानों तथा शास्तियों सहित सभी नगरपालिका देयों का पूर्ण रूप से भुगतान कर दिया गया है, विनिर्दिष्ट की जाए, के लिए वैध रहेगाः
परन्तु सरकार आदेश द्वारा, ऐसी भूमियों तथा भवनों जो अधिनियम की धारा 3 के अधीन जारी की गई अधिसूचना के परिणामस्वरूप नगरपालिका क्षेत्र में प्रथम बार या नए सिरे से आए हैं, को, ऐसी अवधि, जो सरकार उचित समझे, के लिए इस धारा की अपेक्षाओं से पूर्णतः या भागतः छूट दे सकती है।
इसके अलावा, दस्तावेज़ के पंजीकरण के समय, पंजीकरण प्राधिकारी के लिए पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 21, 22 और 28 के अनुसार दस्तावेज़ को सत्यापित करना अनिवार्य है। जांच के बाद, यदि दस्तावेज़ उचित साक्ष्य के साथ पंजीकरण के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो पंजीकरण प्राधिकारी पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 71 में प्रदान की गई शक्तियों के अनुसार दस्तावेज़ के पंजीकरण से इन्कार कर सकता है।

----

ve#r fufonkvksa dk C;kSjk

4. Jh Hkkjr Hkw'k.k crjk: D;k 'kgjh LFkkuh; fudk; ea=h —i;k crk,axs fd ve#r ;kstuk ds rgr jksgrd esa ljdkj }kjk tkjh 51 fufonkvksa dh fuEu tkudkjh(

¼d½ lHkh dk;ksaZ dk uke D;k gS(

¼[k½ çR;sd fufonk dh Mh-,u-vkbZ-Vh- ykxr@fufonk vkeaf=r ykxr D;k gSS(

¼x½ çR;sd fufonk dh vkoaVu jkf'k fdruh gS(

¼?k½ ml QeZ@daiuh dk uke ds lkFk muds iath—r dk;kZy; dk iwjk irk D;k gS ftls vuqca/k vkoafVr fd;k x;k gS(

¼M½ 'kgjh LFkkuh; fudk; foHkkx }kjk lacaf/kr foHkkxksa dks iwjh dh xbZ@lkSaih xbZ ifj;kstuk dh la[;k fdruh gSS(rFkk

¼p½ ewy vkoafVr dk;Z ds iwjk gksus dh frfFk rFkk c<+kus dh frfFk D;k gSS(;fn

gk¡] rks fVIi.kh lfgr crk,a\

“kgjh LFkkuh; fudk; ea=h ¼Mk0 dey xqIrk½ %

¼d½ ve`r&I ;kstuk ds rgr jksgrd “kgj esa dsoy nks dk;Z uker% ‘Providing Water Supply System for Civic Amenities and Infrastructure Deficient area and other Approved Area including Villages along with Augmentation of Existing System at Rohtak Town along with O&M under AMRUT Program’ rFkk ‘Providing Sewerage System in Civic Amenities & Infrastructure Deficient Area and other Approved Area including Construction of STP, MPS & IPS at Rohtak Town under AMRUT’ vkcafVr fd, x, gSaA

blds vfrfjDr] 10 LFkkuh; fudk;ksa uker% Qjhnkckn] xq:xzke] djuky] ikuhir] lksuhir] jksgrd] cgknqjx<+] fHkokuh] than o fljlk ds ikdksZa esa eksM~;wyj fpYMªu lys dkWuZj LFkkfir djus dk ,d dk;Z uker% 'Setting up of Modular Children Play Corner in parks of 10 ULBs covered 10 towns of Haryana under AMRUT (Package-II)' vkcafVr fd;k x;k gSA jksgrd iSdst&II esa "kkfey gSA

¼[k½ ty vkiwfrZ iz.kkyh ls lacaf/kr dk;Z dh Mh-,u-vkbZ-Vh- ykxr@fufonk vkeaf=r ykxr 88-87 djksM+ : rFkk ey fudklh iz.kkyh ls lacaf/kr dk;Z dh Mh-,u-vkbZ- Vh- ykxr@fufonk vkeaf=r ykxr 155-21 djksM+ : gS A

10 LFkkuh; fudk;ksa ds ikdksaZ esa eksM~;wyj fpYMªu lys dkWuZj dh LFkkiuk ls lacaf/kr dk;Z dh Mh-,u-vkbZ-Vh-ykxr@ fufonk vkeaf=r ykxr 7-50 djksM+ : gSA

¼x½ ty vkiwfrZ iz.kkyh ls lacaf/kr dk;Z dh vkcaVu jkf"k 105-75 djksM+ : rFkk ey fudklh iz.kkyh ls lacaf/kr dk;Z dh vkcaVu jkf"k 193-23 djksM+ : gS A

10 LFkkuh; fudk;ksa ds ikdksaZ esa eksM~;wyj fpYMªu lys dkWuZj dh LFkkiuk ls lacaf/kr dk;Z dh vkcaVu jkf"k 8-24 djksM+ : gSA

¼?k½ ty vkiwfrZ iz.kkyh ls lacaf/kr dk;Z M/s Phoenix Projects Pvt. Limited, Phoenix House, NR Kohinoor Tower,

Jalaram-3, Indra Circle, Rajkot, Gujrat dks rFkk ey fudklh iz.kkyh ls lacaf/kr dk;Z Joint Venture of M/s KR Anand and M/s Khiladi Infrastructure Pvt. Ltd., C-57 & 59, Ground Floor, Ramesh Nagar, New Delhi dks vkcafVr fd;k x;k gSA 10 LFkkuh; fudk;ksa ds ikdksaZ esa eksM~;wyj fpYMªu Iys dkWuZj dh LFkkiuk

ls lacaf/kr dk;Z M/s Kuldeep Kumar Contractor, # 452, New Grain Market, Karnal, Haryana dks vkcafVr fd;k x;k gSA

¼M+½ ty vkiwfrZ iz.kkyh rFkk ey fudklh iz.kkyh ls lacaf/kr dk;Z iw.kZ ugha gq, gSa rFkk izxfr ij gSaA vfirq uxj fuxe] jksgrd ds ikdksaZ esa eksM~;wyj fpYMªu Iys dkWuZj dh LFkkiuk ls lacaf/kr dk;Z iw.kZ gks pqdk gSA

¼p½ ty vkiwfrZ iz.kkyh ls lacaf/kr dk;Z ds iw.kZ gksus dh ewy frfFk 25-05-2020 Fkh ftls 31-12-2021 rd c<+k fn;k x;k FkkA dk;Z ds fu'iknu ds nkSjku dqN lajpukvksa ds LFkku esa cnyko djus ls rFkk vU; foHkkxksa ls vukifŸk izek.k i= nsjh ls izkIr gksus ds dkj.k bl dk;Z dks iw.kZ djus esa foyac gqvkA ,tsalh }kjk dk;Z djus esa nsjh dh xbZ blfy, ,tsalh ds fo:) vuqca/k ds DykWt&2 ds rgr dk;Zokgh dh xbZA dk;Z 31-12-2023 rd iw.kZ gksus dh laHkkouk gSA

ey fudklh iz.kkyh ls lacaf/kr dk;Z ds iw.kZ gksus dh ewy frfFk 15-03-2020 Fkh ftls 31-10-2023 rd c<+k fn;k x;k gSA dk;Z ds fu'iknu ds nkSjku dqN lajpukvksa ds LFkku esa cnyko djus ls rFkk vU; foHkkxksa ls vukifŸk izek.k i= nsjh ls izkIr gksus ds dkj.k bl dk;Z dks iw.kZ djus esa foyac gqvkA

10 LFkkuh; fudk;ksa ds ikdksaZ esa eksM~;wyj fpYMªu Iys dkWuZj dh LFkkiuk ls lacaf/kr dk;Z ds iw.kZ gksus dh ewy frfFk 17-12-2019 Fkh ftls 15-03-2021 rd c<+k fn;k x;k FkkA uxj fuxe] jksgrd ds ikdksaZ esa eksM~;wyj fpYMªu Iys dkWuZj dh LFkkiuk dk dk;Z iw.kZ gks pqdk gSA

----

ty mipkj la;a= dk lapkyu

5. Jh iznhi pkS/kjh% D;k tuLokLF; vfHk;kaf=dh ea=h d`i;k crk,axs fd%&

¼d½ D;k ;g rF; gS fd cjokyk [kaM ds xkao HkjkSyh esa unh esa xans ikuh ds izokg dks jksdus ds fy, ty mipkj la;a= dk fuekZ.k fd;k x;k Fkk; ;fn gka] rks mDr ifj;kstuk ij dqy fdruk O;; fd;k x;k; rFkk

¼[k½ D;k mDr ty mipkj la;a= lapkfyr gS ;k ugha\

fodkl ,oa iapk;r ea=h ¼Jh nsosUnz flag ccyh½ %

¼d½ gk¡ Jheku~ thA izkjaHk es ,u-th-Vh- ds fn"kk funsZ"kksa ds vuqlkj ?kXxj unh esa xans ikuh ds izokg

dks jksdus ds fy, ftyk iapdwyk ds cjokyk [kaM xkao HkjkSyh eas daLVªDVsM oSVySaM VSDukWysth vuqlkj ,d ty mipkj la;a= dk fuekZ.k fd, tkus dk izLrko FkkA vc ;g dk;Z ç'kklfud Loh—fr mijkUr tYnh gh iw.kZ djok fn;k tk,xkA bl dk;Z ij vkt rd dksbZ O;; ugha fd;k x;k gSA

¼[k½ ugha Jheku~ thA

अमले की कमी पूरा करना

6. श्री प्रदीप चौधरी : क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बताएंगे किः-

(क) क्या खराब मौसम के दौरान कालका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा समय पर इलेक्ट्रिसिटी फॉल्ट को दूर करने की व्यवस्था बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त क्षेत्र में इलेक्ट्रिसिटी फॉल्ट को दूर करने में लगभग 8 से 10 घंटे की देरी होने के कारण क्या हैं; तथा

(ग) क्या बिजली विभाग में अमले की कमी है; यदि हां, तो अमले की कमी को कब तक दूर किए जाने की संभावना है?

ऊर्जा मंत्री: ¼श्री रणजीत सिंह½:

¼क) हाँ श्रीमान। जुलाई-2023 में खराब मौसम और भारी बाढ़ के दौरान बिजली की खराबी को समय पर ठीक करने के लिए आवश्यक सामग्री, मानव शक्ति और अन्य लॉजिस्टिक प्रबन्ध उपलब्ध कराए गए थे। इस अवधि के दौरान, 531 खम्भे और 72 ट्रांसफार्मर खराब हुए और बदले गए थे।

¼ख) भारी बारिश के कारण, कई 11 केवी फीडर भारी बाढ़ में बह गए थे, जिसके कारण प्रभावित क्षेत्रों में 8 से 10 घंटे तक सप्लाई बाधित रही क्योंकि सप्लाई बहाल करने के लिए लाइन और ट्रांसफार्मर को ठीक करने की आवश्यकता होती है।

¼ग)   नहीं श्रीमान। 117 तकनीकी कर्मचारी पहले से ही तैनात थे। अक्टूबर–2022 के दौरान, कालका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 37 अतिरिक्त एएलएम ने ज्वाईन किया और इस समय इनकी संख्या 154 हैं।

140

ठेकेदार को किए गए भुगतान की सीमा

7. श्री नीरज शर्मा (फरीदाबाद एनआईटी): क्या शहरी स्थानीय मंत्री बताएंगे कि:-

(क) क्या यह तथ्य है कि सतवीर सिंह ठेकेदार तथा उसकी विभिन्न फर्मों को नगर निगम फरीदाबाद द्वारा लगभग 1,83,83,34,657/- रूपये का भुगतान किया गया है;

(ख) सतवीर सिंह ठेकेदार तथा उसकी विभिन्न फर्मों को कितना भुगतान किया गया है तथा यह भुगतान किस दिनांक को किया गया है तथा उस अधिकारी का नाम क्या है जिसने उक्त भुगतान किया है तथा उनका ब्यौरा क्या है; तथा

(ग) वह खाता किसके नाम है जिसमें सतवीर सिंह ठेकेदार तथा उसकी विभिन्न फर्मों को भुगतान किया गया है तथा उसाक संपूर्ण विवरण क्या है?

Dr. Kamal Gupta
डॉ० कमल गुप्ता

आज़ादी का अमृत महोत्सव

141

D.O. No. 675

Urban Local Bodies and
Housing for all Minister,
Haryana, Chandigarh.

शहरी स्थानीय निकाय और
सभी के लिए आवास मंत्री,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

Dated 24-08-2023

Subject:- **Un-starred Assembly Question No. 7 asked Sh. Neeraj Sharma (Faridabad NIT), MLA regarding "Extent of payment made to contractor".**

......

Respected Speaker,

I would like to draw your kind attention towards Un-starred Assembly Question No. 7 asked by Sh. Neeraj Sharma (Faridabad NIT), MLA regarding "Extent of payment made to contractor". In this regard, it is apprised that the information regarding above said question is voluminous in nature. The relevant information is being collected and collated which will take some time.

Therefore, I would request you to grant two months time in this regard so that proper reply can be sent.

Yours sincerely,

(Dr. Kamal Gupta)

Shri Gian Chand Gupta,
Hon'ble Speaker,
Haryana Vidhan Sabha,
Chandigarh.

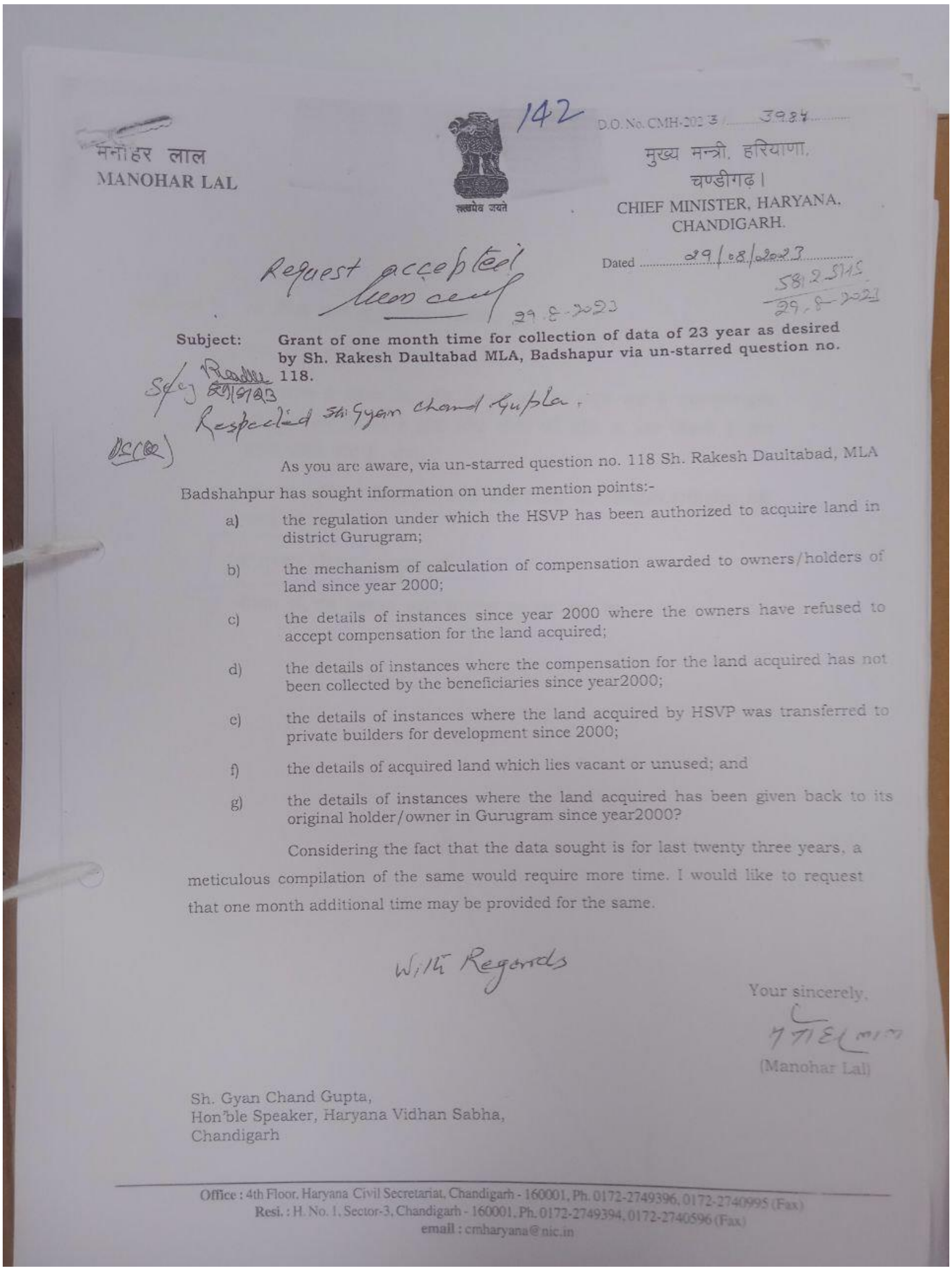

142

मनोहर लाल
MANOHAR LAL

सत्यमेव जयते

D.O. No. CMH-2023/ 3984

मुख्य मन्त्री, हरियाणा,
चण्डीगढ़।
CHIEF MINISTER, HARYANA,
CHANDIGARH.

Dated 29/08/2023

Request accepted

Subject: **Grant of one month time for collection of data of 23 year as desired by Sh. Rakesh Daultabad MLA, Badshapur via un-starred question no. 118.**

Respected Sh. Gyan Chand Gupta,

As you are aware, via un-starred question no. 118 Sh. Rakesh Daultabad, MLA Badshahpur has sought information on under mention points:-

a) the regulation under which the HSVP has been authorized to acquire land in district Gurugram;

b) the mechanism of calculation of compensation awarded to owners/holders of land since year 2000;

c) the details of instances since year 2000 where the owners have refused to accept compensation for the land acquired;

d) the details of instances where the compensation for the land acquired has not been collected by the beneficiaries since year2000;

e) the details of instances where the land acquired by HSVP was transferred to private builders for development since 2000;

f) the details of acquired land which lies vacant or unused; and

g) the details of instances where the land acquired has been given back to its original holder/owner in Gurugram since year2000?

Considering the fact that the data sought is for last twenty three years, a meticulous compilation of the same would require more time. I would like to request that one month additional time may be provided for the same.

With Regards

Your sincerely,

(Manohar Lal)

Sh. Gyan Chand Gupta,
Hon'ble Speaker, Haryana Vidhan Sabha,
Chandigarh

Office : 4th Floor, Haryana Civil Secretariat, Chandigarh - 160001, Ph. 0172-2749396, 0172-2740995 (Fax)
Resi. : H. No. 1, Sector-3, Chandigarh - 160001, Ph. 0172-2749394, 0172-2740596 (Fax)
email : cmharyana@nic.in

भूमि का ब्यौरा

8. श्री नीरज शर्मा: क्या उप-मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे किः-

(क) राज्य में जिला वार भूमि के कुल क्षेत्र का ब्यौरा क्या है तथा कृषि भूमि का कुल क्षेत्र कितना है तथा अन्य प्रकार की भूमि का क्षेत्र कितना है तथा इसके प्रकार क्या हैं ; तथा

(ख) उस भूमि का जिला वार ब्यौरा क्या है जहां पर चकबंदी/कसोंलिडेशन नहीं कराई गई है?

उप-मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): श्रीमान जी, एक वक्तव्य सदन के पटल पर रखा गया है।

वक्तव्य

अनुलंग्रक ’क’

हरियाणा राज्य में भूमि के कुल क्षेत्रफल का जिला वार विवरण, कृषि भूमि का कुल क्षेत्रफल और अन्य प्रकार की भूमि का क्षेत्रफल उसके प्रकार सहित ।

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	1574	1,589	72	1,48,619	1,50,28
[illegible]	3363	21,270	0	2,94,253	3,15,52
[illegible]	1415	3,377	13,341	1,11,904	1,28,62
[illegible]	743	377	572	31,104	32,053
[illegible]	2538	0	1,704	2,18,242	2,19,94
[illegible]	1253	1,017	0	1,17,469	1,18,48
[illegible]	3983	40,679	21,449	3,35,146	3,97,27
[illegible]	1834	0	49,006	1,33,535	1,82,54
[illegible]	2660	646	1,661	2,53,791	2,56,09
[illegible]	2359	30,660	0	1,96,924	2,27,58
[illegible]	2520	14,676	0	2,00,442	2,15,11
[illegible]	1530	24,293	54	1,42,756	1,67,10
[illegible]	1899	30,499	1,801	1,52,367	1,84,66
[illegible] ([illegible])	1501	508	2,146	1,10,279	1,12,93
[illegible]	1368	1,415	13,125	1,04,405	1,18,94
[illegible]	898	6,940	14,241	23,031	44,212
[illegible]	1268	24,834	4,289	97,940	1,27,06
[illegible]	1594	4,292	657	1,25,627	1,30,57
[illegible]	1745	255	4,250	1,53,094	1,57,59
[illegible]	4277	26,403	6,012	3,93,998	4,26,41
[illegible]	2122	5,242	0	1,52,578	1,57,82
[illegible]	1768	15,735	31	1,13,228	1,28,99
[illegible]	**44,212**	**2,54,707**	**1,34,411**	**36,10,732**	**39,99,8**

अनुलंग्रक ’ख’

जिला वार भूमि का विवरण, जहां पर हरियाणा राज्य में चकबन्दी/कंसोलिडेशन नहीं कराई गई है, जो अनुलंग्नक 'ख' पर संलग्न है ।

□□□0 □□0	□□□□	□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□ □□		
		□□□□	□□□□□□□	□□□□□□□□□□□
1-	□□□□□□□□□	7,375	18	17
2.	□□□□□□□□□□□□	13,785	4	0
3.	□□□□□□□	6,551	17	0
4.	□□□□□□□□□□□	34,816	10	16
5.	□□□□□□	6,544	06	0
6.	□□□□□□	12,443	03	0
7.	□□□□□□	13,082	08	0
□□□ □□□□		93,925	14	0

,Dl&js rFkk vYVªklkmaM lqfo/kkvksa dks iqu%

'kq: djuk

9. Jherh uSuk flag pkSVkyk % D;k LokLF; ea=h —i;k crk,axss fd nknjh ds ukxfjd vLirky esa ,Dl&js rFkk vYVªklkmaM dh lqfo/kk,a miyC/k u djkus ds dkj.k D;k gSa] rFkk mDr vLirky esa mä lqfo/kk,a dc rd vkajHk fd, tkus dh laHkkouk gS RkFkk bldk C;kSjk D;k gS\

LokLF; ea=h ¼Jh vfuy fot½% egksn;] pj[kh nknjh ds ukxfjd vLirky esa ,Dl&js dh lqfo/kk miyC/k gSA pj[kh nknjh esa xHkZorh efgykvksa dks futh lwphc) vYVªklkmaM dsaæksa

ds ek/;e ls tuuhf'k'kq lqj{kk dk;ZØe ¼ts0,l0,l0ds0½ ds rgr eq¶r vYVªklkmaM lsok,a çnku dh tkrh gSaA

Ldwy Hkou dk iqu% fuekZ.k djuk

10. Jherh uSuk flag pkSVkyk % D;k Ldwy f'k{kk ea=h — i;k crk,axs fd

¼d½ nknjh 'kgj esa fLFkr jktdh; e,My laL—fr fo|ky; esa gj o"kZ ,df=r gksus okys ikuh dh leL;k ls futkr ikus ds fy, ljdkj }kjk D;k ix mBk, tk jgs gSa (

¼[k½ D;k nknjh esa fLFkr jktdh; e,My laL—fr fo|ky; ds Hkou dk iqufuZekZ.k djus dk dksbZ çLrko ljdkj ds fopkjk/khu gS(rFkk

¼x½ ;fn gk¡] rks mijksDr fo|ky; ds Hkou dk fuekZ.k dk;Z dc rd 'kq: fd;s tkus dh laHkkouk gS \

f"k{kk ea=h ¼Jh daoj iky½ % gk¡] Jheku~ thA

¼d½ jktdh; e,My laL—fr ofj'B ek/;fed fo|ky; nknjh 'kgj] "kgj ds fupys bykds esa fLFkr gSA vklikl ds bykds ls ckfj'k dk ikuh Hkh fo|ky; ds eSnku esa tek gks tkrk gSA o"kZ 2022 esa 31-00 yk[k dh ykxr ls eSnku o jkLrs esa feêh HkjkbZ dk dk;Z 'kq: fd;k x;k Fkk] tksfd eSnku esa vf/kd ikuh tek gksus ds dkj.k iw.kZ ugha gks ldkA d{kkvksa esa Hkh ikuh ?kql x;k FkkA bl leL;k ls futkr ikus ds fy, feêh HkjkbZ

ds tfj, eSnku dk Lrj mapk dj ubZ fcfYMax cukus dk çLrko gSA

¼[k½ gk¡] Jheku~ thA

¼x½ fo|ky; ds u;s Hkou ds fuekZ.k gsrq 12-08 djksM+ #i;s dk vuqeku rS;kj fd;k x;k gS rFkk ;g ekeyk çfØ;k/khu gSA bl Lrj ij fuekZ.k 'kq: gksus dk lgh le; fuf'pr ugha fd;k tk ldrk gSA tSls gh dk;Z 'kq: gksrk gS] rnkuqlkj ekuuh; lnL; dks lwfpr dj fn;k tk,xkA

----

fo|ky; dk fuekZ.k dk;Z iwjk djuk

11- Jh ujsUnz xqIrk % D;k “kgjh LFkkuh; fudk; ea=h d`i;k crk,axs fd%&

¼d½ D;k ;g rF; gS fd Qjhnkckn&89 fo/kkulHkk fuokZpu {ks= esa okMZ uacj&33 ds lsDVj 9 ds dU;k izkFkfed fo|ky; esa o’kZ 2018 esa 6 dejksa ds fuekZ.k dk dk;Z “kq: gqvk Fkk ijarq vc rd dejksa dk dk;Z iwjk ugha gqvk gS(

¼[k½ ;fn gka] rks ml Bsdsnkj dk uke D;k gS ftlus mDr dk;Z “kq: fd;k Fkk rFkk fuekZ.k dk;Z ds fy, odZ vkMZj dh dqy fdruh jkf”k tkjh dh xbZ rFkk fufonk vkeaf=r djus dh lwpuk ¼Mh-,u-vkbZ-Vh-½ dk C;kSjk D;k gSS(rFkk

¼x½ ml vf/kdkjh dk uke D;k gS ftlus mijksDr dk;Z ds fcyksa dks ikfjr fd;k rFkk fuekZ.k dk;Z ds iwjk gksus

ds i”pkr dc rd fo|ky; dks mDr dejs lkSias tkus dh laHkkouk gS\

'kgjh LFkkuh; fudk; ea=h ¼Mk0 dey xqIrk½ %

¼d½ gka Jheku thA

¼[k½ uxj fuxe] Qjhnkckn }kjk lh,e ?kks"k.kk dksM Øekad 12535] tks fd f'k{kk foHkkx ls lEacf/kr gS] ds rgr eSllZ çkbe daLVªD'ku daiuh dks Ldwy Hkou dh ejEer vkSj j[kj[kko dk dk;Z vkns'k la[;k 305 fnukad 16-10-2017 ds rgr :- 27]46]298/& dh jkf”k ls vkoafVr fd;k x;kA blds mijakr Ldwy esa vfrfjä 6 d{kksa ds fuekZ.k gsrq bl vuqeku dks #- 96]83]440/& rd la'kksf/kr fd;k x;kA dk;Z dh Mh0,u0vkb0ZVh vuqyXud&d ij lyaXu gSA

¼x½ dk;Z dk izFke jfuax fcy Jh fot; <kdk] rRdkyhu dk;Zdkjh vfHk;ark] uxj fuxe] Qjhnkckn ¼vc v/kh{k.k vfHk;ark] uxj fuxe] ekuslj½ }kjk ikfjr fd;k x;k FkkA dk;Z dk f}rh; jfuax fcy Jh vksechj flag] rRdkyhu dk;Zdkjh vfHk;ark] uxj fuxe] Qjhnkckn ¼vc v/kh{k.k vfHk;ark½ }kjk ikfjr fd;k x;k FkkA orZeku esa ekSds ij 90% dk;Z iw.kZ gks pqdk gS vkSj 'ks"k dk;Z l{ke çkf/kdkjh }kjk dk;Z ds c<+s gq, nk;js dh eatwjh mijkar vxys ikap eghuksa ds Hkhrj iw.kZ gksus dh laHkkouk gSA

150

DNIT

Subject: Estimate for Mtc./ Repairing of Govt primary school sector 9 Faridabad Ward No 33

Annexure [illegible]

DNIT Amount: 33.03 lacs
EMD Amount: 44100/-

Schedule of Rate

HSR Item

HSR No.	Description of Item	Qty.	Unit	Rate	Premium	Amount
[illegible]	Scraping of cement plaster	3971.58	sqm	1.90/-	550%	[illegible]
[illegible]	12 mm thick cement plaster 1:4	3971.58	sqm	12.70/-	500%	302654.99
[illegible]	Preparation of plastered or concrete surfaces for painting, including sand-papering the surface, applying one coat of linseed oil and filling with approved quality filler, consisting of white lead, linseed oil, varnish and chalk mitti including finishing surface to the required finish, complete.	3971.58	sqm	17.45/-	230%	228703.37
[illegible]	Dismantling cement conglomerate / terrazzo floors 25 mm to 50 mm thick including concrete base	552.86	sqm	5.75/-	550%	20661.51
[illegible]	cement concrete of 1:6:12 or leaner mix qty same as in item no 4 = 552.86sqmtr-qty of skirting = 319.32sft or 9.66sqmtr = 532.20sqmtr or	104.64	cum	22.15/-	550%	15065.54
	Conglomerate floor 40 mm thick cementconcrete 1:2:4 on 100 mm cement concrete1:8:16 and 100 mm sand or stone filling	552.86	sqm	68.45/-	400%	[illegible]
[illegible]	P&I glazed floor tiels 600x600mm competed in all respect	42.03	sqm	924.30/-	15%	33022.39
	P&I glazed tiels 200x300mm competed in all respect	69.39	sqm	501.75/-		[illegible]
[illegible]	Dismantling of tiels	109.81	cum	35.60/-	550%	25411.71
[illegible]	Terracing consisting of tiles 22.86 cm X 11.43cm X 3.81 cm laid over 87.50 mm mud fillingon a layer of 25 mm mud plaster and on otherlayer of mud mortar for laying the tiles,including two coasts of bitumen laid hot at1.65 Kg per sqm on top of R.C.C. slab including grouting	732.06	sqm	52.95/-	600%	[illegible]

Executive [illegible]
Municipal [illegible]
FARIDABAD

151

[illegible]	with cement sand mortar1:3 and top surface to be left clean etc. Cement concrete 1:2:4 gola 10cm X 10cmquadrant along junction of roof with parapetwall finished smooth, where specially specified.	201.92	rmt	5.35/-	600%	7562.13
4.25A	First class brickwork laid in cement sand mortar 1:6 in first storey upto 4 meters above plinth level.	71.14	cum	434.55/-	600%	216397.20
[illegible]	Stacking of malwa	284.21	cum	2/-	450%	3126.31
[illegible]	Loading & unloading of malwa	284.21	cum	3.87/-	450%	6049.40
[illegible]	Carriage of malwa (lead 2km)	284.21	cum	12.40/-	450%	19383.12
17	c.c 1:2:4 on top of boundry wall	2.36	cum	621.85/-	450%	8089.78
[illegible]	Applying priming coat on steel workconsisting of genuine red lead mixed withlinseed oil and turpentine oil in equalproportions.	211.44	sqm	9/-	230%	6279.76
[illegible]	Earth work in excavation in foundations, trenches, etc.in all kinds of soils, not exceeding 2 metres depth including dressing of bottom and sides of trenches, stacking the excavated soil, clear from the edge of excavation and subsequent filling around masonry, in 15 cm layers with compaction, including disposal of all surplus soil, as directed within a lead of 50 metres approach path	16.33	cum	1108.10/-	425%	950.00
[illegible]	Cement Concrete 1:8:16 with brick ballast 40mm nominal size in foundation and plinth.	5.39	cum	300.20/-	450%	8902.05
11.3	First class brick laid in cement sand mortar1:6 in foundation and plinth.	7.67	cum	413.55/-	600%	22228.50
10.159	P&F 80mm thick tiels completed in all respects	140.78	cum	450/-	10%	69689.41
10.59	Cement Concrete 1:2:4 with stoneaggregate 20mm nominal size in first storeyupto 4 meters above plinth level.	1.04	cum	621.85/-	450%	3562.30
30.1(i)	PROVIDING AND FIXING IN POSITION BEST INDIAN MAKE (to the approval of the Engineer-in-charge) INDIAN TYPE WATER CLOSET SUITE CONSISTING OF:- (i) Closet set VITREOUSCHINAWARE W.C.PAN	2	Nos.	860/-	340%	7568.00

Executive Engineer
Municipal [illegible]

153

53(B)	Providing and fixing in position best indian make a range of two Urinals flat back or angular lipped front in vitreous china-ware With 5 litres capacity best indian make c.i. automatic flushing Cistern with fittings and flush pipe etc.. complete as fully Described in item no.30.19 above.	2	Nos.	766/-	340%	6740.80
10(A)	Providing and fixing 25mm thick marble partition for different type of urinals. Size 375 mm X 750 mm	2	Nos.	98/-	340%	862.40
50	Providing and fixing in position best Indianmake chromium plated brass Bottle trap32mm dia metre	2	Nos.	92/-	340%	809.60
75	Providing and fixing in position 15mm i/d C.P. brass bib cocks of best quality (as required by the engineer-in-charge). Bib cock long body	2	Nos.	116/-	340%	1020.80
76	Providing and fixing in position C.P. brass stop cocks (as approved by the Engineerin-charge) (a) 15 MM STOP COCK (ii) Concealed stop cock with flange	2	Nos.	130/-	340%	1144.00
84	PROVIDING AND FIXINGIN POSITION H.C.I.SOIL WASTE VENT OR ANTISYPHONAGE PIPES TO I.S.I. SPECIFIACTION OF E.L.C. MANUFACTURE OR OF ANY OTHER REPUTED FIRM INCLUDING CUTTING AND WASTAGE ETC. AND CUTTING HOLES IN WALLS. ROOFS OR FLOOR ETC.AND MAKING GOOD to its original condition BUT EXCLUDING COST OF LEAD JOINTING. 100 mm internal diameter	30	mtr	97.50/-	350%	13162.50
88	PROVIDING AND FIXINGIN POSITION M.S.OR HEAVY FLAT IRON CLAMPS made out of M.S. flat not less than 5 mm of the approved design for fixing C.I. SOIL WASTE vent or anti pipes to walls COMPLETE IN ALL RESPECTS INCLUDING	6	Nos.	12.50/-	350%	337.50

Execut... Municipal ... FARIDABAD

154

	CUTTING AND MAKING GOOD THE WALLS AND FLOORS ETC., AND PAINTING. For 100 mm internal diameter pipes					
[illegible]	PROVIDING AND FIXINGIN POSITION H.C.I. FLOOR TRAPS I.S.I.MARKED OF THE SELF CLEANING DESIGN WITH C.P. BRASS HIGED GRATING WITH FRAME WITH OR WITHOUT VENT ARM AND INCLUDING CEMENT CONCRETE 1:2:4 under and around the floor trap where required upto floor level COMPLETE IN ALL RESPECTS INCLUDING CUTTING AND MAKING GOOD THE WALLS AND FLOORS, ETC., minimum depth of water should be 150 mm with a minimum seal of 50 mm with 50 mm i d outlet	6	Nos.	105/-	350%	2835.00
	PROVIDING AND FIXING IN POSITION H.C.I.SPECIALS FOR SOIL WASTE, VENTOR ANTI-SYPHONAGE PIPES TO I.S.I MARKED INCLUDING cutting and wastage etc. CUTTING HOLES IN WALLS ROOFS OR FLOORS ETC. AND MAKING GOOD to its original condition BUT EXCLUDING COST OF LEAD JOINTING FOR 100 MM I.D PIPES.					3640.5
	Single junction with door 100 mm x 100 mm x 100 mm	4	Nos.	58/-		
	Bend plain	4	Nos.	53/-	350%	
	Cowls	2	Nos.	76.50/-		
	Collars	4	Nos.	53/-		
[illegible]	Providing and fixingin position gully traps fixed in cement concrete 1:4:8 complete with h.c.i.grating 150 mm x 150 mm cast iron cover Weighing approximately 7.26 k.g. and frame clear	4	Nos.	208/-	350%	3744.00

Executive Engineer
Municipal Corporation
FARIDABAD

155

opening 300 mm x 300 Mm and outside size 330 MM x 330 mm and chamebr ncluding cost of all brick work in cement mortar 1:5 cement concrete 1:8:16 in foundations, and Cement concrete 1:2:4 in coping around C.I. cover and frame etc. WITH THREE COATS of black bitumastic superior PAINT of approved manufacture on all C.I. work AS PER STANDARD DESIGN. minimum depth of water should be 150mm with a minimum seal 50mm. 100 mm internal diameter H.C.I. gully trap					
P&f water storeg tank 1000ltr capacity	2	Nos.	5263/-	--	10526.00
P&I SW pipe 150mm dia completed in all respect	60	mtr	199/-	5%	12537.00
Construction brick masonry inspection chamber sizes as given Below upto 0.60 metre average depth in cement mortar 1:5 LIME CONCRETE with 40 percent lime mortar 2:3 in foundation cement concrete 1:2:4 BENCHING 12mm THICK CEMENT PLASTER 1:2 with a floating coat of 1mm thick of neat cement R.C.C.1:2:4 SLAB 100mm THICK /C.C.TOPPING 50 mm THICK WITH 455 MMx455MM/455MMx610MM INSIDE LIGHT DUTY C.I.INSPECTION CHAMBER COVER AND FRAME weight as per I.S.I. specification painted WITH 3 COATS OF black bitumastic superior paint complete as per standard design. (c) Size 600 mm X900 mm inside (with 455 mm x 455 mm cover and frame light duty single seal weighing 20 kg with R.C.C. slab)	4	Nos.	690/-	450%	15180.00
					23215.00
Wiring in 1.5 sq mm PVC insulated aluminum conductor cable in 1.5 mm thickconduit pipe. fan point long	20	Nos.	179/-		

Executive Engineer
Municipal Corporation
FARIDABAD

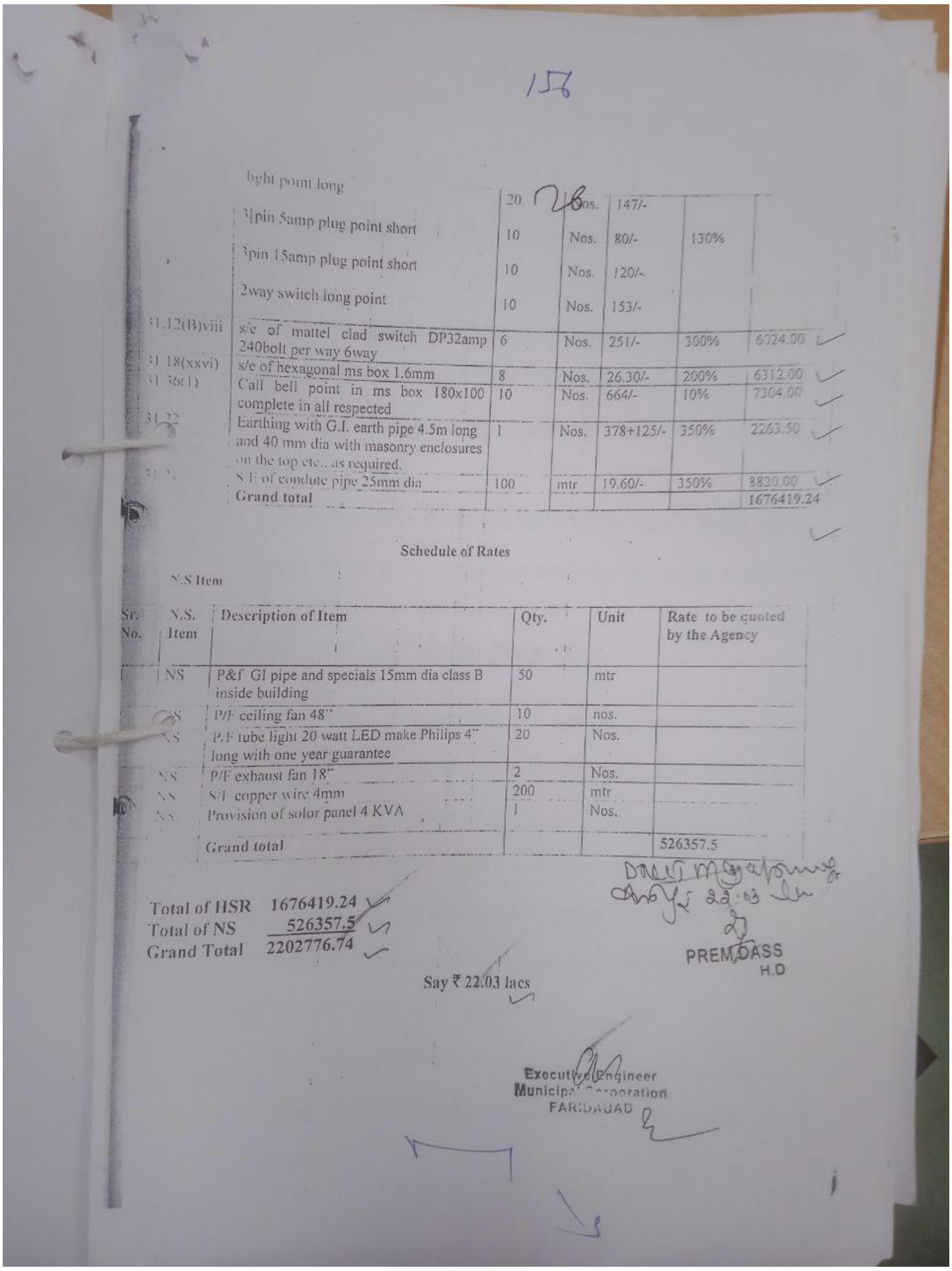

	light point long					
	3pin 5amp plug point short	20	Nos.	147/-	130%	
	3pin 15amp plug point short	10	Nos.	80/-		
	2way switch long point	10	Nos.	120/-		
		10	Nos.	153/-		
31.12(B)viii	s/e of mattel clad switch DP32amp 240bolt per way 6way	6	Nos.	251/-	300%	6024.00
31.18(xxvi)	s/e of hexagonal ms box 1.6mm	8	Nos.	26.30/-	200%	6312.00
31.36(1)	Call bell point in ms box 180x100 complete in all respected	10	Nos.	664/-	10%	7304.00
31.22	Earthing with G.I. earth pipe 4.5m long and 40 mm dia with masonry enclosures on the top etc.. as required.	1	Nos.	378+125/-	350%	2263.50
	S/F of condute pipe 25mm dia	100	mtr	19.60/-	350%	8820.00
	Grand total					1676419.24

Schedule of Rates

N.S Item

Sr. No.	N.S. Item	Description of Item	Qty.	Unit	Rate to be quoted by the Agency
	NS	P&f GI pipe and specials 15mm dia class B inside building	50	mtr	
	NS	P/F ceiling fan 48"	10	nos.	
	NS	P/F tube light 20 watt LED make Philips 4" long with one year guarantee	20	Nos.	
	NS	P/F exhaust fan 18"	2	Nos.	
	NS	S/F copper wire 4mm	200	mtr	
	NS	Provision of solor panel 4 KVA	1	Nos.	
		Grand total			526357.5

Total of HSR 1676419.24
Total of NS 526357.5
Grand Total 2202776.74

Say ₹ 22.03 lacs

PREM DASS
H.D

Executive Engineer
Municipal Corporation
FARIDABAD

Lkkeqnkf;d gkWy dk fuekZ.k dk;Z iwjk djuk

12- Jh ujsUnz xqIrk % D;k "kgjh LFkkuh; fudk; ea=h d`i;k crk,axs fd%&

¼d½ ml Bsdsnkj dk uke D;k gS ftls Qjhnkckn&89 fo/kkulHkk fuokZpu {ks= esa okMZ uacj 33 ds lsDVj&10 ds rsjk iaFk

Hkou ds lkeus lkeqnkf;d gkWy ds fuekZ.k dk;Z dk odZ vkMZj vkoafVr fd;k x;k Fkk(

¼[k½ mijksDr dk;Z ds fy, dqy fdruh jkf"k Lohd`r dh xbZ rFkk mldk Mh- ,u- vkbZ-Vh- D;k gSS(

¼x½ mDr lkeqnkf;d gkWy ds fy, fuekZ.k ds fy, vc rd fdruh jkf"k dk Hkqxrku fd;k x;k gS rFkk blds dc rd fufeZr fd, tkus dh laHkkouk gS\

'kgjh LFkkuh; fudk; ea=h ¼Mk0 dey xqIrk½ %

¼d½ uxj fuxe] Qjhnkckn }kjk okMZ uacj 33 ds lsDVj&10 ds rsjkiaFk Hkou ds lkeus lkeqnkf;d Hkou ds fuekZ.k dk dk;Z eSllZ jktrkjk daLVªD'ku dks vkoafVr fd;k x;kA

¼[k½ mä dk;Z vuqcaf/kr ,tsalh dks : 37]82]406/& dh vuqca/k jkf'k ij vkoafVr fd;k x;k Fkk] ftls ckn esa lkeqnkf;d dsaæ ds g,y ds {ks=Qy esa o`f) ds dkj.k la'kksf/kr/c<+kdj #- 84]03]587/& dj fn;k x;kA dk;Z dh Mh-,u- vkbZ- Vh- vuqyXud&d ij layXu gSA

¼x½ uxj fuxe] Qjhnkckn us vuqcaf/kr ,tsalh dks vc rd : 16]88]543/& dk Hkqxrku tkjh dj fn;k gSA dk;Z vxys pkj eghus ds vanj iwjk gksus dh laHkkouk gSA

Part-A
DNIT

ANNEXURE-A अनुलग्नक - क

Subject:-Construction of Community Centre in Park situated near H.No.15 sector-16 in Ward No.29.

DNIT Cost-3209200/-
EMD- 64200 /-
Time limit 9 month of L/issue w.o.

(A) HSR Item — Schedule of Rates

Sr No.	HSR Item No.	Description	Qty	Unit	Rate	Premium	Amount
1	6.6	Earth work in excavation in foundation in all kinds of ordinary soil complete in all respects as per HSR Item No. 6.6	175.51	100 cum	1108.10/-	425%	1994.83 8265.52
2	10.38	Cement concrete 1:4:8 with stone aggregate 20 mm nominal size in foundation and plinth as per HSR 10.38	12.45	Cum	420/-	450%	5229.00 23530.50
3.	10.90	(A)Cement concrete 1:2:4 with stone aggregate 20 mm nominal size for reinforced concrete work in footings, strips, foundations, beams, rafts, pedestals and approach slabs of bridges etc, excluding steel reinforcement but including centring and shuttering, laid in position, complete in all respects (For work upto 105 meter below ground level as per HSR 10.90) (B) Lesstie beam area : C) Tie Beam :	25.85	Cum	687.10/-	450%	17761.53 79925.88
4.	10.26	Cement concrete 1:8:16 with brick bllast 40 mm nominal size of foundation and plinth as per HSR 10.26	32.89	Cum	300.20/-	450%	9873.58 44431.11
5	11.22	First Class brickwork laid in cement stone dust (from crusher) mortar 1:6 in foundation and plinth.	58.07	Cum	413.55/-	600%	24014.84 144089.04
6.	10.114	Damp proof course 40 mm thick of cement concrete 1:2:4 using stone aggregate 20 mm nominal size with two coast of bitumen 20/30 penetration at 1.65 kg per sqm laid hot and sanded as per HSR 10.114.	13.97	Sqm	35.05/-	450%	489.65 2203.42
7.	15.77	20 mm thick cement plaster damp proof course 1:3 with two coat of bitumen at 1.65 kg per sqm laid hot and sand as per HSR 15.77	16.30	Sqm	30.70/-	500%	500.41 2500.70
8.	11.27	First class work laid in cement, stone dust (from crusher) mortar 1:6 in first storey upto 4 meter above plinth level as per HSR 11.27.	89.90	Cum	434.55/-	600%	39066.04 234396.24
9.	10.86+ 10.95	Cement concrete 1:1½:3 with stone aggregate 20mm nominal size for reinforced concrete work for walls exceeding 20mm thickness (straight and curved) beams, girders, stairs, columns (square and rectangular) battens and lintels etc. excluding steel reinforcement but including centring and shuttering, laid in position, complete in all respects as per HSR 10.86 + 10.95	27.18	Cum	1101.85+8 6.90/-	450%	32310.22 145395.99
10	10.82 + 10.95	Cement concrete 1:1½:3 with stone aggregate 20 mm nominal size for reinforced concrete work in slabs with inclination not exceeding 25 degree with horizontal, excluding steel shuttering laid in position, complete in all respect as per HSR 10.82 + 10.95 (a)	46.94	Cum	997.90 + 86.90/-	450%	50920.51 229142.29

RAMESH BANSAL
XEN-III

159

11.	10.81+ 10.95	Cement concrete 1:1½:3 with stone aggregate 20 mm nominal size for reinforced cement Concrete complete as per specification HSR 10.81 + 10.95.	1.075	Cum	947.70+86. 90/-	450%	1112.19 5004.85
12	18.22	Cold twisted deformed (ribbed / tor steel) bars for R.C.C. works, where not included in the complete rate of R.C.C., including bending, binding and placing in position complete as per specification HSR 18.22	10624.1 6	100kg	917.05/-	500%	97428.86 487144.30
13	11.53	11.43 cm thick brick wall laid in cement stone dust (from crusher) mortar 1:4 in super structure as per specification HSR 11.53.	25.78	Sqm	57.35/-	600%	1478.48 8870.88
14	11.72	V-shape brick jail in 22.56 cm thick wall laid in cement sand mortoe 1:6 finished with 12 mm thick cement sand plaster 1:6 including making straight edges with plaster as per specification HSR 11.72.	3.90	Sqm	101.25/-	600%	395.26 2371.56
15	13.13	Terracing consisting of tiles 22.86 cm x 11.43 cm x 3.81 cm laid over 87.50 mm and mud plaster and an other layer of mud mortar for laying in tiles including two coats of bitumen laid hot at 1.65kg per sqm on top of RCC slab including grouting with cement sand mortar 1:3 and top surface to be left clean etc. as per specification HSR 13.13.	336.69	Sqm	52.95/-	600%	17827.74 106966.44
16	13.64	CC 1:2:4 gola 10cm x 10 cm quadrant along junction of roof with parapet wall finished smooth, where specially specified as per specification HSR 13.64.	133.88	Rmt	5.35/-	240%	716.76 1719.02
17	15.72	Cement pointing 1:2 flush under side of roofs with brick tiles 30.48 cm x 15.24 cm as per specification HSR 15.72.	336.69	Rmt Sqm.	5.90/-	500%	1986.47 9932.35
18.	13.50	Top Khurra 0.6 mtr x 0.6 for rain water pipe in 25 mm thick over C.C. 1:2:4 over 50mm thick C.C. 1:8:16 as per HSR	14	Nos	12.30/-	240%	172.20 413.28
19	13.57	Bottom khurra on ground 1.2m x 0.6m consisting of brick on edge laid in cement mortar 1:3 over 75 mm cement concrete 1:8:16 including 12mm thick cement plaster 1:3 as per specification HSR 13.57.	14	Nos	64.30/-	240%	900.20 2160.48
20	13.45	Providing and fixing cast iron rain water non pressure pipe. I.S.I. mark with ears with screw and wooden plugs fixed on wall face including filling joints spun yarn and cement mortar 1:2 excluding head and shoe, etc. as per specification HSR 13.45.	53.03	Rmt	88.25/-	500%	[illegible]679.90 23399.50
21	18.38	Providing and fixing fan hooks 80 mm long of required shape and size : as per specification HSR 18.38.	10	Nos	13.40/-	500%	134.00 670.00
22	13.48	Providing and fixing cast iron shoe for 100 mm dia rain water pipe on wooden plugs, fixed on wall face including filing the joints with spun yarn and cement mortar 1:2 as per specification HSR 13.48.	14	Nos	31.05/-	500%	434.70 2173.50
23	13.49	Providing and fixing C.I. plain bends in position with gutter, etc. as per specification HSR 13.49.	14	Nos	57.45/-	500%	804.30 4021.50
24	15.52	10 mm thick cement plaster 1:4 under ceiling as per specification HSR 15.52	365.50	Sqm	12.65/-	500%	4623.58 23117.90
25	15.12	15 mm thick cement plaster 1:6 on the rough side of single or half brick wall. As per specification HSR 15.12.	527.39	Sqm	13.10/-	500%	6908.81 34544.05
26	15.60	Cement pointing 1:2 deep variety on brick and Tile work as per specification HSR 15.60.	402.84	Sqm	9.90/-	500%	3988.11 19940.55
27	6.13	Earth filling under floor with surplus seal, excavated from foundation and taken only front outside the building plinth, in 15 cm layer including ramming watering and consolidation lead upto 30 meters as per specification HSR6.13 (a)	63.13	100 Cum	343.40/-	370%	216.[illegible] 801.27
28.	14.48 A	While glazed tiles 10 cm x 10 cm, 5 cm thick in skirting and dodo on 12 cm thick cement coarse sand plaster 1:3 in base	62.75	Sqm	231.20/-	95%	14507.80

RAMESH BANSAL
XEN-III

160

		and joint with white cement slurry in joint including beveled corners. As per specification HSR 14.48 (a)					13782.41
29	18.34	Pressing steel sheet frames (chowkhats) Complete double rebate as per specification HSR 18.34	276.45	Rmt	76.80/-	500%	21231.36 106156.80
30	17.18	40mm including wooden shutter complete fixed in position as per specification HSR 17.18.	22.25	Sqm	404.90/-	300%	9009.02 27027.06
31	17.19	Wire gauze deodar wood door and window shutter complete 35 mm thick as per 17.19	63.87	Sqm	350.05/-	300%	22357.69 67073.08
32	17.18 (2)	Deodar wood door and window shutters including iron hinges, scew, chickats, cleats and stop etc. 35 mm thick (12 mm thick deodar wood panel) as per HSR 17.18(2)	57.60	Sqm	374.15/-	300%	21551.04 64653.12
33	18.12	S/F of MS grill complete as per HSR 18.12	1240	100 Kg	1040.35/-	500%	12900.34 64501.70
34	17.72	Cost of Aluminium fitting complete for doors and window such as tower bolts, handles, etc. as per HSR 17.72.	143.72	Sqm	17.80/-	300%	2558.22 7674.66
35	17.83	P/F of sliding bolts (brass) as per HSR 17.83	9	Nos	80.75/-	300%	726.75 2180.25
	16.48	Three coat white washing ceiling as per HSR 16.48	365.50	Sqm	1.25/-	230%	456.88 1050.62
37	16.58	Dismantling with washable oil bound distemper (of approved manufacture) two coats existing priming coat on new work as per HSR 16.58	527.39	Sqm	9.10/-	230%	4799.[illegible] 11038.27
38	16.61	Finishing walls with exterior decorative cement based paint, such as snowcem, robbiacem etc. on new work, two coat to give an even shade as per HSR 16.61	402.84	Sqm	7.25/-	230%	2920.59 6717.35
39	16.9+ 16.17	Painting two coat excluding priming coat with ready-mixed paint for metallic surface in all shade on new steel or iron work as per HSR 16.9 + 16.17.	57.60	sqm	6.05 + 2.95/-	230%	518.40 1192.32
40	16.3	Painting two coat excluding priming coat with synthetic enamel paint in all shades on new wood work or metallic or plaster or concrete surface to give an even shade as per HSR 16.2 + 16.3	143.72	sqm	3.60+ 8.05/-	230%	1674.34 3850.98
41	14.1	Base course of floors consisting of 100 mm thick cement concrete 1:8:16 and 100 mm sand or stone filling as per HSR 14.1	187.51	Sqm	36.95/-	400%	[illegible] 27714.[illegible]
42	14.62	Kotah stone flooring dressed 34 mm to 40 mm thick in any pattern as specified over 12 mm thick base of cement coarse sand mortar 1:3 laid and joined with neat cement slurry mixed with pigment to match the shade fo stone as per HSR 14.62	619.25	Sqm	201.95/-	250%	125057.[illegible] 312644.5[illegible]
						Total	2937557.61

RAMESH BANSAL
XEN-III

161

Part-B(Electrification)
DNIT
Schedule of Rates

(A) HSR Item

Sr No	HSR Item No.	Description	Qty	Unit	Rate	Premium	Amount
1	31.36	Wiring in 1.5 mm2 PVC insulated copper Conductor Cable in 1.6 mm thick conduit pipe					
(i)		Fan Point Long					
		Fan point Medium	10	Nos.	733/-	10%	8063.00
(ii)		Light point medium	4	Nos.	524/-	10%	2305.60
		Light Point long	20	Nos.	433/-	10%	9526.00
(iii)		Twin Cantere Light point vith 2 way 5 Amp light poll switches	16	Nos.	639/-	10%	11246.40
		(long point)	4	Nos.	726/-	10%	3194.40
(iv)		Call Bell point including MS Box size 180 mm x 100 mm x 60 mm deep for call bell (long point)	4	Nos.	664/-	10%	2921.60
(v)		3 pin 5 Amp plus point including earthing the 3rd Pin etc.	10	Nos.	283/-	10%	3113.00
		Short point(Medium Point)	5	Nos.	466/-	10%	2563.00
(vi)		3pin 15 Amp plus with 4 sq mm cable long point	15	Nos.	970/-	10%	16005.00
2	31.41 (xi)	S/E of double door sheet steel enclosure distribution board for MCB. 8 way vertical (8+24)	2	Nos.	2100/-	10%	4620.00
3	31.17a(ii)	S/E of6 to 32 Amp MCB in existing distribution board	30	Nos.	95/-	30%	3705.00
4	31.12c(i)	S/E of MCCB in existing Board 60 Amp.415 volt 10 KVA	2	Nos.	1926/-	60%	6163.20
5	31.9	S/E of PVC copper wire in existing pipe (i)1.5 mm 2 PVC copper wire (ii)2.5 mm 2 PVC copper wire	1200 500	mtr. mtr.	7.90/- 11.10/-	130% 130%	21804.00 12765.00
6	31.44 (b)	S/E of PVC conduit pipe ISI marked medium recessed in wall.25mm dia	300	Mtr.	37/-	10%	12210.00
7	31.26 (xxxIX)	S/E of underground cable loose in existing pipe or trench as per.10 mm 4 core Aluminum conductor	100	Mtr.	25/-	140%	6000.00
8	31.22 (i&ii)	Earthing with GI earth pipe 4.5 m long or 40 mm dia with masonory enclose on the top etc.as required extra for using salt and charcoal/coke for pipe earth electrode as required	2	Nos.	378+125/-	350%	4527.00
		Total					130732.20

RAMESH BANSAL
XEN-III

162

Part-C
Schedule of Rates (SANITATION)

(C) HSR Item

Sr No	HSR Item No.	Description	Qty	Unit	Rate	Premium	Amount B/F
1	30.1 (d)	Providing and fixing in position best Indian make (to the approval of the Engineer-in-charge) Indian Type water closet suit consisting of :- Complete as per HSR No. 30.1.	2	Nos.	767	340%	6749.60
2	30.20	Providing and fixing in portion best India make a range of two urinal flat back or angular lipped front in vitreous china ware automatic flushing cistern with fittings and flush pipe etc. complete as per HSR 30.20.	1	Set	614	340%	2701.60
3	30.46	Providing and fixing 25 mm thick marble partition for different type of urinals. Complete as per HSR 30.46	1	Nos.	98	340%	431.20
4	30.41	Providing and fixing in position best Indian make (ordinary) lavatory suite consisting of :- (Complete as per HSR 30.41)	2	Nos.	392	340%	3449.60
5	30.89 (b)	PROVIDING AND FIXING IN POSITION H.C.I. FLOOR TRAPS I.S.I.MARKED OF THE SELF CLEANING DESIGN WITH C.P. BRASS HINGED GRATING WITH FRAME WITH OR WITHOUT VENT ARM AND INCLUDING CEMENT CONCRETE 1:2:4 under and around the floor trap where required upto floor level COMPLETE IN ALL RESPECTS INCLUDING CUTTING AND MAKING GOOD THE WALLS AND FLOORS, ETC., minimum depth of water should be 150 mm with a minimum seal of 50 mm.	6	Nos.	105	300%	2520.00
6	30.92	Providing and fixing HCI Specials complete as per HSR 30.92	1	Nos.	58	350%	695.25
		Bends	1	Nos.	36.50		
		Collar 4"	1	Nos.	37.50		
		Collar 3"	1	Nos.	22.50		
7	30.85	P/F C.I. Gully trap cover App. 7.26 kgs and frame for Gully trap chamber clear opening size 300 x 300 mm and outside size 300 x 330 mm complete (HSR 30.85)	2	Nos.	51.50	350%	463.50
8	30.84	P/F in position HCI Pipe (Complete HSR 30.84)					
		100mm	18.27	Mtr	97.50	350%	8015.96
		75mm	12.19	Mtr	83	350%	4552.96
	30.87	P/F lead caulked joints (HSR No. 30.87)					
		For 100 mm HCI Pipe	10	Nos.	33.50	300%	1340.00
		For 75 mm HCI Pipe	2	Nos.	27.50	300%	220.00
10	28.58	Labour for laying jointing, fixing and Testing G.I./P.V.C./M.S. Pipelines and specials tees, bends, sockets, elbows etc. in Trenches in the Ground, cutting, threading and testing etc. complete (Complete as per HSR 28.58)					
		20 mm dia					
		15mm dia	5.14	mtr	8.60	380%	
			23.38	mtr	7.25	380%	1150.91
		25mm dia	35.48	mtr	4.35	350%	635.47
11	28.47	Making water supply connection to existing sewer line Bailing out water from the trenches for making new connections in fully charged pipe lines including cleaning shoring and dressing the trenches to correct alignment and grade as required by the Engineer-in-charge. HSR No. 28.47	1	Nos.	67.50	300%	270.00
12	30.103	S/F of Sintex water storage tank 500 ltr. Capacity complete as per mfr specification	2	Each	2682/-		5364.00

RAMESH BANSAL
XEN-III

163

13	6.10	EXCAVATION, OF TRENCHES IN STREETS, LANES OR IN OPEN AREAS FOR STROM SEWER, SEWERS RUNNING BY GRAVITY AND MANHOLES TO FULL DEPTHS AS SHOWN IN DRAWINGS INCLUDING SHORING, TIMBERING OF POLING BOARDS,FRAME SYSTEM TYPE, dressing to correct sections and dimensions, according to templates and levels, dewatering, provision for diversion of traffic, cutting trees and bushes, etc. night signals, profiles, pegs, sight rails, boning roads, crossing over trenches for access to the houses, watching, fencing etc., fixing and maintenance of caution boards, refilling of trenches, watering of refill, in 15 cm layers, ramming and restoration of unmetalled or unpaved surface to original condition AND REMOVAL OF SURPLUS SOIL,FROM SITE OF WORK, UPTO A LEAD OF 1 KM IN ORDINARY SOIL with for depths of excavation not exceeding 3 meters below ground level.	32.85	100 Cum	1189	370%	1835.75
14	10.26	Cement concrete 1:8:16 with brick ballast 40mm nominal size in foundation and plinth C.C. 1:8:16 in fab. (HSR 10.26)	2.46	Cum	300.20	450%	4061.70
15	29.95	Prov/lowering laying cutting (cut surface uniformly finished) jointing with rubber rings marked with IS 5382 and testing of spigot and socketted RCC NP3 MARKED WITH IS 458 1988 and specials in to trenches for all depth including carriage loading unloading staking handing re handing etc. complete in all respects to the satisfaction to the Engineer-in-charge (100 mm dia) (200 mm dia)	7.92 30.48	Mtr Mtr	128 253	5 % 5 %	1064.00 8097.00
16	29.84 B	CONSTRUCTION BRICK MASONRY INSPECTION CHAMBER SIZES AS GIVEN BELOW UPTO 0.60 METRE AVERAGE DEPTH in cement mortar 1:5 LIME CONCRETE with 40 percent lime mortar 2:3 in foundation cement concrete 1:2:4 BENCHING 12mm THICK CEMENT PLASTER 1:2 with a floating coat of 1mm thick of neat cement R.C.C.1:2:4 SLAB 100mm THICK /C.C.TOPPING 50 mm THICK WITH 455 MMx455MM/455MMx610MM INSIDE LIGHT DUTY C.I.INSPECTION CHAMBER COVER AND FRAME weight as per I.S.I. specification painted WITH 3 COATS OF black bitumastic superior paint complete as per standard design. (b) Size 450 mm X 600 mm inside (with 455 mm x 610 mm cover and frame single seal pattern I weighing 38 kg with C.C. topping)	2	Nos.	582	450%	6402.00
17	29.90	Construction of rectangular standard brick masonry manhole chambers to standard drawings on S.W. pipes etc. (HSR No. 29.90)	2	Nos.	2670	450%	29370.00
18	29.94	Supply & fixing of S.F.R.C manhole cover with frame heavy duty I.S.I mark as per specification.	2	Nos.	1100	5%	2310.00
19	29.28	FIXING OF HEAVY CAST IRON AUTOMATIC SYPHON WITH FITTINGS INCLUDING CARRIAGE from stores of the Engineer-in-charge to the site of works AND SETTING the same to correct lines and levels in the work embeded in 1:2 CEMENT AND LAND MORTAR.	8	Nos.	90	-	720.00
20	30.75	Providing and fixing in position 15mm i/d C.P. brass bib cocks of best quality (as required by the engineer-in-charge). ½" GI Stop Coak	6	Each	101	340%	2666.40
21	30.75	Providing and fixing in position 15mm i/d C.P. brass bib cocks of best quality (as required by the engineer-in-charge). ½" GI Bib Coak	8	Each	100	340%	3520.00
						Total	98647.85

RAMESH BANSAL
XEN-III

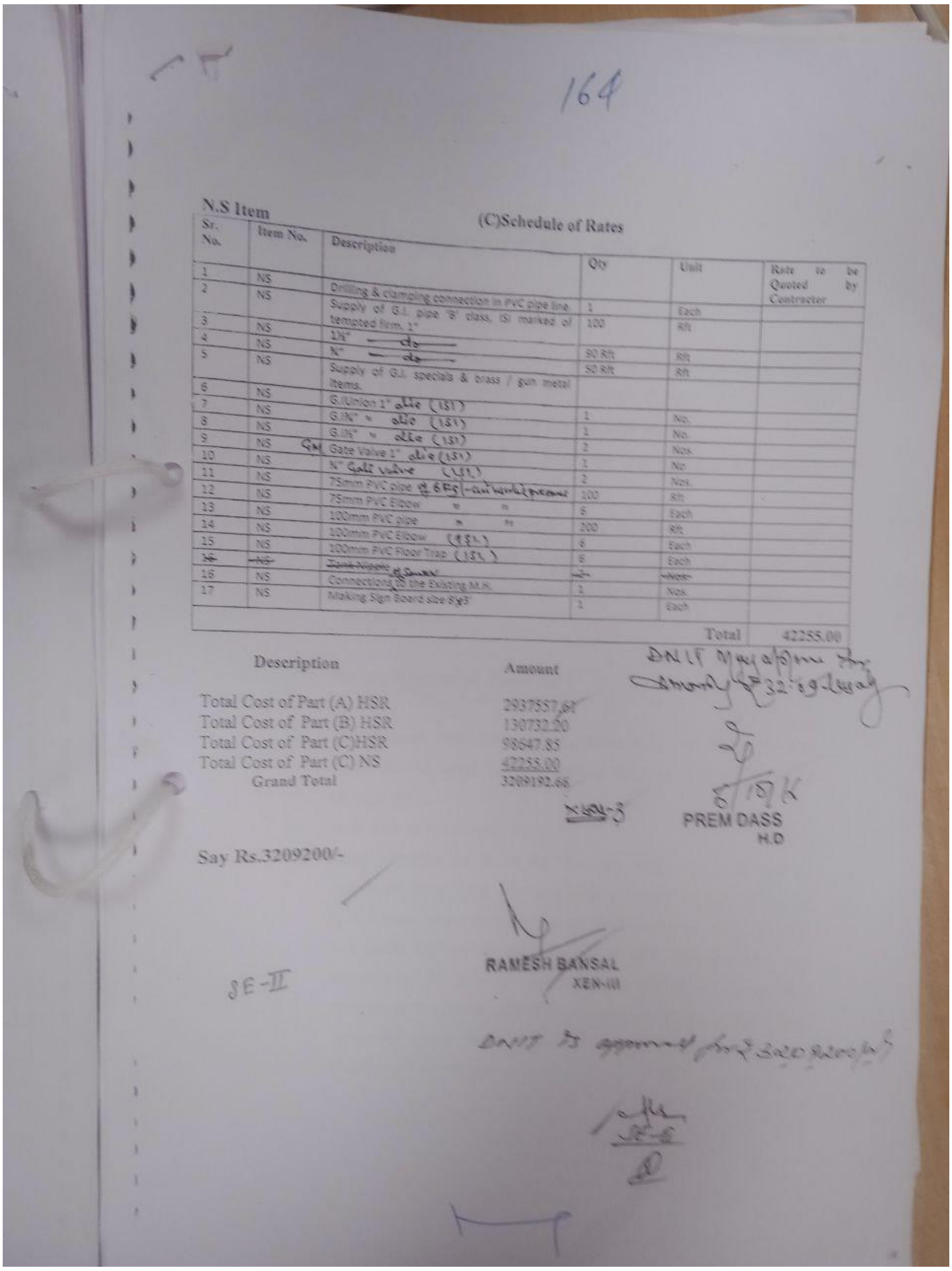

164

N.S Item

(C)Schedule of Rates

Sr. No.	Item No.	Description	Qty	Unit	Rate to be Quoted by Contractor
1	NS	Drilling & clamping connection in PVC pipe line.	1	Each	
2	NS	Supply of G.I. pipe 'B' class, ISI marked of tempted firm. 1"	100	Rft	
3	NS	1½" —do—	90 Rft	Rft	
4	NS	¾" —do—	50 Rft	Rft	
5	NS	Supply of G.I. specials & brass / gun metal items.			
6	NS	G.I Union 1" (ISI)	1	No.	
7	NS	G.I ¾" (ISI)	1	No.	
8	NS	G.I ½" (ISI)	2	Nos.	
9	NS	Gate Valve 1" (ISI)	1	No.	
10	NS	¾" Gate valve (ISI)	2	Nos.	
11	NS	75mm PVC pipe	100	Rft	
12	NS	75mm PVC Elbow	6	Each	
13	NS	100mm PVC pipe	200	Rft	
14	NS	100mm PVC Elbow (ISI)	6	Each	
15	NS	100mm PVC Floor Trap (ISI)	6	Each	
~~16~~	~~NS~~	~~Tank Nipple~~	~~2~~	~~Nos.~~	
16	NS	Connections to the Existing M.H.	1	Nos.	
17	NS	Making Sign Board size 5'x3'	1	Each	
				Total	42255.00

Description	Amount
Total Cost of Part (A) HSR	2937557.61
Total Cost of Part (B) HSR	130732.20
Total Cost of Part (C)HSR	98647.85
Total Cost of Part (C) NS	42255.00
Grand Total	3209192.66

Say Rs.3209200/-

PREM DASS
H.D

RAMESH BANSAL
XEN-III

SE-II

----

ikap rkykc iz.kkyh ds fuekZ.k lss lEcfU/kr C;kSjk

13. **Jh “ke”ksj flag xksxh %** D;k fodkl ,oa iapk;r ea=h d`i;k crk,axs fd%&

¼d½ vla/k fo/kkulHkk fuokZpu {ks= esa vizSy 2022 ls tqykbZ 2023 rd ljdkj }kjk ikap rkykc iz.kkyh dh la[;k fdruh gS ftuds fy, fuekZ.k dk;Z “kq: fd;k x;k gS rFkk mudk [kaM okj C;kSjk D;k gS;

¼[k½ ljdkj }kjk mDr dk;Z dk fuekZ.k dc rd fd, tkus dh laHkkouk gS rFkk mldk C;kSjk D;k gS;

¼x½ D;k ;g rF; gS fd ljdkj }kjk vla/k fo/kkulHkk fuokZpu {ks= ds dqN [kaMksa esa ikap rkykc iz.kkyh dk fuekZ.k dk;Z "kq: ugha fd;k x;k gS; ;fn gka] rks mlds dkj.k D;k gSa rFkk mijksDr dk;Z dc rd "kq: fd, tkus dh laHkkouk gS \

fodkl ,oa iapk;r ea=h ¼Jh nsosUnz flag ccyh½ %

¼d½ xzke fjlkyok [k.M vla/k esa ikap rkykc ç.kkyh dk dsoy ,d dk;Z vçSy] 2022 ls tqykbZ] 2023 dh vof/k ds nkSjku "kq: gqvk Fkk tks dh iw.kZ gks pqdk gSA

¼[k½ dk;Z igys ls iw.kZ gks pqdk gSA

¼x½ vla/k fo/kkulHkk {ks= esa vc rd ikap@rhu rkykc ç.kkyh dh dqy 13 ifj;kstuk,¡ ¼[k.M vla/k = 3, [k.M equd = 2] [k.M fpM+kvks = 8½ iw.kZ gks pqdh gSaA vc] fodkl ,oa iapk;r foHkkx }kjk gfj;k.kk rkykc ,oa vif'k"V ty çca/ku çkf/kdj.k dh vksj ls rkykcksa ds dk;Z muds }kjk tkjh fd, x, fMtkbu vkSj Mªkbax ds vuqlkj fMikWftV odZ ds :i esa fØ;kfUor fd;s tk jgs gaSA orZeku vkus okys xUns ikuh ds mipkj ds fy, iwoZorhZ ^^ikap@rhu rkykc iz.kkyh^^ dh ctk, ^^daLVªDVsM osVySaM VsDuksy,th^^ fØ;kfUor dh tk jgh gSA

----

ve`r ljksoj ;kstuk ds varxZr rkykcksa dh [kqnkbZ rFkk uohuhdj.k

14. Jh "ke"ksj flag xksxh % D;k eq[;ea=h d`i;k crk,axs fd %&

¼d½ D;k ;g rF; gS fd vla/k fo/kkulHkk fuokZpu {ks= ds xkaoksa esa ve`r ljksoj ;kstuk ds varxZr vizSy] 2023 ls rkykcksa dh [kqnkbZ rFkk uohuhdj.k ds fy, ljdkj }kjk lgefr

ns nh xbZ gS; ;fn gka] rks mudk [kaM&okj C;kSjk D;k gS;

¼[k½ ml Bsdsnkj dk uke rFkk dk;kZy; dk irk D;k gS ftls mijksDr dk;Z vkaofVr fd;k x;k gS; rFkk

¼x½ tqykbZ] 2023 rd mijksDr dk;Z ds varxZr fdrus rkykcksa dh [kqnkbZ dh xbZ rFkk fdrus rkykcksa esa dk;Z izxfr esa gS rFkk mudk C;kSjk D;k gS\

eq[;ea=h ¼Jh euksgj yky½ % Jheku th]

¼d½ th gk¡] Jheku th] okLro esa ljdkj us twu 2022 ls vla/k fo/kkulHkk {ks= ds xkaoks esa ve`r ljksoj ;kstuk ds vUrxZr rkykcksa dh [kqnkbZ vkSj th.kksZ}kj ds dk;Z dh iz"kklfud Lohd`fr nh gSA CykWdokj fooj.k uhps fn;k x;k gS%

1- [k.M vla/k & 41 rkykc
2- [k.M ewud & 8 rkykc
3- [k.M fpjkvks & 0 rkykc

¼[k½ ftu Bsdsnkjksa dks mijksDr 49 esa ls 45 dk;Z ipk;rh jkt foHkkx }kjk vkaofVr fd, x, gSa muds uke vkSj dk;kZy; irs uhps fn, x, gS%&

Øekad	Bsdsnkjksa ds uke	Bsdsnkj ds dk;kZy; dk irk	Rkkykcksa dh la[;k	xkao dh la[;k
1-	nh lhjh dks0 vks0 Je ,oa fuekZ.k lkslkbVh	xkao o Mkd[kkuk fljlh] ftyk djuky	5	4
2-	Jh dqynhi dqekj dkWUVSDVj	xkao o Mkd[kkuk] uhxk/kq] ftyk djuky	1	1
3-	,-oh-,l fcYMj	edku u0- 2214] ftyk thUn	2	1
4-	Jh vafdr dqekj	edku u0- 385] eku dyksuh] dSFky jksM] djuky	6	3
5-	Jh nychj flag	edku u0- 1358] lsDVj & 3] dq:{ks=	1	1
6-	nh gFkks dks0 vks0 lkslkbVh	xkao o Mkd[kkuk] eksgyk [ksM+k] rglhy] ujokuk	2	1
7-	ch-,l- dWULVªD"ku	edku u0- 1725] lsDVj & 7] djuky	6	2

8-	ts-d-s,l-,l MosyilZ ,y ,y ih	edku u0- 1597] lsDVj & 7] djuky	2	2
9-	nh ujokuk pSgy] eyVh iiZl lkslkbZVh	edku u0- 739@191] izse uxj] rglhy ujokuk] ftyk thUn	2	1
10-	Jh euthr flag dkWUVªSDVj	lsDVj & 16] utnhd <+ksy pkSd] dSFky jksM+] vla/k ftyk djuky	6	1
11-	xks;y VªsfMax dEiuh	24] xyh u0-1] ÝSUMl dkWyksuh] djuky jksM+] dSFky	3	2
12-	f"ko "kfDr baMLVªh	xkao o Mkd[kkuk & czkl] ftyk djuky	5	2
13-	xxZ ,.M dEiuh	edku u0- 207@19] foosdkuUn uxj] thUn	2	1
14-	Jh fcV~Vw dkWUVSDVj iq= Jh cychj flag	lHkk dkWyksuh] utnhd U;w lSuh gkbZ Ldwy] vkÅVlkbM panuk xsV] dSFky	1	1
15-	,e@,l ckĺu dWULVªD"ku dEiuh	utnhd gLirky pkSd] vllhvks 349] ewxy dSuy djuky	1	1
dqy			**45**	**24**
"ks'k 4 rkykcksa dk dk;Z vkcafVr fd;k tkuk ckdh gSA				

¼x½ vla/k fo/kkulHkk {ks= ds lHkh 49 ve`r ljksoj dk fooj.k uhps fn;k x;k gS%

1- ve`r ljksoj ftudk dk;Z 17-08-2023 dks iwjk gks x;k gSA & **19**

2- 17-08-2023 rd ftu ve`r ljksojksa dk dk;Z izxfr ij gSA & **26**

3- 17-08-2023 rd ftu ve`r ljksojksa ds dk;kZsa dk vkWcVu vHkh fd;k tkuk gSA& **4**

dqy & 49 rkykc

lHkh ve`r ljksojksa dk fooj.k **vuqca/k&1** ds :i eas **layXu** gSA

168

~~Dy. No. 14/16/77~~

Annexure-I

AMRIT SAROVAR REPORT ASSANDH ASSEMBLY CONSTITUENCY DISTT. KARNAL AS ON 17.08.23

S/N	District	Constituency	Block	Village	Name of Pond	UID	Admin. Approval no. & date	Amount	Financial Progress		Physical Progress				Remarks
									Exp. upto Jan 2023	During the month	Total	Completed as per Amrit Sarovar	In Progress	Not Started	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Karnal	ASSANDH	ASSANDH	Ardana(64)	misar	01HRKNLASD0064ARDA005	54848/ 07.12.22	99.39	0	0	0		In Progress		
2	Karnal	ASSANDH	ASSANDH	Bahri(65)	bade pir pond	01HRKNLASD0065BHAR002	52367/ 21.09.22	34.61	0	0	0	Completed			
3	KARNAL	ASSANDH	ASSANDH	BAHRI(65)	tora	01HRKNLASD0065BHAR001	58907/ 22.03.23	59.42	0	0	0	Completed			
4	KARNAL	ASSANDH	ASSANDH	BAHRI(65)	tirth	01HRKNLASD0065BHAR004	58907/ 22.03.23	205.78	0	0	0	Completed			
5	KARNAL	ASSANDH	ASSANDH	BAHRI(65)	shamalat	01HRKNLASD0065BHAR003	58615/ 16.02.23	127.00	0	0	0		In Progress		
6	KARNAL	ASSANDH	ASSANDH	CHOCHRAN (42)	Chor karsa Road wala	01HRKNLASD0042CHOC001	57620/ 02.02.23	22.93	0	0	0		In Progress		
7	Karnal	ASSANDH	ASSANDH	Dopedi(93)	Malikpur Wala Pond	01HRKNLASD0093DUPD001	48644/ 27.06.22	53.95	31.68	0	31.68	Completed			

169

~~Dy. No. 14/16/77~~

8	Karnal	ASSANDH	ASSANDH	Dopedi(93)	Power House Wala Pond	01HRKNLAS D0093DUPD 003	48644/ 27.06.22	63.16	31.67	0	31.67		In Progress		
9	Karnal	ASSANDH	ASSANDH	Gangatheri(56)	dase Wala pond	01HRKNLAS D0056GANG 005	48644/ 27.06.22	61.72	0.00	0	0		In Progress		
10	Karnal	ASSANDH	ASSANDH	Gangatheri(56)	Reta wala pond	01HRKNLAS D0056GANG 008	55497/ 14.12.22	102.75	0	0	0		In Progress		
11	Karnal	ASSANDH	ASSANDH	JaiSinghpur a(82)	BAMNI WALA	01HRKNLAS D0082JAIS00 1	54766/ 05.12.22	109.52	0	0	0		In Progress		
12	Karnal	ASSANDH	ASSANDH	JaiSinghpur a(82)	Kund wala pond	01HRKNLAS D00820JAI00 4	48634/ 27.06.22	96.14	0	0	0	Completed			
13	Karnal	ASSANDH	ASSANDH	JaiSinghpur a(82)	NAKHA WALA	01HRKNLAS D00820JAI00 2	55497/ 14.12.22	75.57	0	0	0		In Progress		
14	Karnal	ASSANDH	ASSANDH	Jalmana(64)	Delsar Pond	01HRKNLAS D0064JALA0 01	34550/ 22.12.21	171.65	114.58	0	114.5 8	Completed			
15	Karnal	ASSANDH	ASSANDH	Jalmana(64)	Gurudwara wala pond	01HRKNLAS D0064JALA0 04	54766/ 05.12.22	89.01	0	0	0		In Progress		
16	Karnal	ASSANDH	ASSANDH	Jalmana(64)	Sultanpeer	01HRKNLAS D0064JALA0 03	54766/ 05.12.22	95.42	0	0	0	Completed			
17	KARNAL	ASSANDH	ASSANDH	JHABALA(8 1)	Kangrana Wala Pond	01HRKNLAS D0081JABH0 01	57626/ 02.02.23	38.77	0	0	0	Completed			
18	Karnal	ASSANDH	ASSANDH	Khizarabad(85)	Gurudwara wala	01HRKNLAS D0085KHIJ00 1	48624/ 27.06.22	79.82	0	0	0		In Progress		
19	Karnal	ASSANDH	ASSANDH	LalainPang hala(75)	Goye Wala Pond Near Shiv Mandir	01HRKNLAS D0075LALA0	48629/ 27.06.22	35.01	11.92	0	11.92		In Progress		

6

169 - A

~~Dy. No. 14/16/77~~

						03									
20	Karnal	ASSANDH	ASSANDH	Pangala	Bharmano Wala Pond	01HRKNLAS D0075PANG 006	54746/ 05.12.22	72.45	0	0	0		In Progress		
21	Karnal	ASSANDH	ASSANDH	Pangala	Goye Wala Pond	01HRKNLAS D0075PANG 001	48629/ 27.06.22	98.97	0	0	0		In Progress		
22	Karnal	ASSANDH	ASSANDH	Phaphrana(94)	Bankha Wala Pond	01HRKNLAS D0094PHAP0 03	54858/ 07.12.22	105.87	0	0	0		In Progress		
23	Karnal	ASSANDH	ASSANDH	Phaphrana(94)	chakku wala pond	01HRKNLAS D0094PHAP0 71	54853/ 07.12.22	91.14	0	0	0		In Progress		
24	Karnal	ASSANDH	ASSANDH	Popra(58)	baliwala	01HRKNLAS D0058POPR0 07	54853/ 07.12.22	61.88	0	0	0		In Progress		
25	Karnal	ASSANDH	ASSANDH	Popra(58)	bdabir tirth	01HRKNLAS D0058POPR0 02	54853/ 07.12.22	89.74	0	0	0		In Progress		
26	Karnal	ASSANDH	ASSANDH	Popra(58)	kambi aala	01HRKNLAS D0058POPR0 01	54853/ 07.12.22	65.18	0	0	0		In Progress		
27	Karnal	ASSANDH	ASSANDH	Popra(58)	kumharjne	01HRKNLAS D0058POPR0 06	54599/ 05.12.22	43.52	0	0	0		In Progress		
28	Karnal	ASSANDH	ASSANDH	Popra(58)	pahadiwala	01HRKNLAS D0058POPR0 04	54863/ 07.12.22	122.01	0	0	0		In Progress		
29	Karnal	ASSANDH	ASSANDH	Rattak(76)	Aara Wala Pond	01HRKNLAS D0076RATT0 01	55451/ 14.12.22	73.88	0	0	0			Not Started	Sanct ion recen tly Recei ved

7

169-B

~~Dy. No. 14/16/77~~

30	Karnal	ASSANDH	ASSANDH	Rattak(76)	Harijan Near Basti Wala Pond (Dada Khera Wala)	01HRKNLAS D0076RATT0 02	59732/ 03.03.23	61.01	0	0	0			Not Started	Sanction recently Received
31	Karnal	ASSANDH	ASSANDH	Rattak(76)	Near Bilona Road (Jimaro Wala Pond)	01HRKNLAS D0076RATT0 04	54751/ 05.12.22	80.46	0	0	0			Not Started	Tender under process
32	Karnal	ASSANDH	ASSANDH	Ruksana(41)	Near Bus Stand	01HRKNLAS D0041RUGS 002	54766/ 05.12.22	162.99	0	0	0			Not Started	Tender under process
33	Karnal	ASSANDH	ASSANDH	Ruksana(41)	Near Phirni (Filed of Gurnam Singh)	01HRKNLAS D0041RUGS 003	54736/ 05.12.22	73.46	0	0	0	Completed			
34	Karnal	ASSANDH	ASSANDH	Salwan(95)	bamno wala	01HRKNLAS D0095SALW 008	55497/ 14.12.22	64.43	0	0	0	Completed			
35	Karnal	ASSANDH	ASSANDH	Salwan(95)	chalni wala	01HRKNLAS D0095SALW 006			0	0	0	Completed			
36	Karnal	ASSANDH	ASSANDH	Salwan(95)	chmaro wala	01HRKNLAS D0095SALW 009	55482/ 14.12.22	59.39	0	0	0		In Progress		
37	Karnal	ASSANDH	ASSANDH	Salwan(95)	MALAKSHER	01HRKNLAS D0095SALW 005			0	0	0		In Progress		
38	Karnal	ASSANDH	ASSANDH	Salwan(95)	mata wala pond	01HRKNLAS D0095SALW 004	58627/ 16.02.23	88.22	0	0	0	Completed			

169-C
Dy. No. 14/16/77

39	Karnal	ASSANDH	ASSANDH	Salwan(95)	nova pond	01HRKNLASD0095SALW003	55497/ 14.12.22	86.89	0	0	0		In Progress		
40	Karnal	ASSANDH	ASSANDH	Uplana(78)	Mochan Vala	01HRKNLASD0078UPLA003	55492/ 14.12.22	126.18	0	0	0		In Progress		
41	Karnal	ASSANDH	ASSANDH	Uplana(78)	Sincer Vala	01HRKNLASD0078UPLA001	58627/ 10.02.23	147.72	0	0	0		In Progress		
42	Karnal	ASSANDH	MUNAK	Balla(30)	Assandh road	01HRKNLMNK0030BALL002			0	0	0	completed			
43	Karnal	ASSANDH	MUNAK	Balla(30)	Devi mandir	01HRKNLMNK0030BALL003			0	0	0	completed			
44	Karnal	ASSANDH	MUNAK	Balla(30)	Goli road	01HRKNLMNK0030BALL006			0	0	0	completed			
45	Karnal	ASSANDH	MUNAK	MorMajra(31)	Johar Majra	01HRKNLASD00310MOR001			0	0	0		In Progress		
46	Karnal	ASSANDH	MUNAK	Munak(28)	Lodhi Wala	01HRKNLMNK0028MUNA002			0	0	0	completed			
47	Karnal	ASSANDH	MUNAK	Munak(28)	MakhuWala	01HRKNLMNK0028MUNA001			0	0	0	completed			
48	Karnal	ASSANDH	MUNAK	Padha(68)	dandu wala -B	01HRKNLMNK0068PADH003			0	0	0	Completed			
49	Karnal	ASSANDH	MUNAK	Padha(68)	Panchdev Trith (Main Pond -A)	01HRKNLMNK0068PADH004			0	0	0	Completed			
			Total					3397.01	189.85	0.00	189.85				

169-D

Dy. No. 14/16/77

Total	Comp	In Prog	NS
49	19	26	4

नमूने लेने का लक्ष्य

15. श्री जगबीर सिंह मलिक : क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कृप्या बताएंगे किः-

¼d½ क्या सरकार द्वारा बीजों, कीटनाशकों तथा खादों के नमूने लेने का कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; यदि हाँ, तो प्रत्येक जिले का लक्ष्य क्या है तथा क्या इसे हासिल किया गया था; यदि नहीं, तो 2015 से आज तक प्रत्येक जिले का ब्यौरा क्या है;

¼[k½ ऊपर 'क' के संबंध में विफल/उप-मानक नमूने तथा न्यायालय में दायर मामलों तथा दोषी सिद्ध व्यक्तियों की संख्या कितनी है तथा उनका जिला-वार ब्यौरा क्या है; तथा

¼x½ 2015 से आज तक ऐसे डीलरों के रद्द किए गए लाईसेंसों की संख्या कितनी है?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल):

¼d½ हाँ सर, नमूने लेने का लक्ष्य अनुलग्नक- 'क' में संलग्न है।

¼[k½ विवरण अनुलग्नक- 'क' में पहले से ही उपलब्ध कराया गया है।

¼x½ रद्द किए गए लाइसेंसों का विवरण अनुलग्नक- ख में दिया गया है।

अनुलग्नक- क

जिले का नाम	वर्ष	वस्तु का नाम	आवंटित लक्ष्य	वर्ष 2015 से 22.08.2023 तक लिए गए नमूने	फेल/अवमानक नमूने	दायर कोर्ट केसज्	दोषी पाए गए
अंबाला	2015-16	उर्वरक	105	41	1	1	1
		कीटनाशकों	85	89	3	3	0
		बीज	155	67	0	0	0
	2016-2017	उर्वरक	105	44	3	2	0
		कीटनाशकों	85	60	0	0	0
		बीज	83	80	2	2	0
	2017-2018	उर्वरक	105	60	2	1	0
		कीटनाशकों	85	94	2	2	0
		बीज	83	73	2	2	0
	2018-2019	उर्वरक	105	94	0	0	0
		कीटनाशकों	85	68	1	1	0
		बीज	85	39	0	0	0
	2019-2020	उर्वरक	157	67	1	1	0
		कीटनाशकों	127	112	2	2	0
		बीज	140	104	3	0	0
	2020-2021	उर्वरक	157	66	2	1	1
		कीटनाशकों	127	125	4	4	0
		बीज	140	97	2	2	0
	2021-2022	उर्वरक	157	79	0	0	1
		कीटनाशकों	127	135	12	12	1
		बीज	141	85	0	0	0
	2022-2023	उर्वरक	157	106	2	2	1
		कीटनाशकों	127	146	8	8	0
		बीज	165	107	0	0	0
	2023-2024 (22.08.23 तक)	उर्वरक	195	4	0	0	0
		कीटनाशकों	145	27	0	0	0
		बीज	171	30	0	0	0
भिवानी + चरखी दादरी	2015-16	उर्वरक	115	65	0	0	0
		कीटनाशकों	90	62	0	0	1
		बीज	345	193	0	0	0
	2016-2017	उर्वरक	115	66	1	0	0
		कीटनाशकों	90	62	1	1	0
		बीज	158	127	0	0	0
	2017-2018	उर्वरक	115	61	2	2	0
		कीटनाशकों	90	67	0	0	0
		बीज	158	126	0	0	0
	2018-2019	उर्वरक	115	55	2	2	0
		कीटनाशकों	90	67	0	0	0

		बीज	220	106	0	0	0
	2019-2020	उर्वरक	171	39	1	0	1
		कीटनाशकों	135	73	2	2	0
		बीज	220	168	2	2	0
	2020-2021	उर्वरक	120	97	0	0	0
		कीटनाशकों	100	79	1	0	0
		बीज	220	93	0	0	0
	2021-2022	उर्वरक	171	97	0	0	0
		कीटनाशकों	134	67	0	0	0
		बीज	222	158	0	1	0
	2022-2023	उर्वरक	171	81	0	0	0
		कीटनाशकों	135	40	1	1	0
		बीज	263	188	0	0	0
	2023-2024 (22.08.23 तक)	उर्वरक	219	44	0	0	0
		कीटनाशकों	173	25	0	0	0
		बीज	293	82	0	0	0
फरीदाबाद	2015-16	उर्वरक	35	35	0	0	0
		कीटनाशकों	40	40	0	1	0
		बीज	55	30	0	0	0
	2016-2017	उर्वरक	30	25	0	0	0
		कीटनाशकों	40	30	1	1	1
		बीज	55	32	0	0	0
	2017-2018	उर्वरक	30	23	0	0	0
		कीटनाशकों	40	29	0	0	0
		बीज	55	45	0	0	0
	2018-2019	उर्वरक	30	24	1	1	0
		कीटनाशकों	40	35	1	1	0
		बीज	55	45	1	1	0
	2019-2020	उर्वरक	48	37	0	0	0
		कीटनाशकों	64	40	2	2	1
		बीज	85	78	1	1	0
	2020-2021	उर्वरक	48	40	2	2	0
		कीटनाशकों	64	51	3	3	0
		बीज	85	75	0	0	0
	2021-2022	उर्वरक	48	34	0	0	0
		कीटनाशकों	64	36	0	0	0
		बीज	85	58	0	0	0
	2022-2023	उर्वरक	48	30	0	0	0
		कीटनाशकों	64	29	0	0	0
		बीज	107	60	0	0	0
	2023-2024 (22.08.23 तक)	उर्वरक	48	17	0	0	0
		कीटनाशकों	64	21	0	0	0
		बीज	111	21	0	0	0

फतेहाबाद	2015-16	उर्वरक	195	160	0	0	0
		कीटनाशकों	130	139	0	0	0
		बीज	350	286	0	0	0
	2016-2017	उर्वरक	195	156	5	5	0
		कीटनाशकों	130	114	0	0	0
		बीज	350	205	1	0	0
	2017-2018	उर्वरक	195	164	6	6	0
		कीटनाशकों	130	105	7	7	0
		बीज	177	207	1	0	0
	2018-2019	उर्वरक	195	118	2	2	0
		कीटनाशकों	130	108	5	5	0
		बीज	177	172	2	0	0
	2019-2020	उर्वरक	292	103	1	1	0
		कीटनाशकों	194	142	16	0	0
		बीज	264	137	6	0	0
	2020-2021	उर्वरक	292	143	4	4	0
		कीटनाशकों	194	164	8	8	0
		बीज	264	162	0	0	0
	2021-2022	उर्वरक	282	190	0	0	0
		कीटनाशकों	194	145	0	0	0
		बीज	264	239	0	0	0
	2022-2023	उर्वरक	282	164	2	2	0
		कीटनाशकों	194	156	11	11	0
		बीज	264	165	0	0	0
	2023-2024 (22.08.23 तक)	उर्वरक	350	53	0	0	0
		कीटनाशकों	222	65	0	0	0
		बीज	264	101	0	0	0

गुरूग्राम	2015-16	उर्वरक	30	28	1	0	0
		कीटनाशकों	21	21	0	0	0
		बीज	100	80	0	0	0
	2016-2017	उर्वरक	17	17	0	0	0
		कीटनाशकों	21	21	0	0	0
		बीज	73	73	0	0	0
	2017-2018	उर्वरक	30	30	0	0	0
		कीटनाशकों	14	14	0	0	0
		बीज	49	49	0	0	0
	2018-2019	उर्वरक	35	35	0	0	0
		कीटनाशकों	21	21	1	1	0

		बीज	50	50	0	0	0
	2019-2020	उर्वरक	49	49	0	0	0
		कीटनाशकों	29	29	2	2	0
		बीज	78	78	0	0	0
	2020-2021	उर्वरक	46	46	0	0	0
		कीटनाशकों	29	29	1	1	0
		बीज	78	78	0	0	0
	2021-2022	उर्वरक	42	42	1	0	0
		कीटनाशकों	30	30	0	0	0
		बीज	77	77	2	0	0
	2022-2023	उर्वरक	47	44	0	0	0
		कीटनाशकों	31	25	0	0	0
		बीज	100	96	2	0	0
	2023-2024 (22.08.23 तक)	उर्वरक	47	13	0	0	0
		कीटनाशकों	31	6	0	0	0
		बीज	104	38	1	0	0
हिसार	2015-16	उर्वरक	205	140	0	0	0
		कीटनाशकों	140	151	3	3	0
		बीज	415	388	6	6	0
	2016-2017	उर्वरक	150	140	0	0	0
		कीटनाशकों	140	135	2	2	4
		बीज	415	350	1	1	1
	2017-2018	उर्वरक	205	191	4	0	1
		कीटनाशकों	140	140	5	5	5
		बीज	211	225	3	3	3
	2018-2019	उर्वरक	205	205	10	10	0
		कीटनाशकों	140	140	12	12	5
		बीज	211	211	0	0	0
	2019-2020	उर्वरक	250	251	15	4	0
		कीटनाशकों	205	140	11	11	6
		बीज	198	208	0	0	0
	2020-2021	उर्वरक	305	266	3	3	2
		कीटनाशकों	207	181	15	15	6
		बीज	328	296	3	3	0

	2021-2022	**उर्वरक**	305	241	6	6	0
		कीटनाशकों	207	192	5	5	0
		बीज	328	278	1	1	0
	2022-2023	**उर्वरक**	305	267	8	2	1
		कीटनाशकों	207	186	6	5	0
		बीज	363	256	2	2	0
	2023-2024 (22.08.23 तक)	**उर्वरक**	379	97	1	1	1
		कीटनाशकों	237	66	7	2	1
		बीज	363	182	1	1	0

झज्जर	**2015-16**	उर्वरक	45	31	1	0	0
		कीटनाशकों	110	59	0	0	0
		बीज	270	178	3	0	0
	2016-2017	उर्वरक	45	12	0	0	0
		कीटनाशकों	110	13	0	0	0
		बीज	270	22	0	0	0
	2017-2018	उर्वरक	45	42	1	0	1
		कीटनाशकों	110	67	0	0	0
		बीज	140	81	0	0	0
	2018-2019	उर्वरक	45	36	0	0	0
		कीटनाशकों	110	79	1	0	1
		बीज	140	103	0	0	0
	2019-2020	उर्वरक	69	62	4	0	4
		कीटनाशकों	165	114	12	0	3
		बीज	213	144	3	0	0
	2020-2021	उर्वरक	69	23	3	0	0
		कीटनाशकों	165	91	5	1	0
		बीज	213	80	1	0	0
	2021-2022	उर्वरक	69	44	3	0	0
		कीटनाशकों	165	118	2	2	0
		बीज	213	116	2	0	0
	2022-2023	उर्वरक	69	64	1	0	0
		कीटनाशकों	165	108	3	3	0
		बीज	237	123	2	0	0
	2023-2024 (22.08.23 तक)	उर्वरक	98	25	0	0	0
		कीटनाशकों	189	46	1	0	0
		बीज	224	40	0	0	0
जींद	**2015-16**	उर्वरक	185	144	0	0	0
		कीटनाशकों	90	78	3	3	0
		बीज	365	321	1	0	1
	2016-2017	उर्वरक	185	142	1	0	1
		कीटनाशकों	90	75	0	0	0
		बीज	171	182	1	1	0
	2017-2018	उर्वरक	185	163	0	0	0
		कीटनाशकों	90	84	3	2	1
		बीज	171	190	2	2	0
		उर्वरक	185	163	6	4	2

	2018-2019	**कीटनाशकों**	90	90	4	3	1
		बीज	265	162	0	0	0
	2019-2020	**उर्वरक**	190	132	3	2	1
		कीटनाशकों	115	108	2	2	0
		बीज	265	243	2	2	0
	2020-2021	**उर्वरक**	190	124	12	12	1
		कीटनाशकों	115	94	4	4	0
		बीज	265	162	3	2	1
	2021-2022	**उर्वरक**	277	210	8	4	0
		कीटनाशकों	137	128	6	2	2
		बीज	265	234	0	0	0
	2022-2023	**उर्वरक**	277	262	6	4	0
		कीटनाशकों	137	135	5	5	0
		बीज	293	248	2	0	2
	2023-2024 (22.08.23 तक)	**उर्वरक**	344	65	0	0	0
		कीटनाशकों	157	55	0	0	0
		बीज	293	105	1	0	0
कैथल	**2015-16**	**उर्वरक**	180	136	0	0	0
		कीटनाशकों	165	98	0	0	0
		बीज	270	207	3	0	0
	2016-2017	**उर्वरक**	180	166	1	1	0
		कीटनाशकों	165	119	0	0	0
		बीज	270	191	0	0	0
	2017-2018	**उर्वरक**	180	91	0	0	0
		कीटनाशकों	165	103	3	1	1
		बीज	129	193	2	0	0
	2018-2019	**उर्वरक**	220	90	7	0	0
		कीटनाशकों	165	100	4	4	0
		बीज	129	128	3	0	0
	2019-2020	**उर्वरक**	180	74	5	4	1
		कीटनाशकों	165	129	11	5	0
		बीज	129	52	0	0	0
		उर्वरक	180	88	4	1	1

	2020-2021	**कीटनाशकों**	165	105	7	0	2
		बीज	197	61	0	0	0
	2021-2022	**उर्वरक**	180	176	0	7	2
		कीटनाशकों	165	149	6	5	0
		बीज	197	183	0	0	0
	2022-2023	**उर्वरक**	180	114	0	0	0
		कीटनाशकों	165	147	11	7	0
		बीज	222	193	0	0	0
	2023-2024 (22.08.23 तक)	**उर्वरक**	334	83	0	0	0
		कीटनाशकों	189	90	3	0	0
		बीज	228	87	1	0	0
करनाल	**2015-16**	**उर्वरक**	215	192	12	0	0
		कीटनाशकों	150	159	2	0	0
		बीज	285	238	6	0	0
	2016-2017	**उर्वरक**	215	196	2	1	0
		कीटनाशकों	150	91	2	2	0
		बीज	285	150	6	3	0
	2017-2018	**उर्वरक**	215	182	4	3	1
		कीटनाशकों	150	180	0	0	0
		बीज	150	138	3	3	0
	2018-2019	**उर्वरक**	150	160	6	1	4
		कीटनाशकों	150	150	0	0	0
		बीज	150	129	1	1	0
	2019-2020	**उर्वरक**	318	303	10	8	2
		कीटनाशकों	225	225	7	0	0
		बीज	215	183	4	4	0
	2020-2021	**उर्वरक**	318	277	7	4	3
		कीटनाशकों	325	325	9	2	4
		बीज	217	152	4	4	0
	2021-2022	**उर्वरक**	318	252	8	0	8
		कीटनाशकों	225	230	13	4	0
		बीज	217	219	0	0	0
		उर्वरक	318	153	3	2	2

	2022-2023	कीटनाशकों	225	227	17	3	0
		बीज	240	241	0	0	0
	2023-2024 (22.08.23 तक)	उर्वरक	395	9	1	0	0
		कीटनाशकों	257	50	7	0	0
		बीज	247	53	4	0	0

कुरूक्षेत्र	2015-16	उर्वरक	180	188	0	0	2
		कीटनाशकों	115	114	0	0	0
		बीज	260	242	0	7	0
	2016-2017	उर्वरक	180	175	2	0	0
		कीटनाशकों	115	114	3	2	0
		बीज	260	168	7	2	0
	2017-2018	उर्वरक	180	164	4	2	0
		कीटनाशकों	115	119	6	4	0
		बीज		132	1	1	0
	2018-2019	उर्वरक	180	175	12	3	0
		कीटनाशकों	115	104	1	1	0
		बीज		130	2	0	0
	2019-2020	उर्वरक	271	252	11	8	3
		कीटनाशकों	174	166	5	4	0
		बीज		168	2	2	0
	2020-2021	उर्वरक	271	226	11	2	2
		कीटनाशकों	174	168	20	3	1
		बीज	204	185	4	2	2
	2021-2022	उर्वरक	271	176	0	6	2
		कीटनाशकों	174	168	6	6	0
		बीज	228	180	0	0	0
	2022-2023	उर्वरक	271	227	2	2	0
		कीटनाशकों	174	158	2	2	0
		बीज	228	147	0	0	0
	2023-2024	उर्वरक	271	50	0	0	0
		कीटनाशकों	174	36	0	0	0

	(22.08.23 तक)	बीज	232	84	4	0	0
महेन्दर गढ़	2015-16	उर्वरक	60	42	0	0	0
		कीटनाशकों	20	24	0	0	0
		बीज	225	200	0	0	0
	2016-2017	उर्वरक	60	34	1	1	0
		कीटनाशकों	20	14	0	0	0
		बीज	105	59	0	0	0
	2017-2018	उर्वरक	60	35	0	0	0
		कीटनाशकों	20	13	0	0	0
		बीज	105	65	0	0	0
	2018-2019	उर्वरक	60	45	2	0	0
		कीटनाशकों	20	20	2	0	0
		बीज	105	96	2	0	0
	2019-2020	उर्वरक	91	91	1	0	0
		कीटनाशकों	32	34	1	0	0
		बीज	158	159	4	0	0
	2020-2021	उर्वरक	91	75	0	0	3
		कीटनाशकों	32	28	2	2	0
		बीज	158	154	0	0	0
	2021-2022	उर्वरक	91	64	0	0	0
		कीटनाशकों	32	31	1	1	0
		बीज	158	144	0	0	0
	2022-2023	उर्वरक	91	63	0	0	0
		कीटनाशकों	32	34	1	1	0
		बीज	178	143	0	0	0
	2023-2024 (22.08.23 तक)	उर्वरक	46	33	0	0	0
		कीटनाशकों	16	11	0	0	0
		बीज	80	79	0	0	0

पंचकुला	2015-16	उर्वरक	15	15	0	0	0
		कीटनाशकों	25	11	0	0	0
		बीज	100	85	0	0	0
		उर्वरक	15	15	0	0	0

	2016-2017	**कीटनाशकों**	25	11	1	1	0
		बीज	30	13	0	0	0
	2017-2018	**उर्वरक**	15	17	0	0	0
		कीटनाशकों	25	22	0	0	0
		बीज	18	20	1	1	0
	2018-2019	**उर्वरक**	15	12	0	0	0
		कीटनाशकों	25	13	0	0	0
		बीज	18	27	3	3	1
	2019-2020	**उर्वरक**	27	26	1	1	0
		कीटनाशकों	40	44	3	3	1
		बीज	38	30	0	0	0
	2020-2021	**उर्वरक**	27	27	2	2	0
		कीटनाशकों	40	35	4	3	0
		बीज	38	28	1	1	0
	2021-2022	**उर्वरक**	27	23	0	0	0
		कीटनाशकों	40	34	0	0	0
		बीज	38	46	0	0	0
	2022-2023	**उर्वरक**	27	25	0	0	0
		कीटनाशकों	40	35	0	0	0
		बीज	53	44	0	0	0
	2023-2024 (22.08.23 तक)	**उर्वरक**	27	12	0	0	0
		कीटनाशकों	34	10	0	0	0
		बीज	56	12	0	0	0
पानीपत	**2015-16**	**उर्वरक**	100	22	0	0	0
		कीटनाशकों	115	51	0	0	0
		बीज	220	90	0	0	0
	2016-2017	**उर्वरक**	100	27	1	0	0
		कीटनाशकों	115	33	1	1	0
		बीज	115	66	0	0	0
	2017-2018	**उर्वरक**	100	73	0	0	0
		कीटनाशकों	115	74	3	2	2
		बीज	115	103	0	0	0
		उर्वरक	100	75	3	2	1

	2018-2019	**कीटनाशकों**	151	93	2	2	0
		बीज	113	68	1	0	0
	2019-2020	**उर्वरक**	151	133	3	1	2
		कीटनाशकों	186	142	16	16	3
		बीज	167	125	3	2	1
	2020-2021	**उर्वरक**	151	134	9	0	2
		कीटनाशकों	186	128	7	7	0
		बीज	167	147	4	4	0
	2021-2022	**उर्वरक**	151	123	0	5	1
		कीटनाशकों	186	129	2	2	0
		बीज	167	140	0	0	0
	2022-2023	**उर्वरक**	151	63	2	2	2
		कीटनाशकों	186	107	0	0	0
		बीज	167	98	0	0	0
	2023-2024 (22.08.23 तक)	**उर्वरक**	187	45	1	1	1
		कीटनाशकों	190	49	0	0	0
		बीज	191	67	0	0	0

रेवाड़ी	**2015-16**	**उर्वरक**	58	58	0	0	0
		कीटनाशकों	38	38	0	3	0
		बीज	168	168	0	0	0
	2016-2017	**उर्वरक**	13	13	0	0	0
		कीटनाशकों	17	17	0	0	0
		बीज	102	102	9	0	0
	2017-2018	**उर्वरक**	47	47	0	0	0
		कीटनाशकों	48	48	0	0	0
		बीज	135	135	0	0	0
	2018-2019	**उर्वरक**	50	50	0	0	0
		कीटनाशकों	40	40	1	1	0
		बीज	88	88	3	0	0
	2019-2020	**उर्वरक**	73	73	0	0	0
		कीटनाशकों	79	79	4	4	0
		बीज	154	154	2	2	0
		उर्वरक	62	62	0	0	0

	2020-2021	कीटनाशकों	55	55	2	1	0
		बीज	143	143	0	0	0
	2021-2022	उर्वरक	20	20	0	0	2
		कीटनाशकों	21	21	0	0	0
		बीज	128	128	0	1	0
	2022-2023	उर्वरक	75	75	1	1	1
		कीटनाशकों	64	64	0	0	0
		बीज	157	157	0	0	0
	2023-2024 (22.08.23 तक)	उर्वरक	19	4	0	0	0
		कीटनाशकों	14	3	0	0	0
		बीज	56	56	0	0	0
रोहतक	2015-16	उर्वरक	105	113	0	0	0
		कीटनाशकों	65	67	0	0	0
		बीज	240	164	0	0	0
	2016-2017	उर्वरक	105	35	0	0	0
		कीटनाशकों	65	28	0	0	0
		बीज	117	58	0	0	0
	2017-2018	उर्वरक	105	18	0	0	0
		कीटनाशकों	65	43	0	0	0
		बीज	117	58	0	0	0
	2018-2019	उर्वरक	105	63	2	2	0
		कीटनाशकों	65	56	1	1	0
		बीज	77	58	0	0	0
	2019-2020	उर्वरक	158	83	1	2	2
		कीटनाशकों	100	75	2	2	2
		बीज	161	90	1	1	0
	2020-2021	उर्वरक	158	60	1	0	0
		कीटनाशकों	100	47	1	1	0
		बीज	101	71	0	0	0
	2021-2022	उर्वरक	114	110	0	0	2
		कीटनाशकों	100	87	5	5	1
		बीज	108	116	0	0	0
		उर्वरक	158	102	1	1	1

	2022-2023	**कीटनाशकों**	100	77	0	0	0
		बीज	114	117	0	0	0
	2023-2024 (22.08.23 तक)	**उर्वरक**	196	53	0	0	0
		कीटनाशकों	114	34	0	0	0
		बीज	116	49	0	0	0

सोनीपत	**2015-16**	**उर्वरक**	150	148	0	0	0
		कीटनाशकों	85	95	0	0	4
		बीज	230	200	0	0	0
	2016-2017	**उर्वरक**	112	92	1	1	0
		कीटनाशकों	85	71	2	2	0
		बीज	112	118	2	0	0
	2017-2018	**उर्वरक**	150	128	1	0	0
		कीटनाशकों	85	73	1	0	0
		बीज	112	83	3	0	0
	2018-2019	**उर्वरक**	150	121	9	9	0
		कीटनाशकों	85	86	4	4	0
		बीज	112	151	1	1	0
	2019-2020	**उर्वरक**	224	222	11	4	2
		कीटनाशकों	129	128	15	15	1
		बीज	170	167	1	1	0
	2020-2021	**उर्वरक**	224	208	11	11	0
		कीटनाशकों	129	121	5	5	0
		बीज	170	158	0	0	0
	2021-2022	**उर्वरक**	224	230	0	0	5
		कीटनाशकों	129	124	0	0	0
		बीज	170	189	0	0	0
	2022-2023	**उर्वरक**	224	224	2	2	2
		कीटनाशकों	129	130	0	0	0
		बीज	196	202	0	0	0
	2023-2024 (22.08.23 तक)	**उर्वरक**	274	63	4	1	0
		कीटनाशकों	147	71	0	0	0
		बीज	200	65	0	0	0
सिरसा	**2015-16**	**उर्वरक**	270	148	6	6	0

		कीटनाशकों	135	143	1	1	0
		बीज	400	377	4	4	1
	2016-2017	उर्वरक	270	52	1	1	0
		कीटनाशकों	135	111	4	4	2
		बीज	202	208	0	0	0
	2017-2018	उर्वरक	270	206	1	1	0
		कीटनाशकों	135	122	5	5	0
		बीज	202	175	1	1	0
	2018-2019	उर्वरक	270	271	7	7	0
		कीटनाशकों	135	135	7	7	0
		बीज	202	202	1	1	0
	2019-2020	उर्वरक	404	206	7	7	0
		कीटनाशकों	202	126	17	15	0
		बीज	310	217	0	0	0
	2020-2021	उर्वरक	404	203	7	6	2
		कीटनाशकों	202	130	10	5	1
		बीज	310	177	2	2	1
	2021-2022	उर्वरक	404	238	7	7	4
		कीटनाशकों	202	140	4	4	3
		बीज	310	271	1	1	0
	2022-2023	उर्वरक	404	214	3	3	1
		कीटनाशकों	202	146	2	2	1
		बीज	342	203	0	0	0
	2023-2024 (22.08.23 तक)	उर्वरक	452	22	0	0	0
		कीटनाशकों	230	45	0	0	0
		बीज	206	71	1	0	0

मेवात	2015-16	उर्वरक	40	26	0	0	0
		कीटनाशकों	20	15	0	0	0
		बीज	120	68	0	0	0
	2016-2017	उर्वरक	40	12	0	0	0
		कीटनाशकों	20	7	0	0	0
		बीज	55	55	0	0	0
		उर्वरक	40	7	0	0	0

	2017-2018	**कीटनाशकों**	17	17	0	0	0
		बीज	59	45	0	0	0
	2018-2019	**उर्वरक**	40	40	0	0	0
		कीटनाशकों	19	19	0	0	0
		बीज	60	60	1	1	0
	2019-2020	**उर्वरक**	54	54	0	0	0
		कीटनाशकों	36	36	3	3	0
		बीज	87	87	2	2	0
	2020-2021	**उर्वरक**	60	60	0	0	0
		कीटनाशकों	30	30	4	4	0
		बीज	90	90	0	0	0
	2021-2022	**उर्वरक**	61	61	3	0	3
		कीटनाशकों	37	37	1	0	0
		बीज	90	90	0	0	0
	2022-2023	**उर्वरक**	62	51	0	0	0
		कीटनाशकों	32	34	0	0	0
		बीज	107	98	0	0	0
	2023-2024 (22.08.23 तक)	**उर्वरक**	77	12	0	0	0
		कीटनाशकों	37	7	0	0	0
		बीज	111	45	0	0	0
पलवल	**2015-16**	**उर्वरक**	110	86	0	0	0
		कीटनाशकों	55	94	5	4	0
		बीज	185	84	1	0	0
	2016-2017	**उर्वरक**	110	48	0	0	0
		कीटनाशकों	55	31	0	0	0
		बीज	**97**	14	0	0	0
	2017-2018	**उर्वरक**	**110**	56	0	0	0
		कीटनाशकों	**55**	21	0	0	0
		बीज	**97**	4	0	0	0
	2018-2019	**उर्वरक**	110	65	6	0	0
		कीटनाशकों	55	28	0	0	0
		बीज	97	81	0	0	0
		उर्वरक	165	62	1	0	0

	2019-2020	**कीटनाशकों**	55	22	3	1	0
		बीज	149	123	2	0	0
	2020-2021	**उर्वरक**	165	55	1	0	1
		कीटनाशकों	55	34	2	2	0
		बीज	149	137	1	0	0
	2021-2022	**उर्वरक**	165	36	0	0	0
		कीटनाशकों	55	24	1	1	0
		बीज	149	128	0	0	0
	2022-2023	**उर्वरक**	165	36	0	0	0
		कीटनाशकों	55	19	0	0	0
		बीज	178	33	0	0	0
	2023-2024 (22.08.23 तक)	**उर्वरक**	165	10	0	0	0
		कीटनाशकों	55	18	1	1	0
		बीज	182	46	0	0	0

यमुनानगर	**2015-16**	**उर्वरक**	130	132	0	0	0
		कीटनाशकों	85	82	1	0	0
		बीज	230	206	1	0	0
	2016-2017	**उर्वरक**	130	129	1	0	0
		कीटनाशकों	85	61	1	1	0
		बीज	115	120	0	0	0
	2017-2018	**उर्वरक**	130	118	4	0	0
		कीटनाशकों	85	73	2	2	0
		बीज	113	110	2	0	2
	2018-2019	**उर्वरक**	130	115	6	0	0
		कीटनाशकों	85	93	5	5	0
		बीज	90	91	0	0	0
	2019-2020	**उर्वरक**	193	175	4	0	0
		कीटनाशकों	115	114	3	3	0
		बीज	170	152	2	1	1
	2020-2021	**उर्वरक**	193	197	9	0	0
		कीटनाशकों	128	126	5	5	0

		बीज	172	124	3	1	0
	2021-2022	उर्वरक	193	194	3	0	0
		कीटनाशकों	128	128	1	1	1
		बीज	172	172	0	0	0
	2022-2023	उर्वरक	193	184	15	8	8
		कीटनाशकों	128	88	3	0	0
		बीज	172	108	0	0	0
	2023-2024 (22.08.23 तक)	उर्वरक	241	26	0	0	0
		कीटनाशकों	146	26	2	0	0
		बीज	199	29	0	0	0
कुल (सभी जिले)	**2015-16**	**उर्वरक**	**2528**	**1950**	**21**	**7**	**3**
		कीटनाशकों	**1779**	**1630**	**18**	**18**	**5**
		बीज	**4988**	**3872**	**25**	**17**	**2**
	2016-2017	**उर्वरक**	**2372**	**1596**	**20**	**12**	**1**
		कीटनाशकों	**1758**	**1218**	**18**	**17**	**7**
		बीज	**3440**	**2393**	**29**	**9**	**1**
	2017-2018	**उर्वरक**	**2512**	**1876**	**29**	**15**	**3**
		कीटनाशकों	**1779**	**1508**	**37**	**30**	**9**
		बीज	**2396**	**2257**	**21**	**13**	**5**
	2018-2019	**उर्वरक**	**2495**	**2012**	**81**	**43**	**7**
		कीटनाशकों	**1816**	**1545**	**52**	**48**	**7**
		बीज	**2444**	**2197**	**21**	**8**	**1**
	2019-2020	**उर्वरक**	**3535**	**2494**	**80**	**43**	**18**
		कीटनाशकों	**2572**	**2078**	**139**	**92**	**17**
		बीज	**3371**	**2867**	**40**	**20**	**2**
	2020-2021	**उर्वरक**	**3531**	**2477**	**88**	**48**	**18**
		कीटनाशकों	**2622**	**2146**	**119**	**76**	**14**
		बीज	**3709**	**2670**	**28**	**21**	**4**
	2021-2022	**उर्वरक**	**3570**	**2640**	**39**	**35**	**30**
		कीटनाशकों	**2552**	**2153**	**65**	**50**	**8**
		बीज	**3727**	**3251**	**6**	**4**	**0**
	2022-2023	**उर्वरक**	**3675**	**2549**	**48**	**31**	**19**
		कीटनाशकों	**2592**	**2091**	**70**	**48**	**1**
		बीज	**4146**	**3027**	**8**	**2**	**2**

	2023-2024 (22.08.23 तक)	उर्वरक	4364	740	7	3	2
		कीटनाशकों	2821	761	21	3	1
		बीज	3927	1342	13	1	0
	कुल		115725	81820	1603	1024	271

अनुलग्नक- ख

क्रमांक	वर्ष	वस्तु का नाम	रद्द किए गए लाइसेंसों की संख्या
1.	2015-2016	उर्वरक	0
		कीटनाशकों	0
		बीज	0
2.	2016-2017	उर्वरक	0
		कीटनाशकों	0
		बीज	0
3.	2017-2018	उर्वरक	0
		कीटनाशकों	2
		बीज	0
4.	2018-2019	उर्वरक	1
		कीटनाशकों	0
		बीज	1
5.	2019-2020	उर्वरक	0
		कीटनाशकों	0
		बीज	0
6.	2020-2021	उर्वरक	2
		कीटनाशकों	0
		बीज	0
7.	2021-2022	उर्वरक	1
		कीटनाशकों	0
		बीज	1
8.	2022-2023	उर्वरक	1
		कीटनाशकों	0
		बीज	0
9.	2023-2024 (22.08.23 □□)	उर्वरक	0
		कीटनाशकों	0
		बीज	1
		कुल	**10**

Ukewus ysus ds ekud

16. **Jh txchj flag efyd %&** D;k LokLF; ea=h d`I;k crk,axs fd%&

¼d½ D;k [kk| inkFkksZ ds uewus ysus ds fy, ljdkj ds dksbZ ekud gSa(;fn gka] rks izR;sd ftys dk D;k y{; gSa rFkk D;k bls gkfly dj fy;k x;k gS(;fn ugha] rks 2015 ls vkt rd lafyIr deZpkfj;ksa ds fo:) D;k dk;Zokgh dh xbZ gS(rFkk

¼[k½ 2015 ls vkt rd U;k;ky;ksa }kjk foQy uewus rFkk U;k;ky; esa nk;j ekeyks rFkk nks"kh fl} O;fDr;ksa dh la[;k fdruh gS rFkk mudk ftykokj C;kSjk D;k gS\

LokLF; ea=h ¼Jh vfuy fot½%

¼d½ [kk| ,oa vkS"kfèk ç'kklu foHkkx us 07-03-2012 dks vius lacafèkr ftys ls çfr [kk| lqj{kk vfèkdkjh çfr ekg 30 [kk| uewus ysus dk y{; fuèkkZfjr fd;k gS vkSj i= fnukad 18-09-2018 }kjk bls vkSj Li"V fd;k x;k gSA eq[; dk;Zdkjh vfèkdkjh] [kk| lqj{kk ,oa ekud çkfèkdj.k] ubZ fnYyh ls çkIr v/kZ ljdkjh i= fnukad 28-04-2023 dh vuqikyu esa] [kk| ,oa vkS"kfèk ç'kklu foHkkx] gfj;k.kk us 25 fuxjkuh uewus] 15 çorZu uewus vkSj 20 [kk| dkjksckj drkZvks ds fujh{k.k dk y{; çfr [kk| lqj{kk vfèkdkjh çfr ekg bl dk;kZy; ds i= la[;k 3@1¼,Q,lvks y{;½&1QwM&II@2023@1997&2042 fnukad 26-07-2023 }kjk fu/kkZfjr fd;k x;k gSA bl ekeys ij dsaæh; lykgdkj lfefr ¼Hkkjr ljdkj½ esa fu;fer :i ls ppkZ dh xbZ vkSj ik;k x;k fd [kk| lqj{kk

vfèkdkfj;ksa dks dbZ vU; drZO;ksa dk ikyu djuk iMrk gS tSls& eq[; U;kf;d eftLVªsV U;k;ky; esa vnkyrh ekeyksa esa Hkkx ysuk] vfrfjä mik;qä U;k;ky; esa U;kf;d ekeyksa esa] fujh{k.k] tkx:drk ds fy, dk;Z'kkyk,a] vkSpd Nkis] fo'ks"k vfHk;ku] ohohvkbZih drZO;ksa] [kk| dkjksckj drkZvks dk iathdj.k vkSj lacafèkr jkT; esa [kk| lqj{kk ,ao ekud vfèkfu;e] 2006 dks ykxw djus ds fy, [kk| lqj{kk ,ao ekud çkfèkdj.k] Hkkjr ljdkj }kjk 'kq: dh xbZ cgqr lh ;kstukvksa dks c<+kok nsuk gksrk gSA blfy, [kk| lqj{kk ,ao ekud çkfèkdj.k] Hkkjr ljdkj us çfr [kk| lqj{kk vfèkdkjh çfr ekg 08 ls 14 [kk| uewus ysus dh lykg nh gSA

[kk| lqj{kk ,ao ekud çkfèkdj.k] Hkkjr ljdkj }kjk gfj;k.kk jkT; ds fy, fuèkkZfjr y{;ksa rFkk [kk| lqj{kk vfèkdkfj;ksa }kjk çkIr fd, x;s y{;ksa dk o"kZokj fooj.k fuEu izdkj ls gS%&

o"kZ	gfj;k.kk jkT; ds fy, [kk| uewuksa dk y{;	o"kZ ds nkSjku gfj;k.kk jkT; ds [kk| lqj{kk vfèkdkfj;ksa }kjk fy, x, [kk| uewus	% deh (-)/ vf/kdrk (+)
2015&16	&	2515	,Q,l,l,vkbZ }kjk y{; fu/kkZfjr ugha fd;k x;k gSA
2016&17	&	2217	,Q,l,l,vkbZ }kjk y{; fu/kkZfjr ugha fd;k x;k gSA

2017&18	&	2545	,Q,l,l,vkbZ }kjk y{; fu/kkZfjr ugha fd;k x;k gSA
2018&19	3500	2992	(-) 14.52%
2019&20	3000	2409	(-) 19.7%
2020&21	1500	2547	(+) 69.8%
2021&22	&	4325	,Q,l,l,vkbZ }kjk y{; fu/kkZfjr ugha fd;k x;k gSA
2022&23	&	4392	,Q,l,l,vkbZ }kjk y{; fu/kkZfjr ugha fd;k x;k gSA

[kk| lqj{kk vfèkdkfj;ksa dh vR;kf/kd deh ds dkj.k gfj;k.kk jkT; esa [kk| ,oa vkS"kfèk ç'kklu foHkkx }kjk fuèkkZfjr y{; [kk| lqj{kk vfèkdkfj;ksa }kjk çkIr ugha fd;s tk ldsA orZeku esa [kk| lqj{kk vfèkdkfj;ksa ds 45 Loh—r inksa esa ls dsoy 02 in Hkjs gq, gSa rFkk 43 in fjä iM+s gSaA blfy,] foHkkx us [kk| uewuksa ds y{; dks çkIr djus ds fy, çfrfu;qfä ds vkèkkj ij [kk| lqj{kk vfèkdkfj;ksa ds 16 in Hkjs gSaA [kk| lqj{kk vfèkdkfj;ksa us o"kZ 2020&21 vkSj mlds ckn ,Q,l,l,vkbZ }kjk fuèkkZfjr y{;ksa dks gkfly dj fy;k gSA blls ;g izrhr gksrk gS fd vc gfj;k.kk jkT; ds [kk| lqj{kk vfèkdkjh viuk y{; y{; izkIr dj jgs gSaA fQj Hkh foHkkx us [kk| lqj{kk vfèkdkfj;ksa ds 41 fjä inksa dk ekax i= gfj;k.kk yksd lsok vk;ksx dks Hkstk gqvk gS] tks gfj;k.kk yksd lsok vk;ksx ds fopkjkèkhu gSA

¼[k½ Jheku th] ,d fooj.k lnu ds iVy ij j[kk gSA

विवरण 185

हरियाणा राज्य में खाद्य नमूनों के विफल पाए जाने और माननीय सीजेएम कोर्ट/एडीसी कोर्ट में दायर किये गये मामलों का जिलावार विवरण वर्ष 2015 से 31.07.2023 तक।

क0स0	जिले का नाम	असुरक्षित/अधोमानक/ मिथ्याछाप पाये गये खाद्य नमूनो की संख्या	सीजेएम कोर्ट/एडीसी कोर्ट में दायर किये गये मामलों की संख्या	सीजेएम कोर्ट/एडीसी कोर्ट में दोषी किये गये व्यक्तियों की संख्या	सीजेएम कोर्ट/एडीसी कोर्ट द्वारा लगाया गया जुर्माना
1	अम्बाला	269	252	225	1628500
2	भिवानी	199	195	127	1214500
3	चरखी दादरी	98	57	48	1271000
4	फरीदाबाद	387	374	125	1493000
5	फतेहाबाद	383	382	289	5009700
6	गुरूग्राम	462	406	244	10055000
7	हिसार	379	337	191	5442000
8	झज्जर	232	180	130	1188200
9	जींद	235	218	176	2747910
10	कैथल	189	182	138	934100
11	करनाल	269	258	177	3141600
12	कुरूक्षेत्र	215	210	188	852400
13	महेन्द्रगढ	185	175	139	1370000
14	मेवात	198	189	79	1547700
15	पलवल	206	200	108	1237000
16	पंचकुला	246	244	134	827400
17	पानीपत	386	274	171	3579100
18	रेवाडी	230	230	138	3480000
19	रोहतक	282	252	236	1730500
20	सिरसा	205	157	141	2928500
21	सोनीपत	295	234	198	3868500
22	यमुनानगर	132	118	107	568000
	कुल	5682	5124	3509	56114610

----

tehu dk voS/k dCtk

17- Jh fc"ku yky lSuh % D;k fodkl ,oa iapk;r ea=h d`i;k crk,axs fd jknkSj fo/kkulHkk fuokZpu {ks= esa jknkSj [kaM ds jiM+h xkao esa dqN yksxksa }kjk iapk;rh Hkwfe dk voS/k dCtk dj fy;k x;k gS rFkk mudks iapk;r vf/kdkjh dk laj{k.k izkIr gS(;fn gka] rks mldk C;kSjk D;k gS?

fodkl ,ao iapk;r ea=h ¼Jh nsosUnz flag ccyh½% Jheku~ th] [k.M jknkSj ds xkao jiM+h esa ftu O;fDr;ksa us iapk;r Hkwfe ij vukf/kd`r dCtk dj j[kk gS] mudk fooj.k bl izdkj gS%&

(i) [kljk uacj 68 esa ls 3 ejyk Hkwfe yky flag ds dCts esa gSA mlds f[kykQ csn[kyh vkns"k igys gh ikfjr fd;k tk pqdk gS vkSj csn[kyh vkns"k ds fØ;kUo;u dh fjiksVZ ds fy, ekeyk 09-10-2023 dks fuf"pr gSA

(ii) [kljk uacj 97 esa ls 155 oxZ xt Hkwfe jkts"k dqekj iq= Jh j?kqchj flag ds dCts esa gS vkSj [kljk uacj 34 esa ls 150 oxZ QhV Hkwfe t; Hkxoku iq= Jh ukFkh jke ds dCts esa gSA muds f[kykQ csn[kyh ;kfpdk,a lgk;d dySDVj izFke Js.kh ,oa ,l0Mh0vks0 ¼flfoy½ jknkSj ds le{k yafcr gSaA

(iii) ch0lh0 pkSiky dh Hkwfe ij "kh"k iky iq= Jh yky flag us nhokj cukdj vfrdze.k dj fy;k FkkA xzke iapk;r us mls uksfVl tkjh fd;s Fks vkSj fnukad 22-08-2023 dks iqfyl dh enn ls mDr vukf/kd`r dCts dks gVk fn;k x;k gSAdksbZ Hkh iapk;r vf/kdkjh bu vukf/kd`r dCtk/kkfj;ksa dks dksbZ laj{k.k ugha ns jgk gSA

विभिन्न कार्य पूरे करना

18. श्री घनश्याम सर्राफ : क्या उप मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि क्या भिवानी में राष्ट्रीय राजमार्ग 709ई सड़क पर चौधरी देवीलाल सदन से नए बस स्टैंड पर पेट्रोल पंप तक

सड़क चौड़ी करना, नाला बनाना, पेड़ हटाने, बिजली के खम्बों का स्थानान्तरण तथा साथ लगती आर.सी.सी. सड़क पर ब्लॉक लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो उपरोक्त प्रस्ताव में वर्णित कार्यों के कब तक पूरे किए जाने की संभावना है?

उप मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : नहीं श्रीमान् जी, इस खंड में मौजूदा 4-लेन राजमार्ग के चौड़ीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है। हालाँकि, मौजूदा 4-लेन राजमार्ग का पुनर्निर्माण चौधरी देवी लाल सदन से नए बस स्टैंड (कि0मी0 116.570 से कि0मी0 118.300) तक सीमेंट कंक्रीट फुटपाथ प्रदान करके दोनों तरफ साइड ड्रेन (नाला) के निर्माण के साथ किया जा रहा है। वर्तमान में 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है।

फ्लोर / प्लेटफार्म का निर्माण करना

19. **श्री घनश्याम सर्राफ** : क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि क्या भिवानी में रेड क्रॉस के सामने काठ मंडी मार्केट में पक्का फ्लोर/प्लेटफार्म बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो इसका निर्माण कब तक किए जाने की संभावना है?

मुख्यमंत्री (श्री महोनर लाल) : हां, श्रीमान जी भिवानी के काठ मंडी बाजार में रेड क्रॉस के सामने सीमेंट कंक्रीट पेवर ब्लॉक बिछाकर पक्का फर्श / प्लेटफार्म बनाने का कार्य 47.75 लाख रूपये में आबंटित किया गया है जिसमें से लगभग 60 %कार्य पूरा हो चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है और इसे 30.09.2023 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

Mªsu dh iVjh ij lM+d dk fuekZ.k djuk

20. Jh yhyk jke% D;k eq[;ea=h d`i;k crk,axs fd%&

¼d½ D;k dSFky 'kgj ls xkao ltqek ok;k dqrqciqj rd Mªsu dh iVjh ij lM+d dk fuekZ.k djus dk dksbZ izLrko ljdkj ds fopkjk/khu gS; rFkk

¼[k½ ;fn gka] rks mijksDr lM+d dk fuekZ.k dc rd fd, tkus dh laHkkouk gS\

eq[;ea=h ¼Jh euksgj yky½%

¼d½ ugha] Jheku thA

¼[k½ mijksDr ¼d½ ds lanHkZ esa ;g iz"u ekU; ugha gSA

X;ksax Mªsu dks iDdk djuk

21- Jh yhyk jke % D;k 'kgjh LFkkuh; fudk; ea=h d`i;k crk,axs fd%&

¼d½ D;k dSFky “kgj ls gksdj xqtjus okyh X;ksax Mªsu dks iDdk djus dk dksbZ izLrko ljdkj ds fopkjk/khu gS;

¼[k½ ;fn gka] rks mijksDr izLrko ij dc rd vkjEHk fd, tkus dh laHkkouk gS\

eq[;ea=h ¼Jh euksgj yky½%

¼d½ ugha] Jheku thA

¼[k½ mijksDr ¼d½ ds lanHkZ esa ;g iz”u ekU; ugha gSA

----

24 घंटे बिजली की आपूर्ति

22- डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा : क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बताएंगे कि :-

(क) राज्य के गांवों की कुल संख्या कितनी है जिनमें 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जाती है;

(ख) जिला जींद के गांवों की कुल संख्या कितनी है तथा जींद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उन गांवों की कुल संख्या कितनी है जिनमें 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जाती है; तथा

(ग) क्या यह तथ्य है कि गांव अमरहेड़ी जगमग योजना के अंतर्गत है; यदि हां, तो उक्त गांव में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति न किए जाने के कारण क्या है?

ऊर्जा मंत्री (श्री रणजीत सिंह) : श्रीमान,

(क) राज्य में कुल 5786 गांव (द.ह.बि.वि.नि. में 2472 + उ.ह.बि.वि.नि. में 3314) हैं, जिनमें 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है।

(ख) जिला जींद के 22 गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है। वर्तमान में जींद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के किसी भी गांव में 24 घंटे बिजली आपूर्ति नहीं की जा रही है।

(ग) हां, गांव अमरहेड़ी को म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत शामिल किया गया है। 11 के.वी. अमरहेड़ी आर.डी.एस. फीडर से कुल तीन गांव अहिरका, अमरहेड़ी और कैर खेड़ी जुड़े हैं। इन तीन गांवों में से, अहिरका और अमरहेड़ी दो गांवों में जगमग योजना का कार्य म्हारा गांव जगमग गांव योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार पूरा हो चुका है। लेकिन एक गांव कैर खेड़ी का कार्य उपभोक्ताओं के परिसरों से बाहर मीटरों को स्थानांतरित करने की समस्याओं के कारण लंबित है। म्हारा गांव जगमग गांव योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार जब कैर खेड़ी गांव का कार्य पूरा हो जाएगा और टी एंड डी घाटा 20 प्रतिशत तक या उससे कम हो जाएगा, तो योजना के प्रावधान के अनुसार 11 के.वी. अमरहेड़ी आर.डी.एस. फीडर/ अमरहेड़ी गांव को 24 घंटे बिजली आपूर्ति दी जाएगी।

रोजगार मेलों की कुल संख्या

23. डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि:-

(क) वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान जिला रोजगार कार्यालय, जींद द्वारा आयोजित मेलों की कुल संख्या fdruh gS rFkk उपरोक्त रोजगार मेलों)kjk रोजगार izkIr युवाओं की संख्या fdruh gS और mldk C;kSjk D;k gS rFkk

(ख) जींद जिले में सरकार की सक्षम युवा योजना के तहत लाभ लेने वाले सक्षम युवाओं की संख्या fdruh gS, नाम, पता rFkk muds संपर्क नंबर का C;kSjk D;k gS \

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : श्रीमान जी, इस बारे कथन सभा पटल पर रख दिया गया है।

कथन

श्रीमान जी]

(क) कुल संख्या जिला रोजगार कार्यालय]जींद और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा आयोजित किए गए रोज़गार मेलों व नियुक्तियों को नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

□□□□□□□□	□□□ □□□□	□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□□□□□	□□□ □□□□□□□□□□
1	□□□□□□-2021 □□ □□□□□-2022 □□	30	162

2	□□□□□□-2022 □□ □□□□□-2023 □□	30	300
3	□□□□□□-2023 □□ □□□□□-2023 □□	28	22
□□□		**88**	**484**

रोजगार के इच्छुक प्रार्थी] का विवरण जिन्हें □□□□□□□□□ मिली है अनुबंध–**1** में संलग्न हैं।

(ख) सक्षम युवा योजना के तहत वर्तमान में जिला जींद में 34]219 सक्षम युवा वित्तीय लाभ ले रहे हैं**A**

उनके विवरण अनुबंध-**2** में संलग्न हैं**A**

@ ps;j ds vkns”kkuqlkj mijksDr iz”u ds tokc ds dFku ds vuSDptZ 665 isftt ds gksus ds dkj.k iwoZ izFkkuqlkj fo/kku lHkk ds iqLrdky; esa j[kk;k x;k।

एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने बारे

24. **श्री लक्ष्मण नापा** : क्या मुख्यमंत्री कृप्या बताएंगे कि–

(क) क्या यह तथ्य है कि रतिया विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के रतिया शहर में एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने के लिए सरकार द्वारा 5 करोड़ रूपये की धनराशि स्वीकृत की गयी थी लेकिन अब तक कार्य आरम्भ नहीं हुआ; तथा

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्य के कब तक आरम्भ होने की संभावना है?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : श्रीमान जी,

(क) रतिया शहर में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने की कोई भी स्वीकृति जारी नहीं की गई है यद्यपि रतिया विधान सभा क्षेत्र के गांव जाखनदादी जिला फतेहाबाद में प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत नई आई.टी.आई. खोलने का प्रस्ताव है जिसके भवन निर्माण के लिए 40 कनाल भूमि की स्वीकृति दिनांक 30.01.2019 को दी जा चुकी है। भारत सरकार अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा 502.00 लाख रूपये की स्वीकृति प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत वर्ष 2015-16 में प्रदान की गई थी। यद्यपि यह राशि पर्याप्त नहीं थी इसलिए 1581.68 लाख रूपये का नया प्रस्ताव बनाकर भारत सरकार अल्पसंख्यक मंत्रालय को दिनांक 13.12.2022 को भेजा जा चुका है। उनकी स्वीकृति अभी लम्बित है।

(ख) यह भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान करने पर निर्भर है।

सड़कों की मरम्मत तथा चौड़ा करना

25. **श्री सुभाष गांगोली**: क्या उप-मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि क्या यह तथ्य है कि लोक निर्माण विभाग की सड़कों की मरम्मत तथा चौड़ा करने के लिए सरकार द्वारा ₹25 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई थी; यदि हां, तो उपरोक्त अनुदान के अंतर्गत मेरे द्वारा अनुशंसित की गई सफीदों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की 20 सड़कों की वर्तमान स्थिति क्या है तथा उसका ब्यौरा क्या है\

उप मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): हाँ, श्रीमान् जी। सफीदों निर्वाचन क्षेत्र की 20 नं० सड़कों की मुरम्मत के लिए प्रशासनिक स्वीकृति रूपये 2467.22 लाख की सरकार द्वारा जारी की गई है। 20 नं० सड़कों में से, 11 नं० सड़कों का निविदा आवंटित कर दी गई है, 3 नं० सड़कों का निविदा प्राप्त हो चुकी है और शेष 6 नं० सड़कों का निविदा आमंत्रित कर दी गई है । सड़कवार विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण 196

श्री सुभाष गांगोली, सफीदों निर्वाचनक्षेत्र द्वारा पूछा गया अतारांकित विधान सभा प्रश्न संख्या-14/16/289

मेज़ पर

सफीदों निर्वाचन क्षेत्र की 20 नं॰ सड़कों की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार से है:-

क्र॰ सं॰	सड़क का नाम	लम्बाई	शीर्ष	प्रशासनिक स्वीकृति नं॰ व दिनांक	प्रशासनिक स्वीकृति राशि (रूपये लाखों में)	वर्तमान स्थिति
1	जामनी से भम्भेवा सड़क की विशेष मुरम्मत (सड़क संख्या 6597) (माननीय मुख्यमंत्री घोषणा नं॰ 25935 दिनांक 03.04.2022)	18.430	3054	ए.बी.एस. नं॰ 09/39/2023-3 बी एण्ड आर (डब्ल्यू) दिनांक 11.01.2023	617.73	संविदा एजेंसी को हाल ही में निविदा आवंटित कर दी गई है तथा कार्य प्रगति पर है।
2	जीन्द सफीदों सड़क से रजाना कलां सड़क की विशेष मुरम्मत (सड़क संख्या 6705)	2.700	5054	ए.बी.एस. नं॰ 09/170/2023-3 बी एण्ड आर (डब्ल्यू) दिनांक 19.03.2023	152.62	संविदा एजेंसी को हाल ही में निविदा आवंटित कर दी गई है तथा कार्य प्रगति पर है।
3	जामनी रिटोली सड़क जिला सीमा तक सड़क की विशेष मुरम्मत (सड़क संख्या 6709)	0.230	5054	ए.बी.एस. नं॰ 09/71/2023-3 बी एण्ड आर (डब्ल्यू) दिनांक 15.02.2023	18.29	संविदा एजेंसी को हाल ही में निविदा आवंटित कर दी गई है तथा कार्य प्रगति पर है।
4	गांगोली से भागखेड़ा तक सड़क की विशेष मुरम्मत (सड़क संख्या 6676)	0.700	5054	ए.बी.एस. नं॰ 09/71/2023-3 बी एण्ड आर (डब्ल्यू) दिनांक 15.02.2023	43.17	संविदा एजेंसी को हाल ही में निविदा आवंटित कर दी गई है तथा कार्य प्रगति पर है।
5	डाहरथ जल कार्य सड़क की विशेष मुरम्मत (सड़क संख्या 10125)	1.600	5054	ए.बी.एस. नं॰ 09/71/2023-3 बी एण्ड आर (डब्ल्यू) दिनांक 15.02.2023	85.98	संविदा एजेंसी को हाल ही में निविदा आवंटित कर दी गई है तथा कार्य प्रगति पर है।
6	मोहम्मद खेड़ा से बनिया खेड़ा तक सड़क का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण (सड़क संख्या 6722)	0.460	5054	ए.बी.एस. नं॰ 09/71/2023-3 बी एण्ड आर (डब्ल्यू) दिनांक 15.02.2023	59.81	संविदा एजेंसी को हाल ही में निविदा आवंटित कर दी गई है तथा कार्य प्रगति पर है।
7	टिटो खेड़ी अपरोच सड़क का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण (सड़क संख्या 6718)	0.600	5054	ए.बी.एस. नं॰ 09/71/2023-3 बी एण्ड आर (डब्ल्यू) दिनांक 15.02.2023	80.58	संविदा एजेंसी को हाल ही में निविदा आवंटित कर दी गई है तथा कार्य प्रगति पर है।
8	बागडू कलां से ऐंचराखुर्द सड़क का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण (सड़क संख्या 6616)	0.500	3054	ए.बी.एस. नं॰ 09/170/2023-3 बी एण्ड आर (डब्ल्यू) दिनांक 19.03.2023	36.74	संविदा एजेंसी को हाल ही में निविदा आवंटित कर दी गई है तथा कार्य प्रगति पर है।

197

क्र॰ सं॰	सड़क का नाम	लम्बाई	शीर्ष	प्रशासनिक स्वीकृति नं॰ व दिनांक	प्रशासनिक स्वीकृति राशि (रूपये लाखों में)	वर्तमान स्थिति
9	अमरावती खेड़ा अपरोच सड़क का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण (सड़क संख्या 6690)	7.220	3054	ए.सी.एस. नं॰ 09/71/2023-3 बी एण्ड आर (डब्ल्यू) दिनांक 15.02.2023	263.77	संविदा एजेंसी को हाल ही में निविदा आवंटित कर दी गई है तथा कार्य प्रगति पर है।
10	भुरैन अपरोच सड़क का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण (सड़क संख्या 6725)	1.600	3054	ए.सी.एस. नं॰ 09/71/2023-3 बी एण्ड आर (डब्ल्यू) दिनांक 15.02.2023	77.21	संविदा एजेंसी को हाल ही में निविदा आवंटित कर दी गई है तथा कार्य प्रगति पर है।
11	आफताबगढ अपरोच सड़क का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण (सड़क संख्या 6688)	1.050	3054	ए.सी.एस. नं॰ 09/39/2023-3 बी एण्ड आर (डब्ल्यू) दिनांक 11.01.2023	46.23	संविदा एजेंसी को हाल ही में निविदा आवंटित कर दी गई है तथा कार्य प्रगति पर है।
12	जीन्द सफीदों सड़क से बहादुरगढ सड़क का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण (सड़क संख्या 6610)	4.750	5054	ए.सी.एस. नं॰ 09/39/2023-3 बी एण्ड आर (डब्ल्यू) दिनांक 11.01.2023	227.53	निविदा आवंटन प्रक्रियाधीन है।
13	पानीपत-असन्ध सड़क से मलिकपुर सड़क का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण (सड़क संख्या 6723)	1.150	5054	ए.सी.एस. नं॰ 09/71/2023-3 बी एण्ड आर (डब्ल्यू) दिनांक 15.02.2023	64.17	निविदा आवंटन प्रक्रियाधीन है।
14	पानीपत-असन्ध सड़क से धर्मगढ सड़क की विशेष मरम्मत (सड़क संख्या 6701)	3.350	3054	ए.सी.एस. नं॰ 09/277/2023-3 बी एण्ड आर (डब्ल्यू) दिनांक 16.06.2023	190.09	निविदा तकनीकि रूप से दिनांक 14.08.2023 को खोला गया तथा वित्तिय रूप से लम्बित है।
15	बेरी खेड़ा अपरोच सड़क का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण (सड़क संख्या 6686)	1.300	5054	ए.सी.एस. नं॰ 09/277/2023-3 बी एण्ड आर (डब्ल्यू) दिनांक 16.06.2023	52.17	निविदा आमंत्रित कर ली गई है व दिनांक 28.08.2023 को प्राप्त होगी।
16	रजाना खुर्द से रजाना कलां तक सड़क का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण (सड़क संख्या 6687)	1.250	5054	ए.सी.एस. नं॰ 09/277/2023-3 बी एण्ड आर (डब्ल्यू) दिनांक 16.06.2023	60.09	निविदा आमंत्रित कर ली गई है व दिनांक 28.08.2023 को प्राप्त होगी।
17	जीन्द-सफीदों सड़क से होशियारपुरा सड़क का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण (सड़क संख्या 6724)	2.600	5054	ए.सी.एस. नं॰ 09/277/2023-3 बी एण्ड आर (डब्ल्यू) दिनांक 16.06.2023	110.99	निविदा आमंत्रित कर ली गई है व दिनांक 28.08.2023 को प्राप्त होगी।

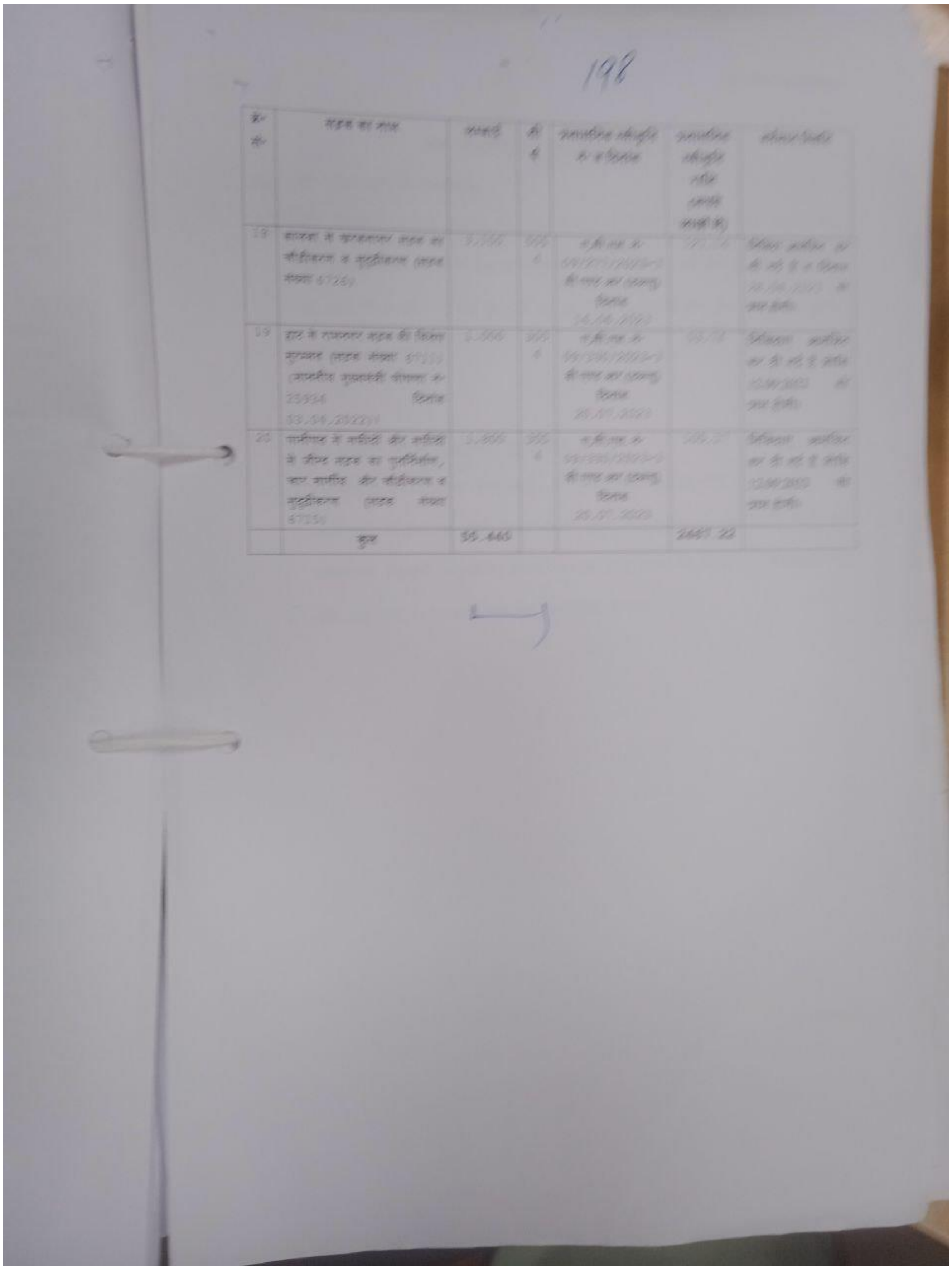

Lkc&ekbuj dks iqu% iDdk djuk

26. Jh lqHkk"k xkaxksyh % D;k eq[;ea=h d`i;k crk,axs fd D;k lQhnksa eas fLFkr ekaMh [kqnZ lc&ekbuj dks iqu% iDdk djus dks dksbZ izLrko ljdkj ds fopkjk/khu gS tks fd 35 o"kZ igys cuh Fkh

rFkk th.kZ&'kh.kZ gks xbZ gS; ;fn gka] rks mDr ekbuj ds dc rd iqu% iDdk fd, tkus dh laHkkouk gS\

eq[;ea=h ¼Jh euksgj yky½% gka] Jheku thA eqvkuk fMLVªhC;wVªh dh cqthZ la[;k 41000&nk,a ls fudyus okyh ekaMh [kqnZ ekbuj dh cqthZ la[;k 0 ls 5850 ¼Vsy½ rd ds iquokZl ds dk;Z dh ifj;kstuk ftldh vuqekfur ykxr 167-67 yk[k :i;s gS] foHkkx ds fopkjk/khu gS vkSj ;g dk;Z 31-12-2024 rd iwjk dj fy;k tk,xkA

–––––––

cka/kksa ds lqn`<+hdj.k ,oa [kqnkbZ ds fy, dqy ctV

27. Jh 'kh'kiky flag dsgjokyk % D;k eq[;ea=h d`i;k crk,axs fd%&

¼d½ ?kXxj unh ds cka/kksa ds lqn`<+hdj.k ,oa [kqnkbZ ds fy, vizSy] 2022 ls twu] 2023 rd dqy fdruk ctV tkjh fd;k x;k;

¼[k½ mijksDr ctV esa ls mDr vof/k ds nkSjku [kpZ fd;k dqy ctV fdruk gS; rFkk

¼x½ ml en dk uke D;k gS ftl ij ctV dh mDr jkf'k [kpZ dh xbZ gS rFkk ;g jkf'k dc [kpZ dh xbZ Fkh\

eq[;ea=h ¼Jh euksgj yky½%

¼d½ Jheku th] ?kXxj unh ds cka/kksa dks etcwr djus vkSj [kqnkbZ ds fy, vizSy] 2022 ls twu] 2023 rd dksbZ ctV tkjh ugha fd;k x;k gSA

¼[k o ग) mijksDr ¼d½ ds lanHkZ esa यह iz"u मान्य ugh gSA

----

v/;kidksa ds fjDr inksa dks Hkjuk

28. pkS- vkQrkc vgen % D;k Ldwy f"k{kk ea=h d`i;k crk,axs fd o'kZ 2015 ls vc rd esokr dSMj ls lacaf/kr fuEufyf[kr C;kSjk %&

¼d½ LFkk;h inksa ij HkrhZ fd;ss x;s Ldwy f"k{kd dh in&okj la[;k fdruh gS rFkk mldh iwjh lwfp D;k gS (

¼[k½ ftys ds ckgj LFkkukUrj.k@izfrfu;qDr fd, x, f"k{kdksa dh dqy la[;k fdruh gS (rFkk

¼x½ fjDr inksa dh dqy la[;k fdruh gS rFkk bu inksa dks dc rd Hkjs tkus dh laHkkouk gS \

Ldwy f"k{kk ea=h ¼Jh daoj iky½ % egksn;] esokr dSMj esa 2015 ls vc rd dh vko";d tkudkjh bl izdkj gS%

¼d½ LFkk;h inksa ij HkrhZ fd;s x;s Ldwy f"k{kdksa dh inokj la[;k bl izdkj gS %&

Tks0ch0Vh0	648
Vh0th0Vh0	553
ih0th0Vh0	153
dqy	**1354**

¼[k½ ftys ls ckgj LFkkukarfjr@izfrfu;qDr f"k{kdksa dh dqy la[;k fuEu izdkj gS%&

Tks0ch0Vh0	449
Vh0th0Vh0	281
ih0th0Vh0	16
dqy	**746**

¼x½ fjDr inksa dks Hkjus dh laHkkouk fuEukuqlkj gS %&

Tks0ch0Vh0	**Vh0th0Vh0**	**ih0th0Vh0**

¼i½ fjDr in & 1740 ¼ii½ i= fnukad 17-07-2023 }kjk esokr fodkl ,atsalh dks 894 ih0vkj0Vh0 vkSj 106 Vh0th0Vh0 inksa dks Hkjus dh vuqefr nh xbZ gSA	¼i½ esokr esa dqy fjDr in & 1970 ¼ii½ fofHkUUk fo'k;ksa esa 1341 Vh0th0Vh0 dh ekax i= la[;k 15@32&2020 Vh0th0Vh0 vkj0,.M,0 ¼1½ fnukad 17-02-2023 ds ek/;e ls gfj;k.kk deZpkjh p;u vk;ksx dks Hkst nh xbZ gSA	¼i½ fjDr in & 1069 ¼ii½ ih0th0Vh0 ds fofHkUu fo'k;ksa ds 613 fjDr inksa dks Hkjus ds fy, fnukad 02-09-2022 dks ,d ekax i= igys gh gfj;k.kk yksd lsok vk;ksx dks Hkstk tk pqdk gSA tc Hkh gfj;k.kk yksd lsok vk;ksx ls flQkfj"ksa izkIr gksxh] rnkuqlkj fu;qfDr tkjh dj nh tk;sxhA inkSUufr dksVs ds in inkSUufr ls Hkjs tk,axsA

पुरानी पेंशन योजना को लागू करना

29. श्री बलराज कुंडू : क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि:-

(क) क्या यह तथ्य है कि पूरे राज्य में पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू करने के लिए कर्मचारी संगठन लगातार आंदोलन कर रहे है; तथा

(ख) यदि हां, तो राज्य में पुरानी पेंशन योजना को लागू न करने के कारण क्या है जबकि अन्य राज्यों जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ तथा पंजाब में इसे पहले ही लागू किया जा चुका है तथा इसका ब्यौरा क्या है ?

eq[;ea=h ¼Jh euksgj yky½%

(क) हाँ, श्रीमान जी।

(ख) सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में पेंशन की भारी वित्तीय देनदारी का अध्ययन करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2001 में एक समिति का गठन किया था। समिति की सिफारिशों के आधार पर केन्द्र सरकार ने पेंशन देनदारियों के भुगतान के लिए एक परिभाषित कोष को

अलग रखने के लिए 01.01.2004 से परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली शुरु की गई. जिसे अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन०पी०एस०) कहा जाता है. जो अन्यथा पुरानी पेंशन व्यवस्था के तहत भविष्य में करदाताओं पर बोझ बन जाता।

इसके बाद हरियाणा राज्य ने 01.01.2006 से अपने कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन०पी०एस०) को अपनाते हुए लागू किया था। एन०पी०एस० के सम्बन्ध मे मुलभूत सिद्धांत वही बने हुए है। वर्तमान में राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के लिए 14 प्रतिशत की दर से मासिक अंशदान पेंशन देनदारियों में कर रही है. जबकि कर्मचारी अंशदान 10 प्रतिशत है।

राज्य सरकार आम तौर पर वेतन और पेंशन मामले में केन्द्र सरकार का अनुसरण करती है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत पेंशन के मुद्दे पर विचार करने के लिए पहले ही एक समिति का गठन कर दिया है। समिति की अनुशंसा के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा निर्णय लेने के बाद राज्य सरकार इस पर निर्णय लेगी।

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण सेक्टरों को विकसित करना

30. **श्री बलराज कुंडू** : क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि क्या महम शहर में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण सेक्टरों को विकसित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हैं, तो इसका ब्यौरा क्या है?

eq[;ea=h ¼Jh euksgj yky½% श्रीमान जी, वर्तमान में, महम में एचएसवीपी सेक्टर विकसित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

----

vLirkyksa dh orZeku fLFkfr

31. **Jherh xhrk HkqDdy %** D;k LokLF; ea=h d`i;k crk,axs fd %&

¼d½ xkao ekrugsy vLirky dh orZeku fLFkfr D;k gS ftldk fuekZ.k lh-,y-ih- IykaV }kjk fd;k x;k Fkk(rFkk

¼[k½ D;k ;g izkFkfed LokLF; dsanz gS ;k lkekU; vLirky D;kasfd blesa vkikrdkyhu lsok,a miyC/k ugha gS\

LokLF; ea=h ¼Jh vfuy fot½ % Jheku th]

¼d½ xzke ekrugsy ftyk >Ttj esa lh-,y-ih- IykaV }kjk fufeZr 50 fcLrjh; vLirky 2021 ls dk;Zjr gS tks vklikl dh vkcknh dks cfgjax jksxh] vUrjax jksxh] vkikrdkyhu] 24x7 izlwfr] iz;ksx”kkyk] nar fpfdRlk bR;kfn lsok,a iznku dj jgk gSA

¼[k½ ;g LokLF; laLFkk ,d ukxfjd vLirky ds :Ik esa dk;Zjr gS vkSj 24x7 izlwfr lsokvksa lfgr vkikrdkyhu lsok,a iznku dj jgh gSA

बिजली लाइन को बदलने के लिए नीति

32. **श्री वरुण चौधरी :** क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बताएंगे कि हरियाणा विधानसभा के सत्र में ऊर्जा मंत्री द्वारा घोषित उपभोक्ताओं से उनके प्लॉटों/घरों/कृषि भूमि से विद्युत लाइन बदलने के लिए शुल्क लेने की नीति की समीक्षा के क्या परिणाम निकले?

ऊर्जा मंत्री (श्री रणजीत सिंह): श्रीमान जी, यूएचबीवीएन ने बिक्री परिपत्र संख्या यू-19/2023 के तहत बिजली के खंभों और लाइनों को शिफ्ट करने के लिए एक मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार और अधिसूचित की है। यह एसओपी 11 केवी तक के बिजली के खंभों और लाइनों को शिफ्ट करने के लिए एकसमान प्रक्रिया स्थापित करती है। लाभार्थियों ऐसी शिफ्टिंग के लिए डिस्कामस के पास ऑनलाइन अनुरोध कर सकते हैं और इसकी अनुमानित लागत का आधार भी एसओपी में सूचित किया गया है।

सलाह / अनुशंसाओं का क्रियान्वयन

33. **श्री वरूण चौधरी:** क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कृपया बताएंगे कि हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण द्वारा अपनी स्थापना से लेकर अब तक दी गई सलाह / अनुशंसाओं का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है तथा उसके क्रियान्वयन की स्थिति क्या हैं?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल) : महोदय, हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण का गठन सरकार द्वारा हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण अधिनियम, 2018 के तहत किया गया है। पहले के हरियाणा किसान आयोग/हरियाणा किसान एवं कृषि लागत व मूल्य आयोग को सरकार द्वारा दिनांक 18.02.2022 के आदेशों के तहत

प्राधिकरण में विलय कर दिया गया है। प्राधिकरण ने जून 2022 में पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति के साथ काम करना शुरू कर दिया है। प्राधिकरण ने पिछले एक वर्ष के दौरान निम्नलिखित गतिविधियाँ की हैं :-

1. प्राधिकरण द्वारा किसान कल्याण नीति विजन-2047 तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। टास्क फोर्स ने वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, विभागीय अधिकारियों, बैंकरों, उद्यमियों, किसानों आदि सहित विभिन्न हितधारकों के साथ बैठकें की हैं। टास्क फोर्स नीति का मसौदा तैयार करने के चरण में है और जल्द ही रिपोर्ट सौंपने की उम्मीद है।
2. प्राधिकरण द्वारा अध्ययन एवं सिफारिशें करने के लिए निम्नलिखित विषयों पर कार्य समूहों का भी गठन किया गया हैः -
   (i) मुर्गीपालन को बढ़ावा
   (ii) मत्स्य पालन का विकास
   (iii) जलजमाव एवं लवणता की समस्या
   (iv) औषधीय एवं सुगंधित पौधों को बढ़ावा देना
   (v) हरियाणा में सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा कार्य समूहों द्वारा हितधारकों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया गया है और उनके द्वारा जल्द ही रिपोर्ट सौंपने की उम्मीद है।
3. टास्क फोर्स एवं कार्य समूहों की रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्राधिकरण द्वारा इन पर विचार किया जाएगा और उचित निर्णय लिए जाएंगे।
4. हरियाणा में कृषि-व्यवसाय और मूल्य संवर्धन पर 04.01.2023 को जींद में और 10.03.2023 को करनाल में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने पर किसान कार्यशालाएं भी आयोजित की गई हैं।

----

fpfdRldks dh deh

34. Jh /ku";ke nkl : D;k LokLF; ea=h d`l;k crk,axs fd %&

(d) D;k ;g rF; gS fd fpfdRlk vf/kdkfj;ksa] fo"ks'kKksa vU; fpfdRlk veyk] fpfdRlk midj.k] nokb;ksa rFkk fpfdRlk iz;ksstuksa ds fy, mi;ksx dh tkus okyh lkexzh dh Hkkjh deh ds dkj.k

;equkuxj rFkk iwjs jkT; ds MkDVj ruko esa dk;Z dj jgs gSa] ftlds dkj.k dbZ MkWDVjksa us oh.vkj.,l. ys fy;k gS rFkk vius inksa ls bLrhQk ns fn;k gS rFkk vLirkyksa ds fy, u, Hkou gksus ds ckotwn yksxksa dks fpfdRlk lqfo/kk,a izkIr djus esa leL;kvksa dk lkeuk djuk iM jgk gS ; rFkk

([k) ;fn gka] rks jkT; ds vLirkyksa esa mDr deh ds dkj.k D;k gSa ?
LokLF; ea=h ¼Jh vfuy fot½% ugh Jheku th] orZeku esa fpfdRlk vf/kdkfj;ksa ds 3903 Lohd`r inks ds fo:} 3073 in ¼79%½ Hkjs gq, gSa rFkk ofj'B fpfdRlk vf/kdkfj;kas ds 636 Lohd`r inkas ds fo:} 381 in ¼60%½ Hkjs gq, gSa A blds vfrfjDr jk'Vªzh; LokLF; fe"ku gfj;k.kk ds vUrxZr 197 Lohd`r inks ds fo:} 167 fpfdRlk vf/kdkfj;ksa dh HkrhZ dh xbZ gSA ;equkuxj esa fpfdRlk vf/kdkfj;ksa ds 191 Lohd`r inksa ds fo:} 93 in Hkjs gq, gSa rFkk ofj'B fpfdRlk vf/kdkfj;ksa ds 17 Lohd`r inksa ds fo:} 11 in Hkjs gq, gSaA

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रीमियम

35. **श्री अभय सिंह चौटाला**: क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कृपया बताएंगे कि:-

(क) वर्ष 2019-20, 2020-21 तथा 2022-2023 के खरीफ तथा रबी सीजन के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों से बीमा कंपनियों द्वारा एकत्रित प्रीमियम कितना है तथा वर्ष-वार तथा बीमा कंपनी-वार उसका ब्यौरा क्या है; तथा

(ख) फसल के नुकसान के लिए बीमा कंपनियों द्वारा किसानों को कुल कितना मुआवजा दिया गया है तथा उपरोक्त भाग 'क' के अनुसार वर्ष-वार तथा बीमा कंपनी-वार ब्यौरा क्या है तथा फसल-वार तथा जिलावार ब्यौरा क्या है?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल): महोदय,

(क) वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2022-23 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कंपनियों द्वारा किसानों से 97990.87 लाख रुपये प्रीमियम राशि एकत्रित की गई है। वर्ष-वार एवं बीमा कंपनी-वार किसानों से एकत्रित किया गया प्रीमियम निम्न प्रकार है :-

[illegible]	[illegible] ([illegible])			[illegible] ([illegible])
	2019-20	2020-21	2022-23	
[illegible]	10857.42	15045.71	17726.79	43629.92
[illegible]	9831.75	[illegible]	[illegible]	9831.75
[illegible]	[illegible]	12335.40	11950.60	24286.00
[illegible]	6216.64	7074.98	6951.58	20243.20
[illegible]	26905.81	34456.09	36628.97	97990.87

(ख) वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2022-23 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कंपनियों द्वारा किसानों को 330695.85 लाख रुपये की मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है। किसानों को वर्ष-वार और बीमा कंपनी-वार दिया गया मुआवजा निम्न प्रकार है:-

[illegible]	[illegible] ([illegible])			[illegible] ([illegible])
	2019-20	2020-21	2022-23	
[illegible]	42006.12	82790.16	34022.87	158819.15

□□□□□□□ □□□□□□□ □□□	37898.77	□□□□ □□□□	□□□□ □□□□	37898.77
□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□	□□□□ □□□□	29917.46	50491.63	80409.09
□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□	13747.99	14058.41	25762.44	53568.84
□□□	93652.88	126766.03	110276.94	330695.85

* वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2022-23 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को दिया गया जिले-वार और फसल-वार मुआवजा 'अनुलग्नक-X' में संलगित किया गया है।

* दिनांक 21-08-2023 को भारत सरकार की तकनीकी सलाहकार समिति के निर्णय अनुसार खरीफ 2022 के लिए सिरसा का लगभग 623 करोड़ रुपये का मुआवजा स्वीकृत किया गया है।

अनुलंग्रक-x

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2019-20 के लिए जिलावार तथा फसल वार किसानों को दिया गया मुआवजा

(राशि लाख में)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	9476.28	0.00	1282.46	401.64	11160.37	6.66	1675.52	1803.87	0.00	2104.52	5590.56	16750.93
	[illegible]	4.99	0.00	44.25	0.71	49.95	0.11	0.00	0.08	0.00	87.94	88.13	138.08
	[illegible]	74.95	0.00	652.45	0.59	727.99	0.00	0.00	0.13	0.00	2875.72	2875.86	3603.85
	[illegible]	0.00	0.27	696.46	0.00	696.73	0.00	0.00	1.63	3.17	802.28	807.08	1503.81
	[illegible]	0.00	3.74	103.14	0.00	106.89	0.00	0.00	19.71	0.00	26.43	46.14	153.03
	[illegible]	1759.13	0.00	93.39	348.58	2201.10	0.25	0.00	847.42	0.00	883.96	1731.63	3932.73
	[illegible]	6830.31	0.00	5433.45	0.54	12264.30	161.11	38.29	158.50	0.00	3301.50	3659.39	15923.69
[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	606.31	0.20	606.51	0.00	0.00	0.07	0.03	1007.49	1007.59	1614.10
	[illegible]	309.23	0.00	131.55	7.68	448.46	0.73	0.00	7.71	0.02	42.36	50.81	499.27
	[illegible]	10616.11	0.49	2369.28	157.69	13143.58	116.80	42.51	403.68	0.02	5476.75	6039.76	19183.34
	[illegible]	1214.50	2.46	2168.94	8.61	3394.52	0.00	0.00	32.32	0.11	2056.55	2088.98	5483.49
	[illegible]	0.00	0.00	1562.74	0.00	1562.74	0.00	0.00	2.39	0.16	1462.72	1465.26	3028.00
	[illegible]	1048.77	0.00	0.00	124.59	1173.37	0.01	22.60	421.90	0.09	553.40	998.01	2171.38
	[illegible]	179.90	0.16	3693.61	0.25	3873.92	0.00	0.47	24.99	0.00	2019.81	2045.27	5919.19
[illegible]	[illegible]	2267.60	0.00	82.02	80.05	2429.68	8.22	1.00	637.02	0.00	339.58	985.83	3415.51
	[illegible]	883.47	0.00	1669.20	1.94	2554.61	0.13	15.93	43.88	0.02	2783.94	2843.90	5398.51
	[illegible]	115.63	0.00	544.84	23.44	683.91	2.14	0.50	3.46	0.09	224.67	230.85	914.76
	[illegible]	54.16	0.00	410.68	0.36	465.21	0.00	0.21	0.33	0.00	157.95	158.50	623.71
	[illegible]	211.80	0.00	16.31	0.62	228.73	0.00	0.00	10.65	0.01	566.70	577.36	806.08

	[illegible]	0.00	0.00	2.92	1.95	4.86	0.00	0.39	4.67	0.00	388.27	393.33	398.20
	[illegible]	320.12	0.00	918.51	22.74	1261.37	18.48	0.03	8.41	0.00	778.39	805.31	2066.68
	[illegible]	0.00	2.54	34.53	0.24	37.30	0.00	0.07	0.23	0.14	86.79	87.24	124.54
[illegible]		35366.96	9.66	22517.06	1182.42	59076.10	314.63	1797.52	4433.08	3.85	28027.71	34576.79	93652.88

अनुलंग्नक-x

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2020-21 के लिए जिलावार तथा फसल वार किसानों को दिया गया मुआवजा

(राशि लाख में)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	29678.17	0.00	862.18	535.39	31075.74	107.85	3757.30	1073.92	0.00	1177.98	6117.04	37192.78
	[illegible]	0.89	0.00	55.18	4.59	60.66	0.00	0.00	0.00	0.00	294.78	294.78	355.44
	[illegible]	41.28	0.00	557.67	7.53	606.49	0.00	0.00	0.19	0.00	235.35	235.54	842.04
	[illegible]	0.00	8.89	468.27	0.00	477.16	0.00	0.00	0.03	0.09	60.24	60.37	537.53
	[illegible]	0.00	29.07	92.91	0.51	122.49	0.00	0.00	57.15	0.04	40.78	97.97	220.46
	[illegible]	2689.57	0.00	2.70	95.09	2787.35	0.00	0.00	8.00	0.00	121.49	129.48	2916.84
	[illegible]	34631.47	0.00	1322.46	142.31	36096.24	106.60	105.83	330.74	0.00	4085.68	4628.85	40725.09
[illegible]	[illegible]	0.00	15.00	17.21	0.00	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.96	33.17
	[illegible]	82.93	0.13	68.56	17.08	168.70	0.16	0.00	0.22	0.00	8.88	9.26	177.96
	[illegible]	20269.17	11.30	1355.94	238.77	21875.19	10.81	131.38	308.30	0.00	517.76	968.25	22843.44
	[illegible]	1839.18	0.00	314.75	25.73	2179.67	0.00	0.00	117.94	0.00	108.14	226.08	2405.74
	[illegible]	0.00	0.00	103.66	0.02	103.68	0.00	0.00	0.00	0.00	44.76	44.76	148.43
	[illegible]	2272.11	0.00	0.00	102.18	2374.29	0.00	30.46	26.44	0.00	52.21	109.11	2483.40

	[illegible]	323.30	1.90	508.15	136.45	969.79	0.00	0.00	161.99	0.00	693.53	855.53	1825.32
[illegible]	[illegible]	4501.45	0.00	28.69	249.44	4779.58	103.98	0.00	39.59	0.01	45.54	189.12	4968.70
	[illegible]	4759.12	6.30	211.39	7.07	4983.89	98.91	10.81	89.57	0.01	166.31	365.60	5349.49
	[illegible]	294.31	0.68	59.60	143.98	498.57	0.44	0.54	11.75	0.02	288.68	301.42	799.99
	[illegible]	68.26	0.00	859.33	17.75	945.34	27.42	0.00	2.02	0.00	731.85	761.29	1706.63
	[illegible]	192.39	0.00	0.03	3.89	196.31	0.00	0.00	1.02	0.00	113.59	114.61	310.92
	[illegible]	4.94	0.00	0.10	0.97	6.02	0.00	0.09	0.56	0.00	36.70	37.34	43.36
	[illegible]	216.24	0.13	201.37	205.36	623.10	144.74	2.65	3.50	0.00	84.81	235.70	858.80
	[illegible]	0.00	7.65	11.67	0.00	19.32	0.00	0.11	0.00	0.10	0.98	1.19	20.51
[illegible]		101864.79	81.05	7101.81	1934.12	110981.78	600.92	4039.16	2232.92	0.27	8910.99	15784.26	126766.03

अनुलंग्रक-x

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2022 के लिए जिलावार तथा फसल वार किसानों को दिया गया मुआवजा

(राशि लाख में)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	23740.24	1702.12	0.00	11.48	109.33	25563.18
	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.48	15.46	15.94
	[illegible]	7.57	0.00	0.00	82.62	0.00	90.19
	[illegible]	2.00	0.00	0.00	91.74	0.00	93.75
	[illegible]	0.00	0.00	0.81	254.63	0.00	255.44
	[illegible]	2019.63	0.00	0.00	11.62	50.60	2081.85
	[illegible]	2888.35	0.00	0.06	2825.85	208.29	5922.54
[illegible]	[illegible]	0.55	0.00	0.13	129.88	0.00	130.55
	[illegible]	267.84	0.00	0.00	107.45	0.00	375.28
	[illegible]	37389.26	0.00	0.31	623.61	20.88	38034.06
	[illegible]	9551.91	0.00	0.00	212.21	4.95	9769.07
	[illegible]	0.78	0.00	0.00	25.46	0.00	26.24

	□□□□□□□□□□	595.98	0.05	0.00	0.00	501.90	1097.93
	□□□□□□	326.12	0.00	0.00	701.93	30.45	1058.50
□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□	□□□□ □□□□□	3979.64	0.00	0.00	414.18	333.68	4727.50
	□□□□□□□□	14986.99	0.00	0.00	570.98	23.17	15581.14
	□□□□□	1111.59	0.00	0.00	0.00	83.47	1195.05
	□□□□□	96.83	0.00	0.00	2123.15	283.83	2503.82
	□□□□	1008.43	0.00	0.00	95.95	3.95	1108.33
	□□□□□□	0.00	0.00	0.00	53.55	0.00	53.55
	□□□□□	524.92	0.00	0.00	4.32	22.04	551.28
	□□□□□□□□	0.94	0.00	0.09	40.72	0.00	41.75
□□□		98499.57	1702.17	1.4	8381.81	1692.00	110276.94

भूमि मालिकों को आवासीय प्लाटों का आवंटन

36. श्रीमrh शकुन्तला खटक: क्या उप मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि-

(क) क्या यह तथ्य है कि जिला रोहतक के विभिन्न गांवों की भूमि का आधिग्रहण सरकार की नीति के अनुसार तीन चरणों में हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास एवं अवसंरचना विकास निगम द्वारा किया गया थाय यदि हां, तो उन जमीन मालिकों के नाम क्या हैं जिन्हें जुलाई, 2023 तक उनकी अधिगृहित भूमि के लिए आवासीय प्लाटॅ आवंटित किए गए थे तथा उसका ब्यौरा क्या है तथा

(ख) क्या उक्त सभी भू-स्वामियों को आवासीय प्लाटॅ आवंटित कर दिए गये हैं जिनकी भूमि अधिगृहित की गई थीय यदि नहीं, तो जुलाई, 2023 तक लंबित पड़े आवासीय प्लाटों के आवंटन में देरी के कारण क्या हैं तथा उसका ब्यौरा क्या है तथा उपरोक्त आवासीय प्लाटों कब तक उक्त मालिकों को आवंटित किये जाने की संभावना है;

@ उप मुख्यमंत्री (श्री दुष्यन्त चौटाला):

(क) गाँव बोहर, गढ़ी बोहर, खेड़ी साध, बलियाना, नोनन्द तथा खरावड़ की भूमि का आई-एम-टी, रोहतक के विकास के लिए तीन विभिन्न चरणों में अधिग्रहण किया गया था। हरियाणा सरकार ने पुनर्वासन तथा पुनव्र्यस्थापन पालिसी दिनांक 07-12-2007 तथा पुनर्वासन तथा पुनव्र्यस्थापन पॉलिसी दिनांक 09-11-2010 (आर एवं आर पॉलिसी) घोषित की थी जिसके अधीन आवासीय प्लाटों के आबंटन का पॉलिसी में वर्णित आवेदकों की पात्रता के मापदंड़ो के आधार पर प्रावधान किया गया था। आबंटितों की सूची जिनको पूर्वोक्त पॉलिसी के अधीन आई.एम.टी. रोहतक में आवासीय प्लाट आबंटित किए गए हैं, अनुलग्नक-1 पर संलग्न है।

(ख) चरण-1 तथा 2 के 1451 आवासीय प्लाट आवेदकों के लिए आबंटित किए जा चुके हैं। तथापि, आलाटियों को आवासीय प्लाटों का कब्जा देने के लिए सम्बन्धित सैक्टर की पर्यावरणीय स्वीकृति तथा बुनियादी ढ़ांचा होना आवश्यक है तथा चरण-3 के मामले में यद्यपि बुनियादी ढ़ांचा दिनांक 31-10-2019 को पूरा कर लिया गया था किन्तु पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 13- 07-2021 को दी गयी थी जिसके कारण आबंटन में बिलम्ब हुआ। इसके अतिरिक्त, आवेदकों के भूमि रिकार्ड का सत्यापन सम्बन्धित राजस्व प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है जिसमें समय लगता है क्योंकि व्यापक जाँच की आवश्यकता होती है। 880 आवेदन आई.एम.टी. रोहतक किए गए थे।

@ps;j ds vkns"kkuqlkj mijksDr iz"u ds tokc ds dFku ds vuSDpj 42 isftt ds gksus ds dkj.k iwoZ izFkkuqlkj fo/kku lHkk ds iqLrdky; esa j[kok;k x;k A

तदानुसार, पात्रता के प्रमाणपत्र 704 पात्र आवेदकों को जारी कर दिए गए हैं। अपात्र आवेदकों से आपतियाँ प्राप्त हुई है जिनका शीघ्र ही निपटान कर दिया जाएगा तथा उसके बाद पात्र आवेदकों के लिए ड्रा दिनांक 30-11-2023 तक किया जाना अनुमानित है ।

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को शुरू करने के लिए

37. **श्री अमित सिहाग**: क्या उच्चतर शिक्षा मंत्री कृपया बताएंगे कि डबवाली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के राजकीय महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को शुरू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो कब तक इनके शुरू किये जाने की संभावना है?

उच्चतर शिक्षा मंत्री (श्री मूल चंद शर्मा): नहीं, श्रीमान जी ।

----

izkFkfed LokLF; dsanz [kksyuk

38. **Jh Lkhrk jke ;kno :** D;k LokLF; ea=h d`Ik;k crk,axs fd &

¼d½ D;k vVsyh fo/kku lHkk fuokZpu {ks= ds [k.M ds xkao Lkqaanjg esa u, izkFkfed LokLF; dsanz [kksyus dk dksbZ izLrko ljdkj ds fopkjk/khu gS(rFkk

¼[k½ ;fn gka] rks blds dc rd [kksys tkus dh laHkkouk gS\

LokLF; ea=h ¼Jh vfuy fot½%

¼d½ ugha] Jheku th A

¼[k½ Hkkx ¼d½ ds mRRkj dks /;ku esa j[krs gq, iz"u ugha mBrkA

नालों की सफाई पर खर्च राशि

39. **श्रीमती निर्मल रानी** : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कृपया बताएंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान गन्नौर शहर में नालों की सफाई पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा कुल कितनी राशि खर्च की गई?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (**डॉ बनवारी लाल**) : श्रीमान जी, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा गन्नौर शहर में नालों की सफाई पर गत तीन वर्षों के दौरान कुल 39.55 लाख रुपये की राशि खर्च की गई है

----

lkoZtfud 'kkSpky;ksa dk C;kSjk

40. Jh jkds'k nkSyrkckn : D;k 'kgjh LFkkuh; fudk; ea=h —i;k crk,axs fd:-

¼d½ xq:xzke esa lkoZtfud 'kkSpky;ksa dh dqy la[;k fdruh gS;

¼[k½ xq:xzke esa mu laxBuksa ds uke D;k gSa tks lkoZtfud 'kkSpky;ksa ds ekfyd gSa] ftUgksaus fufeZr fd;s gS rFkk tks lapkfyr djrs gSa;

¼x½ vkoafVr fuf/k ds laca/k esa dsaæ rFkk jkT; ljdkj ds dk;ZØeksa dk C;kSjk D;k gS ftuds varxZr xq:xzke esa mijksDr 'kkSpky;ksa dk fuekZ.k djok;k x;k Fkk;

¼?k½ lkoZtfud 'kkSpky;ksa ds fuekZ.k ds fy, rFkk Hkwfe vf/kxzg.k ds fy, vkoaVu fuf/k;ksa dk Hkkx&okj C;kSjk D;k gS rFkk fdl dk;ZØe ds rgr fuf/k dk vkoaVu fd;k x;k rFkk mldk C;kSjk D;k gSaS;

¼M+½ lkoZtfud 'kkSpky;ksa ds fu;fer j[kj[kko ds fy, vkoafVr fuf/k dk C;kSjk D;k gS rFkk xq:xzke esa lkoZtfud 'kkSpky;ksa ds fu;fer j[k j[kko ds fy, ftEesokj ljdkj rFkk@;k futh laxBu dk C;kSjk D;k gS\

“kgjh LFkkuh; fudk; ea=h ¼M,- dey xqIrk½ %

¼d½ Jheku th] xq:xzke ftys dh ikap uxj fudk;ksa dh lhek esa 263 lkoZtfud 'kkSpky; gaSA

¼[k½ Jheku th] xq#xzke ftys dh ikap uxj fudk;ksa esa lkoZtfud 'kkSpky;ksa dk LokfeRo, mudks fufeZr o lapkfyr djus okyks dk fooj.k fuEufyf[kr gS:-

Øekad la[;k	uxj fudk; dk uke	lkoZtfud 'kkSpky;ksa dh la[;k	xq#xzke ftys ds ikap uxj fudk;ksa esa lkoZtfud 'kkSpky;ksa dk LokfeRo, mudks fufeZr o lapkfyr djus okykas dk fooj.k
1	uxj fuxe] xq:xzke	111	uxj fuxe] xq:xzke ds lkoZtfud 'kkSpky;ksa dk lapkyu lafonkRed ,tsafl;ksa ds }kjk fd;k tk jgk gSA
2	uxj fuxe] ekuslj	114	lHkh 'kkSpky; fuekZ.kk/khu gS
3	uxj ifj"kn] lksguk	17	uxj ifj"kn] lksguk
4	uxj ifj"kn] iVkSnh eaMh	16	uxj ifj"kn] iVkSnh eaMh
5	uxj ikfydk] Q#Z[kuxj	5	uxj ikfydk] Q#Z[kuxj ds lkoZtfud 'kkSpky;ksa dk lapkyu lafonkRed ,tsafl;ksa ds }kjk fd;k tk jgk gSA

¼x½ dsaæ ,oa jkT; ljdkj ds dk;ZØeksa ls lacf/kr xq#xzke esa 'kkSpky;ksa ds fuekZ.k ds fy, vkoafVr /kujkf'k dk fooj.k fuEu çdkj ls gS:-

Øekad la[;k	uxj fudk; dk uke	dk;ZØe dk uke ftlds varxZr lkoZtfud 'kkSpky;ksa dk fuekZ.k fd;k x;k	vkoafVr /kujkf'k ¼#i;s yk[k esa½
1	uxj fuxe] xq:xzke	LoPN Hkkjr fe'ku ¼dsaæ ljdkj½	1201-52
		uxj ikfydk fuf/k	43-56
2	uxj fuxe] ekuslj	uxj ikfydk fuf/k	2947-00
3	uxj ifj"kn] lksguk	uxj ikfydk fuf/k	68-01
4	uxj ikfydk] Q#Z[kuxj	jkT; ljdkj ¼Mh& lyku½	11-01
		uxj ikfydk fuf/k	4-82
5	uxj ifj"kn] iVkSnh eaMh	uxj ikfydk fuf/k	49-85

¼?k½ lkoZtfud 'kkSpky;ksa ds fuekZ.k o Hkwfe vf/kxzg.k ds fy, vkoafVr /kujkf'k dk Hkkx&okj C;kSjk rFkk ftl dk;ZØe ds rgr fuf/k dk vkoaVu fd;k x;k mldk fooj.k fuEufyf[kr gS:-

Øekad la[;k	uxj fudk; dk uke	lkoZtfud 'kkSpky;ksa ds fuekZ.k ds fy, vkoafVr /kujkf'k ¼#i;s yk[k esa½	Hkwfe vf/kxzg.k gsrq vkoafVr /kujkf'k
1	uxj fuxe] xq:xzke	1245-08	'kwU;
2	uxj fuxe] ekuslj	2947-00	'kwU;
3	uxj ifj"kn] lksguk	68-01	'kwU;
4	uxj ikfydk] Q#Z[kuxj	15-83	'kwU;
5	uxj ifj"kn] iVkSnh eaMh	49-85	'kwU;

¼M+½ xq#xzke esa lkoZtfud 'kkSpky;ksa dh fu;fer ns[kHkky ds fy, vkoafVr jkf'k dk fooj.k vkSj lkoZtfud 'kkSpky;ksa dh fu;fer ns[kHkky ds fy, ftEesnkj ljdkj vkSj@;k futh laxBu dk fooj.k fuEufyf[kr gS:-

Øekad la[;k	uxj fudk; dk uke	lkoZtfud 'kkSpky;ksa ds fu;fer j[kj[kko ds fy, vkoafVr /kujkf'k ¼o"kZ 2022&23 ds fy, yk[k #i;s esa½	'kkSpky;ksa ds fu;fer j[kj[kko ds fy, ftEesnkj laxBu
1	uxj fuxe] xq:xzke	128-00	uxj fuxe] xq:xzke ds lkoZtfud 'kkSpky;ksa dk lapkyu lafonkRed ,tsafl;ksa ds }kjk fd;k tk jgk gSA 1- eSllZ vk;q"k laj{k.k lkekftd laxBuA 2- eSllZ cæh fo'kky çksVsD'ku ,aM daiuh

			3- eSllZ ckykth bathfu;lZ ,aM dalYVsaV 4- eSllZ feMkl eSuikoj usVodZ 5- eSllZ lks'ky fLdy fotu lkslk;Vh
2	uxj fuxe] ekuslj	lHkh 'kkSpky; fuekZ.kk/khu gSaaA	
3	uxj ifj"kn] lksguk	miyC/k ugha gSA	uxj ifj"kn] lksguk
4	uxj ikfydk] Q#Z[kuxj	miyC/k ugha gSA	uxj ifj"kn] iVkSnh eaMh
5	uxj ifj"kn] iVkSnh eaMh	12-00	uxj ikfydk] Q#Z[kuxj ds lkoZtfud 'kkSpky;ksa dk lapkyu lafonkRed ,tsafl;ksa ds }kjk fd;k tk jgk gSA eaxkokl lgdkjh- yscj ,aM daLVªD'ku lkslk;Vh fyfeVsM

नियम 84 के तहत प्रस्ताव पर चर्चा करने का मामला उठाना

श्री भारत भूषण बतरा : स्पीकर सर, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है।

श्री अध्यक्ष : बतरा जी, प्वायंट ऑफ ऑर्डर किसी विषय पर होता है। प्वायंट ऑफ ऑर्डर से पहले आपके पास कोई न कोई विषय तो होना चाहिए। मुझे विषय के बारे में पता होगा तभी मैं आपको बोलने के लिए अलाऊ करूंगा।

श्री भारत भूषण बतरा : स्पीकर सर, अगर आप मुझे परिमशन देंगे उसके बाद ही मैं आपको अपना प्वायंट ऑफ ऑर्डर बताऊंगा।

श्री अध्यक्ष : ठीक है बतरा जी, बताईये।

श्री भारत भूषण बतरा : ऑनरेबल स्पीकर सर, मैंने, गीता जी ने और साथ में वरूण जी ने आपको रूल 84 के अंदर हरियाणा परिवार पहचान पत्र की धारा-3 के तहत जो नोटिफिकेशन जारी की गई है वह संविधान के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन है, के बारे में चर्चा करने के लिए एक मोशन दिया था। मैं पूछना चाहता हूं कि रूल 84 के मोशन में आपने किस प्रॉविजन के अंदर उसको रिजैक्ट कर दिया?

श्री अध्यक्ष : बतरा जी, मैं आपकी जानकारी के लिए यह बताना चाहता हूं कि मैंने आपके मोशन को डिअलाऊ किया है।

श्री भारत भूषण बतरा : ऑनरेबल स्पीकर सर, आपने हमारे मोशन को डिअलाऊ कैसे कर दिया? सर, मैं रूल 84 के तहत हुई चर्चा के पिछले प्रैसीडैंट भी साथ में लाया हूं। वर्ष 1994-95 में इसी सदन के अंदर उस समय के विधायक थे चौधरी बंसी लाल जी। उन्होंने रूल 84 के अंदर चर्चा के लिए मोशन मूव किया था, वह अलाऊ हुआ था और उसके ऊपर पूरी की पूरी चर्चा हुई थी। रूल 84 के अंदर ऐसा कोई प्रॉविजन नहीं है कि आप इसको रिजैक्ट कर सकते हैं।

"84. A motion that the policy or situation or statement or any other matter be taken into consideration shall not be put to the vote of the Assembly, but the Assembly shall proceed to discuss such matter immediately after the mover has concluded his speech and no further question shall be put at the conclusion of the debate at the appointed hour unless a Member moves a substantive motion in appropriate terms to be approved by the Speaker and on such motion the vote of the Assembly shall be taken."

रूल 84 कहीं पर नहीं कहता लेकिन आपने इसको रिजैक्ट किया है रूल 120 के अंदर। जो आपके पास पॉवर्ज हैं। मैं उसमें भी आता हूं। मैं वो भी आपको साथ में बताना चाहता हूं कि आपके पास रूल 120 के अंदर क्या पॉवर्ज हैं।

"Residuary Powers 120. All matters not specifically provided in these rules and all questions relating to the detailed working of these rules shall be regulated in such manner as the Speaker may from time to time direct."

रूल 120 के अंदर आपने ऐसी कोई भी डॉयरैक्शन नहीं दी हुई है। अब जो मैंने कहा है मैं दो मिनट के लिए उस इशू पर भी आता हूं। परिवार पहचान पत्र के अंदर कांस्टीच्यूशन की, रूल्ज की और लॉज की धज्जियां उड़ती हैं।

Speaker Sir, section 45 of the PPP Act which is regarding powers to make rules, says-

(1) The State Government may, by notification, make rules to carry out the purposes of this Act.

(2) Every rule made under this Act shall, as soon as possible, after it is made or issued, be laid before the State Legislature. Power to make regulations.

Further section 46 which is regarding the Authority of this Act says that-

(1) The Authority may, by notification, make regulations consistent with this Act for carrying out the purposes of this Act.

(2) Every regulation made under this Act shall, as soon as possible, after it is made or issued, be laid before the State Legislature.

ऐसी कोई नोटिफिकेशन, ऐसा कोई रूल्ज उस अथॉरिटी के द्वारा आज तक इस हाउस में पेश नहीं किया गया।

श्री अध्यक्षः बतरा जी, आपने जो दिया है वह यह दिया है कि this is against the Constitution. सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है और सरकार ने परिवार पहचान पत्र का बिल यहां सदन में पेश किया है, यह हाउस से पास हो कर बना है । This is not against the Constitution. जबकि आप कह रहे हैं कि यह कांस्टीच्यूशन के अगेंस्ट है। This is the power of the Vidhan Sabha. विधान सभा में जो पॉलिसी बनी है वह कांस्टीच्यूशन के अगेंस्ट नहीं बनी है और आप कह रहे हैं कि यह कांस्टीच्यूशन के अगेंस्ट है।

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, इसमें कुछ कंफ्यूजन है और मैं उसको दूर करना चाहता हूं। 16 मार्च, 2022 को एक नोटिफिकेशन इशू होती है और वह भी परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी ने इशू की है। परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी ने वे रूल्ज हाउस के सामने पेश ही नहीं किये और उस पर डिस्कशन नहीं हुआ। वह अल्ट्रा वायरस है। मैं तो यह कह रहा हूं कि वह नोटिफिकेशन गलत है।

श्री अध्यक्षः बतरा जी, यह तो डिस्कशन का विषय है कि जो रूल्ज बने हैं वे गलत हैं या ठीक हैं। रूल्ज हाउस में नहीं बनते हैं।

Shri Bharat Bhushan Batra: Speaker Sir, please do not try to justify the Government. Government should clear their stand. जो रूल्ज बनाये गये जिनकी यह नोटिफिकेशन इशू हुई वे रूल्ज हाउस में पेश क्यों नहीं हुए?

श्री अध्यक्षः बतरा जी, आज तक जितने भी बिल पास हुए हैं उनके रूल्ज हाउस में नहीं बने हैं। रूल्ज कभी भी हाउस में नहीं बनते हैं। वे हाउस में ले डाउन होते हैं।

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, रूल्ज हाउस में तो बनते ही नहीं हैं। रूल्ज तो एग्जिक्यूटिव बनाती है और हाउस में ले होते हैं। हम भी यही कह रहे हैं कि वे हाउस में ले डाउन नहीं हुए और अगर ले डाउन ही नहीं हुए तो हम उनके बारे में डिस्कशन कैसे कर सकते हैं? वे रूल्ज हाउस में ले डाउन होंगे तभी तो हम डिस्कशन करेंगे।

श्री अध्यक्षः बतरा जी, हाउस में जो एक्ट बने हैं वे तो ले हुए हैं तो रूल्ज भी ले हुए होंगे।

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, वे रूल्ज हाउस में ले नहीं हुए हैं। Let the Government speak. You are a neutral person. You are not to defend the Government.

श्री अध्यक्षः बतरा जी, रूल्ज तो ऑफिसर बनाते हैं, सरकार बनाती है। अभी इसकी पूरी जानकारी मेरे पास उपलब्ध नहीं है।

श्री भारत भूषण बतराः सर, अगर सरकार के पास इस समय जानकारी नहीं है तो आप मेरे मोशन को डैफर कर दीजिए। सरकार जवाब दे दे कि वे रूल्ज हाउस में पेश क्यों नहीं किए गये और सरकार ने पूरे प्रदेश में परिवार पहचान पत्र बना दिये। मैं इस पर दोबारा से डिस्कशन कर लूंगा।

श्री अध्यक्षः बतरा जी, हो सकता है वे रूल्ज हाउस में पेश हुए हों। मैं अभी इस बारे में श्योर नहीं हूं। एक्ट बनने के बाद उसकी नोटिफिकेशन तो जारी की गई होगी?

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, अथॉरिटी जो नोटिफिकेशन करेगी या जो रूल्ज बनायेगी वे हाउस में पेश होने चाहिएं। मैंने तो उस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया है मैंने परिवार पहचान पत्र को चैलेंज नहीं किया है।

मुख्यमंत्री)श्री मनोहर लाल(: अध्यक्ष महोदय, इस समय मेरे पास उक्त जानकारी दस्ती तौर पर उपलब्ध नहीं है कि ये रूल्ज हाउस में ले डाउन हुए हैं या नहीं हुए हैं।

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, रूल्ज हाउस में पेश नहीं हुए हैं तो फिर प्रदेश में परिवार पहचान पत्र किस आधार पर बनाए जा रहे हैं और क्यों जनता को परेशान किया जा रहा है?

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, रूल्ज बने हैं या नहीं बने हैं और हाउस में पेश हुए हैं या नहीं हुए हैं यह एडमिनिस्ट्रेटिव काम है और हम पता करके बता देंगे। अगर हाउस में पेश नहीं हुए होंगे तो हम हाउस में पेश कर देंगे।

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, मैं यही पूछना चाहता हूं कि ये रूल्ज हाउस में कब पेश होंगे? जब रूल्ज बन गये हैं तो हाउस में पेश क्यों नहीं हुए?

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं बतरा जी से कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्य ने आज यह विषय उठाया है तो हम पता करके बता देंगे कि क्या बात है।

श्री अध्यक्षः बतरा जी, मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि रूल्ज हाउस में ले डाउन कर देंगे।

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि रूल 84 के तहत आप मेरा मोशन चर्चा के लिए स्वीकार कर लीजिए।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि इसी सैशन के जो अगले दो दिन है उनमें हम सारे रूल्ज ले डाऊन कर देंगे । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बतरा जी, आपको और क्या चाहिए । (शोर एवं व्यवधान) एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि रूल्ज ले डाऊन नहीं हुए । (शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बतरा :(शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इसी पर डिस्कश होना था काइंडली 84 के मोशन को एक्सैप्ट कीजिए । उस मोशन पर डिस्कश कीजिए । उस नोटिफिकेशन में सारा ढ़ांचा बना हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बतरा जी, जहां तक एक्सैप्ट करने की बात है वह आपने अपने आप ही बताया है कि अण्डर रूल ऑफ 120 में जो स्पीकर की पावर्ज हैं उनके तहत I can reject it. You can’t compel. (शोर एवं व्यवधान)You can’t compel.

Shri Bharat Bhushan Batra: You can’t reject, Sir. (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: You can't compel. (शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, हर एक रूल्ज के अन्दर यह होता है कि स्पीकर की डिस्क्रिप्शन है ।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हां, है ना ।(शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, हर एक रूल्ज के अन्दर यह होता है। उसके बाद रेजीडुअरी पावर्ज में होता है कि आप डायरैक्शन देंगे । हम पूछ रहे हैं कि वह कौन सी डायरैक्शन है ?(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : डायरैक्शन तो दी है ।(शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, वह कौन सी डायरैकशन है । आप 84 का मोशन दिखाइये जिसमें आप अपनी रेजीडुअरी पावर्ज के अन्दर वह विजिट कर सकते हैं ।(शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, आप 84 के मोशन की डिस्कशन एक बार इनके हक में कर दीजिए ।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मलिक साहब, इस तरह से कैसे कर दें । मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अगले दो दिन के अन्दर वे सारे रूल्ज हाऊस के अन्दर ले डाऊन कर देंगे ।(शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, आप ठीक कह रहे हैं कि हम आपको कम्पैल नहीं कर सकते लेकिन नॉर्म्स क्या हैं, कन्वैंशन क्या हैं ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, कन्वैंशन तो वही है। स्पीकर की जो रेजीडुअरी पावर्ज हैं उसके अन्दर any motion can be rejected. (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, वह तो आपकी पावर्स हैं । आपको तो यह भी पावर है कि आप हम सबको बाहर भेज सकते हैं । That is also within your powers. लेकिन कौन सी पावर इस्तेमाल करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए, विवेक क्या है, क्या हमारी कन्वैंशंज हैं, डैमोक्रेटिक नॉमर्स क्या हैं, डैमोक्रेसी का क्या परपज है यह सब भी देखना चाहिए । जब नियम 84 के तहत चर्चा का नोटिस दिया है तो आप उस पर डिस्कशन से मना क्यों कर रहे हैं ?(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, डिस्कशन का विषय नहीं है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : नहीं-नहीं अध्यक्ष महोदय, विषय और है, 9 कॉन्स्टीच्यूशनल बैंच में भी फैसला उनके खिलाफ है । इसमें लिखा हुआ है । आप डिस्कशन करवाइये डिस्कशन में सारी बात आ जाएंगी । आप अलाउ कर दीजिए । जो जजमैंट है आप उसको अलाउ कर दीजिए गवर्नमैंट उसका जवाब दे देगी ।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, हम एक बार इस 84 मोशन को दिखा लेते हैं ।(शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, आप इस 84 मोशन को दिखा लीजिए ।(शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, आज परिवार पहचान पत्र का यह हाल है मुख्यमंत्री जी भी यहां बैठे हुए हैं मैं उनको बताना चाहता हूं कि आपके सांसद श्री राम चन्द जांगड़ा जी का परिवार पहचान पत्र बना है और उसको पैंशन के लिए रिकमंड किया गया है । उन्होंने अपने परिवार पहचान पत्र के अन्दर अपनी इंकम 1.80 (एक लाख 80 हजार) रूपये दर्शाई है । इसी तरह से रोहतक के मेयर का परिवार पहचान पत्र बना है । उसके अन्दर भी एक लाख अस्सी हजार रूपये की इंकम दिखाई गई है । उसको भी पैंशन बनाने के लिए रिकमंड किया गया है । आज परिवार पहचान पत्र का ये हाल है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, कॉग्रस पार्टी की सरकार के समय में मैं ऑन रिकॉर्ड डेट तो नहीं बता सकता लेकिन वर्ष 2011 में रोहतक के 50 लोगों की लिस्ट अखबार में छपी थी जो बी.पी.एल. का कार्ड बनवाए हुए थे । जब उनकी लिस्ट अखबार में छपी तो उन लोगों ने धड़ा धड़ अपने बी.पी.एल. कार्ड कटवाए । उनमें वे लोग थे जिनकी कोठियां थी, जिनकी कारें थी और उन लोगों ने बी.पी.एल. कार्ड बनवाए हुए थे । इनको बताते हुए शर्म आनी चाहिए । हमारी सरकार आने के बाद हमने जनवरी, 2023 में साढ़े बारह लाख नये राशन कार्ड बनाए हैं । यह ऑन रिकॉर्ड है । अगर कोई गलत बेनिफिट ले रहा है तो उसका कार्ड काटने का प्रावधान भी किया गया है । हां, आज भी यह प्रावधान है कि अगर कुछ गलतियां हैं तो अप्लाई करके उसको ठीक करा सकते हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, उसको अप्लाई कौन करेगा? (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, वही लोग अप्लाई करेंगे जिनका राशन कार्ड गलत है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा गम्भीर विषय है । बतरा जी ने जो ये नाम लिये हैं और मुख्यमंत्री जी ने भी फलां-फलां का नाम लिया लेकिन विषय आज का है । आज के परिवार पहचान पत्र का है । अध्यक्ष महोदय, आज जो पी.पी.पी. (परमानैंट परेशानी पत्र) चल रही है यह उसकी चर्चा है । (शोर एवं व्यवधान) मैं जानता हूँ कि जो मनमोहन सिंह जी का नाम लिया गया है, वह एक करोड़पति आदमी हैं और यही हाल रामचन्द्र जांगड़ा का भी है लेकिन उन्होंने यह जानबूझकर नहीं किया है बल्कि सरकार ने जो पोर्टल बनाये हैं, यह सब उनका काम है । अध्यक्ष महोदय, ये पोर्टल डिफेक्टिव हैं, इन पोर्टल से हरियाणा के लोगों का पीछा छुटवा दो । हर चीज का पोर्टल बना दिया, यह क्या बात हुई ? मैं मनमोहन जी को जानता हूँ और उसके परिवार को भी अच्छी तरह से जानता हूँ । वो एक करोड़पति और अरबपति आदमी है । वह कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा और न ही रामचन्द्र जांगड़ा ऐसा काम करेगा । अगर ऐसा है तो प्रश्न उठता है कि आखिरकार फिर यह काम किसने किया ? अध्यक्ष महोदय,

यह काम सरकार के पोर्टल ने किया है । इस पोर्टल से पीछा छुटवा दो या फिर एक पोर्टल और बना दो जो इस तरह से काम करे कि जैसे ही कोई काम करना हो तो उस पोर्टल को बता दो और वह पोर्टल उस काम को अपने आप कर दे । पोर्टल-पोर्टल-पोर्टल, यह कोई बात हुई ? हर काम के लिए पोर्टल, यह कोई बात हुई ? अगर पोर्टल ही चलाना है तो जो यह अधिकारी यहां बैठे हुए हैं, ये क्या काम करेंगे ? क्या ये सिर्फ पोर्टल चलाने के लिए हैं ? यह तो देखो कि पोर्टल पर कितनी गलतियां हैं । हर बार सदन में कह दिया जाता है कि पोर्टल से संबंधित गलतियां सुधारी जायेंगी । पता करना चाहिए कि आखिरकार यह कार्य किस एजेंसी के पास था ? सवाल यह उत्पन्न होता है कि आखिरकार किस ऐजेंसी ने यह गलती करने का काम किया है और गलती के लिए उस एजेंसी को क्या दंड देने का काम किया गया । क्या गलती करने वाली एजेंसी पर कोई पैनल्टी लगाने का काम किया गया ? मनमोहन जैसे आदमी का नाम यह एजेंसी डाल रही है । रामचन्द्र जांगड़ा का नाम यह एजेंसी डाल रही है । क्या गलती करने वाली एजेंसी को सजा देने का काम किया गया ? लोगों के साथ पोर्टल के नाम पर खिलवाड़ करने का काम किया जा रहा है ।

श्री भारत भूषण बतरा: अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको इस मामले से जुड़े जो कागजात दिए हैं, आप कृपया इनको माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम करें ।

श्री अध्यक्ष: बतरा जी, मैं इनको माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचा दूंगा ।

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, परिवार पहचान पत्र लोगों के लिए बहुत ही परेशानी का सबब बन गया है । अभी भी समय है, सरकार इसको रद्द करने का काम करे और अगर ऐसा होगा तो लोग बहुत खुश होंगे । परिवार पहचान पत्र और प्रापर्टी आई.डी., इनको रद्द करने का काम होना चाहिए । सरकार के लिए अभी भी समय है और अगर ऐसा होगा तो लोग इस बात पर बहुत खुश होंगे ।

कैग की रिपोर्ट से सम्बन्धित फॉईनैंशियल मिसमैनेजमेंट का मामला उठाना

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान: स्पीकर सर, मेरा प्वॉयंट ऑफ आर्डर है । पिछले बजट सैशन में जब मैंने फाइनेंशियल मिस-मैनेजमैंट से संबंधित 'कैग' के 'आब्जैक्शंज' उठाने शुरू किए थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि यह 'आब्जैक्शंज', मैं उन्हें दे दूं और वह उनका रिप्लाई देंगे लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी इन 'आब्जैक्शंज' का कोई भी जवाब मेरे पास नहीं आया है । मुख्यमंत्री जी ने ऑन द फलोर ऑफ द हाउस मुझे इस बारे में एश्योर किया था । दूसरी बात जो मुझे एश्योर की गई

थी वह भी बताता हूँ । जब मैंने स्टेट लायबिलिटी का प्रश्न उठाया था कि स्टेट लायबिलिटी के तहत इंटरनल डैप्थ 2 लाख 85 हजार करोड़ रूपये हो गए, पब्लिक अकाउंट्स डिपोजिट के तहत 44 हजार करोड रूपये, कांटीनजैंट लायबिलिटी 26 हजार 600 करोड़ रूपये ऑफ बजट लायबिलिटी 46 हजार 193 करोड़ रूपये हो गई है तो इस प्रकार इंटरनल डैप्थ, पब्लिक अकाउंट्स डिपोजिट, कांटीनजैंट लायबिलिटी आफ बजट लायबिलिटी, यह सारा 4 लाख 50 हजार करोड़ रूपये था और मैंने यह बात भी कही थी कि जो हमारी जी.एस.डी.पी. है, वह 10 लाख करोड़ रूपये है अर्थात जी.एस.डी.पी. का 45 परसेंट यह हमारी लायबिलिटी है, हालांकि यह लायबिलिटी 33 परसेंट से ज्यादा नहीं होती । मुख्यमंत्री जी ने आन द फ्लोर ऑफ द हाउस जवाब दिया था कि वे 15 दिन में इनका जवाब देंगे लेकिन मेरे पास इनका अभी तक कोई जवाब नहीं आया है । अत: मैं सदन के माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस बात को हुए छह महीने हो गए हैं लेकिन आन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो एश्योरेंस दिए जाते हैं, वे तो कम से कम पूरे होने ही चाहिए । अत: यह मेरा सबमिशन है और मैं सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना भी चाहूंगा कि यह जवाब अब तक क्यों नहीं आया है और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे तो कब तक देंगे ।

श्री अध्यक्ष: कादियान जी, माननीय मुख्यमंत्री जी इस बारे में जरूर बता देंगे ।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, हम इस बारे में बता देंगे ।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान: ठीक है, अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणाएं-

(i) चेयरपर्सन्ज के नामों की सूची के संबंध में ।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 13 (1) के अधीन, मैं, चेयरपर्सनज के नामों की सूची (पैनल ऑफ चेयरपर्सनज) में कार्य निर्वहन करने के लिए निम्नलिखित सदस्यों को नामजद करता हूँ:-

1. श्री मोहन लाल बडोली, विधायक
2. श्रीमती निर्मल रानी, विधायक
3. श्री वरूण चौधरी, विधायक
4. श्री ईश्वर सिंह, विधायक

(ii) सदस्य की अनुपस्थिति के संबंध में ।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री प्रदीप चौधरी, विधायक ने ई-मेल के माध्यम से मुझे सूचित किया है कि उन्हें पैर पर चोट लगने के कारण, वे आज दिनांक 25.8.2023 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते ।

नेवा परियोजना कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला के आयोजन बारे सूचना देना

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को सूचित करना है कि भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा इसी वर्ष 24 और 25 मई को नेवा परियोजना कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन अशोका होटल, नई दिल्ली में किया गया था । देश की सभी विधान सभाओं और परिषदों ने इस कार्यशाला में भाग लिया। मुझे इस महान सदन को यह भी बताते हुए अत्यधिक गर्व हो रहा है कि उक्त कार्यशाला के दौरान माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा नेवा परियोजना को बहुत ही कम समय में लागू करने की उत्कृष्ट पहल के लिए हरियाणा विधान सभा को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है। **(इस समय मेजें थपथपाई गई ।)** मैं नेवा परियोजना के क्रियान्वयन के लिए गठित विधान सभा सचिवालय की 'हाई लैवल अपैक्स समिति' व स्टेट प्रोजेक्ट मोनिटरिंग यूनिट के सभी माननीय सदस्यों, जिसमें इस सदन के माननीय सदस्य, राज्य सरकार व विधान सभा सचिवालय के अधिकारीगण एवं संसदीय कार्य मंत्रालय, हारट्रोन, एन.आई.सी., निक्सी व इस परियोजना से जुड़े सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य एवं उपरोक्त कार्य के लिए आपसी समन्वय बनाये रखने के लिए बधाई देता हूँ ।

सचिव द्वारा घोषणा

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब सचिव घोषणा करेंगे ।

श्री सचिवः अध्यक्ष महोदय, मैं उन विधेयकों को दर्शाने वाला विवरण जो हरियाणा विधान सभा ने अपने दिसम्बर, 2022 तथा फरवरी-मार्च, 2023 में हुए सत्रों में पारित किए थे तथा जिन पर राज्यपाल महोदय ने अनुमति दे दी है, "नेवा" पोर्टल के माध्यम से सदन की मेज पर रखता हूँ।

दिसम्बर सत्र, 2022

हरियाणा सिख गुरुद्वारा)प्रबंधक(संशोधन विधेयक 2022

फरवरी-मार्च सत्र, 2023

1. पंडित लखमी चंद राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक)संशोधन(विधेयक, 2023.
2. हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन)संशोधन(विधेयक, 2023.
3. हरियाणा विद्यालय शिक्षा)संशोधन(विधेयक, 2023.
4. हरियाणा विनियोग)संख्या-2) विधेयक, 2023.

कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट पेश करना

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब मैं कार्य सलाहकार समिति द्वारा तय किए गए विभिन्न कार्यों की समय सारिणी प्रस्तुत करता हूंः-

समिति की बैठक वीरवार, 24 अगस्त, 2023 को मध्याह्न पश्चात 3.00 बजे माननीय अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में हुई ।

lfefr us flQkfj”k dh fd tc rd v/;{k egksn; vU;Fkk funsZ”k ugha nsrs] l= ds nkSjku] fo/kku lHkk dh cSBd “kqØokj 25 vxLr] 2023 dks 11-00 cts izkr% vkjEHk gksxh rFkk ml fnu dh dk;Zlwph esa fn, x, dk;Z dh lekfIr ds i”pkr~ LFkfxr gksxhA

lkseokj] 28 vxLr] 2023 dks fo/kku lHkk dh cSBd 11-00 cts izkr% vkjEHk gksxh rFkk 6-00 cts lk;a fcuk iz”u j[ks LFkfxr gksxhA

eaxyokj] 29 vxLr] 2023 dks fo/kku lHkk dh cSBd 11-00 cts izkr% vkjEHk gksxh rFkk ml fnu dh dk;Zlwph esa fn, x, dk;Z dh lekfIr ds i”pkr~ LFkfxr gksxhA

dqN ppkZ ds i"pkr~] lfefr us vkxs flQkfj"k dh fd 25] 28 rFkk 29 vxLr] 2023 dks lHkk }kjk fuEukuqlkj dk;Z fd;k tk,xk%&

"kqØokj] 25 vxLr] 2023 ¼11-00 cts izkr%½	1- "kksd izLrkoA 2- iz"u dkyA 3- dk;Z lykgdkj lfefr dh izFke fjiksVZ izLrqr djuk rFkk Lohdkj djukA 4- lnu dh est+ ij j[ks tkus okys@iqu% j[ks tkus okys dkxt&i=A 5- fo/kk;h dk;ZA
"kfuokj] 26 vxLr] 2023	Nqêh
jfookj] 27 vxLr] 2023	Nqêh
lkseokj] 28 vxLr] 2023 ¼11-00 cts izkr%½	1- iz"u dkyA 2- o'kZ 2011&12 ls 2018&19 ds fy, vuqnkuksa rFkk fofu;kstuksa ls vf/kd ekaxsa izLrqr djuk] ppkZ rFkk ernkuA 3- o'kZ 2023&24 ds fy, vuqiwjd vuqeku ¼izFke fdLr½ izLrqr djuk rFkk ml ij izkDdyu lfefr dh fjiksVZA 4- o'kZ 2023&24 ds fy, vuqiwjd vuqeku ¼izFke fdLr½ ij ppkZ rFkk ernkuA 5- fo/kk;h dk;ZA
eaxyokj] 29 vxLr] 2023	1- iz"u dkyA

¼11-00 cts izkr%½

2- fujUrj cSBd laca/kh fu;e 15 ds v/khu izLrkoA
3- vfuf"pr dky rd lHkk ds LFkxu laca/kh fu;e 16 ds v/khu izLrkoA
4- j[ks tkus okys dkxt&i=] ;fn dksbZ gksaA
5- o'kZ 2011&12 ls 2018&19 ds fy, vuqnkuksa rFkk fofu;kstuksa ls vf/kd ekaxksa ds laca/k esa gfj;k.kk fofu;ksx fo/ks;d] 2023-
6- o'kZ 2023&24 ds fy, vuqiwjd vuqekuksa ¼izFke fdLr½ ds laca/k esa gfj;k.kk fofu;ksx fo/ks;dA
7- fo/kk;h dk;ZA
8- dksbZ vU; dk;ZA

13:00 बजे

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री कंवर पाल): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं-

कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है ।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति ने जो सिफारिश की क्या यह युनानीमस थी ?

श्री अध्यक्ष : नहीं हुड्डा साहब ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, आप यह बात बताइये कि सैशन का समय कम है, इसलिए आप और अधिक समय दो । वहां तो आपने मेरी बात मानी नहीं । समय कम है, मुद्दे बहुत है, इसलिए और समय दिया जाए ।

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, मैंने तो कार्य सलाहकार समिति की रिपोर्ट रखी है ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे रिपोर्ट के युनानीमसली अप्रूव करने बारे पूछा था ।

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, मैंने युनानीमसली नहीं बोला । मैंने इसे समिति की रिपोर्ट कहा है ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, आपने कहा है कि यह रिपोर्ट युनानीमस नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, यह रिपोर्ट युनानीमस नहीं है ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे कोई गिला नहीं है । मैं तो हाउस से कह रहा हूं कि और समय दो । समय कम है ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है हुड्डा साहब ।

श्री कंवर पाल : अध्यक्ष महोदय, रिपोर्ट तो सर्वसम्मति से ही बनी थी लेकिन बाद में हुड्डा साहब ने कह दिया कि सर्वसम्मति मत लिखना ।

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, मेरा कहना है कि अगर कोई कार्य बचेगा तो आखिरी दिन उसे पूरा कर लेंगे ।

प्रश्न है –

कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है ।

(**प्रस्ताव पारित हुआ ।**)

शून्य काल में भाग लेने के लिए सदस्यों के नामों के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज जीरो आवर में जो सदस्य बोलेंगे मैं सदन को उनके नाम बता देता हूं । ये निम्नलिखित हैं - श्री शमशेर सिंह गोगी, श्री प्रमोद कुमार विज, श्री रणधीर सिंह गोलन, श्री जगबीर सिंह मलिक, श्री सुभाष गांगोली, श्री मेवा सिंह, श्री अभय सिंह चौटाला, श्री चिरंजीव राव, श्री नीरज शर्मा, श्री कृष्ण लाल मिड्ढा, श्री असीम गोयल, श्री सोमबीर सांगवान, श्री शीशपाल सिंह, डॉ. अभय सिंह यादव और श्रीमती गीता भुक्कल । मेरे पास तीन माननीय सदस्यों के नाम 5 बजे के बाद आये थे । फिर भी हम इनको इन्क्लूड कर लेंगे । ये निम्नलिखित हैं - श्री इंदूराज नरवाल, श्री कुलदीप वत्स और श्रीमती किरण चौधरी । इन तीन माननीय सदस्यों के नाम हमारे पास बाद में आये थे । मुझे लगता है कि हमारे पास समय है, इसलिए इनको भी बोलने केलिए समय दिया जा सकता है ।

बैठक का स्थगन

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सदन दोपहर भोजन के लिए 2:00 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है ।

***1:04 बजे**

(तत्पश्चात् सभा मध्याह्न पश्चात् 2:00 बजे तक के लिए *स्थगित हुई ।)

14:00 बजे

(जब सदन समवेत हुआ तो श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए।)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब शून्यकाल शुरू होता है।

शून्यकाल में विभिन्न मामले/मांगे उठाना

श्री उपाध्यक्ष: सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वे समय के अन्दर ही बात रखें। इस दौरान 18 माननीय सदस्यों को अपनी बातें रखनी हैं, इसलिए सभी माननीय सदस्यों को अपनी बात रखने के लिए 3-3 मिनट का समय देने का निर्णय किया गया है।

श्री जगबीर सिंह मलिक: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप संबंधित सभी माननीय सदस्यों का अपनी बात रखने के लिए 2-2 मिनट का समय और बढ़ा दें।

श्री उपाध्यक्ष: मलिक साहब, यह टाईम सभी माननीय सदस्यों के लिए बराबर है। माननीय सदस्यों को अपनी बात रखने के लिए 3-3 मिनट का समय दिया गया है। प्लीज, आप बैठ जाएं। अब माननीय सदस्य श्री शमशेर सिंह गोगी जी अपनी बात रखेंगे।

श्री शमशेर सिंह गोगी(असंध): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जीरो ऑवर में अपनी बात रखने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं आपके माध्यम से सरकार का कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों के प्रति रवैये के बारे में बताना चाहूंगा। मैंने पिछले 6 महीनों में संबंधित ऑफिसर्ज को 15 चिट्ठियां लिखी थी लेकिन उनमें से एक का भी जवाब नहीं आया। मैंने चीफ सैक्रेटरी साहब को भी चिट्ठी लिखी थी कि संबंधित अधिकारीगण मेरी चिट्ठियों का जवाब नहीं दे रहे हैं लेकिन उनकी तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया।

श्री जगबीर सिंह मलिक: उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि ऑफिसर गैलरी में कोई ऑफिसर नहीं बैठा हुआ है। यहां पर कोई बात सुनने वाला ही नहीं है।

श्री शमशेर सिंह गोगी: मलिक साहब, सदन में माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहूंगा कि मेरे हल्के में कोई नयी सड़क का निर्माण नहीं हो रहा है। जबकि पॉलिसी यह है कि गांव से गांव तक कोई कच्ची सड़क नहीं रहेगी। मेरे हल्के में 13 सड़कें कच्ची हैं। मेरे हल्के में बहुत बड़े-बड़े गांव हैं। राहड़ा से डीगवाली सड़क कच्ची है, जयसिंहपुर से उपलाना सड़क कच्ची है और गंगाटेहड़ी से कौलखेड़ा सड़क कच्ची है। इनके अलावा 13 सड़कें और कच्ची हैं। वहां पर 4 साल पहले वैटरनरी हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाने का आश्वासन मिला था और उसके लिए पैसे आ गये थे लेकिन उसका काम शुरू नहीं हुआ है। शायद, सरकार यही सोच रही होगी कि इस काम को इलैक्शन के बाद कर लेंगे। इसके अतिरिक्त एक बिजली बोर्ड का दफ्तर बनना है।

वहां पर ऑफिसर्ज के बैठने के लिए बिल्डिंग बनाने की प्रक्रिया मंजूर की लेकिन उसमें स्टोर के लिए जगह ही नहीं बनायी गयी है। इसको भी एड करवाया जाए। वहां पर 100 बैड का हॉस्पिटल बनाया जाना है और साथ में डॉक्टर्ज के लिए रैजिडैंशियल एरिया ही नहीं बनाया गया है तो वहां पर कौन रहेगा? आप इसको भी सुनिश्चित करवाएं। इसके अलावा मैं हर सैशन में सब्जी मंडी बनाने का मुद्दा उठाता हूं कि आप नयी सब्जी मंडी बनवा दें या वहां पर जो जमीन खाली पड़ी हुई है उसको वहां पर शिफ्ट करवाया जाए। इसके अतिरिक्त मैं किसान की बात करना चाहूंगा कि जब किसानों को यूरिया की जरूरत होती है तो उनको पैक्स में कहा जाता है कि आप डी.ए.पी. ले जाएं और जब डी.ए.पी. की जरूरत होती है तो कहा जाता है कि यूरिया ले जाएं। उपाध्यक्ष महोदय, आप भी किसान हैं और इस बात को समझते हैं। उपाध्यक्ष महोदय,मेरा आपके माध्यम से कहना है कि सरकार किसानों पर रहम खाए। इसके अतिरिक्त मैंने एक एच.एस.वी.पी. के सैक्टर के बारे में लिखा था कि असंध में एक एच.एस.वी.पी. का सैक्टर बनवाया जाए ताकि लोग वहां पर ढंग से रह सकें लेकिन उस संबंध में भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि सारे दफ्तरों के काम बन्द हैं क्योंकि क्लर्क सड़कों पर रो रहे हैं और उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। इसके अतिरिक्त आशा वर्कर्ज सड़कों पर रो रही हैं, इसलिए काम कौन करेगा? सरकार तो कोलैप्स हो चुकी है। **(इस समय घंटी बजायी गयी।)** उपाध्यक्ष महोदय, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। यहां पर कह दिया जाता है कि हमारी सुरक्षा की गारंटी नहीं है। सरपंच अपनी जगह पर रो रहे हैं, सरकार ने उनका इलैक्शन क्यों करवाया था?

श्री उपाध्यक्ष: गोगी जी, आपकी बात पूरी हो चुकी है। प्लीज, अब आप बैठ जाएं।

श्री शमशेर सिंह गोगी: उपाध्यक्ष महोदय, अभी मेरे बोलने का टाईम बाकी है। चूंकि अभी 2:20 ही हुए हैं। मुझे घड़ी में टाईम दिखाई दे रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: गोगी जी, यह जीरो ऑवर 2:00 बजे शुरू हुआ था।

श्री नीरज शर्मा: उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो स्क्रीन पर 2:42 का ही टाईम हुआ है। आप चाहें तो स्क्रीन पर टाईम देख लें।

श्री शमशेर सिंह गोगी: उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर प्रैस वाले गैलरी में बुला रखे हैं लेकिन इनको खाना नहीं खिलाया गया है। आप कम से कम इनकी पैंशन तो बढ़वा दें। आप यह अच्छा काम तो करवा दें।

इनको यहां पर बुलवा लिया गया है और सरकार यह सोच रही है कि उसके हक में लिख देंगे तो कैसे लिखेंगे? चूंकि भूखे पेट कोई काम नहीं करता। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं आपके माध्यम से सरपंचों की बात कहना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: गोगी जी, आपकी बात रखने का समय पूरा हो चुका है। प्लीज, अब आप बैठ जाएं। अब माननीय सदस्य श्री प्रमोद कुमार विज जी अपनी बात रखेंगे।

श्री प्रमोद कुमार विज (पानीपत शहर): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जीरो ऑवर में अपनी बात रखने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री जगबीर सिंह मलिक: उपाध्यक्ष महोदय, इस समय सदन में माननीय मंत्री जी नहीं बैठे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: मलिक साहब, इस समय सदन में 6 माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं।

श्री नीरज शर्मा: उपाध्यक्ष महोदय, लॉस्ट टाईम पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जीरो ऑवर का जवाब मिलेगा लेकिन पूरी ऑफिसर्ज गैलरी खाली पड़ी हुई है।

श्री प्रमोद कुमार विज: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मेरे बोलने के समय पर अपनी बात रख रहे हैं, इसलिए मुझे अपनी बात रखने के लिए ज्यादा समय दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: मलिक साहब, प्लीज, आप बैठ जाएं। सभी माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं।

श्री शमशेर सिंह गोगी: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कुछ कागज सदन के पटल पर टेबल करना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: ठीक है, जी। अब माननीय सदस्य अपनी बात रखेंगे।

श्री प्रमोद कुमार विज: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने अभी दो-तीन दिन पहले ही पानीपत को एक बहुत बड़ी सौगात दी है और उसके लिए टैंडर भी लगने जा रहे हैं। पानीपत के लिए 2 रेलवे ओवर ब्रिज और 1 फ्लाई ओवर मंजूर किया गया है। इनके लिए लगभग 126 करोड़ रूपये की लागत आएगी। इसके साथ ही साथ मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि अगर आप इन दिनों पानीपत में आए हों तो देखा होगा कि गोहाना रोड, असंध रोड और सनोली रोड का फोरलेन का काम हुआ है। इसके अलावा लगभग 74 करोड़ रूपये की लागत से पानीपत से कुराड़ तक फोरलेन का काम शुरू होने जा रहा है। मैं धन्यवाद

करना चाहूंगा कि इस वक्त पानीपत में 5 अंडर पास निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उपमुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और साथ ही साथ डॉ. कमल गुप्ता जी का भी धन्यवाद करता हूं क्योंकि यह अंडर पास यू.एल.बी. डिपार्टमैंट के माध्यम से वहां पर बनाया जा रहा है । इसके साथ ही साथ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान पानीपत इंडस्ट्रियल टाउन की समस्याओं के बारे में दिलाना चाहता हूं । वहां पर एच.एस.वी.पी. और एच.एस.आई.आई.डी.सी. को यह पता नहीं है कि कौन सा काम कौन सा विभाग करेगा क्योंकि एच.एस.वी.पी. ने एच.एस.आई.आई.डी.सी. को सैक्टर दे दिये हैं । इसमें मेरा यही कहना है कि वहां पर वाटर, सीवरेज, सफाई, लाईट और सड़कों की व्यवस्था भी होनी चाहिए। इनमें कुछ काम तो वहां की कारपोरेशन करती है और कुछ काम एच.एस.आई.आई.डी.सी. वाले करते हैं । अब जो काम एच.एस.आई.आई.डी.सी. को करने होते हैं तो इसमें उनको दिक्कत इस बात की आ रही है क्योंकि उनके पास कोई मैकेनिकली मशीनरी अवैलेबल नहीं है और मैनुअली ये काम नहीं हो सकते हैं । इस तरफ मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इसकी व्यवस्था जल्दी से जल्दी करवाई जाये । इसी तरह से पानीपत में वर्ष 1956 का ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया है और इसको वर्ष 2012 में एच.एस.आई.आई.डी.सी. को हैंड ओवर कर दिया गया था लेकिन पता नहीं किस वजह से अभी तक भी इसमें लोगों के प्लॉट ट्रांसफर नहीं हो पा रहे हैं । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि जिस तरह से रिहैब्लीटेशन जोन के अंदर सब डिवीजन पॉलिसी आ चुकी है और सरकार ने इसको पास भी कर दिया है । उसी तरह से अगर इंडस्ट्रियल एरिया के लिए सब डिवीजन पॉलिसी लाई जायेगी तो पूरे हरियाणा को इसका फायदा होगा । उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में माननीय मंत्री पंडित मूलचन्द शर्मा जी से भी मिला था और मैंने उनको एक लैटर भी दिया था । मैं इनसे फिर से आग्रह करता हूं कि पानीपत में कमर्शियल व्हीकल की पासिंग नहीं हो रही है । हमें पासिंग करवाने के लिए रोहतक जाना पड़ता है जो कि हमारे लोगों के लिए बहुत ही दुविधा का कारण बनी हुई है । इसके अलावा मेरा यह भी कहना है कि पानीपत में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने नया बस स्टैंड का उदघाटन किया है । वहां पर बहुत ही सुन्दर बस स्टैंड बना हुआ `है । मेरी प्रार्थना है कि पानीपत की जनता को बहुत प्रॉब्लम है अगर पानीपत के अंदर एल.एंड.टी. के

जो फ्लाई ओवर है उसके साथ एक ऐलिवेटिड बस स्टॉप बना दिया जाये जो फिजीकली पोसिबल भी है तो मैं इसके लिए सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा । धन्यवाद ।

श्री रणधीर सिंह गोलन (पुंडरी) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहूंगा । मैं किसानों से संबंधित बात करना चाहूगा । सदन में बिजली मंत्री जी बैठे हैं । आज से लगभग 40 वर्ष पहले जब चौधरी भजन लाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री होते थे तो उस समय किसानों को एक्ससर्विस मैन, एस.सीज. और हैंडिकैप्ट कोटे के तहत बिजली कनैक्शन दिये जाते थे लेकिन आज किसानों को अपने बिजली कनैक्शन ट्रांसफर करवाने के लिए बहुत धक्के खाने पड़ रहे हैं । सरकार ऐसी कोई पॉलिसी बनाये कि जिस किसान के नाम जमीन है उसके नाम पर कनैक्शन ट्रांसफर हो जाये क्योंकि पहले पट्टे पर कनैक्शन दे देते थे लेकिन आज तक यह योजना लागू नहीं हुई है इसलिए मेरी रिक्वैस्ट है कि इस योजना को 100 परसैंट इम्पलीमैंट करवाने का काम किया जाये । किसान को इस विषय को लेकर बहुत बड़ी दिक्कत है । दूसरा विषय यह है कि अभी सरकार ने किसानों के लिए 100 रूपये पर किलोवाट के हिसाब से ट्यूबवैल कनैक्शन के लिए लोड बढ़ाने का काम किया है यह बहुत ही अच्छा निर्णय है यह सरकार का सराहनीय कार्य है । मैं सरकार का भी धन्यवाद करना चाहूंगा और आपके माध्यम से सरकार से कहना भी चाहूंगा कि सरकार किसानों से 100 रूपये पर हॉर्स पावर के हिसाब से चार्ज ले ले अर्थात मान लो किसी किसान की 10 रूपये की सिक्योरिटी है अगर वह 20 रूपये की करवाता है तो उससे 1000 रूपये ले लो । उपाध्यक्ष महोदय, बिजली विभाग के एस.डी.ओ. और एक्सीयन हैं वे 3200 और 2600 रूपये पर मीटर के हिसाब से जो प्रावधान कर रहे हैं वह ठीक नहीं है । उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जिसका 40-40 साल तक का फ्लैट रेट है उनसे मीटर के पैसे जमा नहीं करवाये जाने चाहिएं । जमींदारों को ना मारो । यह क्या तरीका है । जिसका फ्लैट रेट है उसका किसानों को फायदा दो लेकिन सरकार किसान का नुकसान कर रही है । मैं तीसरी बात यह कहना चाहूंगा कि 1 लाख रूपये जिसकी इन्कम है सरकार ने उस क्राईटेरिया को बढ़ाकर लाभ देने का जो काम किया है मैं इसके लिए सरकार का धन्यवाद भी प्रकट करना चाहूंगा । उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ ही साथ सरकार को बधाई भी देना चाहूंगा कि अगर किसी किसान का 2 लाख रूपये का बिल है या किसी का 3 लाख रूपये का बिल है तो उसको माफ करने का काम किया है। एक बड़ा विषय यह है कि जो हमारी आशा वर्कर बहनें हैं वह सड़कों पर सरकार के खिलाफ नारे लगाती है । आशा वर्कर को सारा काम दे दिया जब बच्चा पैदा होता है और जब तक वह 16 साल का नहीं हो जाता तब तक उसकी संभाल करती रहेगी लेकिन आज सरकार उनको 4 हजार रूपये ही मानदेय देती है । उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि उनका मानदेय बढ़ाने का काम करे क्योंकि आपको भी पता है कि आजकल 500 रूपये में तो मजदूर भी नहीं मिलता है । इसलिए सरकार उनका मानदेय बढ़ाने का काम भी करे। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की

एक बात कहना चाहूंगा।(घंटी) उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन में जनहित के दो-तीन मुद्दे और उठाना चाहता हूं इसलिए मुझे एक-दो मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाए क्योंकि मैं कोई गलत बात नहीं करता।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, इसमें ठीक और गलत बात का विषय नहीं है। सभी को अपनी बात रखने के लिए तीन मिनट का समय दिया गया है।

श्री रणधीर सिंह गोलन: उपाध्यक्ष महोदय, अगर मुझे एक-दो मिनट का समय अतिरिक्त मिल जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे हल्के की ढांड और पूंडरी अनाज मंडी है जिसमें एफ.सी.आई. ने कणक खरीदा। फूड एंड सप्लाई विभाग ने आढ़तियों के पैसे दे दिये लेकिन एफ.सी.आई. उनकी आढ़त नहीं दे रहा है। इस संबंध में मैं माननीय उमाशंकर जी से भी मिला तब कहा गया कि पैसे नहीं देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, पैसा क्यों नहीं दिया जाएगा जब आढ़त अदाने में डाल दी गई है?(शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: गोलन जी, आपका समय हो चुका है इसलिए आप बैठ जाए। आप अपना बाकी विषय लिखित में दे दीजिए। मलिक साहब, आप अपनी बात रखिए।

श्री रणधीर सिंह गोलन: उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी बात रखने के लिए एक-दो मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाए।(शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मलिक साहब, आपका समय शुरू हो चुका है आप अपनी बात रखिए।

श्री जगबीर सिंह मलिक(गोहाना): उपाध्यक्ष महोदय, सरकार अपने आप को किसान हितैषी सरकार कहती है जबकि इस सरकार ने किसान के खिलाफ फैसले कर दिए। पिछली चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की सरकार में आउस्टीज का जो प्रोग्राम रिहेबिलिटेशन के लिए बनाया था तो उस समय एनुइटी बढ़ा दी थी। उस समय नो लिटिगेशन एक्सपेंसेज दिये थे। जिसकी एक एकड़ लैण्ड एक्वायर हुई थी उसमें 33 साल तक रायल्टी जिसमें 21 हजार रुपये और साथ में 700 रुपये इंक्रीज था। इसके अलावा सेज या टैक्नोलोजी पार्क के लिए जो जमीन एक्वायरी होती थी उसका रेट डबल कर दिया गया था। इसके अन्दर आउटसीज को रेजीडेंस प्लॉट्स की भी अलॉटमैंट थी। जहां इंडस्ट्री थी वहां आउस्टीज को इंडस्ट्रियल प्लॉट्स की अलॉटमैंट थी। हरियाणा में जमीन खरीदते थे तो दो साल में एग्जैम्पशन ऑफ ड्यूटी थी लेकिन अब स्टांप ड्यूटी नहीं है। जिनका कारोबार जमीन पर ही था वह उनके भरोसे था। उनको भी ग्रुप सी और डी की नौकरियां देने की पॉलिसी पिछली कांग्रेस सरकार में थी। आज इन्होंने स्टांप ड्यूटी खत्म कर दी। मेरे हल्के में मेरे पास बहुत लोग आते हैं कि हमारी एनुइटी नहीं आई। एनुइटी बंद कर दी। प्लॉट देने बंद कर दिये। रेजिडेंशियल प्लॉट देने बंद कर दिये। कमर्शियल प्लॉट देने बंद कर दिये। लोग उस पॉलिसी की डिमांड करते हैं कि सरकार क्या कर रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहूंगा कि सरकार इस बात को ध्यान में ले। इसके अलावा पांच सिटीज में आर्बिटल कोरिडोर के लिए जो जमीन एक्वायर की जा रही है। उसमें मार्केट रेट भी नहीं दी जा रही। मार्केट रेट से भी कम रेट दी जा रही है। सरकार ने 24.08.2021 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि जो के.एम.पी. हाइवे बना रखा है इसमें टोल टैक्स तो नेशनल हाइवे जितना लेंगे लेकिन किसान कि जो जमीन लेंगे उसकी उतनी रेट नहीं देंगे। किसान कई महीनों से धरना दे रहे हैं उनकी डिमांड है कि

इसका दोगुना मुआवजा दिया जाए। इसकी जो पहली पॉलिसी थी उसे विड्रा कर लिया गया लेकिन किसानों को पहली पॉलिसी के अनुसार ही मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा हरियाणा कॉन्ट्रैक्टर टीचर एसोसिएशन की डिमांड है कि इनको पक्का किया जाए। ये आलरेडी कई साल से रोजगार में हैं इसलिए इनकी जॉब सिक्योर की जाए। डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन के वेतन और इनकी पदोन्नति पर विचार किया जाए। अनुबंधित कर्मचारियों की जो मांगे सरकार ने मान रखी है। उनको पूरी किया जाए। सरकार ने बहुत से विभागों की डिमांड तो मान रखी है लेकिन उनको लागू नहीं करती। क्लेरिकल एसोसिएशन के द्वारा जिस वेतनमान की बात की जा रही है सरकार उसको माने। इसके अलावा वार विडोज, हैंडिकैप्ट, और एक्स सर्विस मैन की भी पैंशन की जाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब माननीय सदस्य श्री सुभाष गांगोली जी अपनी बात रखेंगे। (शोर एवं व्यवधान) मलिक साहब, आपके बोलने का समय पूरा हो चुका है इसलिए आप अपने मुद्दे को टेबल कर दीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिक: उपाध्यक्ष महोदय, सरकार गेस्ट टीचर की भी सुने। जिसकी चिट्ठी रामविलास जी देकर आए थे कि पहली कलम से पक्का करेंगे। सरकार कर्मचारियों की मांगों को सुने और पूरी करे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: गांगोली जी, आपका समय शुरू हो चुका है इसलिए आप अपनी बात रखें।

श्री सुभाष गांगोली (सफीदों) : उपाध्यक्ष जी, मेरे सफीदों में पिल्लूखेड़ा का जो गर्ल्स कॉलेज है उसका जल्दी से जल्दी निर्माण किया जाये। उसकी जमीन का भी ट्रांसफर हो चुका है। बागडूखुर्द से राजावाली सड़क का निर्माण करवाया जाये। कालवा से रजवाना खुर्द तक की सड़क का निर्माण किया जाये। मुआना से भारीवाले रास्ते का निर्माण करवाया जाये। मेरे पूरे हल्के में बिजली की व्यवस्था का बहुत ही बुरा हाल है। हमारा पोल टू पोल जो बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर है वह सारे का सारा बहुत ही पुराना हो चुका है। जिस प्रकार से खेड़ी के पॉवर से बिरधाना गांव जो 18-20 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है वहां से बिजली की आपूर्ति की जा रही है यह ठीक नहीं है क्योंकि लुदाना और गांगोली उनके नजदीक लगता है। इसी प्रकार से धरोली की स्थिति है। इसी प्रकार से सफीदों शहर में भी बिजली का बहुत ही बुरा हाल है। इसी प्रकार से मुआना और सिंघाना की बात हैं अभी मैं वहां पर परसों गया था। वहां पर लोग पॉवर हाऊस के सामने धरना देने के लिए बैठे हैं। इस प्रकार से मेरे पूरे हल्के के बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से बदलना ही पड़ेगा ताकि मेरे पूरे हल्के में बिजली आपूर्ति निर्बाध और सुचारू रूप से चालू हो सके। इसी प्रकार से सफीदों के सामान्य अस्पताल के साथ-साथ मेरे पूरे विधान सभा क्षेत्र में जितनी भी पी.एच.सीज. और सी.एच.सीज. हैं उन सभी में डॉक्टरों की बड़ी भारी कमी है। उसको भी दूर किया जाये। इसके साथ ही साथ मैं आपका ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। वर्ष 2010 में हुड्डा सरकार के

समय में एस.सी. समाज के दो चौंको की मंजूरी हुई थी। एक संत कबीर चौंक जिसका निर्माण रोहतक रोड बाई-पास पर होना था और दूसरा संत गुरू रविदास चौंक जिसका निर्माण भिवानी रोड बाई-पास पर होना था। वर्ष 2013 में हुड्डा सरकार के समय में ही नगर परिषद् जींद द्वारा इन दोंनो चौंको को पास करवा दिया गया था। वर्ष 2021 में इन दोनों चौंको के निर्माण की राशि भी स्वीकृत हो गई थी। इसके बावजूद भी इन दोंनो चौंको का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है। एस.सी. समाज की तीनों बिरादरियों के लोग अम्बेडकर चौंक पर पिछले 45 दिन से धरने पर बैठे हैं लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वे शांतिपूर्वक नंगे पैर शहर के अंदर चल कर प्रदर्शन कर रहे हैं। वे धरना दे रहे हैं और दूसरे कामों पर लगे हुए हैं लेकिन किसी भी प्रकार से उनकी कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहता हूं कि जो पैसा मंजूर हो चुका है वह पैसा जिन कामों के लिए मंजूर किया गया है उनको जल्दी से जल्दी करवाया जाये। इसी प्रकार से जींद के गोहाना रोड पर कचहरी के सामने हमारे महर्षि बाल्मिकी जी का चौंक बनाया जाये। मेरा यह कहना है कि जब दूसरे समाज के संत महात्माओं के चौंक बन सकते हैं तो एस.सी. समाज के संत महात्माओं के चौंक क्यों नहीं बनें? (विघ्न) इसके अतिरिक्त जींद शहर में पटियाला चौंक पर सम्राट अशोक का चौंक बना हुआ है, भगवान परशुराम का चौंक बना है। मदन लाल ढींगरा जी का चौंक बना हुआ है। ये सभी चौंक बाद में पास हुए और बाद में ही बने हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि एस.सी. समाज के संत महात्माओं के नाम पर चौंक क्यों नहीं बनाये जा रहे हैं? (विघ्न)

श्री मेवा सिंह (लाडवा) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों हुई बरसात से हरियाणा प्रदेश के किसानों की फसल का और जान माल का बहुत भारी नुक्सान हुआ है। इससे कुरूक्षेत्र भी अछूता नहीं रहा। मैं तो कहूंगा कि कुरूक्षेत्र जिले व शाहबाद को डुबोने में और कुरूक्षेत्र जिले के किसानों की फसल को मारने में सबसे बड़ा योगदान भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ही योगदान है। इसका कारण है। मैं पिछले दो साल से सरस्वती नदी की खुदाई करने और उससे अवैध कब्जों को हटाने की बात कर रहा हूं। उस पर कोई गौर नहीं किया गया। विधान सभा के पिछले सैशन में तो मुख्यमंत्री जी ने मुझ पर ही आरोप लगा दिये थे कि विधायक जी मेरे को इसमें आपका पर्सनल इंट्रस्ट दिखता है। मुख्यमंत्री जी अभी यहां पर नहीं हैं। मैं उनको यही बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी मेरा यह पर्सनल इंट्रस्ट था कि मैं किसानों की हजारों एकड़ फसल को बर्बाद होने से बचाना चाहता था। मैं कुरूक्षेत्र और शाहबाद शहर को डूबने से बचाना चाहता था। मेरी यह अपनी मांग है यह समस्या अभी खत्म नहीं हुई है। कल बरसात हो जाये फिर से कल को दोनों शहरों का यही हाल हो जायेगा। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि

शाहबाद मारकण्डा में तंदवाल से लेकर पाडलू तक बांध बनाने की मांग पिछले बहुत से 4-5 गांवों द्वारा सालों से लगातार की जा रही है। अगर वहां पर बांध बना दिया गया होता तो न तो शाहबाद शहर डूबता, न हजारों एकड़ फसल मरती और न ही कुरूक्षेत्र शहर ही डूबता। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वहां पर बांध भी जल्दी से जल्दी बनाया जाये, सरस्वती नदी की निशानदेही करके उसकी खुदाई करवाई जाये और वहां से सारे के सारे अवैध कब्जों को भी जल्दी से जल्दी हटवाया जाये। जहां पर सरस्वती नदी की चौड़ाई कम है वहां पर जमीन एक्वॉयर करके कम से कम 60 फुट का बनाया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे लाडवा में एस.डी.एम. दो साल से चल रहा है लेकिन वहां पर एस.डी.एम. के ऑफिस की कोई बिल्डिंग ही नहीं है। इसी प्रकार से वहां पर डी.एस.पी. का भी ऑफिस नहीं है। डी.सी., कुरूक्षेत्र ने केस बनाकर सरकार को भेज दिया है। इसके लिए वहां पर साढ़े चार एकड़ गवर्नमैंट की जमीन भी उपलब्ध हो गई है। यह सी.एम. साहब की अनाउंसमैंट भी है इसलिए मेरी सरकार से रिक्वैस्ट है कि वहां पर जल्दी से जल्दी ये दोनों ऑफिसिज बनाने का काम किया जाये। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि भारतीय किसान यूनियन के लोग हमसे मिले थे सरकार ने शामलात देह, जुमला मालकान, मुस्ता मालकान भूमि का हक उनको नहीं देने का निर्णय लिया है। इससे लोगों में बहुत बड़ा भय है वे यह चाहते हैं कि जिस तरह से सरकार ने नगर पालिका में और नगर परिषद् के एरियाज में जो 20 साल से किरायेदार बैठे थे उनको मालिकाना हक दिया उसी प्रकार से उनको भी हक दिया जाये क्योंकि वे लोग भी पीढ़ियों से वहां पर खेती कर रहे हैं। गिरदावरी भी कई सालों से उनके ही नाम हो रही है। उस जमीन का भी कोई कानून बनाकर उन जमीनों का मालिकाना हक उन किसानों को दिया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं हर सैशन में लाडवा बाई पास, कुरूक्षेत्र से यमुनानगर फोरलेन, खानपुर कोलियां में ट्रॉमा सैन्टर और पिपली का बस स्टैंड बनाने का मामला उठाता हूं कि ये कब तक बन जायेंगे। पिपली का बस स्टैंड बनाने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7 साल पहले की थी लेकिन आज तक उस पर कोई काम नहीं हुआ है। अगर मुख्यमंत्री जी की घोषणा पर 7-7 साल तक काम नहीं होता है तो फिर सरकार से क्या उम्मीद की जा सकती है? मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इन घोषणाओं पर जल्दी से जल्दी काम शुरू करवाया जाये।

हरियाणा पत्रकार संघ, करनाल के सदस्यों का अभिनंदन

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, हरियाणा पत्रकार संघ, करनाल के सदस्य आज सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा सदन की तरफ से उनका स्वागत करता हूं।

शून्यकाल में विभिन्न मामले/मांगे उठाना (पुनरारम्भ)

श्री अभय सिंह चौटाला(ऐलनाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से लगातार एक बात कही जा रही है कि हमने बहुत रोजगार दिये हैं और बहुत सारे बच्चों के लिए रोजगार के अलग-अलग साधन उपलब्ध करवाये गये हैं जबकि सरकार की हालत यह है कि मैं पिछले दिनों हरियाणा प्रदेश के 76 विधान सभा क्षेत्रों में हरियाणा परिवर्तन यात्रा के तहत जा कर आया हूँ। इस दौरान मुझे जो जानकारी मिली है वह ऐसी है कि सभी सुन कर हैरान हो जायेंगे। आज गांव के गांव खाली हो रहे हैं केवल इस बात के लिए कि आज प्रदेश में बच्चों के लिए रोजगार नहीं है, उनके लिए कोई नौकरी नहीं है। आज पढ़े-लिखे युवाओं को सरकार पर भरोसा नहीं रहा है। इसलिए मजबूर हो कर आज युवा अपने मां-बाप को जमीन बेचने के लिए मजबूर करते हैं और विदेश में जाते हैं। विदेश में जा कर नौकरी की या काम की तलाश करते हैं। उनके साथ एक बहुत बड़ी अनहोनी होती है जो उससे भी ज्यादा दुखदाई है लेकिन सरकार ने उस तरफ आज तक कोई ध्यान नहीं दिया है। उन युवाओं में से कुछ तो स्टडी वीजा पर जाते हैं और बहुत सारे डौंकी से जाते हैं। जो बच्चे डौंकी से जाते हैं और जो ऐजेन्ट उनको भेजते हैं क्या सरकार ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की है? अगर सरकार ने इस बारे में कोई कार्रवाई की है तो सदन को उसकी जानकारी दी जानी चाहिए। आज प्रदेश में बहुत सारे युवा इस चक्कर में फंस रहे हैं। करनाल से रोड बिरादरी के बच्चे, लुबाना सिख तथा राजपूतों के बच्चे इस तरह से डौंकी के माध्यम से बहुत अधिक विदेश में जा रहे हैं। वे अपनी जमीनें बेच कर गांव छोड़ कर जा रहे हैं जिससे गांव के गांव खाली हो रहे हैं। विदेश में जाने के बाद उनको वहां पर रोजगार नहीं मिलता है, नौकरी नहीं मिलती है जिसके कारण उनको और अधिक परेशानियां आती हैं। आज हरियाणा प्रदेश में हर रोज विदेश से बच्चों की डैड बॉडीज आ रही हैं। इसके साथ ही साथ जब उनको वहां से डिपोर्ट कर दिया जाता है तो उनका सारा परिवार सड़क पर आ जाता है क्योंकि वे जमीन बेच कर तो जाते ही हैं। अभी दो दिन पहले एक ऐसा भी केस आया है जिसमें एक लड़का डौंकी के माध्यम से बाहर गया हुआ था और डौंकी से क्रॉस करते हुए उसकी डैथ हो गई। वह 4 बहनों का अकेला भाई था। सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस तरफ ध्यान दिया जाये तथा ऐसे ऐजेन्टों के खिलाफ कार्रवाई की जाये। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार उन ऐजेन्टों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी, क्या उन बच्चों के लिए सरकार कोई ऐसा आश्वासन देगी कि उन बच्चों को हम हरियाणा में रोजगार उपलब्ध करवायेंगे और अगर करवायेंगे तो कैसे करवायेंगे? केवल यह कह देने से कि हमने हरियाणा के 75 प्रतिशत युवाओं को हरियाणा में प्राइवेट सैक्टर में रोजगार उपलब्ध करवाया है, कुछ नहीं होने वाला है।

श्री उपाध्यक्ष: अभय सिंह जी, आपका टाइम समाप्त हो गया है इसलिए आप बैठ जाइये।

श्री अभय सिंह चौटाला: उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो अभी बोलना ही शुरू किया है और आप कह रहे हैं कि मेरा टाइम समाप्त हो गया है। मैं युवाओं के बारे में अपनी बात रख रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: अभय सिंह जी, सभी के लिए 3-3 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। आपका 3 मिनट का समय समाप्त हो गया है।

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदय, यहां सभी अपने-अपने हल्के की बात करते हैं । मैं तो प्रदेश के युवाओं की बात कर रहा हूं । उस पर भी आप समय सीमा तय कर देते हो ।

राव चिरंजीव(रेवाड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, आपको पता है कि पिछले दिनों में मेवात के अन्दर बड़ी दु:खद घटना हुई थी। उसमें हमने देखा कि सरकार का लॉ एण्ड ऑर्डर फेलियर रहा । मैं तो आपके माध्यम से सरकार को यह कहना चाहूंगा कि उन लोगों पर कार्यवाही होनी चाहिए जिन्होंने तीन दिन तक मेवात को इस तरह से जलने दिया । वहां पर जो ऐसी घटनाएं हुई उसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए जिनके कारण लॉ एण्ड ऑर्डर पूर्ण रूप से फेलियर हुआ और आने वाले समय के अन्दर इस तरह की घटनाएं न हो उसकी तरफ भी सरकार को देखना चाहिए । इसके साथ-साथ आपके माध्यम से मेरी मुख्यमंत्री जी से एक खास डिमांड है कि मेवात एक बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है इसलिए मेवात के अन्दर एक यूनिवर्सिटी खोली जाए क्योंकि आपको पता है कि अगर वहां पर यूनिवर्सिटी खुलेगी तो वहां के युवाओं को बहुत फायदा होगा । इसके अलावा पिछले दिनों में मेरी विधान सभा के अन्दर मुख्यमंत्री जी ने 'जन संवाद' कार्यक्रम किया था। वैसे तो 'जन संवाद' कार्यक्रम वे चण्डीगढ़ में बैठकर भी कर लेते तो वैसा ही रहता क्योंकि उनको वहां से ज्यादा लोग नहीं मिल पाए । उसके बावजूद भी हमारे धारूहेड़ा कस्बे के अन्दर भिवाड़ी से जो कैमिकल युक्त गन्दा पानी आता है उसकी समस्या को लेकर बहुत सारे लोगों ने वहां मुख्यमंत्री जी से मुलाकात भी की थी । उसके बाद भी मैं उस समस्या को आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि वह गन्दा पानी अभी भी लगातार वहां आ रहा है उसकी वजह से प्रशासन ने भिवाड़ी की तरफ से रोड ब्लॉक कर दिये हैं जिसकी वजह से हमारे आस-पास के गांवों में वह कैमिकल युक्त गंदा पानी लगातार भरता जा रहा है । इसके अलावा आपको पता है कि वर्ष 2016 के अन्दर मुख्यमंत्री जी ने रेवाड़ी के अन्दर एम्स बनाने की घोषणा की थी । उसके बाद वर्ष 2019 के अन्दर स्वयं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी उस एम्स की घोषणा की थी । आज आठ साल बीत जाने के बाद भी हमारे रेवाड़ी के अन्दर एम्स नहीं बन पाया है । मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से आशा करूंगा कि हमारे रेवाड़ी में जल्द से जल्द उस एम्स का कार्य शुरू करवाया जाए । इसके अलावा हमारे क्षेत्र में आज से दस साल पहले लड़कों के लिए एक कॉलेज बनाने की घोषणा की गई थी । आज दस साल बीत जाने के बाद भी सी.एम. अनाउंसमैंट होने के बाद भी हमारे वहां लड़कों के लिए कॉलेज नहीं बन पाया है । इसके अलावा मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि हम हर सत्र के अन्दर इस बात को उठाते हैं कि वैसे ही हमारा रेवाड़ी क्षेत्र डार्क जोन के अन्दर आता है उसके बावजूद हर बार की तरह अबकी बार भी हमारे वहां पीने के पानी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है । उस पर भी काम किया जाए । मुझसे पिछले दिनों के अन्दर कई सारे संगठनों ने मुलाकात की जिसमें हरियाणा की आशा वर्कर यूनियन ने अपनी मांगें रखी हैं, लिपिक क्लर्क एशोसियेशन वैलफेयर सोसायटी ने अपनी मांगे रखी हैं, हारट्रॉन आई.टी प्राफेशन वैलफेयर एशोसिएशन और डिप्लोमा ऑफ एशोसिएशन की कुछ मांगें हैं उनको हल किया जाए।

श्री नीरज शर्मा (फरीदाबाद एन.आई.टी.) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की उपलब्धियां तो इतनी महान हो गई । मैं तो मेरा माया वडी लूना हमारे यहां बाल कल्याणा पॉकेट है जिसके बारे में मुख्यमंत्री जी को अच्छी तरह से पता है । आज उस पूरे इलाके में ऐसे हालात हैं कि कोई भी व्यक्ति सुबह फ्रेश होने नहीं जा सकता । सभी को इंफैक्शन हो रहे हैं, सभी के शौचालयों की सीटें भर चुकी हैं और वहां मैं कीचड़ पंचायत भी लगा चुका हूं । यही स्थिति जीवन नगर की और यही स्थिति वैद्य रोड की तथा यही कुमाऊ मंदिर के हालात हैं । हम इसके सिवाय सदन में और कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, हम तो केवल सीवरेज की निकासी की मांग कर रहे हैं । वादे पता नहीं क्या-क्या हैं । सीवरेज की निकासी तो होती नहीं है उल्टा हमें प्रताप गढ़ में एक नया कूड़ा घर बनाने के लिए और दे दिया है । पहले से ही हम पूरे फरीदाबाद का मैला ढो रहे हैं और अब कूड़ा भी सिर्फ और सिर्फ एन.आई.टी. 86 ढोए और उसके बाद नारा दिया जाता है कि 'सबका साथ, सबका विकास ।' यही स्थिति हमारे नेतराम सरिया रोड की है और यही स्थिति वार्ड नं. 3 दया शंकर गिरी जी की रोड की है कसम से बारिश आए तो वहां चाहे फ्री में नाव चला लो उसके अन्दर नाव से कम कुछ नहीं होगा । मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को एक बात और बताना चाहता हूं कि कहने से 'सबका साथ सबका विकास' नहीं होगा । आप राजस्थान में जाइये भीलवाड़ा शहर है वहां विपक्ष के विधायक के क्षेत्र में साढ़े तीन हजार करोड़ रूपये खर्च करके पानी की 165 किलोमीटर लम्बी लाईन बिछवाई है। इसी तरह से शाहपुड़ा विधान सभा है वहां भी विपक्ष का विधायक है उसकी विधान सभा को भी जिला बना दिया गया। मैं क्या मांग रहा हूँ ? पांच साल से कि साहब, मेरी एन.आई.टी. 86 में तहसील बना दो । पूरे हरियाणा में सिर्फ इकलोती मेरी विधान सभा बची है, जिसमें तहसील नहीं है । उपाध्यक्ष महोदय, नंगला से सरूरपुर जाने वाली सड़कों के लिए मैं चार साल से लगातार पत्र लिख रहा हूँ । एन.जी.टी. की टीम आई तो नगर निगम के आयुक्त महोदय की वहां पर खुद की गाड़ी फंस गई जब वे उस टीम को दौरा कराने के लिए गए थे । आज की तारीख में भी सड़क की स्थिति वही की वही है । वार्ड 9 के अंदर आश्रम रोड, कहने का आश्रम रोड है लेकिन खाली जगह है । आप वहां पर जाकर देखिए । अगर सरकार का कोई अधिकारी 10 मिनट वहां पर खड़ा हो जाये तो नीरज शर्मा अपनी बात के लिए जिम्मेवार होगा । उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां एक सरूरपुर इंडस्ट्रियल एरिया है । इसको लेकर काफी समय से बात चल रही है। लोगों पर बहुत तलवार गिर रही हैं । कृपया करके उसको नियमित किया जाये । उपाध्यक्ष महोदय, बात की जाती है कि सबका साथ-सबका विकास करने की । मैने प्रश्न लगाया कि एच.आर.डी.एफ. में कितना पैसा हरियाणा सरकार ने पिछले चार साल में खर्च किया और उसमें से एन.आई.टी. 86 को कितना पैसा मिला। उपाध्यक्ष महोदय, जवाब आया कि 2300 करोड़ रूपया एच.आर.डी.एफ. में खर्च हुआ और एन.आई.टी. 86 के सामने 'शून्य'खर्च दिखाया गया । अरे, कम से कम ब्राहम्ण समझकर 11 रूपये ही भेज देते कि साहब कहीं जाकर आप 11 रूपये का नारियल फोड़ लीजिए तो सरकार को 'अधिक मास' का पुण्य लग जाता। 'शून्य' लिखने में भी शर्म नहीं आई और कहा जाता है कि 'सबका साथ-सबका विकास' । मैं अपने गांव के लोगों को कहां लेकर जाउं ? कैसे उनको बोलूं कि विकास नहीं हो रहे । (घंटी) और कौन सा दरबार या रास्ता ऐसा है जहां मैं

जाकर अपनी बात करूं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे यहां आक्सीवन भी खुलना है, मैं उसके बारे में भी बात करूंगा । (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष: नीरज जी, आपका बोलने का समय समाप्त हो गया है। डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा जी, अब आप अपनी बात रखें ।

डॉ. कृष्ण लाल मिड्डा (जींद): उपाध्यक्ष महोदय, अभी मेरे साथी सुभाष गांगोली जी जो बात कह रहे थे, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ, अत: इस समय को मेरे बोलने के समय में न जोड़ा जाये। वे कह रहे थे कि जींद में कबीर चौक को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है । मैं अपने साथी को बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के राज में हो सकता है, यह स्थान चिन्हित किया गया हो लेकिन वास्तव में वह स्थान एक्सिडेंटल स्थान है । यहां पर लगभग 25 लाख रूपये की राशि दो चौकों के लिए मंजूर की गई है । जिस प्रकार से हमें दलित विरोधी बताने की बात कर रहे हैं, उस परिपेक्ष्य में मैं विपक्ष के साथियों को बताना चाहूंगा कि 'अम्बेडकर चौक' जो रानी तालाब पर बना हुआ है, आज हरियाणा में सबसे सुंदर चौक है । वही कबीर छात्रावास के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 करोड़ रूपये की राशि देने की घोषणा की हुई है । उपाध्यक्ष महोदय, दोनों चौकों के लिए, मैंने, जो भी लोग धरने पर बैठे थे, उनके साथ बैठकर मीटिंग की थी । इस मीटिंग में एन.एच.ए.आई. के अधिकारी भी रहे, डी.एम.सी. महोदय भी रहे और मैं भी रहा लेकिन उन्होंने हमारी किसी बात पर भी मुहर लगाने का काम नहीं किया और वे उठकर चले गए । मैं कहना चाहूंगा कि सदन को गुमराह करने की जरूरत नहीं है बल्कि जो बात सत्य है, केवल वही बात सदन में करनी चाहिए । उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं जो इससे आगे बोलूंगा, यहां से आप मेरे बोलने के लिए समय स्टार्ट कर सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल: उपाध्यक्ष महोदय, एक्सिडेंटल जगह का नाम देकर जिम्मेदारी से नहीं बचा जा सकता । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती शकुंतला खटक: उपाध्यक्ष महोदय, जब इन लोगों ने वोट लिए थे तो अब चौक भी बनाने चाहिए । (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: गीता जी और शकुंतला जी, माननीय सदस्य अपनी बात रख रहे हैं, कृपया उन्हें अपनी बात पूरी तो कर लेने दें ।

डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा: उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपनी बात सदन में बता दी है अगर यह बात सही साबित न हो तो कुछ कहा जा सकता है लेकिन सच्चाई को तो छिपाया ही नहीं जा सकता । उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष के साथी सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं । (शोर एवं व्यवधान) अगर इनके समय में चौक पास हुए थे तो उसको बनाया भी तो जा सकता था । इनको पता होना चाहिए कि इन चौकों के लिए 25-25 लाख रूपये की राशि पिछले एक साल से आई हुई है । उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष के लोग तो सदन को गुमराह करने का काम कर रहे हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री सुभाष गांगोली: उपाध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल: उपाध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: सुभाष जी और गीता जी प्लीज आप बैठिए और माननीय सदस्य को अपनी बात पूरी करने दें ।

डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा: उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं अपने मुख्यमंत्री जी का आभार करता हूँ कि जो उन्होंने मेरी मांग पर 3 अप्रैल, 2022 को सफीदो रैली में पैरा-मैडीकल कॉलेज बनाने के लिए घोषणा की थी और इसके लिए जो एच.एस.वी.पी. की जमीन देने का काम किया गया है, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ । इसके साथ ही मैं एक और अपील भी करना चाहूंगा कि यह मैडीकल कॉलेज लगभग 75 परसेंट बनकर तैयार हो गया है । यहां पर तुरंत प्रभाव से डायरेक्टर लगाया जाये ताकि वहां पर मैडीकल सुविधाओं को जल्द से जल्द प्रारम्भ किया जा सके । इसके साथ ही मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जींद में रेलवे लाईन पर सारा मार्ग बंद हो चुका है । यहां पर एक अंडरपास बनाया गया है जोकि 'यू' शेप में बना है। इस वजह से एक लाख की आबादी का संपर्क दूसरी तरफ से बिल्कुल कट चुका है और इसका खामियाजा इस तरह से लोगों को भुगतना पड़ रहा है कि अगर कोई भी अंतिम संस्कार के लिए 'अर्थी' जाती है तो उस हालत में लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है । जब इस बारे में रेलवे अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि वे यहां पर एक छोटा अंडर पास बनाने के लिए तैयार हैं । अगर ऐसा हो जायेगा तो यहां से ई-रिक्शा और अंतिम संस्कार के लिए 'अर्थी' वगैरह निकलने में आसानी हो जायेगी। इस काम के लिए सरकार को लगभग अढ़ाई करोड़

रूपये की राशि देनी पड़ेगी । अत: मैं सदन के माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि यह अढ़ाई करोड़ रूपये की राशि भी देने का काम किया जाये । इसके साथ ही मैं सदन के माध्यम से केन्द्रीय मंत्री श्री नितिन कुमार गडकरी जी के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने मेरे कहने से एक रिंग रोड का निर्माण करने की घोषणा की और इसकी फाइनल डी.पी.आर. दिल्ली मुख्यालय में गई हुई है, का भी संज्ञान लेने का काम किया जाये। इसके साथ ही जो भाखड़ा का पानी मंजूर किया गया है, उसके संदर्भ में निवेदन है कि नरवाना में 'एक एकड़ जमीन' जोकि पी.डब्ल्यू.डी (बी. एंड आर.) की है, उसे पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट को दिया जाये ताकि यहां पर पानी को लिफ्ट करने की व्यवस्था की जा सके । इसके साथ ही मेरा सदन के माध्यम से यह भी अनुरोध है कि हमारे 'डाकौत समाज' ने अनुरोध किया है उनके इस नाम को हटाकर उन्हें ब्रह्मऋषि, भृगु, भार्गव या भृगु ज्योतिषी के नाम से पुकारा जाये । (शोर एवं व्यवधान)

श्री सुभाष गांगोली: उपाध्यक्ष महोदय, जो एक्सीडेंटल प्वायंट विधायक जी ने बताये हैं, वास्तव में यहां उपर से नया बाई पास निकल चुका है । संत कबीर दास चौक, रोहतक रोड बाई पास/पुराने बाई पास पर बनना है । यह कोई एक्सिडेंटल प्वायंट नहीं है। इसी प्रकार गुरू रविदास जी का चौक, भिवानी रोड पर बनना है, वहां भी कोई एक्सीडेंटल प्वायंट नहीं है तथा महर्षि बाल्मीकी जी का चौक बनाने की जो मैंने डिमांड की है, वह कचहरी के सामने है वहां पर भी कोई एक्सीडेंटल प्वायंट नहीं है । उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की नीयत में ही खोट है। यहां पर कोई भी एक्सीडेंटल प्वायंट वाली बात ही नहीं है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री असीम गोयल (अम्बाला शहर) :उपाध्यक्ष महोदय, अभी जिस प्रकार से बाढ़ की विभिषिका ने पूरे हरियाणा को अपनी चपेट में लेने का काम किया है। अंबाला शहर और अंबाला कैंट दोनों घग्गर नदी और टांगरी नदी के किनारे पर बसे हुए हैं । मैं आज सदन के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि डडियाला से देवी नगर तक का जो घग्गर का हिस्सा है, उसके उपर बांध बनाया जाये । इसकी प्रपोजल पहले भी गई हुई है लेकिन इस प्रपोजल को सिरे नहीं चढ़ा पाये । वास्तव में यह बहुत जरूरी है क्योंकि इससे हमारा शहर डूबने से बचेगा और दूसरी जगह, जहां से घग्गर नदी, पंजाब से घूमकर दोबारा हरियाणा में एस.वाई.एल. और नरवाना वाले प्वॉयंट को गांव

इस्माइलपुर से पहले क्रास करती है, वहां पर भी एक बांध बनना चाहिए ताकि यहां पर जो गांव इस बार बहुत बुरी तरह से डूबे हैं, भविष्य में उनकी जान-माल की सुरक्षा हो सके । तीसरा मेरा यह कहना है कि जो घग्गर नदी के तटबंध हैं, उनको भी दो-दो फीट और उंचा उठाने का काम किया जाये और जो माइनिंग पर डीसिल्टिंग के नाते रोक लगी हुई है और इसकी जो क्रीक है, उसको भी गहरा करवाया जाये तथा जहां तक प्राइवेट लैंड नहीं आती, वहां तक इसको चौड़ा करवाया जाये ताकि भविष्य में बाढ़ से बहुत राहत मिलने की संभावनाये बढ़ जायें। इसके अतिरिक्ति मैं सदन के माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे शहर के अंदर से चार ड्रेन जाती हैं अर्थात अंबाला ड्रेन, इंको ड्रेन, सिंगावाला ड्रेन तथा सुलर ड्रेन। इन चारों ड्रेनों पर बड़े डिस्पोजल लगवाने का काम किया जाये और जो छोटी पाकेट्स हैं, जहां शहर के अंदर पानी भरता है, उन पाकेट्स के उपर भी डिस्पोजल लगाये जायें क्योंकि हमारा शहर बाउल शेप में है । इसके साथ ही मेरा यह भी निवेदन है कि जो नरवाना ब्रांच है और एस.वाई.एल. के बिल्कुल पैरलल है, वह 1955 से बनी हुई है लेकिन आज यह बहुत बुरी हालत में है । अत: इसकी रीस्ट्रैंथनिंग के लिए भी प्रोवीजन रखा जाये । उपाध्यक्ष महोदय, यह अभी रिस्क एंड कोस्ट पर ही चल रही है । हमें लगता है कि आफ सीजन के अंदर भी यह टूट सकती है । अत: मैं एक बार फिर सदन के माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि अंबाला को बाढ़ से बचाने के लिए ये काम करवाये जायें । इसके साथ ही अभी जिस प्रकार से मुआवजे के लिए किसान साथियों ने धरना-प्रदर्शन करने का काम किया था, के संदर्भ में सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि उनके जो मुद्दे हैं, उनको सहानुभूतिपूर्वक सुनकर हल करने का काम किया जाये । वैसे कल किसानों की इस संदर्भ में बातचीत भी हुई है। जहां तक क्लर्कों की बात है, उनकी मांगों के संदर्भ में एक कमेटी बनी है और मांगों पर विचार करने के लिए तीन महीने का समय लिया गया है, के परिपेक्ष्य में मेरा निवेदन है कि यह कमेटी भी क्लर्कों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का काम करे । इसी प्रकार मेरा एक निवेदन यह भी है कि जितनी कोआपरेटिव सोसायटीज होती हैं, उनमें एग्रीकल्चर और नोन एग्रीकल्चर लोन होते है जिनकी 10 हजार रूपये तक की सीमा होती है । पहले की सरकारों ने भी इनका इंट्रस्ट माफ करने का काम किया था और हमारी सरकार ने भी यह काम किया है लेकिन मेरा इस संदर्भ में यह भी कहना है कि जो ओरीजनल 10 हजार की अमाउंट है वह आज भी वही की वही है। मेरा निवेदन है कि इसके लिए भी कोई लिमिट

बनाकर कि जिसकी 3 लाख रूपये तक की सालाना इंकम है, उनके मूल को माफ करने का काम किया जायेगा तो इससे भी लोगों को बहुत फायदा होगा । उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

गुरू गोविन्द सिंह पब्लिक स्कूल, पानीपत के अध्यापकों तथा विद्यार्थियों का अभिनन्दन

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि गुरू गोविन्द सिंह पब्लिक स्कूल, पानीपत के अध्यापक तथा विद्यार्थी आज सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं । मैं सारे सदन की ओर से इनका स्वागत करता हूं ।

____

शून्यकाल में विभिन्न मामले/मांगे उठाना (पुनरारम्भ)

श्री सोमबीर सांगवान (दादरी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि अब की बार बहुत ज्यादा बारिश हुई है । वैसे तो देश और प्रदेश में बहुत ज्यादा नुक्सान हुआ है लेकिन दादरी में पिछले 20 दिन तक पानी भरा रहा और पूरा शहर जलमग्न रहा । इससे वहां पर 20 हजार दुकानें, अनाज मण्डी और सब्जी मण्डी भी प्रभावित हुई । मेरी सरकार से पुरजोर अपील है कि इन गरीब दुकानदारों को मुआवजा दिया जाए । इसके अलावा जो किसान भाई हैं उनकी फसलों की स्पैशल गिरदावरी करवाकर उनको भी उचित मुआवजा दिया जाए । पिछले 2 साल से सरकारी कॉलेज की कक्षाएं चल रही हैं लेकिन अभी तक नई बिल्डिंग नहीं बनी है । मेरी सरकार से प्रार्थना है कि एक नई बिल्डिंग बनाकर कॉलेज की व्यवस्था की जाए । दादरी एक बड़ा शहर है और बस स्टैण्ड काफी अंदर है । वहां पर जाम लगते रहते हैं । अत: बस स्टैण्ड को शहर से बाहर शिफ्ट किया जाए । सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया, दादरी की शहर के चारों ओर 203 एकड़ जमीन है । वहां पर बढ़िया कनैक्टिविटी है, इसलिए उसको कॉमर्शियल सैक्टर में डिवैल्प किया जाए । रोहतक रोड पर ओवरब्रिज के लिए काफी पहले से 50 करोड़ रूपये आये हुए हैं । रोहतक चौक से लेकर खेरड़ी मोड़ तक और दादरी से चिड़िया गांव तक रोड का निर्माण किया जाए । हमारे जिला दादरी में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 2 साल पहले मैडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की थी लेकिन अब तक उस कोई काम शुरू नहीं हुआ है । वहां के हॉस्पिटल में 16 डॉक्टरों की कमी है और वहां पर एमआरआई और सीटी स्कैन भी नहीं है । अत: वहां पर इनकी व्यवस्था की जाए । दादरी और भिवानी जिले खिलाड़ियों के हब हैं । वहां से बहुत से अच्छे खिलाड़ी और इंटरनैशनल पहलवान जैसे लीला राम पहलवान, संजय (वॉलीबोल) , गीता-बबीता (कुश्ती), हसन सांगवान (कबड्डी), विकास सांगवान (कबड्डी), राजकंवार और जितेंद्र (बॉक्सिंग) हुए हैं । यह बात मैंने पहले ही विधान सभा के सत्र में उठाई थी कि वहां पर एक स्पोटर्स यूनिवर्सिटी दी जाए । ऐसा होने पर हम आने वाले टाइम में वहां से बहुत अच्छे खिलाड़ी दे सकते हैं । तीसरी बात, हमारे दादरी में एक कॉमर्शियल सैक्टर डिवैल्प किया जाए । वहां पर बढ़िया कनैक्टिविटी

है और दिल्ली के नजदीक होने के कारण बेहतरीन व्यवस्था है । दादरी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने नया जिला बनाया है । वहां पर सीवरेज और पीने के पानी की व्यवस्था तो पिछले टाइम में हो चुकी है लेकिन लेट-लतीफी के कारण अन्य जरूरी काम शुरू नहीं हो पाये हैं, इसलिए तुरंत प्रभाव से काम शुरू करवाया जाए । धन्यवाद ।

श्री शीशपाल सिंह केहरवाला (कालांवाली) (एस.सी.) : धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय । मैं प्रदेश के कुछ मुद्दों पर बात करना चाहता हूं । पिछले दिनों सिरसा जिले के नारायणगढ़ गांव के 4 किसान एक टैंक पर चढ़े थे और नीचे हजारों किसान धरने पर बैठे थे । उनके धरने पर बैठने का कारण सिर्फ एक था । जिस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का हमारे माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री महोदय तथा पूरी कैबिनेट प्रचार करती है और उसके बलबूते पर सरकार यह कहती है कि हमने किसानों को एक नया विजन दिया है । सरकार का कहना है कि अगर किसानों की फसलें खराब हो जाए तो उनके हक और उनके गुजारे के लिए हमने राहत देने का काम किया है । अगर हम पिछले 4-5 सालों का रिकॉर्ड देखें तो पता चलता है कि पिछले 7 सालों में 1 लाख 97 हजार 657 करोड़ रूपये प्रीमियम राशि के रूप में लिये गये और सरकारी आंकड़े के अनुसार जो किसानों को दिया गया है वह केवल 1 लाख 40 हजार करोड़ रूपया है । यानि कि 57 हजार करोड़ रूपये बीमा कम्पनियों की जेब में डाल दिए गए और सरकार कहती है कि किसान अपनी फसल का बीमा करवायें । इनके लिए पूरी की पूरी एडवर्टाइजमैंट भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आज इसके कारण किसानों को टंकी पर चढ़ने की नौबत आ चुकी है। अगर आप इनको अपने घरों से निकलकर चौपटा में देखेंगे या संबंधित इलाकों में देखेंगे या पूरे हरियाणा में देखेंगे तो पाएंगे कि आज किसान सैकड़ों दिनों से वर्ष 2022 के बीमा के लिए तड़प रहा है लेकिन उस तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि इसके लिए जल्द से जल्द कदम उठाए जाएं ताकि किसानों को उनका हक मिल सके। दूसरा मुद्दा बाढ़ की समस्या से संबंधित है कि यह फ्लड क्यों आयी है? हमने इस संबंध में बार-बार मुख्यमंत्री जी को कहा है कि जो घग्घर नदी के लिए है उस प्रकार की एक नीति बनाएं कि कहां से फ्लडी नहर निकाली जा सकती है? चूंकि सिरसा में सीधा पानी पंजाब की तरफ से आता है और वहां के लिए उनको एक रूपरेखा बनाकर दी थी कि किस प्रकार से वहां पर एक रंगा माईनर और दूसरी माईनर निकाली जा सकती है। ओटू झील की खुदाई चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हुई थी। उसका कार्य एक फेज में हुआ है और अभी दो फेज का कार्य पैंडिंग पड़ा हुआ है। इस काम को भी करवाया जाए परन्तु उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई ध्यान नहीं है। इसका रिजल्ट यह निकला कि आज वहां पर चाहे रानियां हल्का हो या चाहे ऐलनाबाद हल्का हो या चाहे कालांवाली हल्का हो। यहां पर बाढ़ की समस्या सामने आयी है। यह सारा काम सरकार की कमियों के कारण हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात और रखना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: शीशपाल जी, आपके बोलने का समय पूरा हो चुका है। प्लीज, अब आप बैठ जाएं। इसके अतिरिक्त कोई बात हो तो उसके बारे में लिखकर दे सकते हैं। अब माननीय सदस्य डॉ. अभय सिंह यादव जी अपनी बात रखेंगे।

डॉ. अभय सिंह यादव (नांगल चौधरी): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जीरो ऑवर में अपनी बात रखने के लिए समय दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। यहां पर सदन में माननीय बिजली मंत्री जी बैठे हुए हैं, इसलिए सबसे पहले इनके विभाग से संबंधित बिजली की समस्या के बारे में अपनी बात रखना चाहूंगा। जो बने हुए मकानों के ऊपर से बिजली की लाईंज जा रही हैं वह बहुत ही खतरनाक चीज है। वहां पर जो परिवार अपने मकानों में रहते हैं वे हमेशा टैंशन मे रहते हैं। यह फैक्ट है कि काफी संख्या में मकान बाद में बने हैं और वहां पर तारें पहले से ही खिचीं हुई हैं। यह बात भी ठीक है कि बिजली विभाग को किसी विशेष कानून के तहत लाईंज बिछाने का अधिकार है। लेकिन लाईंज बिछाने के अधिकार के साथ वहां पर रिहायशी प्लॉट का जो मालिक है, उसको मकान बनाने का अधिकार कानून देता है। जब मौके पर कोई मकान बनाकर रहने लग जाता है तो उसको जीवन का अधिकार संविधान देता है और उसको कोई छीन नहीं सकता। उपाध्यक्ष महोदय,मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि उनको खतरे में डालने की बजाए समस्या का समाधान करवाया जाए। सरकार हर साल विभिन्न आर्गेनाईजेशंज को बिजली बोर्ड के माध्यम से 5000-6000 करोड़ रूपये सब्सिडी के रूप में देती है लेकिन इसमें तो 50-100 करोड़ रूपये की ही बात है। इसके लिए कोई लोभ वाली बात न की जाए और पूरे स्टेट के लिए एशमुक्त टैंडर करके संबंधित तारों को हटवाने का काम करें। इसके अतिरिक्त मेरी दूसरी इसी से संबंधित बात है कि गांवों की आबादी बढ़ गयी है और फिरनी से बाहर भी मकान बन गये हैं। गांवों के एप्रोच रोडज के साथ-साथ भी मकान बन गये हैं। उन मकानों के लिए डोमैस्टिक सप्लाई की लाईंज नहीं हैं। विभाग कहता है कि हम सिर्फ 150 मीटर तक ही फ्री बिजली की सप्लाई करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इसको कम से कम एक किलोमीटर तक गांव की आबादी के नयी आबादी तक किया जाए और सरकार अपने खर्चे पर फ्री में घरेलू बिजली की सप्लाई के कनैक्शन दे। माननीय कृषि मंत्री जी भी यहां पर सदन में बैठे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मार्केटिंग बोर्ड के रोडज बहुत टूटे हुए हैं। इस संबंध में एक बार

यह निर्णय हुआ है कि इस काम को जिला परिषदों द्वारा किया जाएगा। लेकिन बाद में फिर यही फैसला हुआ है कि इस काम को मार्केटिंग बोर्ड ही करेगा। हमारे जिले में खासतौर से नांगल चौधरी हल्के में मार्केटिंग बोर्ड के रोडज की हालत बहुत खराब है। चूंकि अब बारिश का सीजन भी खत्म हो गया है, इसलिए उनकी जल्दी से जल्दी रिपेयरिंग करवायी जाए। इसके अतिरिक्त कृषि बीमा योजना के तहत जिन-जिन किसानों ने फसलों का बैंक के थ्रू बीमा करवाया था उनकी पिछली अदायगी बकाया है, इसलिए उनकी अदायगी जल्दी करवायी जाए। इसके अलावा एक बात और कहना चाहूंगा कि नारनौल में एच.एस.वी.पी. का एक ही सैक्टर है और उसका बहुत बुरा हाल है। इस काम को अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमैंट देखता है। अभी माननीय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता जी सदन में बैठे हुए थे लेकिन अब बाहर चले गये हैं। वहां पर रोडज, सीवरेज और ड्रेनेज की हालत बहुत खराब है। मेरा नारनौल हल्का नहीं है लेकिन मैं वहां का निवासी हूं । मैं उस सैक्टर में रहता हूं लेकिन यह समस्या बहुत गम्भीर है। इसलिए उसकी तरफ सरकार का ध्यान दिला रहा हूं। इसके अतिरिक्त आशा वर्कर्ज कई दिनों से एजीटेशन कर रही हैं, इसलिए उनको कम से कम मिनिमम वेजिज के बराबर तो कर दिया जाए। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री भारत भूषण बत्तरा:उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की बात का समर्थन करता हूं।

श्रीमती गीता भुक्कल(झज्जर एस.सी.) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले यह कहना चाहूंगी कि प्रश्न काल के दौरान विधायकों के जो प्रश्न लगते हैं और माननीय मंत्री जी उन प्रश्नों का गलत जवाब देते हैं तो इसमें किसकी अकाउंटिबिलिटी फिक्स होती है । जैसे आज मेरा ग्राम मातनहेल जिला झज्जर में सी.एल.पी. प्लांट द्वारा 50 बैडिड अस्तपाल बनाने का जो अतारांकित प्रश्न लगा है । मैं इस बारे में बताना चाहूंगी कि आज के समय में वहां पर इस अस्पताल में पी.एच.सी. चल रही है । मेरा इसमें यही कहना है कि आज वहां पर मरीजों को कोई सुविधा नहीं दी जा रही है और इस प्रकार से इस प्रश्न का गलत जवाब दिया गया है इसलिए इसमें अकाउंटिबिलिटी फिक्स की जाये । पिछली बार मेरा पार्कों को लेकर प्रश्न लगा था उसमें जवाब दिया गया था कि पार्कों की स्थिति बहुत अच्छी है और सरकार वहां पर पैसा सैंग्शंड कर रही है । मेरे पास इसकी फोटोग्राफ्स हैं, चाहें तो आप इनको देख सकते हो । वहां पर पार्कों की बद से बदतर हालत बनी हुई है । उसमें भी accountability of the Minister and the officers should be fixed. उपाध्यक्ष महोदय, इसमें गलत जवाब देने का क्या मतलब बनता है जबकि असैम्बली हॉल में इतने बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि यहां पर बोले तो सही बोले नहीं तो न बोले । एक बार मैंने झज्जर के पुराने बस स्टैंड के बारे में कहा था वह नई जगह पर बन गया है । पुरानी जगह

पर अनवोंटिड टाइप के लोग बैठे होते हैं, वहां पर आवारा पशु भी बैठे होते हैं । इतना ही नहीं वहां डेंगु का घर बन गया है जिसके कारण उसके आसपास के क्षेत्र के आंकड़े बताते हैं कि कई लोगों की डेंगु की वजह से मौतें भी हो चुकी हैं । अभी सड़कों को लेकर मामला उठाया गया था । पिछली बार हमने विधान सभा सत्र में कहा था कि सड़कों में गड्ढ़े हैं और हम कैमरा लगाकर उन्हें ढूंढ रहे हैं । आज हालत इस प्रकार की बनी हुई है जैसे ही मानसून आया, उन सड़कों को खोद दिया गया और उन सड़कों को पूरी तरह से गड्ढों में परिवर्तित करने का काम किया गया । मैं यह भी जरूर कहना चाहूंगी कि आज के समय में हमारे कर्मचारी, व्यापारी और युवा वर्ग हैं, ये सब लोग धरने पर बैठे हुए हैं । बहुत सारे संगठनों के ज्ञापन आये हैं और सर्व कर्मचारी संघ अपना ज्ञापन देना भी चाहते हैं । ओल्ड पेंशन की बहाली के लिए भी ज्ञापन देना चाहते हैं । हमारी आशा वर्कर बहनें हैं उनको लगातार महीने से ज्यादा धरने पर बैठे हुए हो गये हैं, उनको सरकार ने कोरोना काल में कोरोना वॉरियर का नाम दिया था । उन्होंने कोरोना काल में अच्छे से अपनी सेवाएं देने का भी काम किया है इसलिए उनकी मांगों को भी सुना जाये और उनका मानदेय बढ़ाया जाये । उपाध्यक्ष महोदय, कम से कम उनको बैठने के लिए जगह दी जाये और उनकी बातों पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाये। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगी कि हमारी जो मिड मिल वर्कर हैं या चाहे हमारे सफाई कर्मचारी हैं, मुझे इन्होंने ज्ञापन दिया है मैं इसको टेबल कर दूंगी । एन.एच.एम. के 14000 कर्मचारी हैं वे पिछले 25 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं । कुछ राज्यों ने उनको नियमित करने का काम किया है इसलिए हमारे यहां भी उनको नियमित करने का काम किया जाये । मैं यह भी कहना चाहूंगी कि इस समय पी.जी.आई.एम.एस. रोहतक में आयुषमान योजना के तहत वैसे तो मेरा इस विषय से संबंधित कॉलिंग अटैंशन मोशन भी लगा हुआ है । इसमें बहुत सारे घोटाले और घपले हुए हैं । आज वहां पर हालात यह हो गये हैं कि वहां पर मुर्दों के नाम पर ऑपरेशन कर दिये गये हैं । माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम किसी को बख्शेंगे नहीं लेकिन आयुषमान योजना में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है । मुर्दों के नाम पर दवाईयां तक इशू हो गई । इस प्रकार के 180 से ज्यादा केसिज हैं । मैं यह कहना चाहूंगी कि इतना बड़ा घोटाला हुआ है यह घोटाला सभी की जानकारी में भी है । इस घोटाले को सी.एम. फ्लाइंग स्कवाड ने उजागर किया है इसलिए इस घोटाले की जांच करवाई जाये । उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के ऐसे बहुत सारे मामले हैं और प्रदेश में इस समय जो हाहाकार मचा हुआ है इसलिए हमें इन सभी मामलों की जांच करने का आश्वासन दिया जाये । इसमें यह भी बताया जाये कि इसमें किसकी जिम्मेवारी बनती है ? मैं सड़कों को लेकर भी विशेष तौर पर कहना चाहूंगी कि इन सड़कों को लेकर हमने सरकार को जो इन्फॉर्मेशन दी है, उसके बावजूद भी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है या फिर हमें इसकी जानकारी गलत दे दी जाती है तो इसमें किसकी जिम्मेवारी फिक्स होगी, इस बारे में भी बताया जाये । इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगी कि हमारे जे.बी.टी. टीचर हैं जो 1 लाख से ज्यादा एचटैट पास युवा बेरोजगार घूम रहे हैं इनकी समस्याओं का भी समाधान करने का काम किया जाये । इसके साथ ही साथ जो हमारे डाइट इंस्टीट्यूशंज हैं इस समय पूरी तरह से बंद हो चुके हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगी कि जो

मुर्दों का इलाज किया गया और उनके इलाज पर जो पैसा रिलीज किया गया, मैं समझती हूं कि इसकी जांच करवाई जानी चाहिए । मैं आपको यह टेबल भी करना चाहूंगी ।

श्री इन्दु राज (बरौदा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जब बरौदा उप चुनाव हुआ तो उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी के साथ सारा मंत्रालय लगा हुआ था तब मुख्यमंत्री जी ने वहां पर यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की थी लेकिन आज तक वहां पर यूनिवर्सिटी नहीं बनाई गई है । मैं सरकार से कहना चाहूंगा । माननीय मंत्री जी भी बैठे हैं । अब तो सरकार के जाने का टाइम भी आ गया है इसलिए कम से कम वहां पर इसका पत्थर तो लगा दो । यूनिवर्सिटी को हमारी सरकार बना लेगी । हम हुड्डा साहब से बनवा लेंगे क्योंकि एक साल में यूनिवर्सिटी नहीं बनेगी लेकिन हरियाणा प्रदेश के लोग माननीय मुख्यमंत्री जी की बात पर भरोसे करेंगे जिसके कारण मुख्यमंत्री जी की जुबान भी बनी रहेगी । कहा जाता है कि जो मुख्यमंत्री कहते हैं वे काम जरूर करते हैं । मेरा आपसे अनुरोध है कि वहां पर कम से कम पत्थर लगाने का काम किया जाये । उपाध्यक्ष महोदय, 10 साल तक हुड्डा साहब की सरकार थी, माननीय विकास पुरूष जी ने सोनीपत में 6-6 यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया था लेकिन वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम बरौदा में यूनिवर्सिटी बनाने का काम करेंगे और वहां पर सरकार यह बात कहकर भी यूनिवर्सिटी नहीं बना सकी इसलिए मेरा निवेदन है कि वहां पर यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया जाये । उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं सदन के ध्यान में लाना चाहूंगा कि वर्ष 2019 में रेडियोग्राफर की वैकेंसी निकाली गई थी। इस कैटेगरी में दिनांक 07 सितम्बर, 2019 को विज्ञप्ति प्रकाशित की गई। इसमें दिनांक 20.09.2019 से लेकर 09.10.2019 तक आवेदन भरे गए। इसमें 197 पद थे। पहले तो इसमें दसवीं पास के साथ रोहतक मैडिकल कॉलेज या हरियाणा की अन्य किसी संस्था से डिप्लोमा किये हुए को मान्य कर फार्म भरवाए गए। लेकिन पेपर होने के बाद जब बच्चों को इंटरव्यू में बुलाया गया तब जिन बच्चों ने हरियाणा की संस्था से डिप्लोमा किया था उनके डिप्लोमा को न मानकर जिन बच्चों ने अन्य प्रांतों से डिप्लोमा किया था उनको मान्य किया गया। जिसमें हरियाणा प्रदेश के युवाओं के साथ बड़ा धोखा किया गया। इसलिए सरकार इस भर्ती पर भी जरूर ध्यान दे। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने वर्ष 2017 में घोषणा की थी कि रिंढाणा गांव में कबड्डी खेल मल्टी पर्पज हॉल बनाया जाएगा। इस संबंध में बजट सत्र में माननीय खेल मंत्री जी ने कहा था कि 926 लाख रुपये हमने दे दिये और काम शुरू हो गया। जब मैंने माननीय मंत्री जी को बताया कि काम शुरू नहीं हुआ है। तब माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि बजट सैशन के तुरंत बाद काम शुरू करवा दिया जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, सदन में मंत्री जी ने आश्वासन दिया था लेकिन काम शुरू नहीं हुआ तो इससे बुरा हाल क्या होगा? उपाध्यक्ष महोदय, जो घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं या तो उनको पूरा किया जाए या फिर घोषणा ही न की जाए। सदन में मंत्री जी भी झूठे आश्वासन देते हैं तो इससे बुरा हाल क्या होगा? उपाध्यक्ष महोदय, यह घोषणा किसी विधायक या मंत्री जी ने नहीं की थी बल्कि यह घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी इसलिए इस कबड्डी खेल मल्टी पर्पज हॉल को बनवाया जाए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: अब माननीय सदस्य, श्री कुलदीप वत्स जी अपनी बात रखेंगे।

आवाजें: उपाध्यक्ष महोदय, कुलदीप वत्स जी सदन में उपस्थित नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष: ठीक है। माननीय सदस्या श्रीमती किरण चौधरी जी अपनी बात रखे।

श्रीमती किरण चौधरी(तोशाम): उपाध्यक्ष महोदय, सच्चाई यह है कि झूठे वायदे और झूठे आश्वासन ही इस सरकार की पहचान बन गई है। प्रदेश के महेन्द्रगढ़ जिले में अटेली हल्के के अंदर एक गांव मोहम्मदपुर हमीर खान है। इस गांव के लोगों द्वारा वर्ष 2017 में सरकार को एक प्रपोजल भेजी थी कि हमारे गांव मोहम्मदपुर हमीर खान का नाम मोहनपुर कर दिया जाए। सरकार द्वारा इनको बार-बार आश्वासन दिया गया। हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब भी वहां पर बार-बार गए। फिर भी यह छोटा सा काम जिसमें सिर्फ नाम ही चेंज करना था लेकिन वह नहीं हो पाया। वर्ष 2017 से लेकर आज वर्ष 2023 हो गया लेकिन अभी तक इस गांव का नाम चेंज नहीं हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि इस गांव का नाम चेंज करवा दिया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे भिवानी जिले के साथ बहुत ज्यादती हो रही है। वर्ष 2020 में कॉटन क्रॉप्स के कम्पनसेशन के लिए 81 करोड़ रुपये अप्रूव हुए थे लेकिन इसमें से 35 करोड़ रुपये अभी तक नहीं दिए गए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह तोशाम ब्लॉक के 16 गांव, सिवानी ब्लॉक के 22 गांव और केरू ब्लॉक के 16 गांव के लिए 364 करोड़ रुपये सैंग्शन हुए थे लेकिन इनमें से भी अभी तक 140 करोड़ रुपये नहीं दिये गए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2022-2023 में 300 करोड़ रुपये का जो डेमेज रवि क्रॉप्स में पाले तथा ओलावृष्टि के कारण हुआ है उसमें भी फोर्मल्टी के तौर पर करीब 10 करोड़ का ही मुआवजा बांटा गया है। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे हैरानगी की बात तो यह है कि किसानों से फसल बीमा योजना का प्रीमियम तो उनके के.सी.सी. कार्ड के जरिये जबरदस्ती कटवा लिया जाता है लेकिन क्लैम देने के लिए किसी कंपनी को निर्धारित ही नहीं किया है तो बेचारे किसान अपना क्लेम कैसे लेंगे? यह तो कमाल की बात हो गई है। तभी तो कल मंत्री जी का आवास किसान पूरी तरह से बड़ी तादाद में घेर रहे थे। इसलिए आज ये हालात हो रहे हैं। उपाध्यक्ष जी, हमारे बापूड़ा के वॉटर्स वर्क्स की हालत ठीक नहीं है। वहां पर अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी गए थे। पहले यह 84 गांवों में पानी की सप्लाई करता था लेकिन आज 3 गांव ही रहे हैं और बापूड़ा को भी पूरा पानी नहीं मिलता। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि हम पानी की पूरी तरह से भरपाई करेंगे। यह अभी तक तो हुई नहीं है इसलिए यह काम भी करवा दिया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे जो वॉटर वर्क्स है उनकी सफाई नहीं हुई है। जिससे हालत यह है कि लोग गंदा पानी पी रहे हैं। इसके अलावा खानक के अंदर जो आर.ओ. वॉटर प्लांट है वह बिल्कुल खराब पड़ा हुआ है इसको दुरुस्त करवाया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, गांव बापूड़ा, मिरान, बीरण, दांग, सांगवान, भेरा, ईसरवाल, संढ़वा तथा मलवास पानी से ग्रस्त हैं और यहां पर पानी की कोई निकासी नहीं है। यह बात मैं सदन में कम से कम पांच बार उठा चुकी हूं लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। इसलिए इस समस्या का समाधान भी करवाया जाए नहीं तो मैं इस विषय को कमेटी के अंदर लेकर आऊंगी। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा पुलिस विभाग तथा जेल एसोसिएशन वाले लोग मेरे पास आए थे। इनको भी

पंजाब वालों के बराबर पे-स्केल दे दीजिए। ये जिस पे-स्केल की मांग रहे हैं यह पंजाब वालों को भी मिल रहा है, दिल्ली वालों को भी मिल रहा है, चंडीगढ़ वालों को भी मिल रहा है और हिमाचल वालों को भी मिल रहा है। (घंटी) उपाध्यक्ष महोदय, जो लिपिक धरने पर बैठे हैं उनका मानदेय भी बढ़ा दीजिए। इस संबंध में आज सभी माननीय सदस्य सदन में आवाज उठा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मुद्दे तो बहुत हैं फिर भी आप मेरी सारी बात नहीं सुनते।

श्री उपाध्यक्ष: किरण जी, आपके बोलने का समय पूरा हो चुका है इसलिए आप बैठ जाएं।

श्रीमती किरण चौधरी: उपाध्यक्ष महोदय, क्या मैं अपने सारे कागज टेबल कर सकती हूं?

श्री उपाध्यक्ष: किरण जी, आपने बोल तो लिया है । जीरो ऑवर में तीन मिनट का समय मिलता है।

श्रीमती किरण चौधरी: उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास बहुत सारे मुद्दे हैं। मेरे पास अपने मुद्दे लेकर सारे हरियाणा से लोग आते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: किरण जी, आप तीन मिनट के अन्दर इतने सारे मुद्दे कैसे बोलेंगी?

श्रीमती किरण चौधरी: उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने सारे कागज टेबल कर देती हूं। आप इनको टेबल करवाकर रिकॉर्ड में डलवा देना।

श्री उपाध्यक्ष: ठीक है । माननीय सदस्यगण, अब जीरो ऑवर समाप्त होता है।(विघ्न)

स्थगन प्रस्ताव के बारे में सूचना

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे श्री वरूण चौधरी, विधायक तथा दो अन्य विधायकों सर्वश्री श्री बिशन लाल सैनी तथा मेवा सिंह से अल्पावधि सूचना संख्या 01 प्राप्त हुई है। (विघ्न) ये आप लोगों के ही दिये हुये हैं।

श्री भारत भूषण बतरा : उपाध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा शुरू करवायें हम जानना चाहते हैं कि मैंने और मेरी पार्टी के कुछ सदस्यों ने प्रदेश में लॉ एण्ड ऑर्डर के बारे में जो स्थगन प्रस्ताव दिया था, उसका क्या फेट है?

श्री उपाध्यक्ष : बतरा जी, लॉ एण्ड ऑर्डर के विषय पर दिये गये स्थगन प्रस्ताव के नोटिस को गवर्नमैंट के पास कमैंट्स के लिए भेजा हुआ है। (विघ्न) उसको रिजैक्ट नहीं किया गया है। (विघ्न) उस पर गवर्नमैंट के कमैंट्स प्राप्त हो जाने के बाद उसके ऊपर विचार किया जायेगा। (विघ्न)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

अल्पावधि सूचना संख्या-01 को ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-20 में कंवर्ट करने के संबंध में मामला उठाना

उप मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। जो आज का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस है उसको मैंने अभी देखा है। इसमें पहला प्वांयट यह लिखा हुआ है कि "Short duration discussion No.1 converted into Calling Attention Notice No.20." मैं यह पूछना चाहता हूं कि हमारे रूल्ज ऑफ प्रोसीजर के अंदर कंवैंशंज में कहीं भी यह मैंशन नहीं

किया गया कि शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन को कॉलिंग अटेंशन मोशन में कंवर्ट किया जा सकता है। एडजर्नमैंट मोशंज जरूर कंवर्ट होते हैं और उनके लिए प्रॉविजन भी है। मगर यह किस प्रॉविजन से कंवर्ट किया गया है, यह आप अपनी सैक्रेटेरिएट में जरूर चैक करवाने का काम कीजिए। अगर नहीं है तो फिर आप इसको मंडे को टेक-अप कीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : उप मुख्यमंत्री जी, ऐसा है कि कई बार इसमें ऐसा ही प्रैसीडैंट रहा है। कंवैशन ऐसी ही रही है। पहले भी इस टाईप के लिए गए हैं। यह ठीक है कि यह रूल में नहीं है।

श्री दुष्यंत चौटाला : उपाध्यक्ष महोदय, कंवैंशंज में भी बड़ा क्लीयरली चैप्टर है। Urgent public importance short duration में क्लीयर लिखा गया है कि :-

"Again, in exceptional cases, on a demand being made in the House or on the recommendation of the Business Advisory Committee, calling attention notices may be converted into short duration discussion."

मगर रिवर्स कैसे हुआ है मैं यह पूछना चाहता हूं?

श्री उपाध्यक्ष : उप मुख्यमंत्री जी, मेरा इसमें यह कहना है कि ये इसी टाईप की कंवैंशन रही है पहले भी इस टाईप से लिये गये हैं।

श्री दुष्यंत चौटाला : उपाध्यक्ष महोदय, आप इससे अगली लाईन भी पढ़ लीजिए। उसमें लिखा है कि :-

"The Speaker may allow a short duration discussion on a subject on the basis of notices of adjournment motion, the consent for moving of which has been withheld him."

मैं एडजर्नमैंट मोशन को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में कंवर्ट करने के लिए तो एग्री करता हूं लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन डिसकशन को कैसे कंवर्ट किया गया? आपके अधिकारियों द्वारा यह गलती हुई है इसलिए आप इसको चैक करवा लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : उप मुख्यमंत्री जी, पिछले सैशन में भी इस टाईप से हुए थे कि उसको कालिंग अटैंशन मोशन में कंवर्ट किया गया था।

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष जी, इन्होंने वैलिड प्वायंट रेज किया है लेकिन with the permission of Hon'ble Speaker, anything can be taken up आप ये बोलिए।

श्री दुष्यंत चौटाला : उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा विधान सभा की रूल्ज ऑफ प्रोसीजर एण्ड कंडक्ट ऑफ बिजनैस बुक का रूल नम्बर-73 बी पढ़ लीजिए। उसमें यह लिखा है कि :-

Rule 73B – "If the Speaker is satisfied, after calling of such information from the Member who has given notice and from the Minister as he may consider necessary…"

मेरे से कभी नहीं पूछा गया। हरियाणा विधान सभा की रूल्ज ऑफ प्रोसीजर एण्ड कंडक्ट ऑफ बिजनैस बुक में बड़ा क्लीयरली लिखा गया है। पिछली बार जब कंवर्ट हुआ था उस समय ये हाऊस की परमीशन लेकर मूव-अप किया गया था।

स्थगन प्रस्ताव/ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के बारे में सूचना

श्रीमती गीता भुक्कल : उपाध्यक्ष जी, हमने भी बहुत से कालिंग अटैंशन मोशंज/स्थगन प्रस्ताव दिए हैं। आप हमें उनका फेट भी बता दें।

श्री उपाध्यक्ष : गीता जी, मैं आप लोगों द्वारा दिए गए प्रस्तावों के बारे में ही बता रहा हूं।

श्रीमति किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे द्वारा दिए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव/स्थगन प्रस्ताव का फेट भी बता दें।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, आपको भी आपके द्वारा दिए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव/स्थगन प्रस्ताव का फेट बता दिया जायेगा। अभी आप बैठ जायें।

अल्पावधि सूचना संख्या-01 को ध्यानाकर्षण संख्या-20 के साथ जोड़ने के संबंध में मामला उठाना (पुनरारम्भ)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे श्री वरूण चौधरी, विधायक तथा दो अन्य विधायकों सर्वश्री श्री बिशन लाल सैनी तथा मेवा सिंह से अल्पावधि सूचना संख्या 01 प्राप्त हुई है जिसे मैंने ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-20 में परिवर्तित करके आज के लिए स्वीकृत कर लिया है। (विघ्न)

श्री दुष्यंत चौटाला: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा ऐतराज यह है कि आप शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन को कालिंग अटैन्शन मोशन में कन्वर्ट करते हैं तो वह Rules of Procedure and Conduct of Business की उल्लंघना है। उसके ऊपर मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं। आप बचे हुए कॉलिंग अटैन्शन पर चर्चा जारी रखिए। मैं यह नहीं पूछता कि आपने एडजर्नमैंट मोशन को ध्यानाकर्षण सूचना में कैसे बदल दिया लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन को आज तक बिना हाउस की एप्रूवल, बिना विभाग के मंत्री तथा बिना सदस्य की अप्रूवल के कभी कन्वर्ट नहीं किया गया। इस बारे में न ही तो माननीय सदस्य से पूछा गया है और न ही मुझसे पूछा गया है।

श्री उपाध्यक्ष: दुष्यंत जी, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी ऐसा होता रहा है वह हम आपको दिखा देंगे।

श्री दुष्यंत चौटाला: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तो इतना ही कहना है कि जब तक आप मुझे यह दिखायेंगे तब तक आप दूसरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से टेकअप कर लीजिए। इसमें दूसरे नम्बर पर जो एडजर्नमैंट मोशन है आप उसको टेकअप कर लीजिए। लेकिन इस बारे में आज तक हमें कोई रूलिंग दिखाई नहीं देती है।

श्रीमती किरण चौधरी: उपाध्यक्ष महोदय, यह हाउस की कन्सैंसस के आधार पर किया जा सकता है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: उपाध्यक्ष महोदय, एक बार कोई गलती हुई है तो यह जरूरी नहीं है कि हम उसको दोहराते जायें। कनवैंशन तो कई बार होती है यह केवल एक ही बार नहीं होती है।

श्री उपाध्यक्ष: हुड्डा साहब, यह आपकी सरकार के समय में भी हुआ है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: उपाध्यक्ष महोदय, अगर ऐसा है तो आप अपनी रूलिंग दे दीजिए।

श्री दुष्यंत चौटाला: उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आप हाउस को 10 मिनट के लिए स्थगित कर दीजिए और अगर कोई ऐसा प्रावधान है तो तब तक आपके अधिकारी लाकर मुझे लिखित में दिखा दें।

श्री उपाध्यक्ष: मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि वर्ष 2011 और 2012 में भी ऐसा हुआ था जब शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन को कालिंग अटैंशन मोशन में कन्वर्ट किया गया था।

श्री दुष्यंत चौटाला: उपाध्यक्ष महोदय, अभी आपने बताया है कि कांग्रेस के शासनकाल में ऐसा हुआ है। जो गलती कांग्रेस ने की उसको हम क्यों करें?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: उपाध्यक्ष महोदय, अगर हमारे शासनकाल में हुआ है तो क्या सदस्य और मंत्री जी से पूछा गया था या नहीं पूछा गया था? यह भी बताया जाये कि उस समय क्या प्रोसीजर एडॉप्ट किया गया था?

श्री दुष्यंत चौटाला: उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप कोई कनवैंशन फोलो नहीं करोगे तो फिर तो चेयर कुछ भी करवा सकती है। आप हाउस को 10 मिनट के लिए स्थगित कर दीजिए और इस दौरान आपके अधिकारी मुझे दिखा दें कि उसमें क्या प्रोसीजर फोलो किया गया था। उसमें माननीय सदस्य और मंत्री जी को सूचित किया गया था या नहीं किया गया था। अगर उसमें प्रोसीजर फोलो नहीं किया गया तो इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आपके जो अधिकारी हैं इनसे आप पूछिए। मैं Rules of Procedure and Conduct of Business in The Haryana Legislative Assembly के रूल 73-बी में जो लिखा हुआ है वह पढ़ कर सुनाता हूं। इसमें लिखा हुआ है कि-

"If the Speaker is satisfied, after calling of such information from the Member who has given notice.... "

क्या इन तीनों मैम्बर्स से पूछा गया? उसके बाद इसमें लिखा है कि-

"and from the Minister as he may consider necessary…"

मुझसे नहीं पूछा गया। मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: दुष्यंत जी, शुरू से ही इस तरह की कनवैंशन रही है और अब आपने यह प्रश्न उठाया है तो हम आगे से इस बारे में चैक भी कर लेंगे।

श्री दुष्यंत चौटाला: उपाध्यक्ष महोदय, आप दूसरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से टेकअप कर लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष: अब तो यह स्वीकार हो गया है और आगे से चैक कर लेंगे।

श्रीमती गीता भुक्कल: उपाध्यक्ष महोदय, जो दूसरे एडजर्नमैंट मोशन और कॉलिंग अटैंशन नोटिस हैं जिसमें दूसरे लोग सिगनेट्री हैं उनको टेकअप कर लीजिए। आप उसको पढ़वा दीजिए उसके बाद बाकी सदस्य अपनी-अपनी सप्लीमैंट्री पूछ लेंगे।

श्री दुष्यंत चौटाला: उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझे यह बता दीजिए कि इसको कन्वर्ट करने से पहले क्या माननीय सदस्य से पूछा गया था? कनवैंशन इस हाउस में बननी है। हमें आगे वाली जनरेशन के लिए कनवैंशन्ज छोड़ कर जानी हैं। रूल्ज आपके बनाये हुए हैं क्योंकि रूल्ज कमेटी में आप थे।

श्री उपाध्यक्ष: दुष्यंत जी, अब तक यही परम्परा रही थी इसलिए आगे से इसके बारे में ध्यान रख लिया जायेगा। आज चूंकि इसको स्वीकार कर लिया गया है इसलिए इसको चलने दिया जाये।

श्री दुष्यंत चौटाला: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसका सैकिंड पार्ट टेकअप कर लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष: दुष्यंत जी, मैं आपको रूल 73-ख(1) पढ़ कर सुनाता हूं। इसमें लिखा हुआ है कि-

> " यदि अध्यक्ष की, सूचना देने वाले सदस्य से और मंत्री से ऐसी जानकारी मांगने के बाद, जिसे वह आवश्यक समझे, संतुष्टि हो जाती है कि विषय अविलम्बनीय है और सभा में किसी शीघ्र निकटतम तिथि को उठाए जाने के लिए पर्याप्त महत्व का है, तो वह सूचना ग्रहण कर सकता है:
>
> परन्तु यदि ऐसे विषय पर चर्चा के लिए अन्यथा जल्दी अवसर उपलब्ध हो तो अध्यक्ष नोटिस ग्रहण करने से इनकार कर सकेगा।"

इसके अनुसार अगर अध्यक्ष आवश्यक समझे तो लिखा हुआ है, जरूरी नहीं है।

श्री दुष्यंत चौटाला: उपाध्यक्ष महोदय, इसमें आगे from the Member who has given notice and from the Minister as he may consider necessary भी लिखा हुआ है। क्या आपने मैम्बर से पूछा है? आपने मुझसे भी नहीं पूछा।

श्री उपाध्यक्ष: दुष्यंत जी, मैम्बर को कोई ऐतराज नहीं है।

श्री दुष्यंत चौटाला: उपाध्यक्ष महोदय, ऐतराज मुझे भी नहीं है लेकिन यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि कन्वैंशन यहां पर तय करके ही आगे बढ़ना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: दुष्यंत जी, आज आपने जो यहां पर मुद्दा उठाया है इस पर आगे से ध्यान रखा जायेगा। अब चूंकि यह स्वीकार हो चुका है इसलिए इसको चलने दीजिए।

श्री दुष्यंत चौटाला : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें अगला जो कॉलिंग अटैंशन मोशन है वह श्री जगबीर सिंह मलिक जी का है उसको पहला बनाकर उससे शुरू कर दीजिए । मगर आप यह प्रथा तो शुरू न करिये कि शॉर्ट डयूरेशन डिसकशन को कालिंग अटेंशन मोशन में कंवर्ट कर दिया जाए ।(विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : उप मुख्यमंत्री जी, अब तो हम इसको कंवर्ट कर चुके हैं ।(विघ्न)

श्री दुष्यंत चौटाला : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह भी निवेदन है कि इसको कंवर्ट किस रूल में किया है ? आप हाऊस में यह तो बता सकते हैं कि यह किस रूल में है ? आपने खुद पढ़ा है ।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने जैसे पहले बताया है कि as per convention इसको कंवर्ट किया गया है । जैसे पहले कंवैंशन होती रही हैं। यह कोई फर्स्ट टाईम नहीं हुआ है ।(विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदय, with the permission of Minister & Member इसको आप भी कंवर्ट कर सकते हैं । अगर किसी ने ऑब्जैकशन किया हो तो अलग बात है ।(विघ्न)

श्री दुष्यंत चौटाला : उपाध्यक्ष महोदय, यह कंवैंशन ही बड़ी कलीयर है । In exceptional cases on demand being made in the House or on recommendation of BAC लेकिन इसमें न हाऊस की डिमांड है और न बी.ए.सी. की डिमांड है कि इसको कंवर्ट किया जाए आप बी.ए.सी. में भी थे ।(विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : उप मुख्यमंत्री जी, अगर स्पीकर जरूरी समझे, आवश्यक समझे तो कंवर्ट कर सकता है ।(विघ्न)

श्री दुष्यंत चौटाला : उपाध्यक्ष महोदय, दोनों के पूछने के बाद आप हिन्दी में पढ़ रहे थे मैं अंग्रेजी में पढ़ रहा था । इतना ही अन्तर था । अगर मैंबर और मंत्री दोनों सहमत हैं तो चेयर फैसला कर सकती है लेकिन यहां दोनों की सहमति पूछी ही नहीं गई ।(विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : इसमें मैंबर ने तो कह दिया है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है ।

श्री दुष्यंत चौटाला : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें दिक्कत तो मुझे भी नहीं है ।(विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : अगर आपको दिक्कत नहीं है तो फिर ठीक है । अगर मैंबर को भी दिक्कत नहीं है और आपको भी दिक्कत नहीं है तो फिर आप इसको कंवर्ट करने दें । हां, आगे से हम इस बात का ध्यान रखेंगे । आज कोई प्रश्न उठाया गया है तो उस पर आपने भी 'हां' कर दी और मैंबर ने भी 'हां' कर दी तो फिर बात खत्म हुई ।

श्री दुष्यंत चौटाला : उपाध्यक्ष महोदय, पहली चीज तो यह है कि कॉलिंग अटैंशन में पांच लोग सवाल पूछ सकते हैं और आपकी लिस्ट बहुत लम्बी है । अगर पहली ही चीज हमारे प्रोसिजर को फॉलो नहीं करती है तो आप अगले पांच नाम उठा लीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष : उप मुख्यमंत्री जी, इसमें तो फिर इन मैंबर्स को एतराज होगा कि हमारे नाम छोड़कर अगले नाम क्यों लिये गये ?(विघ्न)

श्री दुष्यंत चौटाला : उपाध्यक्ष महोदय, ये सारे तो एक ही पार्टी के सदस्य हैं तो फिर क्या दिक्कत है ?

श्री उपाध्यक्ष : उप मुख्यमंत्री जी, ये सारे हैं तो एक ही पार्टी के सदस्य लेकिन जिसने पहले दिया है उसको उसी आधार पर ले लिया गया है ।(विघ्न)

श्री दुष्यंत चौटाला : उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने पहले दे दिया वह तो ठीक है लेकिन वह रूल तो फॉलो नहीं करता है । मेरा तो निवेदन ही यह है । (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : उप मुख्यमंत्री जी, मैं तो यही कह रहा हूं कि अब तो यह कंवर्ट हो चुका है लेकिन आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे । आपने आज इस मुद्दे को उठाया है आज से पहले यह मुद्दा नहीं उठा था । पिछली बार भी आप यहीं थे लेकिन पिछली बार यह बात सामने नहीं आई । अगर आज आपके ध्यान में यह बात आई है तो हम आगे से इसका ध्यान रखेंगे ।(विघ्न)

Shri B.B. Batra: It has been decided by the Chair. अब जब फैसला हो चुका है तो अब इसको क्यों बदल रहे हो ?(विघ्न)

Smt. Kiran Choudhry: Conventions are approved by the Chair. The Chair can always decide. उपाध्यक्ष महोदय, ये आपका अधिकार छीन रहे हैं । (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : किरण जी, उन्होंने ठीक बात उठाई है अच्छी बात है लेकिन आगे से इस पर ध्यान रखेंगे ।

श्री दुष्यंत चौटाला : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा एक निवेदन है कि आगे से आपके साथ जो अधिकारीगण हैं उनको जरूर वार्निंग दीजिए कि इस तरह की नई कंवैंशन आगे से ना हो ।

श्री उपाध्यक्ष : वह तो मैंने इनको पहले से ही बोल दिया है ।

स्थगन प्रस्ताव/ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के बारे में सूचना

श्रीमती गीता भुक्कलः उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहती हूं । हमारी पार्टी के सदस्यों ने प्रदेश में हाल ही में हुई हिंसा और कानून व्यवस्था बारे' स्थगन प्रस्ताव दिया है, कृपया करके पहले उसका फेट बता दीजिए ।

श्री उपाध्यक्षः बहन जी, आपके इस स्थगन प्रस्ताव के लिए सरकार से 48 घंटे में टिप्पणी मांगी गयी है ।

श्रीमती गीता भुक्कलः उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पंडित भगवत दयाल शर्मा स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, रोहतक व प्रदेश के अन्य जिलों में आयुष्मान योजना के नाम पर हुए घोटाले के संदर्भ बारे दिया हुआ है, कृपया करके उसका भी फेट बता दीजिए । इसी तरह से एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हरियाणा सरकार द्वारा सी.ई.टी. और सामान्य भर्तियों में दोषपूर्ण और अपारदर्शी प्रक्रियाओं के कारण हरियाणा के युवाओं में निराशा और मानसिक आघात बारे दिया हुआ है, कृपया करके उसका भी फेट बता दीजिए । एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हरियाणा के नूंह जिले में हुई हिंसा बारे दिया हुआ है और एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की गलत कार्यप्रणाली एवं निर्णयों बारे दिया हुआ है, पहले हमें इन सभी के फेट बता दीजिए ।

श्री उपाध्यक्षः बहन जी, पहले जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आज के दिन मंजूर किया हुआ है उस पर डिस्कशन होने दें उसके बाद अन्य ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के फेट बता देंगे ।

श्रीमती किरण चौधरीः उपाध्यक्ष महोदय, मैंने और अन्य विधायकों ने एक काम रोको प्रस्ताव सी.ई.टी. और सामान्य भर्तियों में दोषपूर्ण और अपरादर्शी प्रक्रियाओं के कारण हरियाणा के युवाओं में निराशा और मानसिक आघात बारे दिया हुआ है, उसका भी फेट बता दीजिए । जो मेरे द्वारा अन्य ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिये गये हैं, कृपया करके उन सभी के फेट भी बात दीजिए ।

श्री उपाध्यक्षः बहन जी, जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मंजूर किया गया है पहले उस पर डिस्कशन होन दें और उसके बाद आपके द्वारा दिये गये ध्यानाकर्षण प्रस्तावों का फेट भी बता देंगे ।

श्रीमती किरण चौधरीः उपाध्यक्ष महोदय, ठीक है, सर ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव-

हाल ही में भारी बारिश के कारण जिला अम्बाला, पंचकूला, यमुनानगर, कुरूक्षेत्र, करनाल, कैथल, फतेहाबाद, पानीपत, सोनीपत, सिरसा, फरीदाबाद, पलवल इत्यादि में एकत्रित हुए पानी के कारण जान-माल के भारी नुकसान से संबंधित ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे श्री वरूण चौधरी, विधायक, तथा दो अन्य विधायकों श्री बिशन लाल सैनी और श्री मेवा सिंह से अल्प अवधि सूचना संख्या-1 प्राप्त हुई है जिसे मैंने ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-20 में परिवर्तित करके आज के लिए स्वीकृत किया है । यह ध्यानाकर्षण सूचना हाल ही में भारी बारिश के कारण जिला अम्बाला, पंचकूला, यमुनानगर, कुरूक्षेत्र, करनाल, कैथल, फतेहाबाद, पानीपत, सोनीपत, सिरसा, फरीदाबाद, पलवल इत्यादि में एकत्रित हुए पानी के कारण जान-माल के भारी नुकसान से संबंधित है ।

इसी विषय पर ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-6 जोकि श्री जगबीर सिंह मलिक, विधायक द्वारा दी गई है, समान विषय का होने के कारण मैंने इसे ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-20 के साथ जोड़ दिया है । श्री जगबीर सिंह, विधायक भी एक प्रश्न पूछ सकते हैं ।

इसी विषय पर ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-12 जोकि श्री बलराज कुंडू, विधायक द्वारा दी गई है, समान विषय का होने के कारण मैंने इसे ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-20 के साथ जोड़ दिया है । श्री बलराज कुंडू, विधायक भी एक प्रश्न पूछ सकते हैं ।

इसी विषय पर ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-14 जोकि श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक द्वारा दी गई है, समान विषय का होने के कारण मैंने इसे भी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-20 के साथ जोड़ दिया है । श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक भी एक प्रश्न पूछ सकते हैं ।

इसी तरह से ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 17, जो कि श्री मेवा सिंह तथा श्री बिशनलाल सैनी, विधायकों द्वारा दी गई है, समान विषय का होने के कारण उन्होंने इसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संख्या 20 के साथ जोड़ दिया है । श्री मेवा सिंह तथ श्री बिशनलाल सैनी, विधायक चर्चा के समय एक प्रश्न पूछ सकते हैं ।

इसी तरह से स्थगन प्रस्ताव संख्या 2 जो कि श्री ईश्वर सिंह विधायक तथा चार अन्य विधायकों (सर्वश्री जगदीश नायर, लक्ष्मण नापा, शीशपाल सिंह एवं शमशेर सिंह गोगी) द्वारा दिया गया है जिसे मैनें ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 25 में परिवर्तित कर दिया है, तथा समान विषय का होने के कारण इसे ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 20 के साथ जोड़ दिया है। माननीय सदस्यगण भी एक प्रश्न पूछ सकते हैं।

इसी तरह से स्थगन प्रस्ताव संख्या 4 जो कि श्री इन्दु राज, विधायक तथा छह अन्य विधायकों (सर्वश्री शीशपाल सिंह, जगवीर सिंह मलिक, जयबीर सिंह, प्रदीप चौधरी, श्रीमती रेणुबाला तथा श्रीमती गीता भुक्कल) द्वारा दी गई है जिसे मैनें ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 27 में परिवर्तित कर दिया है, तथा समान विषय का होने के कारण इसे ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 20 के साथ जोड़ दिया है। माननीय सदस्यगण भी एक प्रश्न पूछ सकते हैं।

इसी विषय पर ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 38 जो कि श्रीमती किरण चौधरी, विधायक द्वारा दी गई है, समान विषय का होने के कारण मैंने इन्हें ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 20 के साथ जोड़ दिया है। श्रीमती किरण चौधरी, विधायक एक प्रश्न पूछ सकती हैं।

इसी विषय पर ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 39 जो कि श्री नीरज शर्मा, विधायक द्वारा दी गई है, समान विषय का होने के कारण मैंने इन्हें ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 20 के साथ जोड़ दिया है। श्री नीरज शर्मा, विधायक एक प्रश्न पूछ सकते हैं।

इसी विषय पर ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 42 जो कि श्री भव्य बिश्नोई, विधायक द्वारा दी गई है, समान विषय का होने के कारण मैंने इन्हें ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 20 के साथ जोड़ दिया है। श्री भव्य बिश्नोई, विधायक एक प्रश्न पूछ सकते हैं।

इसी विषय पर ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 44 जो कि श्री हरविन्द्र कल्याण, विधायक द्वारा दी गई है, समान विषय का होने के कारण मैंने इन्हें ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 20 के साथ जोड़ दिया है। श्री हरविन्द्र कल्याण, विधायक एक प्रश्न पूछ सकते हैं ।

श्री दुष्यंत चौटाला: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चेयर से एक कलेरिटी लेना चाहता हूं । ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के संबंध में रूल है कि पांच से ज्यादा सवाल नहीं पूछे जा सकते हैं । चेयर ने जो

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की लिस्ट पढ़ी है उसमें 20 माननीय सदस्यों के नाम हैं । मुझे यह बताया जाये कि रूल के मुताबिक केवल पांच सवालों पर ही लिमिट रखेंगे या फिर मुझे सभी सवालों का जवाब देना होगा ।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय उप मुख्यमंत्री जी, आज सुबह ही इस मैटर पर डिस्कस हुआ था । आज तो सभी के सवालों को अलाउ किया है आगे से जो पहला ध्यानाकर्षण प्रस्ताव देंगे उसके साथ केवल पांच माननीय सदस्यों के जवाब ही पूछे जायेंगे । आज के लिये सभी को अलाउ किया हुआ है ।

श्री दुष्यंत चौटाला: उपाध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह हुआ कि आज मेरे लिये सभी को छूट दे दी गई है । इसका मतलब यह हुआ कि आज मैं 20 सवालों का जवाब दूंगा। जो चीज कानूनी तौर पर लागू नहीं हो सकती क्या उसको भी आप अलाउ करेंगे ? इसका मतलब यह हुआ कि चेयर नई प्रथाएं शुरू कर रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय उप मुख्यमंत्री जी, नई प्रथाएं शुरू नहीं कर रहे हैं बल्कि आगे से बंद कर रहे हैं । आज आपने हाउस में बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है ।

श्री दुष्यंत चौटाला: उपाध्यक्ष महोदय, अगर यह नई प्रथा नहीं है तो मेरा निवेदन है कि पहले जो पांच अलग-अलग ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हैं, चाहे उन पर साईन ही तीन माननीय सदस्यों के हों उनके पांचों प्रश्नों को एक माननीय सदस्य भी पूछ सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय उप मुख्यमंत्री जी, आज सुबह ही यह मैटर डिस्कस हो चुका है, आगे से केवल पांच ही माननीय सदस्यों को प्रश्न पूछने के लिए अलाउ किया जायेगा लेकिन आज सभी को अलाउ किया हुआ है । (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरी: उपाध्यक्ष महोदय, रूल्स कमेटी का गठन किया हुआ है । (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष: बहन जी, आज सुबह रूल्ज कमेटी के संबंध में बात हुई थी, उसी कमेटी के तहत ही रूल लेकर आयेंगे ।

श्रीमती गीता भुक्कल: उपाध्यक्ष महोदय, रूल्ज कमेटी का गठन जरूर किया गया है लेकिन आज तक इस कमेटी की एक भी मीटिंग नहीं हुई है । इस बारे में बार-बार माननीय अध्यक्ष महोदय से भी कहा गया है लेकिन आज तक इसकी कोई मीटिंग नहीं हुई है । उपाध्यक्ष महोदय, आप कह रहे हैं कि रूल्ज कमेटी के तहत यह चेंज करेंगे लेकिन जब इसकी मीटिंग ही नहीं होगी तो फिर यह काम कैसे होगा ? इस प्रकार से बहुत सारे रूल्ज हैं, जिनको रूल्ज कमेटी के तहत लाने की आवश्यकता है ।

श्रीमती किरण चौधरी: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि अभी माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि एक ही माननीय सदस्य पूश्न पूछ सकते हैं । जो-जो माननीय सदस्यगण प्रस्ताव देंगे अर्थात् चेयर को उनके हस्ताक्षर होने के नाते सबको बोलने के लिये अलाउ करना ही

पड़ेगा । अगर ऐसा नहीं होगा तो इस प्रकार से बाकी माननीय सदस्यों का तो उनके अधिकारों का हनन हो जायेगा । उपाध्यक्ष महोदय, चेयर नई परम्परा ना डाले ।

श्री उपाध्यक्ष: बहन जी, यह तो रूल की बात होगी । आज तो सभी को बोलने के लिये अलाउ किया हुआ है । हम कोई नई परम्परा नहीं डाल रहे हैं । रूल के मुताबिक पांच सदस्य सवाल पूछ सकते हैं और वही होना चाहिये ।

श्रीमती किरण चौधरी: उपाध्यक्ष महोदय, यदि एक प्रस्ताव में पांच माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं तो उसमें से एक माननीय सदस्य को अलाउ कर दे ।

श्री उपाध्यक्ष: बहन जी, रूल्ज कमेटी में नेता प्रतिपक्ष श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, आप तथा और अन्य माननीय सदस्यगण हैं, जब रूल्ज कमेटी की मीटिंग होगी तभी उसमें जो रूल बनेंगे वे लागू हो जायेंगे ।

अब श्री वरूण चौधरी, विधायक प्रथम हस्ताक्षरी होने के नाते अपनी सूचना पढ़े ।

श्री वरूण चौधरी: उपाध्यक्ष महोदय, मैं तथा श्री बिशन लाल सैनी, विधायक एवं श्री मेवा सिंह, विधायक हाल की भारी बारिश के कारण प्रदेश में हुए नुकसान के बारे में इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक हित के विषय की ओर दिलाना चाहते हैं कि अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, फतेहाबाद, पानीपत, सोनीपत, सिरसा, फरीदाबाद, पलवल आदि जिलों में जलभराव होने से जान माल का बहुत नुकसान हुआ है । सरकार द्वारा मौसम विभाग की चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया और समय से समुचित कदम नहीं उठाये गये। दादूपुर नलवी नहर बन्द होने, तटबन्दी की मरम्मत समय से न होने और जहां तटबंदी की आवश्यकता थी वहां तटबन्द न बनाने, निकास प्रणाली की सफाई न होने, अवैध खनन, अवैध निर्माण, नदियों से अनुमेय गहराई तक रेत न हटाने, राजमार्गों के उंचा उठाने और उसमें पुलियान न छोड़ने जैसी लापरवाहियों के कारण समस्या और बढ़ गई और बार-बार जलभराव होता रहा। इस जल भराव के कारण कई लोगों की जाने गई, फसल खराब हुई, पशु का नुकसान हुआ, घर क्षतिग्रस्त हुए, घरों में रखा सामान एवं अनाज खराब हुआ जगह-जगह पर रास्ते बह गए और व्यपारियों को भारी नुकसान हुआ है। प्रभावितों को खाने, पीने के पानी, इलाज, पशुओं के चारे और आने-जाने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा है। कई दिन बीत जाने के बाद भी कहीं-कहीं खेतों एवं भवनों में जलभराव की स्थिति अब भी बनी हुई है और जिस कारण से माहामारी फैलने का डर बना हुआ है। प्रभावित असमंजस में है कि उनके नुकसान की भरपाई सरकार किस प्रकार से करगी क्योंकि एक और फार्म बांटे जा रहे हैं दूसरी और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से नुकसान की भरपाई की बात आ रही है । प्रदेश सरकार द्वारा हरियाणा को 2026 तक जलभराव मुक्त घोषित करने का लक्ष्य रखा गया है परंतु हाल की बारिश में सरकार के लक्ष्यपूर्ति पर सवाल खड़े कर दिये हैं । अतः सरकार सदन में इस विषय पर अपना वक्तव्य दे ।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 6 जो कि स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 20 के साथ क्लब की गई ।

Shri Jagbir Singh Malik, MLA wants to draw the kind attention of this august House towards a matter of great public importance that like previous year this year also farmers are facing the wrath of wheather as heavy rains have caused loss of Kharif Crops in more then 12 Districts &more then thousand villages are effected in which there is loss of life, destruction of houses, livestock & fodder Crops due to that farmers are at the verge of Starvation. The farmers are demanding special Girdawari. In some villages Paddy Crops grown have been destroyed twice and the farmers wants immediate interim relief of compensation on 40000 per acres and to Siphon the accumulated water, 24 hours electricity supply and suspension of recovery process of bills, permanent solution of flood water etc. The member also stated that the previous year's compensation has also not been paid by government & Insurance Companies so far. The Hon'ble Member also suggested that in view of such condition, the government should frame a high-level committee for permanent solution of flood water, water logging, problem and also upon negligency of irrigation department in clearing drains.

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 12 जो कि स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 20 के साथ क्लब की गई ।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 12 के द्वारा श्री बलराज कुन्डू, विधायक, भारी बारिश में जल भराव की समस्या का उचित समाधान करने बारे इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक हित के विषय की ओर दिलाना चाहते हैं जैसा कि सभी को पता है पिछले दिनों हुई भारी बारिश में हरियाण में बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए थे । जिसके कारण हरियाणा के किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी । पूरे हरियाणा के अनेकों जिलों में किसान कई सालों से इस जलभराव की मार का शिकार हो रहे हैं । इसी आपदा में मेरे विधानसभा क्षेत्र महम के भी कई गांव में जलभराव हुआ जो कि आज भी है । किसानों की फसल बर्बाद हो गई हैं । यह जलभराव की समस्या कोई नई नहीं है। महम विधानसभा में पिछले 4 साल से जलभराव के कारण अनेकों गांव की फसल बर्बाद होती आ रही है जिसका आज तक कोई स्थाई समाधान नहीं हो पाया है न ही किसानों को उचित मुआवजा दिया जाता है । जल भराव के कारण मेरे महम हल्के के गांव घिरोठी, लाखनमाजरा, खरेटी, बैंसी, निंदाणा, भराणा, अजायब, बहलबा, मोखरा, गिरावड़, भगवतीपुर, सुंदरपुर, सेमाण, डाभ, बहूअकबरपुर, बडाली, मदीना, निडाणा है । मेरी सरकार से मांग है कि उपरोक्त गांव व प्रदेश के अन्य जिलों के गावों में जल भराव की समस्या का स्थाई समाधान किया जाये और स्पेशल गिरदावरी करवाकर मुआवजा दिया जाने पर सदन में चर्चा अति अनिवार्य हो ताकि प्रदेश के किसानों का इस प्रकार की आपदा से सुरक्षित किया जा सके।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 14 जो कि स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 20 के साथ क्लब की गई ।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 14 के द्वारा श्री अभय सिंह चैटाला, विधायक ने जुलाई में आई भारी बारिश और बाढ़ के कारण प्रदेश के किसानों की फसलों व आम नागरिकों के जानमाल का भारी नुकसान बारे इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक हित के विषय की ओर दिलाना चाहते हैं कि जुलाई में आई भारी बारिश और बाढ़ के कारण प्रदेश के 3603 गांव बाढ़ की चपेट में आए जिससे प्रदेश के किसानों की फसलों व आम नागरिकों के जानमाल का भारी नुकसान हुआ है तथा लगभग 30 लोगों की मौत हो चुकी है । प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 13 लाख एकड़ से अधिक क्षेत्र में फसलों को नुकसान हुआ है । सैकड़ों मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं तथा अनेकों पशुओं की मौत हुई है । ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर लगभग 2 अगस्त तक प्रदेशभर से 67,735 किसानों ने आवेदन किए हैं जिन्होंने 3.72 लाख एकड़ से अधिक के लिए मुआवजे की मांग की है । सरकार ने भरपाई के लिए ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल तो खोल दिया परंतु किसानों को हुए नुकसान की भरपाई की समय सीमा निर्धारित नहीं की है। प्रदेश सरकार इतनी बड़ी तबाही की जिम्मेवारी से बच नहीं सकती क्योंकि सरकार ने बाढ़ से बचने के लिए समय पर कोई तैयारी नहीं की जिसके कारण प्रदेश के किसानों और आमजन को इतनी भारी नुकसान का सामना करना पड़ा । इस गम्भीर स्थिति को लेकर प्रदेश के किसानों व आमजन में सरकार के प्रति गहरा रोष व्याप्त है । अतः सरकार इस सदन में अपना वक्तव्य दे ।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 17 जो कि स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 20 के साथ क्लब की गई ।

श्री मेवा सिंह, विधायक और श्री बिशनलाल सैनी, विधायक हम इस प्रतिष्ठित सदन का ध्यान एक ऐसे सार्वजनिक महत्व के मामले की ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण कुरुक्षेत्र, लाडवा शाहबाद, रादौर शहरों एवं 4 गावों में जलभराव होने से किसानों की कई हजारों एकड़ फसल खराब हुई है और जानमाल का भी बहुत नुकसान हुआ है। मैं पिछले 2 वर्षों से लगातार विधानसभा में सरस्वती नदी की खुदाई की मांग उठा रहा हूँ लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई । सरकार द्वारा मेरी बात को नजर अंदाज किया गया। जिसका खामियाजा आज पूरा कुरुक्षेत्र जिले को भुगतना पड़ रहा है । इस जलभराव के कारण कई लोगों की जाने गई, कई हजारों एकड़ फसले खराब हुई, पशुधन का नुक्सान हुआ, लोगों के घर क्षतिग्रस्त हुए और जगह जगह पर रास्ते बह गए । इस सभी नुकसान की भरपाई सरकार किस प्रकार से करेगी ? अतः मेरा इस सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस जलभराव की समस्या से निजात पाने के लिए सरस्वती नदी की निशानदेही लेकर जल्द से जल्द इसकी खुदाई करवानी चाहिए, सरस्वती नदी पर बने अवैध निर्माणों को हटाना चाहिए और जहां पर सरस्वती नदी की चौड़ाई 60 फुट से कम है यहाँ पर सरकार को जमीन एक्वायर (अभी ग्रहण कर सरस्वती नदी को चौड़ा करना चाहिए) करनी चाहिये । यही एकमात्र रास्ता है जोकि आने वाले

समय में हमें इस जलभराव से / बाढ़ से बचा सकता है हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि किसान समुदाय व पूरे कुरुक्षेत्र जिले के हित में इस संबंध में सदन के पटल पर बयान दें।

स्थगन प्रस्ताव संख्या 2 जो कि ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 25 में परिवर्तित करके स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 20 के साथ संलग्न की गई ।

स्थगन/काम रोको प्रस्ताव संख्या 2 के द्वारा श्री ईश्वर सिंह, विधायक, श्री जगदीश नायर, विधायक, श्री लक्ष्मण नापा, विधायक, श्री शीशपाल सिंह, विधायक और श्री शमशेर सिंह गोगी, विधायक बाढ़ के कारण प्रदेश में उत्पन्न हालातों के बारे इस महान सदन का ध्यान एक अति लोकहित के विषय की ओर दिलाना चाहते हैं। हरियाणा प्रदेश में हाल ही में बाढ़ से उत्पन्न हालातों की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि किस प्रकार बाढ़ के कारण हरियाणा प्रदेश के कई हल्कों में असमान्य हालात हो गए हैं । प्रदेश में जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है । फसल, मकान, पशुधन, जान माल का व्यापक तौर पर नुकसान हुआ है । जिसकी तुरन्त क्षतिपूर्ति के साथ-साथ इस बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुई घग्गर नदी के दुरस्तीकरण पर सरकार द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाना अति अनिवार्य हो गया है । हरियाणा में घग्गर नदी हर साल उफान में आती है और फट जाती है । यह एक प्राकृतिक आपदा है । परन्तु केवल इस शब्द से निवारण नहीं हो सकता । करोड़ों रुपए हर साल हरियाणा सरकार का केवल घग्गर नदी की रोकथाम में इसके द्वारा नुकसान की भरपाई पर खर्च किया जाता है । परन्तु अभी तक भी इसका कोई स्थाई समाधान नहीं कर पाए । इस वर्ष भी घग्गर की बाढ़ ने तबाही मचाई, जान- माल का नुकसान हुआ । अनेकों घर पानी की चपेट में आ गए और बह गए । इस घग्गर नदी में पंचकुला के नजदीक झाजरा नदी व कौशल्या नदी आकर मिलती है फिर यह जीरकपुर-डेराबस्सी से होते हुए अम्बाला में प्रवेश करती है। उसके बाद पटियाला की तरफ से मेरे हल्का के गांव सिहाली में आती है, मेरे हल्के के ही गांव मैगड़ा व डण्डोता के नजदीक इसकी सहायक नदियां मारकण्डा व टांगरी नदी इसमें मिल जाती है । गुहला क्षेत्र के ही गांव सरौला में मीरापुर डैम इसमें शामिल हो जाती है । इसके बाद हरियाणा पंजाब बार्डर पर बसे हुए गांव रतनहेड़ी के पास पीछे से जा रही परियाला नदी भी इसमें मिल जाती है । उसके उपरान्त यह हल्का गुहला के ही गांव उरलाना से होते हुए पंजाब की तरफ मुड़ जाती है और आगे जाते हुए हरियाणा के अन्य हल्कों की तरफ प्रवाहित हो जाती है । इस नदी के शुरू होने से और मेरे हल्का में प्रवेश होने तक अनेकों सहायक नदियां, खाले, नाले, डैम इसमें समाहित हो जाते हैं । जिस कारण बारे पानी का केन्द्र हल्का गुहला बन जाता है और यही घग्गर की मार शुरू होती है। इस नदी के उफान से गुहला चीका, रतिया फतेहाबाद, कालांवाली, टोहाना, रानियां, ऐलनाबाद इत्यादि हल्के प्रभावित होते हैं ।

क – जी साईफन हमारे इलाके में बनाए गए हैं, घग्गर नदी के खतरे के निशान से ऊपर आने का मुख्य कारण यही साईफन है क्योंकि यह साईफन बहुत ही संकीर्ण बिना किसी तकनीक और बिना किसी प्रयोग के बनाए गए है, इसके द्वारा पानी की निकासी पूरी तरह से एकदम नहीं हो सकती, इसलिए इस साईफन का कुछ पिलर्स निकालकर इसको चौड़ा किया जाए ।

ख- इस घग्गर नदी नदी को और अधिक गहरा किया जाए ताकि भविष्य में बाढ़ की स्थिति से बचा जा सके ।

ग- हर साल जहां से बांध टूटते हैं, उनके स्थाई रूप से पत्थर लगाकर बंद किया जाए । यह पानी पहाड़ों से होते हुए पंचकुला जीरकपूर, डेराबस्सी, मोहाली, राजपुरा, पटियाला से होते हुए गुहला चीका बॉर्डर पर इक्ट्ठा हो जाता है और इसमें कई नदी नाले, खाले व ड्रेन मिल जाते हैं । पानी के बहाव के कारण हर साल जहां से बांध टूटते हैं उनको स्थाई रूप से पत्थर लगाकर बन्द किया जाए । इसका स्थाई समाधान किया जाए और तुरंत प्रभाव से क्षतिग्रस्त इलाके के लागों को फसल, मकान, पशुधन व जान-माल का मुआवजा सरकार दे ।

Adjournment Motion No. 4 converted into Calling Attention Notice No. 27 Clubbed with admitted Calling Attention Notice No. 20

Shri Indu Raj, MLA, Shri. Shishpal Singh, MLA, Shri Jagbir Singh Malik, MLA Shri. Jaiveer Singh, MLA, Sh. Pardeep Chaudhary, MLA. ,Smt. Renu Bala, MLA, Smt. Geeta Bhukkal, MLA want to draw the attention of this august House towards a matter of an urgent public importance that the recent heavy rains have left a trail of death and destruction in Haryana, with about 2.06 lakh hectares of agricultural land in 1465 villages having been submerged and many persons lost their lives. While the rain fury affected 12 districts – Panchkula, Ambala, Yamunanagar, Karnal, Kaithal, Kurukshetra, Panipat, Rohtak, Jhajjar, Fatehabad, Faridabad, Sonipat and Palwal – north Haryana was the worst – hit. It is alleged that the laxity of the Government to desilting rivers and drains had resulted in huge losses caused by the floods in the State. The huge impact of floods could have been minimized had the state Government undertaken the cleaning of riverbeds, drains and strengthened embankments and bunds before the monsoon season. The scrapping of major canal projects and rampant illegal mining in the State's rivers were the primary reasons for the recent floods in Haryana. The scrapping of Tajewala Raipur Rani and Dadupur Nalvi canal projects had let to large scale damaged to life and property in recent floods in three districts of the Shivalik region - Panchuka, Ambala and Yamunanagar. If the present Government had gone ahead with the construction of these canal projects the damage caused by the flood water could have been minimized as the rainwater could have been channelized properly. The rampant illegal mining in the State rivers including the Yamuna, the Ghaggar and Tangri let to the change

in the course of these rivers, creating havoc in agricultural lands and residential areas. Illegal mining is being carried out under the protection of the Government. The agriculture has been completely ruined due to the floods and farmers and farm workers have been badly affected by the water logging and everyone now needs help from Government. They demand the Government to give compensation of Rs. 40,000/- per acre to the farmers who suffered crop damage. Due to water logging, the water motor and pump-set installed in the fields have also been damaged. There is huge shortage of animal fodder since the floods and demanded to the Government to arrange for fodder. Along with this, compensation for the loss caused to houses, shops and business should also be done with immediate effect. The poor mainly labourers were particularly afflicted by the floods. The agriculture labourers of the village could not even get work this time. The Government should pay at least 30 days additional daily wages to MGNREGA workers. Along with giving relief to the public, the Government will have to work on a war-footing for draining out rainwater. The State Government should demand a relief package from the Centre like the Congress Government of Himachal Pradesh. Due to water logging, there is an outbreak of diseases in flood affected areas, but the Government has not made any plans to prevent these. The BJP-JJP Government is deliberately delaying the compensation to the floods-affected residents. Once again the Government is shirking its responsibility by citing the portal. People have already suffered a lot and they need help not portals. It is an urgent matter of public importance and we request the Hon'ble Speaker to allow a discussion in public interest.

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 38 जो कि स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 20 के साथ क्लब की गई ।

Smt. Kiran Choudhry, MLA, I would like to draw your kind attention on the damage due to recent flood in the state. The recent heavy rain have left a trail of death and destruction in the Haryana, with above 2.06 Lakhs Hectares of Agricultural Land in 1465 villages having been submerged and many persons lost their life. It is alleged that the laxity of the Government to desilting rivers and drains had resulted in huge losses caused by the floods in the state. The farmers and labour class of the state had suffered badly. The compensation of Rs 50000/- per acre to the farmers who suffered from damage and the state

government may extend financial help to labours MNREGA workers whose work suffered badly. The recent flood is an urgent matter of public importance, I therefore request Hon'ble Speaker to allow discussion on the matter on the floor of the House.

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 39 जो कि स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 20 के साथ क्लब की गई ।

श्री नीरज शर्मा, विधायक, पिछले दिनों बारिश के कारण हरियाणा का काफी एरिया बाढ़ प्रभावित हुआ । खासतौर से फरीदाबाद में बाढ़ के कारण गांव की जमीन पर कटी कच्ची कॉलोनियों में लोग कई-कई दिनों तक फंसे रहे । यह सरकार इस सदन में बताए कि जमुना के डूब के क्षेत्र में जिन भू-माफिया ने जमीन गरीब व्यक्तियों को बेच दी, सरकार उन पर क्या कार्यवाही कर रही है ? सदन में इस अति आवश्यक महत्त्वपूर्ण मामले पर चर्चा की जाए ।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 42 जो कि स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 20 के साथ क्लब की गई ।

श्री भव्य बिश्नोई, विधायक, मैं इस महान सदन का ध्यान एक अति जनहित के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ । पिछले दिनों हरियाणा में बाढ़ व भारी बारिश के चलते हरियाणा के 13 जिलों में भारी नुकसान पहुंचा है । हमारी सरकार ने बाढ़ से हुए नुकसान व भरपाई के लिए अनेक कदम उठाएं हैं जो कि काबिलेतारिफ है । महोदय, भविष्य में बाढ़ में बारिश के पानी को रिर्जव करके किस प्रकार से उन किसानों तक पहुंचाया जाए जिन तक पर्याप्त मात्रा में सिंचाई पानी नहीं पहुंच पाता इसको लेकर अपने कुछ सुझाव सदन में रखना चाहता हूँ । कृपया इस विषय को लेकर मेरा प्रस्ताव स्वीकार किया जाए ।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 44 जो कि स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 20 के साथ क्लब की गई ।

श्री हरविन्द्र कल्याण, विधायक, मैं इस महान सदन का ध्यान एक अति महत्वपूर्ण लोक हित विषय की ओर दिलवाना चाहता हूँ। महोदय बीते जुलाई महीने में भारी वर्षा के कारण हथनी कुंड बैराज से 360000 क्यूसिकस पानी छोड़ा गया, जिसके कारण यमुना नदी के बांध के अंदर का क्षेत्र जलमग्न हो गया । कुछ स्थानों पर बाढ़ का पानी ठोकरों तथा बांध को तोड़कर खेतों तथा आबादी क्षेत्र में भी चला गया जिससे यमुना क्षेत्र के किसानों की फसलों तथा जान-माल का भारी नुकसान हुआ । मेरे विधानसभा घरौंडा के गांवों में बाढ़ के पानी ने उतरते हुए काफी भूमि कटाव किया जिससे सैकड़ों एकड़ उपजाऊ भूमि नदी में समा गई और नदी का बहाव बिल्कुल बांध के साथ लग गया । प्रशासन व सिचाई विभाग द्वारा बाढ़ रोकथाम का कार्य तत्परता से किये जाने के कारण बांध टूटने से बचा, लेकिन यह पाया गया कि बांधों तक के रास्ते ना होने के कारण भी बाढ़ बचाव कार्यों मे देरी हुई। इसलिए बांध तथा उस तक जाने वाले रास्ते पक्के होने जरूरी है भविष्य में लोगों को बाढ़ की मार से बचाने के लिए प्रभावी बाढ़ बचाव योजना बनाई जानी अति आवश्यक है । मेरा सुझाव है कि यमुना क्षेत्र के लिए राज्य स्तरीय समिति बनाकर एक

ठोस योजना बनाई जाए ताकि यमुना नदी के बांध मजबूत किये जा सके । योजना बनाने में उत्तर प्रदेश द्वारा किए गए बाढ़ बचाव कार्यों का भी अवलोकन हो तथा IIT रुड़की की नदी विशेषज्ञ टीम की भी सलाह ली जाये ।

वक्तव्य –

उप मुख्यमंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

उप मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार किसानों के हितों की रक्षा हेतु अपनी जिम्मेदारी के प्रति सजग है इसलिए उनके सामने आने वाले सभी जोखिमों के शमन के लिए अग्रिम कदम उठाये जाते हैं । जब भी कोई प्राकृतिक आपदा या कोई अन्य आपदा आती है, तो सरकार घटनाओं का सामना करने में तुरंत उनकी सहायता करती है और नीति के अनुसार सक्रिय रूप से उन्हें मुआवजा भी देती है । यह एक तथ्य है कि लगातार तीन दिनों (08, 09 तथा 10 जुलाई) तक हरियाणा के अधिकांश हिस्सों के साथ-साथ पड़ोसी राज्यों क्रमश: पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड व यू.टी. चण्डीगढ़ में भी भारी से अत्यधिक भारी वर्षा हुई । परिणामस्वरूप हरियाणा में बाढ़ ने सामान्य जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया और दुर्भाग्यवश जान-माल से जानवरों की हानि तथा संपत्तियों और बुनियादी ढांचे की व्यापक क्षति हुई । दिनांक 8 से 12 जुलाई के दौरान, राज्य की संचयी वर्षा 110 मिमी थी, जोकि सामान्य 28.4 मिमी की वर्षा के मुकाबले 287% अधिक है । यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, पंचकुला और अंबाला में क्रमशः 842%, 814%, 699% और 514% अधिक वर्षा हुई । हरियाणा के इतिहास में पहली बार सरकार ने राज्य के 12 जिलों के 1469 गांवों और 4 एम.सी क्षेत्रों को बाद प्रभावित घोषित किया है । सरकार ने यथासमय बाढ़ की रोकथाम और इसके प्रभाव को कम करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं । इसी दिशा में 7,868 लोगों को बाढ़ क्षेत्रों से निकाला गया व 2031 लोगों को 60 राहत शिविरो में स्थानांतरित किया गया । प्रभावित इलाकों में नागरिकों के लिए भोजन और अन्य नागरिक आपूर्ति की व्यवस्था की गई । जिला प्रशासन ने थल सेना, वायु सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल सोसाइटी संगठनों और गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से खोज, बचाव और राहत कार्यों का संचालन किया। बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए चल रहे प्रयासों की समीक्षा और समन्वय करने के लिए दिनांक 11.07.2023 को प्रशासनिक सचिव स्तर के सात वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित जिलों के प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया । राज्य सरकार द्वारा प्रभावित व्यक्तियों और परिवारों के लिए उनके घर पशुधन, फसलों और वाणिज्यिक संपत्ति के संबंध में क्षति/नुकसान के लिए दावे प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को आसान बनाने, क्षतिपूर्ति पोर्टल के तहत https://eskhatipurti.haryana.gov.in उनकी डिमाण्ड मांगी गई है । आज दिनांक 25 अगस्त, 2023 को सांय 6.00 बजे तक कोई भी नागरिक जिसका किसी भी क्षेत्र में नुकसान हुआ है वह अपना डाटा अपलोड कर सकता है । प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से मुआवजे के वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित पोर्टल किया गया है । हमारा टारगेट है कि दिनांक 15

सितम्बर, 2023 तक उनकी भरपाई को पूरा करने का काम करेंगे । हरियाणा सरकार से मानदंडों/निर्देशों के अनुसार चल रही सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने पर मुजावजे का वितरण किया जाएगा। दिनांक 22.08.2023 तक, राज्य के 4,475 गांवों के 1,35,541 किसानों द्वारा ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर कुल 6,61,644 एकड़ फसल हानि क्षेत्र दर्ज किया गया है । बाढ़ से 47 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है । पोर्टल में पशु हानि, वाणिज्यिक इकाइयों की क्षति के क्रमशः 303 व 109 दावे दर्ज हुए हैं । इसके अतिरिक्त 5,380 घरों को क्षतिग्रस्त होने के दावे भी दर्ज हुए हैं । 40 शोक संतप्त परिवारों को 1,60,00,000/- (एक करोड़ साठ लाख रुपये मात्र) (प्रति मृतक 4.00 लाख रुपये) की रुपये की राशि स्वीकृत की गई है और 34 परिवारों को 1,36,00,000/- रुपये वितरित किये जा चुके हैं । हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बाढ़ की व्यवस्था से निपटने के लिए तुरंत बचाव कार्यों के लिए 10 जिलों को 100163792/- रुपये की राशि जारी की गई। चाहे वहां हमने इमरजैंसी लाइट की व्यवस्था करनी थी, चाहे वहां पर बांध ऊंचे उठाने थे, चाहे वहां पर नाव किराये पर लानी थी, चाहे वहां पर राशन पैकेट्स बनाने थे आदि व्यवस्था के लिये सरकार ने डिप्टी कमिश्नर्ज को पैसे भेज दिये थे । उपाध्यक्ष महोदय, इस कार्य में जहां-जहां पर यदि किसी का डीजल भी यूटिलाईज हुआ है तो उसके लिये भी सरकार की तरफ से पंचायतों की भरपाई की है । मुआवजे के वितरण में तेजी लाने के लिए, वित्तीय आयुक्त की वित्तीय शक्तियां अभूतपूर्व तरीके से प्रशासनिक सचिवों और उपायुक्तों को सौंप दी गई । विभाग ने ग्राम पंचायतों और सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की जल निकासी के लिए 24 घंटे बिजली तथा उनकी अल्पकालिक आवश्यकताओं के लिए तत्काल बिजली कनेक्शन की व्यवस्था भी करी । डिस्कॉम ने आवश्यक्तानुसार बिना किसी शुल्क मे अस्थायी कनेक्शन प्रदान किए । पशुपालन विभाग ने पशु स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए प्रत्येक जिले में विशेष टीमों का गठन किया । मई-जून, 2023 में गायों और भैंसो में खुरपका-मुंहनका रोग और रक्तस्त्रावी सेप्टिसीमिया जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए टीकाकरण किया गया। इसके उपरांत अभी भी जिन-जिन एरियाज में वॉटर लोगिंग हुई है उन सभी क्षेत्रों के अंदर पशुपालन विभाग और हैल्थ विभाग की टीम निरंतर निरीक्षण कर रही हैं और कैम्प्स लगा रहे हैं और water prone disease ना फैले इसका पूरा ध्यान रखा गया है । इसके अतिरिक्त, संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए अन्य जानवरों में भी टीकाकरण किया गया। पशु चिकित्सा संस्थानों में आवश्यक दवाओं एवं टीकों का भण्डारण करने के निर्देश दिये गये । दिनांक 15 जुलाई 2023 को विभाग द्वारा अनुपूरक दिशा-निर्देश भी जारी किये गये, जिसके तहत बाढ़ के दौरान पशुधन की सुरक्षा एवं प्रबंधन के संबंध में भारत सरकार द्वारा एडवाइजरी जारी की गई । इसमें किसानों व पशुपालकों की आसानी से समझ लाने वाली भाषा में बाढ़ से पहले, बाढ़ के दौरान और बाढ़ के बाद पशुओं के स्वास्थ्य और प्रबंधन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये गए । बाढ़ के दौरान अधिकारियों/कर्मचारियों की छुट्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, केवल आवश्यक मामलों में ही अधिकतम 4 दिनों की छुट्टी दी गई थी। पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था स्थानीय प्रशासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा हैफेड के माध्यम से की गई तथा पशुपालन विभाग द्वारा इसके वितरण में सहायता प्रदान की गई। मवेशियों को गांठदार त्वचा रोग से बचाने के लिए राज्य में 21 अगस्त,

2023 में सामूहिक टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है, जिसमें लगभग 19 लाख मवेशियों का टीकाकरण किया जाएगा। विकास एवं पंचायत विभाग ने अपने द्वारा प्रबंधित ग्रामीण बुनियादी ढांचे को नुकसान के कारण लगभग 44.30 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया है । शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने हाल ही में बाढ़ से पहले राज्य में विभिन्न नालों और नदियों के 1,068.62 किलोमीटर क्षेत्र से गाद निकालने का काम कम्पलीट कर लिया है ताकि फ्यूचर में भी यदि कोई अनप्रैसिडैंटिड मानसून के कारण एक्सैसिव रेनफॉल आ जाए तो उसका साथ ही साथ निपटारा कर सकें। नीति से चल रही सम्पतियों का मुआवजा 50 लाख रूपये तक और व्यक्तिगत भवनों के नुकसान के लिए 25 लाख रूपये तक मुआवजा का प्रावधान किया हुआ है। जैसे-जैसे ये अपलोड होंगी तो उसके बाद वैरिफाई होकर संबंधित सम्पतियों का मुआवजा भी देने का काम करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप चाहें तो मैं ये सारी डिटेल ले डाउन कर देता हूं। इसके उपरान्त अगर किसी माननीय सदस्य का कोई सवाल होगा तो उसके बारे में डिटेल में बता देंगे।

श्री उपाध्यक्ष: ठीक है, इस पर संबंधित सभी माननीय सदस्यगण अपना एक-एक प्रश्न पूछ सकते हैं। अब माननीय सदस्य श्री वरूण चौधरी जी अपना क्वैश्चन पूछेंगे।

श्री वरूण चौधरी: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बताया कि ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से प्रभावित लोग अपने नुकसान का पंजीकरण करवा सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मेरे हाथ में नगर परिषद् , अंबाला सदर के द्वारा जारी किया हुआ फॉर्म है। यह कहा गया है कि क्षतिपूर्ति के लिए संबंधित फॉर्म भरकर दिया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, अगर नगर परिषद् , अंबाला सदर यह फॉर्म जारी कर सकता है तो पूरे प्रदेश के अन्दर संबंधित फॉर्म से आवेदन क्यों नहीं हो सकते? पूरे प्रदेश के लिए ये दोहरे मानदंड क्यों हैं? नगर परिषद्, अंबाला सदर इस प्रकार से आवेदन मांग रही है जबकि पूरे प्रदेश में ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण की बात हो रही है। यह बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि जनता ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाने में असमर्थ है। जनता पहले से ही परेशान है। जिस प्रकार से नगर परिषद्, अंबाला सदर में संबंधित आवेदन बांटे गये हैं मैं उनको सदन के पटल पर टेबल कर देता हूं। उसी तरह से हरियाणा प्रदेश में सभी जगहों पर जो-जो प्रभावित हुए हैं उनसे भी संबंधित कागज पर ही आवेदन मांगना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा यह प्रश्न है।

श्री बिशन लाल सैनी: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। वैसे तो जब ऊपर से ज्यादा बारिश होगी तो पानी नीचे आएगा ही और ज्यादा पानी भी

आएगा। मैं खासतौर से यमुनानगर की बात करना चाहूंगा कि यहां पर 3 नदियां हैं जिनमें से 2 छोटी-छोटी नदियां हैं और 1 बड़ी नदी है। इनमें एक नदी का नाम यमुना है दूसरी राक्षी नदी है और तीसरी चतंग नदी है। इस बारिश के दौरान संबंधित नदियों में खूब पानी आया है। यमुना नदी में तो पहले की अपेक्षा कम पानी आया लेकिन नुकसान ज्यादा हुआ है। वहां पर किसानों के किले के किले यमुना नदी में समा गये। इसके पीछे क्या कारण रहे? मैं इसके बारे में आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि यमुना नदी के अन्दर जो इल्लीगल माइनिंग हुई है उसके कारण यमुना नदी का पानी उत्तर प्रदेश की साईड को छोड़कर हरियाणा प्रदेश की साईड में आ गया। यानी वह पानी दो हिस्सों में बट गया और उत्तर प्रदेश की साईड में कम पानी गया और हरियाणा प्रदेश की साईड में ज्यादा पानी आया क्योंकि इस तरफ इल्लीगल माइनिंग ज्यादा हुई है। जहां से वह पानी निकला वहां से जमीन की ढांगे गिरती चली गयी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि इसको रोकने के लिए क्या प्रबन्ध किया गया? जबकि इनका कहना है कि इसको रोकने के लिए बहुत पैसा खर्च किया गया है। जब बाढ़ आती है तो जितना मर्जी पैसा खर्च करें लेकिन पानी तो कहीं न कहीं से निकलेगा ही और वह नुकसान भी करेगा। यह बात ठीक है कि इसके लिए पहले से व्यवस्था करने से कुछ न कुछ बचाव होता है। लेकिन बाढ़ का पानी नुकसान न करे, उसके लिए 3-4 महीने पहले से ही प्रबन्ध करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: बिशन लाल जी, आप उसी बात को रिपिट कर रहे हैं। आपका क्वैश्चन नोट कर लिया गया है। प्लीज, अब आप बैठ जाएं।

श्री बिशन लाल सैनी: उपाध्यक्ष महोदय, मैं बात को रिपिट नहीं कर रहा हूं। पहले आप मेरी बात तो सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष: बिशन लाल जी, आप अपना प्रश्न पूछें।

श्री बिशन लाल सैनी: उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें।

श्री उपाध्यक्ष: बिशन लाल जी, आपकी बात समझ भी ली है और नोट भी कर ली गयी है।

श्री बिशन लाल सैनी: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि हमारी तरफ जो ज्यादा पानी आया है वह इल्लीगल माइनिंग की वजह से आया है।

श्री उपाध्यक्ष: बिशन लाल जी, आपकी बातें नोट कर ली गयी हैं। प्लीज, अब आप बैठ जाएं।

श्री बिशन लाल सैनी: उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात तो सुन लें। मैं उसी बात पर आ रहा हूं कि बाढ़ के पानी को रोकने के लिए 3-4 महीने पहले ही प्रबन्ध किया जाता है। इसके लिए ठोकरें लगायी जाती हैं और स्टैंड बनाये जाते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये ठोकरें यमुना नदी पर 3-4 साल पहले कब- कब लगायी गयी थी और उन पर कितने पैसे खर्च किये गये थे?

श्री मेवा सिंह :उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया मैं इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने बाढ़ आने के बाद क्या काम किया, इसके बारे में बताया था । क्या सरकार बरसात के दिनों से पहले सोई हुई थी ? सरकार ने बाढ़ का पहले क्यों नहीं इंतजाम किया ? हमारे जितने भी नदी, नाले, मारकंडा नदी, घग्गर नदी और यमुना नदी हैं उनकी पहले सफाई क्यों नहीं करवाई गई ? पहले इनमें से रेत क्यों नहीं निकलवाई गई ? आज जितने नदी, नाले, मारकंडा नदी, घग्गर नदी और यमुना नदी आदि हैं इनमें जमीन के बराबर मिट्टी भरी पड़ी है । पानी निकलने का रास्ता ही नहीं है इसलिए लोगों का बाढ़ के कारण इतना नुकसान हुआ है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर सरकार ने बरसातों से पहले बाढ़ से निपटने के लिए अच्छी तरह से क्यों नहीं इंतजाम किये ? आज भी इन नदियों में अवैध निर्माण हो रहे हैं, सरकार ने अवैध निर्माण होने से क्यों नहीं रोका? दादुपुर नलवी नहर को बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से कुरूक्षेत्र जिला डूब गया । सरस्वती नदी पर अवैध कब्जे हो रहे हैं । मैं पिछले दो विधान सभा सत्रों से यह मामला लगातार उठाता आ रहा हूं । सरकार ने इन पर क्यों ध्यान नहीं दिया ? पिछली बार मुख्यमंत्री जी ने मुझ पर ही ब्लेम लगा दिया कि आपका इसमें पसर्नली इन्ट्रेस्ट लगता है । मेरा इसमें इस बात का इन्ट्रेस्ट था कि मैं कुरूक्षेत्र शहर को डूबने से बचाना चाहता था । मैं किसानों की हजारों एकड़ जो बाढ़ के कारण फसल बर्बाद हुई, उसको खराब होने से बचाना चाहता था । आज सरकार बाढ़ आने के बाद भी फसलों को नहीं बचा पा रही है । मारकंडा नदी में से रेत निकाले कितने साल हो गये हैं उसमें से रेत को क्यों नहीं निकाला गया जिसके कारण आज मारकंडा नदी कहीं दिखाई ही नहीं दे रही है क्योंकि खेतों के बराबर मारकंडा नदी का लैवल हो रखा है इसलिए यह पूरा इलाका डूबा था । सरकार यह बतायें कि वह भविष्य में बाढ़ से बचने के लिए क्या काम कर रही है ? सरकार यह भी बतायें कि इन नदियों की खुदाई कब तक करवा देगी, इसको टाइम बाउंड करे ? अगर मान लो कल को बरसात हो गई तो फिर शहर के लोगों को इसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ेगा । इसका सरकार परमानेंट क्या समाधान कर रही है इसके बारे में भी बताया जाये ?

श्री जगबीर सिंह मलिक :उपाध्यक्ष महोदय, पिछले विधान सभा सत्र में इस सदन में माननीय उप मुख्यमंत्री ने एक वायदा मेरे से किया था कि हम इसके लिए कमेटी बनायेंगे । मेरे पास इसका रिकॉर्ड

भी है । इस कमेटी में एस.डी.एम. और दो अधिकारी शामिल होंगे । यह कमेटी गेंहू की खराब हुई फसल का गांव वाइज दौरा करेगी ।इसके साथ ही साथ यह भी कहा गया था कि मुझे और श्रीमती निर्मल चौधरी जी को संबंधित अधिकारी गेंहू की खराब हुई फसल का मुआयना करने के लिए किसानों के खेतों में साथ लेकर जायेंगे । मैं कहना चाहता हूं कि आज तक इसका कोई मुआयना नहीं हुआ है और न ही इसकी रिपोर्ट आई है । हमें इसका नोटिस भी नहीं मिला है । उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा था कि इसकी एक हफ्ते में रिपोर्ट दे देंगे । आज तक इसकी रिपोर्ट सदन में टेबल हुई हो तो बताया जाये । यह सरकार किसानों की समस्याओं को लेकर कितनी सीरियस है इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है । आज किसान बर्बाद हो गये हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मलिक जी, आप अपना क्वैश्चन पूछें ।

श्री जगबीर सिंह मलिक : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना क्वैश्चन ही पूछ रहा हूं । मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या वह रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई है ? इसमें दूसरी बात यह है कि पिछले 5 सालों में जो इन्श्योरैंस कम्पनीज हैं उन्होंने किसानों से कितनी प्रीमियम की राशि वसूल की है और किसानों को कितना मुआवजा दिया है, हमें इसकी ईयरवाइज डिटेल दे दें । (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मलिक जी, यह कॉलिंग अटैंशन मोशन है इसलिए हमने 20 विधायकों को बोलने के लिए अलाउ किया है इसलिए आप एक प्रश्न पूछ सकते हो । आप इस हाउस के सीनियर मैम्बर है । आपको सभी बातों के बारे में पता भी है ।

श्री जगबीर सिंह मलिक : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि किसानों का कितना प्रीमियम बकाया है और कितने केस बीमा कम्पनीज के पास पैंडिंग पड़े हुए हैं और ऐसे कितने किसानों का इस बाढ़ के कारण नुकसान हुआ है?

श्री बलराज कुंडू :उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया मैं इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सामने एक बात रखना चाहता हूं और मुझे माननीय उप मुख्यमंत्री जी की वह प्रेस कांफ्रेंस याद है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कुंडू जी, आप अपना प्रश्न पूछिये । (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलराज कुंडू : उपाध्यक्ष महोदय, यह कॉलिंग अटैंशन मोशन है । यह कोई सवाल नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कुंडू जी,आपने एक-एक प्रश्न पूछना है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलराज कुंडू : उपाध्यक्ष महोदय, पहले सदन में यह परम्परा होती थी कि पहले विधायक प्रस्ताव पढ़ता था उसके बाद वह अपना सवाल पूछता था ।

श्री उपाध्यक्ष : कुंडू जी, देखिये पहला हस्ताक्षरी ही प्रस्ताव पढ़ेगा जो श्री वरूण चौधरी जी ने पढ़ लिया है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलराज कुंडू : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह सदन देखते हुए 4 साल हो गये है । पहले यह होता था कि पहले विधायक प्रस्ताव पढ़ता था उसके बाद वह अपना सवाल पूछता था । आज आप मुझे बोलने से पहले ही रोक रहे हो ।

श्री उपाध्यक्ष : कुंडू जी, आप माननीय उप मुंख्यमंत्री जी से एक-एक प्रश्न पूछ सकते हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलराज कुंडू : उपाध्यक्ष महोदय,मेरा एक सवाल यह है और मैं पिछले 4 सालों से सरकार से सदन में यही सवाल करता आ रहा हूं । कुछ जिलों में ज्यादा बारिश की वजह से फसलों में नुकसान हुआ है । इस बार ज्यादा बारिश की वजह से फसलों का ज्यादा नुकसान हुआ है । हमारे झज्जर, रोहतक, जींद और हिसार आदि जिलों में हजारों एकड़ भूमि हर साल बगैर बिजाई के रह जाती है । उस भूमि में न तो गेंहू की बिजाई होती है और न ही धान की फसल की बिजाई होती है । चाहे तो आप इस चीज को चेक कर सकते हो । उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सदन में हर बार यह मुद्दा उठाया है, यह सवाल किया है? जिस समय फल्ड आता है किसान डी.सी. ऑफिस और एस.पी. ऑफिस में मारा-मारा फिरता है। जो बिजली के कनेक्शंज हैं उनको परमानेंट क्यों नहीं करते? कनेक्शंज बरसात से पहले पूर्ण क्यों नहीं किये जाते ? टोटल पंप पहले लगने चाहिएं। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष: कुंडू जी, क्या आपका कोई क्वैश्चन है ?

श्री बलराज कुंडू: उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र महम के गांव फरमाना, भैणी सुरजन, भैणी महाराजपुर, भैणी भरो, घिरोठी, लाखनमाजरा, खरेटी, बैंसी, निंदाणा, भराणा, अजायब, बहलबा, मोखरा, गिरावड, भगवतीपुर, सुंदरपुर, सेमाण, डाभ, बहु अकबरपुर, बडाली, मदीना तथा निडाणा में से कई गांव तो फ्लड प्रभावित गांवों में शामिल ही नहीं कर रखे थे। मेरी डी.सी. से भी बात हुई थी। मेरे हल्के में खरेटी गांव सबसे ज्यादा फ्लड प्रभावित था। जबकि इस गांव को फ्लड प्रभावित गांवों में शामिल ही नहीं कर रखा है। सरकार पोर्टल की बात कर रही है कि नुकसान का पंजीकरण पोर्टल पर करवाएं जबकि पोर्टल चलता ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: कुंडू जी, डिप्टी सी.एम. साहब ने अभी बताया है कि पोर्टल आज शाम तक भी खुला है।

श्री बलराज कुंडू: उपाध्यक्ष महोदय, अभी वरुण जी ने बताया कि हमारा किसान इतना पढ़ा लिखा और समर्थ नहीं है इसलिए फार्म ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से अप्लाई हो । ये दोनों चीजें लागू क्यों नहीं की जाती?

श्री दुष्यंत चौटाला: कुंडू जी, मैं आपको एक चीज करैक्ट करवाना चाहता हूं कि रोहतक में फ्लड नहीं आया। (विघ्न) मैं आपको इसलिए टोक रहा हूं क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं। मैंने और किसी को नहीं टोका।

श्री जगबीर सिंह मलिक: उप-मुख्यमंत्री जी, क्या बाकी सब लोग अनपढ़ हैं ?

श्री दुष्यंत चौटाला: मलिक साहब, मैंने आपको टोका नहीं था। मैं इनको टोक रहा हूं, आप तो ज्यादा पढ़े-लिखे हो। कुंडू जी, मैं जो बात आपको बता रहा हूं वह यह है वहां एक्सेसिव रेन फॉल से वॉटर लॉगिंग होती है। जहां नदियां-नहरें टूटी हैं और पानी आया वह फ्लड इफैक्टिड एरिया है।(विघ्न) 12 जिले वो हैं

जो नार्थ इंडिया की एक्सेसिव रेन फॉल से फ्ल्ड इफैक्टिड हैं। उनके अंदर 1400 गांव हैं फिर भी आवेदन 4500 गांवों का आया है। वो सारे एक्सेसिव रेन फॉल से फ्लड इफैक्टिड गांव भी कांउट किये हैं। इसलिए आप प्लीज, थोड़ा सा दुरुस्त करें।

श्री बलराज कुंडू: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि खरेटी गांव में 185 एम.एम. फ्लड कैलकुलेट की गई। इतनी बरसात हुई कि आप आज भी वहां जाकर के देख लीजिए कई हजार किलोमीटर एकड़ जमीन पानी से भरी पड़ी है।(विघ्न)

उर्जा मंत्री (श्री रणजीत चौटाला): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास माननीय विधायक जी का तीन बार फोन आया और मैंने तीनों बार ही इनके कहने के तुरंत बाद बिजली चलवाई और एस.ई. साहब से कहा कि आप माननीय विधायक जी के संपर्क में रहे और जहां जरूरत हो पानी चलाएं।

श्री बलराज कुंडू: उपाध्यक्ष महोदय, यह बात बिल्कुल सही है इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। मैंने इनको फोन किया और इन्होंने उस पर कार्रवाही करवाई लेकिन मेरा कहना यह है कि बरसात के समय हमें चक्कर क्यों काटने पड़ते हैं ? हमें फोन क्यों करने पड़ते हैं? क्यों किसान को चक्कर काटने पड़ते हैं ? जब पता है कि बरसात आनी है तो वो कनेक्शंज पहले क्यों नहीं होते ? मोटर पंप क्यों नहीं लगते ?

श्री उपाध्यक्ष: ठीक है कुंडू जी। आप बैठ जाएं।

श्री बलराज कुंडू: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक सवाल और है कि हमारे रोहतक में मोटर पंप की जितनी डिमांड होती है। उस डिमांड के अनुसार 25 प्रतिशत भी मोटर पंप और पाइप्स नहीं है। गांवों के अन्दर बुरा हाल है। सरकार कहती है वहां फल्ड का पानी नहीं है जबकि मेरे हल्के महम के 15 गांवों में पानी खड़ा है। वहां आज भी 7-8 गावों की गलियों में पानी है। जिसे मैं आपको दिखा भी सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: ठीक है कुंडू जी, आपकी बात पूरी हो गई है इसलिए प्लीज, आप बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणजीत चौटाला: उपाध्यक्ष महोदय, इतनी बरसात थी कि हमारे अम्बाला में ही 12 सब-स्टेशंज डूब गये थे। अबकी बरसात का अंदाजा ही नहीं था। हमारे प्रदेश के अलावा पंजाब, हिमाचल सब जगह ऐसे ही हालात थे। फिर भी हमने कोशिश की थी कि बिजली सब जगह पहुंचाई जाए।

श्री उपाध्यक्ष: अब माननीय विधायक श्री अभय सिंह चौटाला जी अपनी बात रखेंगे।(शोर एवं व्यवधान)

श्री बलराज कुंडू: उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक मिनट का समय और दिया जाए क्योंकि अभी मेरा एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल और है।

श्री उपाध्यक्ष: कुंडू जी, यह कोई भाषण देने की जगह नहीं है। आपकी बात पूरी हो गई है इसलिए प्लीज, आप बैठ जाएं।

श्री बलराज कुंडू: उपाध्यक्ष महोदय, सबसे महत्वपूर्ण बात फसल बीमा कंपनियों की जो लूट चल रही है। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष: कुंडू जी। इस विषय पर चर्चा हो गई है। अब तो बाढ़ की बात आ रही है। आप अपनी बची हुई बात जीरो ऑवर में रख देना। आप बैठिए। अब माननीय सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला जी अपनी बात रखेंगे।(शोर एवं व्यवधान)

श्री बलराज कुंडू: उपाध्यक्ष महोदय, रोहतक तथा जींद के किसान सड़कों पर धरना देकर बैठे हैं। डेढ़-डेढ़ साल से मुआवजा नहीं दिया जा रहा।

श्री अभय सिंह चौटाला: उपाध्यक्ष जी, पहले आप माननीय सदस्य को बैठाओ।

श्री उपाध्यक्ष: कुंडू जी, प्लीज आप बैठ जाए।

श्री बलराज कुंडू: उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह मुआवजा सरकार की मिलीभगत से नहीं दिया जा रहा बीमा कंपनियों पर कार्यवाही क्यों नहीं की जाती? इस बात की चिंता की जानी चाहिए और सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कुंडू जी, अब आपकी कोई भी बात रिकॉर्ड नहीं की जा रही है इसलिए आप बैठ जाएं।

श्री बलराज कुंडू: उपाध्यक्ष महोदय, **xxx xxx xxx**

चेयर के आदेशानूसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष: कुंडू जी। आपकी कोई भी बात रिकॉर्ड नहीं की जा रही है इसलिए आप बैठ जाएं। ऐसे नहीं होता है । आप बैठ जाएं ।

श्री बलराज कुंडू: उपाध्यक्ष महोदय, **xxx xxx xxx**

श्री उपाध्यक्ष: अब माननीय सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला जी अपनी बात रखेंगे।

श्री बलराज कुंडू : उपाध्यक्ष महोदय, . . . (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : कुंडू जी, आप बैठिए।(विघ्न) आपको बोलने के लिए जितना समय दिया गया था वह पूरा हो गया है। (विघ्न)

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल) : डिप्टी स्पीकर सर, सदन में कुछ माननीय सदस्यों द्वारा फसल बीमा योजना के बारे में भ्रामक तथ्य प्रस्तुत किये जा रहे हैं। मैं पूरे सदन की जानकारी के लिए एक बात बताना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर किसी भी किसान के लिए अपनी फसल का बीमा करवाना स्वैच्छिक है। किसान अपनी मर्जी से अपनी फसल का बीमा करवाते हैं। धक्के से किसी भी किसान की फसल का बीमा नहीं करवाया जाता है। किसान को इसमें अपना फायदा लगता है तभी वह अपनी फसल का बीमा करवाता है। हरियाणा की सभी बीमा कम्पिनयों को हरियाणा के किसान से, हरियाणा सरकार से और भारत सरकार से प्रीमियम के रूप मे जितना पैसा गया है उससे 1200 करोड़ रूपये ज्यादा मुआवजे के तौर पर बंटा है। हरियाणा के किसान का इससे वास्तव में ही फायदा हुआ है। जो माननीय सदस्य इसमें लूट की भाषा का इस्तेमाल करते हैं वह पूरी तरह से गलत

है। स्पष्ट बात यह है कि फसल बीमा योजना में किसान को फायदा होता है इसलिए वह अपनी मर्जी से अपनी फसल का बीमा करवाता है। (विघ्न)

श्री बलराज कुंडू : उपाध्यक्ष महोदय, . . . (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, . . . (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : कुंडू जी, आप बैठिए। (विघ्न) ऐसे हाऊस नहीं चलता। (विघ्न) किरण जी, आप भी बैठ जायें। (विघ्न) चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को अपनी बात रखने दें।(विघ्न)

श्री जय प्रकाश दलाल : उपाध्यक्ष महोदय, विधायक महोदय अखबारों की सुर्खियों में रहना चाहते हैं। इनके हल्के के किसान बार-बार पानी की मांग कर रहे हैं और इसके विपरीत ये कहते हैं कि इनका हल्का पानी में डूबा पड़ा है। इनके हल्के के किसान कह रहे हैं कि उनकी धान की फसल के लिए पानी छुड़वा दिया जाये। ज्यादा समय विधायक जी अपने हल्के से बाहर रहते हैं इसलिए इनको अपने हल्के की वास्तविक स्थिति की सही जानकारी नहीं है। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदय, आपने यह तो कह दिया कि कालिंग अटैशन मोशन पर

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

चेयर के आदेशानूसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

हस्ताक्षर करने वाले सभी माननीय सदस्य एक-एक सवाल पूछ सकते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो सवाल पूछे जायेंगे क्या उनके जवाब भी आयेंगे? और अगर कोई माननीय सदस्य मंत्री महोदय के जवाब से संतुष्ट नहीं होगा तो क्या वह सप्लीमैंट्री क्वेश्चन पूछ सकेगा या नहीं? पहले तो मुझे यह बताया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : अभय सिंह जी, मंत्री जी ने कालिंग अटैंशन मोशन के जवाब में अपना वक्तव्य दे दिया है। इसके बाद माननीय सदस्यों द्वारा जो भी सवाल पूछे जायेंगे। मंत्री जी द्वारा उनका जवाब भी दे दिया जायेगा। इसके बाद कोई डिबेट नहीं होगी।

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष जी, फिर हमारे सवाल पूछने का फायदा क्या हुआ?

श्री उपाध्यक्ष : अभय सिंह जी, यह कोई नई चीज नहीं है। (विघ्न)

श्री बलराज कुंडू : उपाध्यक्ष महोदय, . . . (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : कुंडू साहब, आप बार-बार क्यों खड़े हो जाते हैं? (विघ्न) क्या मैंने आपको बोलने के लिए अलाऊ किया है? (विघ्न) ऐसे नहीं चलेगा। (विघ्न) आप बैठिए। (विघ्न) कुण्डु साहब, मैं आपको वार्न कर रहा हूं कि आप बैठिए। (विघ्न) बैठ जाईए आप।

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदय, जो सवाल पूछे जायेंगे क्या उनके जवाब भी आयेंगे? और अगर कोई माननीय सदस्य मंत्री महोदय के जवाब से संतुष्ट नहीं होगा तो क्या वह सप्लीमैंट्री क्वेश्चन पूछ सकेगा या नहीं? मैं यह जानना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अभय सिंह जी, पहले आप सवाल तो पूछ लें।

श्री अभय सिंह चौटाला: उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो आप अपने पीछे खड़े अधिकारी को हटाइये। हाउस वे चला रहे हैं या आप चला रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष: अभय जी, मैं उनको क्यों हटाऊं? मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं।

श्री अभय सिंह चौटाला: उपाध्यक्ष महोदय, ये बीच-बीच में आकर खड़े हो जाते हैं और आपके कान में बोलते रहते हैं। आप उपाध्यक्ष हैं और आप हाउस को चला रहे हैं इसका मतलब यह नहीं है कि ये बीच-बीच में आकर आपके कान में कुछ-कुछ बोलते रहेंगे। आपको तो सबकुछ ये पढ़ा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: अभय जी, ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं।

श्री अभय सिंह चौटाला: उपाध्यक्ष महोदय, ये अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। ये आपको रूल्ज के बारे में बता सकते हैं इस तरह से कानाफूंसी नहीं कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्री अभय सिंह चौटाला: उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे यह पूछा है कि क्या मेरे प्रश्न का उत्तर आयेगा?

श्री उपाध्यक्ष: अभय जी, आप यह बताइये कि आज क्या कोई पहली बार नया ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आया है? आज से पहले भी जो ध्यानाकर्षण सूचना आती रही हैं और उनके जिस तरीके से जवाब दिये जाते रहे हैं उसी तरीके से अब जवाब दिया जायेगा।

श्री अभय सिंह चौटाला: उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुन लीजिए। हमेशा ही कॉलिंग अटैंशन प्रस्ताव पर सप्लीमैंट्री पूछी जाती हैं और उस सप्लीमैंट्री का मिनिस्टर को जवाब देना होता है। मैं यह पूछ रहा हूं कि मैं अब जो सप्लीमैंट्री पूछूंगा क्या मंत्री जी उसका जवाब देंगे?

श्री उपाध्यक्ष: अभय जी, आप जो सप्लीमैंट्री पूछ रहे हैं मंत्री जी उसको नोट कर रहे हैं और उसका जवाब देंगे। आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्री अभय सिंह चौटाला: उपाध्यक्ष महोदय, यदि मैं कोई प्रश्न पूछ रहा हूं और अगर उसका जवाब सही नहीं आयेगा तो क्या मैं उस पर भी सप्लीमैंट्री पूछ सकता हूं?

श्री उपाध्यक्ष: अभय जी, आप अब जो प्रश्न पूछोगे उसका जवाब आ जायेगा। उसके बाद और सप्लीमैंट्री नहीं पूछेंगे।

श्री अभय सिंह चौटाला: उपाध्यक्ष महोदय, अगर मैं दोबारा नहीं पूछ सकता तो मेरे सवाल का जवाब कैसे आयेगा? अगर जवाब सही नहीं होगा तो मैं दोबारा से भी पूछूंगा।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: उपाध्यक्ष महोदय, जब माननीय सदस्य के सवाल का जवाब आयेगा तभी तो ये सप्लीमैंट्री पूछेंगे। उससे पहले सप्लीमैंट्री कैसे पूछ सकते हैं?

श्री उपाध्यक्ष: हुड्डा साहब, अभी मंत्री जी की तरफ से जो वक्तव्य दिया हुआ है उसी पर माननीय सदस्य सप्लीमैंट्री पूछ सकते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री(श्री कंवर पाल): उपाध्यक्ष महोदय, एक बार मंत्री जी ने जवाब दे दिया है और अब सभी सदस्य जब अपने सवाल पूछ लेंगे तभी तो मंत्री जी उनका दोबारा से जवाब देंगे। हर सवाल का हर बार जवाब दे पाना मंत्री जी के लिए सम्भव ही नहीं है।

श्री अभय सिंह चौटाला: उपाध्यक्ष महोदय, आप यह बताइये कि जायज बात का जवाब मंत्री जी को देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? अगर मंत्री जी की तरफ से झूठा जवाब दे दिया जाये तो क्या मैं उसको मान लूं?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी की तरफ से जवाब दिया जाता है और अब भी मंत्री जी जवाब दे देंगे लेकिन उसके बाद क्लैरिफिकेशन हर बार पूछी जाती है। पार्लियामैंट में भी क्लैरिफिकेशन पूछी जाती है तो माननीय सदस्य क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं पूछ सकते? अगर मंत्री जी गलत जवाब दे देंगे तो क्या माननीय सदस्य उसको स्वीकार कर लें?

श्री कंवर पाल: उपाध्यक्ष महोदय, अब तक यही प्रथा रही है कि पहले मंत्री जी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब दे देते हैं उसके बाद सदस्य उस पर सप्लीमैंट्री पूछते हैं और फिर मंत्री जी उनका जवाब दे देते हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: उपाध्यक्ष महोदय, प्रथा तो यही है कि कोई भी सदस्य क्लैरिफिकेशन पूछ सकता है।

श्री उपाध्यक्ष: अभय जी, आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्री अभय सिंह चौटाला: उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न तो पूछ लूंगा लेकिन आप यह बताइये कि मेरे प्रश्न का जवाब आयेगा या नहीं आयेगा?

श्री उपाध्यक्ष: अभय जी, आप जो भी प्रश्न पूछेंगे मंत्री जी उसको नोट कर रहे हैं और उसका जवाब आयेगा। आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्री दुष्यंत चौटाला: उपाध्यक्ष महोदय, आप फिर से रूल्ज की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मैं इस बारे में एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं। रूल्ज में लिखा हुआ है कि जवाब देना है, आज देना है या बाद में देना है या नहीं देना है यह भी अगर प्रश्न कॉलिंग अटैंशन से संबंधित है तभी देना जरूरी है अन्यथा जवाब देना जरूरी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: दुष्यंत जी, मैं कॉलिंग अटैंशन से संबंधित प्रश्नों के बारे में ही कह रहा हूं कि उनका जवाब दिया जायेगा।

श्री अभय सिंह चौटाला: उपाध्यक्ष महोदय, मैं कॉलिंग अटैंशन से संबंधित ही सवाल पूछ रहा हूं, मंत्री जी डरे हुए क्यों हैं, ये जवाब देने से भाग क्यों रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष: अभय जी, आप अपना प्रश्न तो पूछिए। आप प्रश्न ही नहीं पूछ रहे हैं, आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्री अभय सिंह चौटाला: उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न ही तो पूछ रहा हूं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: उपाध्यक्ष महोदय, आप माननीय सदस्य की बात को क्लैरिफाई नहीं कर रहे हैं। माननीय सदस्य सवाल पूछ लेंगे और उप-मुख्यमंत्री उसका जवाब भी दे देंगे लेकिन अगर उसमें कुछ स्पष्ट नहीं हो पायेगा और यदि माननीय सदस्य उसकी क्लैरिफिकेशन ही नहीं पूछ सकते तो उस जवाब का क्या फायदा? पार्लियामैंट मैं भी यही प्रैक्टिस है। वहां पर क्लैरिफिकेशन मांगी जाती है, यह माननीय

सदस्य का अधिकार है। मैं सप्लीमैंट्री के बारे में नहीं कह रहा हूं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि उनको सप्लीमैंट्री पूछने का अधिकार है। मैं यह कह रहा हूं कि किसी भी सदस्य को क्लैरिफिकेशन मांगने का अधिकार है। सप्लीमैंट्री और क्लैरिफिकेशन में बहुत अन्तर है। सदस्य को क्लैरिफिकेशन मांगने का अधिकार है। अगर सदस्य का जवाब सही नहीं आया है तो वह क्लैरिफाई तो करेगा और आप यह अधिकार माननीय सदस्य को दो।

श्री उपाध्यक्ष : हुड्डा साहब, जो सवाल वे पूछेंगे उसका मंत्री जी जवाब दे देंगे ।(शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदय, वे जो कलैरिफिकेशन मांग रहे हैं वह मंत्री जी दे दें । आप रूल आउट नहीं कर सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : हुड्डा साहब, मैंने रूल आउट नहीं किया है । मैं वही कह रहा हूं कि मंत्री जी जो जवाब देंगे उससे कोई मैंबर संतुष्ट है या नहीं है यह तो बाद में पता चलेगा । (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी मैंबर मंत्री से कलैरिफिकेशन पूछ सकता है (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : हुड्डा साहब, मैं वही कह रहा हूं कि उनकी कलैरिफिकेशन का जवाब उप मुख्यमंत्री जी देंगे ।(विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदय, उप मुख्यमंत्री जी उनको जो जवाब देंगे अगर मैंबर उस जवाब से संतुष्ट नहीं होगा तो मैंबर मंत्री जी से कलैरिफिकेशन पूछ सकते हैं । यह सबका अधिकार है । पार्लियामैंट में भी यह कंवैंशन है । (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : अभय सिंह जी, प्लीज आप अपना प्रश्न पूछिये ।(विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, आप गलत परम्पराएं डाल रहे हैं ।(विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : अभय सिंह जी, प्लीज आप प्रश्न पूछिये ।(विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदय, जो मैं प्रश्न पूछूंगा आप मुझे उसका जवाब दोगे या नहीं दोगे ।

श्री उपाध्यक्ष : जवाब देंगे । आप अपना प्रश्न पूछिये ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदय, कलैरिफिकेशन मांगने का उनका अधिकार है । आप मुझे रूलिंग दे दीजिए कि उनको कलैरिफिकेशन मांगने का अधिकार है या नहीं है ।(विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : हुड्डा साहब, आप उनको प्रश्न तो पूछ लेने दो । बिना प्रश्न की कोई कलैरिफिकेशन नहीं होती ।(विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुनिये । मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। सरदार स्वर्ण सिंह जी जोकि इंडिया के फार्मर डिफेंस मिनिस्टर थे, के समय एक बार पाकिस्तान के प्रेजीडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो जी हमारे यहां आए और दोनों में किसी विषय पर काफी बातचीत हुई लेकिन जब इस बातचीत के रिजल्ट के बारे में भुट्टो साहब से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि सरदार स्वर्ण सिंह जी तो जहां से बात शुरू करते हैं, वहीं पर बात को खत्म कर देते हैं और जहां पर बात खत्म

होती है, वहीं से फिर दोबारा से बात शुरू कर देते हैं । (हंसी) । ठीक उसी तरह की बात यहां सदन में देखने को मिल रही है। बात का जवाब तो दिया नहीं जा रहा है बल्कि बात को घुमाया जा रहा है। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : हुड्डा साहब, उनका जवाब सरकार देगी लेकिन आप उनको प्रश्न तो पूछने दीजिए । आप उनको प्रश्न ही नहीं पूछने दे रहे हैं ।(विघ्न) अभय सिंह जी, प्लीज आप अपना प्रश्न पूछिये ।(विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदय, आप उनके प्रश्न का जवाब दीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष : हुड्डा साहब, जब वे प्रश्न पूछेंगे तभी तो मंत्री जी जवाब देंगे । आप उनको प्रश्न तो पूछने नहीं दे रहे हैं । इससे संबंधित उनका जो भी प्रश्न होगा उप मुख्यमंत्री जी उसका जवाब देंगे ।(विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदय, आप उनको कलैरिफिकेशन मांगने दें।

श्री उपाध्यक्ष : हुड्डा साहब, आप उनको प्रश्न तो पूछ लेने दो ।(विघ्न)

श्री राम कुमार गौतम : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या हुआ जब मंत्री जी ने जवाब लिखकर दे दिया है फिर उसके बाद बार-बार कलैरिफिकेशन क्यों मांग रहे हैं ?(विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : गौतम जी, प्लीज आप बैठ जाइये ।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल) : उपाध्यक्ष महोदय, ये कलैरिफिकेशन के नाम पर बार-बार सवाल पूछते रहेंगे । यह तो अलाउड नहीं है । कोई मैंबर एक बार ही अपना सवाल पूछ सकता है । (विघ्न) कलैरिफिकेशन भी एक बार ही पूछी जाती है बार-बार नहीं पूछी जाती । (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदय, कलैरिफिकेशन मांगने का तो उनका अधिकार है । (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : हुड्डा साहब, हो गई बात । अभय सिंह जी, आप अपना प्रश्न पूछिये ।(विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदय, वह यहां पर क्या हो रहा है? जिसका जी करे वह खड़ा हो जाता है ।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपना प्रश्न पूछिये ।

16-00 बजे

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो अपना प्रश्न पूछने के लिए ही खड़ा हुआ था लेकिन आपने और ये पांच-सात खड़े कर दिये । उपाध्यक्ष महोदय, 19 जनवरी, 2023 को मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की एक मीटिंग हुई थी जिसमें बाढ़ नियंत्रण के लिए 1100 करोड़ रूपया सैंग्शंड किया गया था उसमें 528 प्रोजैक्ट स्वीकृत किये गये थे और 312 करोड़ रूपये ड्रेनेज के पानी निकासी आदि के लिए स्वीकृत हुए थे । जब ये बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की मीटिंग 19 जनवरी, 2023 को गई थी और जिसमें वह पैसा सैंग्शंड हो गया था तो इस संबंध में पहले तो मुझे यह बताया जाए कि उसके बाद कौन-कौन सी ड्रेन की सफाई हुई है?जो पैसा सैंग्शंड हुआ था, ड्रेनेज की पानी की निकासी आदि के लिए, इसके बारे में डिटेल से बताया जाये कि कौन-कौन सी ड्रेन साफ की गई ? बाकी के पैसे की जो बात है, 528 प्रोजेक्ट्स, जो उसके साथ स्वीकृत किए गए थे, उनके बारे में भी डिटेल से इस तरह से बताया जाये कि एक-एक प्रोजेक्ट पर कहां-कहां और कितना-कितना पैसा सरकार ने खर्च किया ? दूसरा अब मैं यह कहना चाहूंगा कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखी थी । घग्गर नदी

हमारे सिरसा जिले में जाती है, उस नदी के ऊपर जो बांध हैं, उनको चौधरी देवी लाल जी और चौधरी औम प्रकाश चौटाला जी ने, जब वे प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त इन बांधों को पक्का बनाया गया था । अब की बार इतना ज्यादा पानी था लेकिन बावजूद इसको वहां का जो प्रशासन था, उस प्रशासन ने इन बांधों के ऊपर मिट्टी डलवाने की किसी भी किस्म की कोई भी जिम्मेवारी नहीं समझी और न ही किसी ने कोई मदद करने का काम किया । यहां तक कि हमारे साथ लगता राजस्थान का जो इलाका है, वहां से लोगों ने अपने अपने गांव से बीस-बीस, तीस-तीस ट्रालियां लेकर उनमें मिट्टी भरकर वहां पर डालने का काम किया । नाली के साथ का जो इलाका है, यहां पर थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है तो वहां पर फिर कोई साधन नहीं चल सकता। न ट्रैक्टर ट्राली चल सकती है, न गड्डा चल सकता है , न आदमी चल सकता है और केवल झोटा-बुग्गी ही यहां पर चल सकती है। पुराने जमाने में यही चला करती थी । इस बार हमें तीस-तीस, चालीस-चालीस किलोमीटर दूर से मिट्टी लाकर वहां बांध पर पांच-पांच फीट मिट्टी चढ़ानी पड़ी। जो पांच फीट मिट्टी चढ़ाई गई, क्या उसके लिए सरकार की तरफ से कोई मदद की गई ? जो लोग अपने ट्रैक्टर-ट्राली से मिट्टी लेकर आये और बांध पर मिट्टी चढ़ाने का काम किया। क्या सरकार ने ऐसे लोगों के लिए कोई डीजल देने का काम किया या डीजल का पैसा देने का काम किया ? इस काम में उनके ट्रैक्टर-टाली तक टूट गए । मेरी यह जो जानकारी है, वह इसलिए है क्योंकि मैं स्वयं मौके पर जाकर आया था और मैंने पूरे बांध का हाल स्वयं जाकर देखा था। उस दिन चौधरी रणजीत सिंह जी भी वहां मेंरे आगे-आगे जाकर आये थे और इनके साथ बैठे मंत्री जी भी मेरे आगे आगे जाकर आये थे। यहां पर सरकार की तरफ से कोई बंदोबस्त नहीं किया गया था । एक जगह तो लोगों ने मेरे सामने डिमांड भी की थी कि कम से कम वहां बल्ब तो लगवा दो ताकि रात के समय वे वहां बांध पर पहरा दे सकें । वहां पर बल्ब भी नहीं थे । मैंने एस.डी.ओ. को फोन करके वहां पर बल्ब का प्रबंध करवाया । मैंने उसको कहा कि वहां पर बल्ब लगाकर दो । यह जो सरकार का मिनिस्टर है, यह तो सिर्फ दो प्वॉयंट्स पर रूका और बाकी जगह पर तो यह रूका भी नहीं । इन्होंने तो लोगों से पूछा तक नहीं कि उनकी क्या दिक्कत है या क्या कठिनाई है ? चौधरी रणजीत सिंह जी तो सारे प्वॉयंट्स पर गए भी थी और वहां पर रूके भी थे । मैंने लोगों से जानकारी हासिल की कि कौन-कौन उनके पास मिलने के लिए आया और किस-किसने उनकी क्या मदद करने का काम किया । मैंने हर प्वायंट पर अपनी जेब से 50-50 हजार रूपये लोगों को डीजल के लिए देने का काम किया । मैंने कहा कि यह पैसा पकड़ो और यदि इससे भी ज्यादा की जरूरत हो तो मुझे बताना । सरकार तो कुछ मदद करे या न करे लेकिन जनता का नुमाइंदा होने के नाते हमारी यह जिम्मेवारी बनती है कि यदि लोगों का नुकसान हो रहा है तो कैसे उनको बचाया जा सके और कैसे उनकी मदद की जाये ? मुख्यमंत्री जी को जो मैंने इस बाबत चिट्ठी लिखी थी तो मुख्यमंत्री जी की तरफ से जवाब आया, उसमें लिखा था कि 4 करोड़ 80 लाख रूपये सिरसा जिले को दिए हैं । मैं पूछना चाहता हूँ कि यह 4 करोड़ 80 लाख रूपये कहां पर खर्च किए गए । आने वाले समय में ऐसा होगा कि जो पांच-पांच फीट मिट्टी लोगों ने बांध पर चढ़ाई है, उसके बिल बनाये जायेंगे और सरकार से इनका पैसा लेने का काम किया जायेगा । इसके साथ ही जैसा कि 1 करोड़ 85 लाख

रूपये की राशि फतेहाबाद के लिए भी दी गई, के परिपेक्ष्य में बताना चाहूंगा कि आज भी जब फतेहाबाद से हिसार की तरफ जाते हैं तो लैफ्ट हैंड की तरफ हजारों एकड़ जमीन में पानी भरा पड़ा हुआ है जबकि सरकार की तरफ से यह दावे किए जा रहे थे कि हम दो दिन या हफ्ते में यह सारा पानी निकाल देंगे लेकिन आज इस बात को हुए डेढ़ महीना हो गया है और बावजूद इसके आज भी वहां पर हजारों एकड़ जमीन में पानी भरा हुआ है और लोगों के घर इस पानी में डूबे हुए हैं । खेत में लगे हुए ट्यूबवैल्ज भी खत्म हो चुके हैं । सरकार ने इस संदर्भ में क्या कदम उठाये हैं, उसके बारे में सदन में डिटेल से बताया जाये ? (विघ्न)

श्री दुड़ा राम: उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर तो दोबारा से धान की बिजाई हो गई है।

श्री अभय सिंह चौटाला: उपाध्यक्ष महोदय, दुड़ा राम जी सरकार की पैरवी कर रहे हैं । इनको इस तरह सदन में झूठ बोलने में थोड़ी बहुत शर्म तो आनी चाहिए । मैं कल ही इनके फतेहाबाद में जाकर आया हूँ और माननीय सदस्य यदि चाहें तो मेरे साथ चलकर वहां पर सारी स्थिति देख सकते हैं । आखिरकार झूठ बोलने की भी कोई हद होती होगी ।

श्री दुड़ा राम: उपाध्यक्ष महोदय, मैं इनके साथ चलने के लिए तैयार हूँ ।

श्री अभय सिंह चौटाला: उपाध्यक्ष महोदय, ठीक है दुड़ा राम जी मेरे साथ चलें, मैं सारी स्थिति दिखा दूंगा । अब मैं विषय पर आता हूँ । इसके अलहदा यमुनानगर से लेकर होडल तक पूरे एरिया के अंदर अब की बार बाढ़ का पानी था । वहां पर जो मैंने एक चीज विशेष रूप से देखी, उसके लिए भी मैं यह पूछना चाहता हूँ कि जिस जमीन के अंदर बाढ़ आई थी और फसल खराब हुई थी, क्या सरकार उस फसल का भी मुआवजा देने का काम करेगी ? इसी तरह घग्गर नदी के साथ लगती 40 हजार एकड़ जमीन दोनों बांधों के बीच आती है , क्या सरकार इसके लिए यहां के किसानों को मुआवजा/कंपनसेट करने का काम करेगी या नहीं करेगी ? यह बात भी सरकार की तरफ से बताई जाये । इसके साथ ही मैं यह भी बताना चाहूंगा कि समालखा के साथ लगता सनोली खुर्द नाम का एक गांव है, जिसमें बाढ़ का पानी आ गया था । वहां पर दुष्यंत खुद गया था । इस गांव के अंदर एक गऊशाला है और गऊशाला तो सरकार की प्रायोरिटी में शामिल भी है। सरकार बताए कि सरकार की प्रायोरिटी में यह शामिल है या नहीं ?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल): उपाध्यक्ष महोदय, यह तो सबकी प्रायोरिटी है ।

श्री अभय सिंह चौटाला: उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी की ज्यादा प्रायोरिटी है और यही नहीं बी.जे.पी. वालो की तो यह और भी ज्यादा प्रायोरिटी में शामिल है । जिनके घर गाय नहीं होती वे ज्यादा गऊ-गऊ कहते फिरते हैं । रोला ही सारा इस बात का है ।

श्री उपाध्यक्ष: अभय जी, सरकार ने तो गौशालाओं के लिए 10 गुणा ज्यादा बजट भी देने का काम किया है ।

श्री अभय सिंह चौटाला: उपाध्यक्ष महोदय, मुझे विषय पर ही रहने दें । दुष्यंत, सनोली खुर्द गांव में गया तो वहां की गऊशाला में 5-7 फुट पानी भरा हुआ था । गांव के लोगों ने इनसे कहा कि उनकी गऊशाला डूब गई है। जिस वक्त यह बात हो रही थी उस वक्त डिप्टी कमिश्नर भी इनके साथ थे । लोगों ने इनसे कहा कि इस गऊशाला का पानी निकलवा दो और गऊशाला के लिए कुछ राशि भी स्वीकृत कर दो ताकि गऊओं को बचाया जा सके या उनकी सुविधाओं के लिए कुछ और कर सकें । उपाध्यक्ष महोदय, आपकी सरकार के उप-मुख्यमंत्री का पता क्या जवाब था, यह डी.सी. को कहने लगे कि यह गऊशाला किसने बनाई है और यह इतनी गहरी क्यों है ? जिन्होंने यह काम किया, उनके खिलाफ जांच करो, पर्चे दर्ज करवाओ और इस गऊशाला को बंद करवाओ । वहां पर एक लड़का खड़ा था, वह कहने लग गया कि गऊशाला भी हमारी डूबी और पर्चा भी हमारे खिलाफ दर्ज करवा रहे हो । अगर ऐसा है तो फिर अनिल विज साहब का भी घर डूब गया है, उसके खिलाफ भी पर्चा दर्ज करवाओ । इस प्रकार की हालत इस सरकार के मंत्रियों की हो गई है । ऐसी स्थिति में लोग इस सरकार से और इसके मंत्रियों से क्या उम्मीद करेंगे ?

बिजली मंत्री (श्री रणजीत सिंह): उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी माननीय सदस्य की बात को सुन रहा था, यह हमारा बेटा है और सारी जानकारी रखता है, के उत्तर में कहना चाहूंगा कि बाढ़ के दिनों में सिरसा में जितना बैस्ट मैनेजमैंट हुआ था, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था । उन दिनों में टी.वी. पर, सोशल मीडिया पर, अखबारों में सिरसा ऐडमिनिस्ट्रेशन की बहुत तारीफ हुई थी । यहां पर 50 हजार से ज्यादा

क्यूसिक पानी गया था। यह रिकार्ड की बात है। केवल मैं इसको वैसे ही नहीं कह रहा हूँ । यह बात तो गूगल पर भी है । पानी तो गुहला चीका गया है, सरदुलगढ़ गया है तथा और भी कई जगह गया है जिसके कारण 9 हजार एकड़ जमीन पानी में डूब गई। यह बात ठीक है कि फतेहाबाद में कुछ एरिया में पानी खड़ा है लेकिन सिरसा में बिल्कुल पानी नहीं खड़ा था । सदन में बिल्कुल तथ्यों के खिलाफ बात कही जा रही है। हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इतना अच्छा काम किया है कि उसका कोई मुकाबला नहीं है । हमारे डी.सी. साहब ने बीमार रहकर भी रात रात भर काम किया है । इस बात की तो पूरे हरियाणा में तारीफ की जा रही है । मेरा सदन के माध्यम से अनुरोध है कि सदन में जो भी बात कही जाये वह तथ्यों के साथ कही जानी चाहिए ।

श्री अभय सिंह चौटाला: उपाध्यक्ष महोदय, (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष: अभय जी, आपने एक प्रश्न पूछना था लेकिन आप तो तीन-चार प्रश्न पूछ चुके हैं । आप प्लीज बैठिए, मंत्री जी आपके प्रश्नों का जवाब अभी देंगे ।

श्री अभय सिंह चौटाला: उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी रणजीत सिंह जी ने जो बात कही है, मैं उसके बारे में मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वे स्वयं बता दें कि यहां पर सरकार की तरफ से 10 ट्राली भी मिट्टी डालने का काम किया गया था या नहीं ?। सरकार का तो यहां पर दिवालिया पिट गया था। पांच-पांच फुट तक मिट्टी, राजस्थान से लाकर यहां पर डाली गई थी । सरकार की तरफ से कोई एक नया पैसा तक देने का काम नहीं किया गया । मैंने भी डी.सी. से पूछा है । यह रिकार्ड की बात है । सरकार की तरफ से कोई मिट्टी वहां पर डालने का काम नहीं किया गया । मैं चैलेंज के साथ यह बात कहता हूँ कि एक फुट मिट्टी भी सरकार की तरफ से डालने का काम नहीं किया गया । पांच-पांच फुट मिट्टी लोगों की तरफ से डाली गई, किसानों की तरफ से डाली गई।

श्री रणजीत सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, यह बात रिकार्ड पर भी निकलेगी कि वहां पर कितनी जे.सी.बी. मशीनें थी और कितने ट्रैक्टर वहां पर चले थे ? यह हमारा भतीजा तो उस समय यात्रा पर था ।

श्री अभय सिंह चौटाला: उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के किसानों तक ने ट्रैक्टर-ट्रालियों में मिट्टी भरकर वहां पर डालने का काम किया था । इस सरकार का तो दिवालिया पिट गया है । (विघ्न)

जन विकास शिक्षा समिति ट्रस्ट, चण्डीगढ़ के अध्यापकों एवं विद्यार्थियों का अभिनन्दन

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जन विकास शिक्षा समिति ट्रस्ट, चण्डीगढ़ के अध्यापक एवं विद्यार्थी आज सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं । मैं अपनी तथा सारे सदन की ओर से इनका स्वागत करता हूं ।

____

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (पुनरारम्भ)

श्री ईश्वर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आपदा प्राकृतिक थी । यह प्राकृतिक आपदा का विषय है । मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं और शायद आपको तथा सारे हाउस को भी इसका पता हो कि यदि सबसे ज्यादा नुक्सान बाढ़ के पानी से किसी हल्के का हुआ है तो वह मेरे गुहला हल्के का हुआ है । मेरे हल्के के 70 गांव पानी की चपेट में आ गए । वहां पर किश्तियां भी चली और जो हालात खराब थे उसके कारण वहां पर 76 भैंसें मर गई और 2 डैथ्स हो गई । आप मुझे बोलने के लिए एक मिनट का ज्यादा समय दें । इस फ्लड के क्या कारण रहे और इसका क्या समाधान है यह मैं आपको बताना चाहता हूं । यह मेरा प्रश्न नहीं है । प्रश्न तो यही है कि इसका समाधान कैसे होगा ? (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : ईश्वर सिंह जी, आप अपना प्रश्न पूछिये ।

श्री ईश्वर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आप उनको तो बोलने के लिए 2-2 घंटे दे रहे हो और मैं जब अपनी बात कह रहा हूं तो मुझे आप प्रश्न पूछने की बात कह रहे हो । मैं कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा नुक्सान मेरे हल्के में हुआ है । अत: जिसको ज्यादा पीड़ा है वह ज्यादा हाय-तौबा करेगा । आपने तो रट लगा दी कि प्रश्न पूछ लें । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं विषय से बाहर नहीं जाऊंगा । मैं केवल विषय पर बात करूंगा । हमारे हल्के में सामान्य हालात नहीं रहे थे । जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया था, फसल, पशुधन, जान-माल, मकान का बहुत ज्यादा नुक्सान हुआ । इसकी क्षति-पूर्ति के लिए सरकार द्वारा तुरंत आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए । इसको आपदा कहने से प्रदेश की समस्याओं का निवारण नहीं हो सकता । हरियाणा सरकार का हर साल करोड़ों रूपया घग्गर नदी से हुए नुक्सान की भरपाई पर खर्च होता है । मैं एक बात सदन के सामने लाना चाहता हूं कि जब सरकार को पता है कि हर साल बंध फलां गांव में फलां स्थान से टूटता है तो इसका मतलब है कि सरकार को पर्टिकुलर जगह का पता है । इस बार 11 जगह से बंध टूटे हैं । मेरा प्रश्न है कि उसके लिए सरकार क्या करती है ? सरकार कट्टों में मिट्टी भरकर बंध पर डाल देती है । इससे उसका टैम्पोरेरी इलाज हो जाता है और पानी बंद हो जाता है । पानी का बहाव इतना तेज होता है कि वह उन कट्टों को मिट्टी समेत बहा ले जाता है । जितने भी बंध हैं उनको पत्थर डालकर पक्का किया जाए । कच्चे बंध हर साल टूटते हैं । यह प्रथा चली आ रही है । एक तो मेरा प्रश्न यह था और दूसरा यह है कि घग्गर नदी का का हमारे प्रदेश से जन्म होता है । यहीं से इसकी शुरूआत होती है । मैं बताना चाहता हूं कि घग्गर नदी की बाढ़ का अभी तक तो कोई समाधान नहीं हो पाया है । इस वर्ष घग्गर नदी की बाढ़ ने तबाही मचाई, जान-माल का नुक्सान हुआ

और अनेकों घर पानी की चपेट में आ गए । घग्गर नदी पंचकुला के नजदीक जाजरा नदी से चलती है और फिर इसमें कौशल्या नदी आकर मिलती है तथा फिर डेराबस्सी से होते हुए यह आगे बढ़ती है । (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : ईश्वर सिंह जी, आप प्रश्न तो पूछो । आप भाषण मत दीजिए ।

श्री ईश्वर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आप फिर से वही बात करने लग गए । मैंने एक मिनट का ज्यादा समय ही तो मांगा है । एक मिनट से ज्यादा समय तो नहीं मांगा है । इसके बाद यह नदी पटियाला से होते हुए सिहाली में आती है । वहां ड्रेन भी मिलती है, मारकंडा नदी भी मिलती है । बॉर्डर की जितनी भी नदियां हैं वहां वे सारी इकट्ठी हो जाती हैं । जब सरकार को पता है कि वहां पर ये आकर इकट्ठी होकर एक झील का रूप धारण कर लेती है तो इसका समाधान का तरीका यही है कि या तो सरकार वहां पर बहुत बड़ी झील बनाए ताकि उसमें पानी इकट्ठा हो जाए या फिर घग्गर नदी की खुदाई करके उसकी गहराई बढ़ा दे । मैं बताना चाहूंगा कि वहां पर जो 70 भैंसे मरी हैं, वे कैसे मरी हैं? घग्घर नदी के नीचे से हांसी–बुटाना नहर निकल गयी और इस हांसी–बुटाना नहर में जितना साईफन था वह कन्जैस्टिड है।

श्री उपाध्यक्ष: ईश्वर सिंह जी, आपकी बात पूरी हो चुकी है। प्लीज, अब आप बैठ जाएं। अब माननीय सदस्य श्री जगदीश नायर जी अपनी बात रखेंगे।

श्री ईश्वर सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में ही अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: ईश्वर सिंह जी, आप अपना प्रश्न पूछें।

श्री ईश्वर सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि वहां पर जो साईफन है वह कन्जैस्टिड है जिसके कारण पानी को रोक देता है। जब पीछे से पानी का बहाव तेज हो जाता है तो घग्घर नदी टूट जाती है। यह साईफन बनने के बाद जितना नुकसान हुआ है उससे पहले इतना नुकसान कभी नहीं हुआ था। मेरा कहना यह है कि या तो उस साईफन को तोड़कर दोबारा बनाया जाए या उसमें से 3-3 पिलर्ज निकाल दिए जाएं। इसको जिस भी इंजीनियर/आर्किटेक्ट ने बनाया है वह ठीक नहीं बनाया है। वहीं से इसकी शुरूआत हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यही बात नोटिस में लाना चाहता हूं कि क्या इस काम को करने के लिए सरकार तैयार भी है या नहीं है?

श्री राम कुमार गौतम: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य चोट खाये हुए हैं। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष: अब श्री लक्ष्मण नापा जी अपनी बात रखेंगे।

श्री लक्ष्मण नापा: उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य श्री ईश्वर सिंह जी ने अपनी बात में कहा है कि इस बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान उनके हल्के में हुआ है।

श्रीमती गीता भुक्कल: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अपनी बात रख रहे हैं। यह मजाक का विषय नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: गीता जी, इसमें किसी भी माननीय सदस्य ने मजाक की बात नहीं की है। अब श्री लक्ष्मण नापा जी अपनी बात रखें।

श्री ईश्वर सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, आप पूरा ध्यान इसी तरफ देते हैं। मैंने सब्जैक्ट से बाहर कोई बात नहीं रखी है। फिर भी आपने उसी बात को बार-बार कहा है।

श्री उपाध्यक्ष: ईश्वर सिंह जी, आप सुझाव दे रहे थे। मैंने आपको यही कहा था कि आप अपना प्रश्न पूछें।

श्री ईश्वर सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई तरीका नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: ईश्वर सिंह जी, आपने अपना प्रश्न पूछ लिया है। प्लीज, अब आप बैठ जाएं।

श्रीमती गीता भुक्कल: उपाध्यक्ष महोदय, श्री ईश्वर सिंह जी बहुत ही सीनियर दलित माननीय विधायक हैं।

श्री लक्ष्मण नापा: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मेरे जिले में टोहाना, रतिया और फतेहाबाद के कुछ गांवों में काफी नुकसान हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में दो तरफ से पानी की मार पड़ी है क्योंकि एक तरफ तो घग्घर नदी है और दूसरी तरफ से रंगोई नाला गुजरता है जोकि चिमो, बुर्जा, अयाल्की आदि गांवों से होकर गुजरता है। इस बाढ़ के पानी से मेरे हल्के के 70 गांव प्रभावित हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सिर्फ एक ही क्वैश्चन पूछना चाहूंगा। सरकार की योजना भी है कि उन तटबंधों को पक्का किया जाए। अबकी बार बाढ़ के कारण बहुत सी सड़कें और नहरें तोड़नी पड़ी हैं, इसलिए ऐसी नौबत दोबारा से न आए उसके लिए अभी से कोई प्लानिंग करके उनको बनाया जाए। अभी हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि

इनके लिए 125 करोड़ रूपये मंजूर हुए हैं और टैंडर लगना है। अभी बाढ़ के कारण रतिया- फतेहाबाद रोड को 3 जगहों से तोड़ना पड़ा है, इसलिए वहां पर कोई पुलिया/ड्रेन वगैरह बनाकर पानी की निकासी का प्रबन्ध किया जाए। इसके अतिरिक्त रंगोई नाला काफी कन्जैस्टिड है, इसलिए इसको और चौड़ा करने के लिए खुदाई की जाए। इस बाढ़ के पानी के कारण हमारे कुछ गरीब लोगों के घरों का नुकसान हुआ है लेकिन उनके पास उनकी रजिस्ट्री नहीं है। चूंकि वे मौके पर 50-60 साल पहले ही आकर बसे हैं। हमारे ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर आवेदन करने के लिए रजिस्ट्री होने की भी एक शर्त लगायी हुई है। मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको भी ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर आवेदन करने का मौका दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: लक्ष्मण जी, आपकी बात पूरी हो चुकी है। प्लीज, अब आप बैठ जाएं।

श्री लक्ष्मण नापा: उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि इस बाढ़ के पानी से सबमर्सिबल ट्यूबवैल्ज का बहुत नुकसान हुआ है। इसमें एक-एक किसान का 5-5 लाख रूपये का नुकसान हुआ है। मेरा आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कहना है कि इसके लिए भी संबंधित किसानों को मुआवजा दिया जाए। धन्यवाद।

श्री शीशपाल सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अपनी बात रखने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। इस विषय के संबंध में लगभग तमाम बातें कही जा चुकी हैं। मैं इस संबंध में एक सवाल जरूर जोड़ना चाहूंगा कि जब यह बाढ़ आयी तो पानी के कारण बहुत से बिजली के कनैक्शंज वाले ट्यूबवैल्ज नीचे धंस चुके हैं जिसके कारण वे काम नहीं कर रहे हैं। अगर कहीं पर सूखा है तो वहां पर भी बहुत से बिजली के कनैक्शंज वाले ट्यूबवैल्ज काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए किसान संबंधित बिजली के कनैक्शंज वाले ट्यूबवैल्ज को 100 मीटर के दायरे में दूसरी जगह पर शिफ्ट करना चाहते हैं। लेकिन दुविधा यह है कि इसके लिए बहुत लम्बा प्रोसैस है। इसके लिए पहले परमीशन लेनी पड़ेगी और उसकी लम्बी प्रक्रिया है। चूंकि किसानों को पहले से ही बहुत लॉस हो

चुका है। इसलिए हम चाहते हैं कि इसके लिए सरकार कोई प्रावधान करे कि जिन बाढ़ वाले क्षेत्रों में कनैक्शंज वाले ट्यूबवैल्ज खराब हुए हैं उन क्षेत्रों में किसानों को 100 मीटर के दायरे में तुरंत कनैक्शंज वाले ट्यूबैल्ज स्थानांतरित करने के लिए मंजूरी मिले। क्या इस प्रकार का कोई प्रावधान है या नहीं है? जो बांध टूटा है मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा कि वह मुख्य धारा का बांध अलग है और उसके बाहर जो बांध बना हुआ है वह सरकारी बांध है । सिरसा जिले के अंदर बाढ़ के कारण ज्यादातर मुख्य धारा के ही बांध टूटे हैं । वहां के किसानों ने कुछेक बांध तो अपने आप बांधे लिये थे । क्या सरकार अपनी तरफ से जो मुख्य धारा के बांध टूटे हुए हैं, उनको बंधवाने के लिए क्या कार्य कर रही है और उन बांधों को कब तक बांध दिया जायेगा ?

श्री शमशेर सिंह गोगी :उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने काफी सारी बातें कह दी हैं लेकिन कुछेक बातें तो शोर शराबे में ही चली गई हैं । फ्लड की चिंता बहुत ही कम माननीय सदस्यों को है । मेरा एक सवाल है जो अभी तक किसी माननीय सदस्य ने नहीं पूछा है । उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा यह कहना है कि नदी नालों की सफाई के लिए कितना पैसा लगा और कितना पैसा नहीं लगा, वह पैसा किस-किस की जेब में गया क्योंकि इन नदी नालों की सफाई तो हर साल की ही जाती है ? मेरे हल्के में 100 एकड़ भूमि में खड़ी फसल खराब हुई है । उपाध्यक्ष महोदय, किसानों की अपने खेतों में दोबारा जीरी बोने के बाद भी खराब हुई है लेकिन वहां पर जो ड्रेन थी उसकी खुदाई नहीं हुई तो मैंने विभाग के बड़े ऑफिसर को फोन किया और मैंने उनको कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए कि इस ड्रेन की खुदाई किसने की? उन्होंने उसने कहा कि आप पहले फ्लड वालों से निपट ले इसके बारे में बाद में बात करेंगे । उपाध्यक्ष महोदय, इसका मतलब तो यही बनता है कि इसमें गड़बड़ तो हुई है । सरकार ने चीफ इंजीनियर को सस्पैंड किया और बहुत सारे अधिकारियों/कर्मचारियों को भी सस्पैंड किया है । मेरी आपके माध्यम से रिक्वैस्ट है कि इस मामले में जांच आयोग बैठाया जाये कि जो पिछले कई सालों से माल खा रहे हैं इसमें कौन-कौन लोग शामिल हैं ? हर साल सफाई के नाम पर पैसा खाया जा रहा है लेकिन वहां पर सफाई के नाम पर कुछ नहीं होता है । ठेकेदार किस-किस को पैसा देता है मेरा तो इसमें यही कहना है कि मुख्यमंत्री से लेकर चपरासी तक सभी लोगों की जांच होनी चाहिए । इसमें कौन-कौन हिस्सेदार हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए ? अगर हिम्मत है तो इसकी जांच करवाकर देख लो वरना इसकी वजह से बेचारे लोग तो मर ही रहे हैं, जानवर भी मर रहे हैं । उपाध्यक्ष महोदय, इन

कामों के लिए पोर्टल खुलता नहीं है सिर्फ बेईमानी के लिए पोर्टल का नाम ले लिया जाता है । पहले भी सीधी गिरदावरी होती थी इसलिए अगर सरकार आज भी सीधी गिरदावरी करना चाहे तो करवा सकती है । मेरा यही कहना है कि सरकार की नीति और नियत ठीक होनी चाहिए । धन्यवाद ।

श्री इन्दु राज : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य श्री शमशेर सिंह गोगी जी ने कहा कि सरकार की नियत और नीति ठीक हो तो मेरा इसमें सबसे पहले यही कहना है कि किसानों का इस पोर्टल से पीछा छुड़वाने का काम किया जाये । मेरा इसमें यह कहना है कि वह बेचारा किसान पहले पोर्टल को संभालेगा या अपने खेत को संभालेगा इसलिए किसानों की फसलों की स्पैशल गिरदावरी करवाई जाये और बाढ़ के कारण जिन किसानों की फसलें खराब हुई हैं उसका उनको मुआवजा मिलना चाहिए । उपाध्यक्ष महोदय, आपने भी देखा होगा कि पिछले दिनों हरियाणा प्रदेश के सभी जिलों में बाढ़ आई थी। जहां तक पशुओं के चारे की बात है तो उस बाढ़ के कारण पशुओं का चारा भी बहुत ज्यादा मात्रा में खराब हुआ था इसलिए सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए । अगर मैं अपने हल्के की बात करूं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इन्दुराज जी, इस समय आप अपने हल्के की बात नहीं कर सकते हो ।

श्री इन्दु राज : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रश्न ही पूछ रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : इन्दु राज जी, ठीक है आप अपना प्रश्न पूछ सकते हो ।

श्री इन्दु राज : उपाध्यक्ष महोदय,जो छोटे दुकानदार और कारोबारी हैं इस बाढ़ के कारण उनका भी बहुत नुकसान हुआ है इसलिए उनको भी जल्दी से जल्दी राहत देने का काम किया जाये । मेरे हल्के में करीबन 33 गांवों में आज भी बहुत सारा जलभराव है । कई गांवों में तो 4 से 5 फीट तक पानी खड़ा हुआ है । सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है । कभी पम्प नहीं मिलते हैं तो कभी मोटर नहीं मिलती है । उपाध्यक्ष महोदय, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी 8 नम्बर ड्रेन है उसकी स्पैशल सफाई करवाई जाये ।

श्री जयवीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसमें इतना ही कहना चाहता हूं कि बरसात तो प्रकृति के कारण होती है लेकिन सरकार इससे निपटने के लिए क्या तैयारी कर रही है, सरकार को इस बात को स्पष्ट करना चाहिए ? जहां तक ड्रेन नम्बर 8 की बात है तो इसके कारण कई गांवों में भारी नुकसान हुआ है । मैं जब से विधायक चुना गया हूं मैंने तो वहां पर सफाई होते कभी नहीं देखी है । उस ड्रेन की ओवरफ्लो की वजह से खरखौदा के नकलोई, बिधलाण, फरमाना, माजरा, सिलाना और गोरड़ गांवों में फसलों का भारी नुकसान हुआ है । जिसमें कुछ नुकसान तो बारिश के कारण और कुछ ड्रेन ऑवर फ्लो हो जाने के कारण हुआ है। इसके साथ ही किलोई हल्के के ड्रेन नम्बर 8 से लगते

हुए गांव जसराणा तथा बखैता में भी भारी नुकसान हुआ है। (शोर एवं व्यवधान) आप तो सरकार में मंत्री हैं। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो इसकी इंक्वायरी करवा लीजिए। मैं तो इसमें चाहता हूं कि कोई इंक्वायरी हो। सरकार की कमी के कारण नुकसान क्यों होता है? जो नुकसान हुआ है सरकार उसकी भरपाई का काम तुरंत करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: अब माननीय सदस्या श्री रेणु जी अपनी बात रखेंगी।

श्रीमती रेणु बाला: उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले दिनों हुई भारी वर्षा के कारण पूरे हरियाणा प्रदेश में बाढ़ की स्थिति बन गई थी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहती हूं कि सरकार बाढ़ की रोकथाम के लिए क्या और कितनी जल्दी कदम उठा रही है? उपाध्यक्ष महोदय, अगर मैं अपने हल्के सढ़ौरा की बात करूं तो यहां बहुत से छोटे-बड़े नदी नाले हैं जिनके ओवरफ्लो हो जाने के कारण किनारे टूट गए। इसके कारण सढ़ौरा हल्के तथा सढ़ौरा हल्के के शहर में लोगों के घरों में बहुत ज्यादा पानी घुस गया। इस पानी के कारण किसानों की हजारों एकड़ भूमि बर्बाद हो चुकी है तथा किसानों की भूमि में दलदल चढ़ने के कारण फसल भी खराब हो चुकी है। उपाध्यक्ष महोदय, इस बारिश के पानी की वजह से सढ़ौरा हल्के के गरीब लोगों के घरों में पानी भर चुका है तथा उनकी छत गिर चुकी हैं और इनके लिए खाने का राशन भी उपलब्ध नहीं हो सका। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यही अनुरोध करना चाहती हूं कि मेरे सढ़ौरा हल्के के कई गांवों में बारिश के पानी की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। पिंजोरा, पिंजोरी, सुखदासपुर, बसांतियावाला, गधोला, रड़े का माजरा, भम्भौल का माजरा, स्यालबा, हैबतपुर, लल्हाड़ी, लाहड़पुर, कान्दहड़ी खुर्द ऐसे 50-60 गांव हैं जिनमें बारिश के पानी की वजह से हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष: रेणु जी, आपका समय हो चुका है। इसलिए आप बैठ जाएं। अब माननीय सदस्या श्रीमती गीता भुक्कल जी अपना बात रखेंगी।

श्रीमती रेणु बाला: उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक मिनट का समय और दिया जाए जिससे मैं अपना प्रश्न पूछ सकूं।

श्री उपाध्यक्ष: रेणु जी, आपको प्रश्न ही पूछना था। वह तो आपने बता दिया है।

श्रीमती रेणु बाला: उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरा प्रश्न तो सुनिए।

श्री उपाध्यक्ष: रेणु जी, क्या अभी आपका प्रश्न बाकी रह गया है ?

श्रीमती रेणु बाला: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न अभी बाकी है। मैंने अभी जो कहा वह तो मेरे हल्के की समस्या के बारे में बताया है।

श्री उपाध्यक्ष: रेणु जी, आपको अपने हल्के की समस्या नहीं बतानी थी, आपको प्रश्न पूछना था।

श्रीमती रेणु बाला: उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रश्न अभी बताती हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहूंगी कि मेरे हल्के सढ़ौरा क्षेत्र में जो सभी छोटे-बड़े नदी नाले चाहे इनमें चेतंग नदी हो, नकटी नदी ही अथवा सोहंग नदी हो, इनकी खुदाई करके इनके किनारो को कब तक पक्का कर दिया जाएगा ताकि आने वाले समय में लोगों के घरों में बारिश का पानी नहीं भरे और बारिश की वजह से लोगों को नुकसान न हो? उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो सरकार कहती है कि हम जितने भी छोटे-बड़े नदी नाले या ड्रेनेज हैं उनकी सफाई के लिए फंड रिलीज करते हैं। जब सरकार को पता है कि बारिश का मौसम आएगा तो बारिश के मौसम से पहले ही इन नदी-नालों की सफाई क्यों नहीं करवाई जाती? उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगी कि मेरे हल्के में जितने भी नाली/गढ़डे हैं उनकी सफाई करवाकर उनको मजबूती दी जाए और उनके किनारों को पक्का करवाया जाए। धन्यवाद।

श्रीमती गीता भुक्कल: धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय, बेमौसमी बारिश की वजह से यह जो प्राकृतिक आपदा आई इससे जान-माल, फसलों तथा पशुओं का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इसके साथ में जब पोर्टल की सरकार ने क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाये तो इससे दिक्कत और ज्यादा हो रही है। अगर मैं झज्जर विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो ये पोर्टल दो या तीन दिन खुले लेकिन ये चले नहीं। हमारे झज्जर में केवल 60 प्रतिशत किसानों ने 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा' के तहत रजिस्टर्ड करवाया। इसमें से मात्र 30 प्रतिशत किसान ऐसे हैं जो कि क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा पाए और इनमें से भी कुछ लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, मैं वैसे भी कहना चाहूंगी कि जहां पर हम कांग्रेस के विधायक हैं वहां पर भेदभाव हो रहा है। जब इस तरह की आपदा आती है तो मैं बताना चाहती हूं कि मेरे विधानसभा के साथ जो एडज्वायनिंग एरिया हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी कि किन-किन हल्कों में मुआवजा बंटा है। इनमें मंत्री जी का हल्का भी है तथा दूसरे हल्के भी हैं इन सभी में मुआवजा बंटा है लेकिन हमारे यहां पर 60 से 75 प्रतिशत तक फसल का खराबा दिखाया गया, पर जब इसे पटवारी के द्वारा चढ़ाया गया तो उसको 25 प्रतिशत से कम दिखा दिया गया। इस तरह से हमारे क्षेत्र के साथ बहुत अन्याय हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारा क्षेत्र तो वैसे ही लो लाईंग एरिया है जिसमें थोड़ी सी बारिश के कारण ही जलभराव हो जाता है। वहां पर ड्रेनों की सफाई नहीं है। भिंडावास की लेक की सीपेज की वजह से वहां पर दिक्कत है । एन.टी.पी.सी. के जो वॉटर वर्क्स बने हुए हैं उनकी टेबल की वजह से वहां पर बहुत ज्यादा दिक्कत है। सबसे बड़ी दिक्कत यह आयी है कि हमारे यहां पर खेतों में पानी भरा, खेतों के साथ-साथ गांवों में पानी भर गया और तालाब ओवरफ्लो हो गये उसकी वजह से पूरे के पूरे गांव ही जलमग्न हो गये, फसलें बर्बाद हो गई। न तो पिछली फसल की बुआई हुई और न ही इस बार फसल की बुआई हो सकी। न पिछली फसल का मुआवजा मिला और न ही इस

बार की जो फसल खराब हुई है उसका कोई भी रजिस्ट्रेशन हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, हमारा जो यह कलस्टर है इसमें हमारे एग्रीकल्चर सैक्टर की जो इंश्योरैंस कम्पनी है वह हमारे यहां पर एम्पैनल्ड नहीं है। विशेष तौर से मेवात, झज्जर, चरखी दादरी, पानीपत, पलवल, भिवानी, यमुना नगर और फतेहाबाद इत्यादि जिलों में ऐसी कोई कम्पनी ही नहीं है जो फसल बीमा योजना के तहत एम्पैनल्ड हो। जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है मैं समझती हूं कि यह तो बीमा कम्पनियों को लाभ देने के लिए है। किसानों के फायदे की अगर कहीं बात आती है तो पोर्टल पर पोर्टल दोबारा से बना दिये जाते हैं। (विघ्न)

उप मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : उपाध्यक्ष जी, जो विधायका जी कह रही हैं क्या यह आज के कालिंग अटैंशन मोशन के सब्जैक्ट से रिलेट करता है? क्या पिछले साल का मुआवजा इस साल के फ्लड से रिलेट करता है?

श्री उपाध्यक्ष : गीता जी, आप प्रश्न पूछिए।

श्रीमती गीता भुक्कल : उपाध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न यह है कि आप इस बात की जांच करवायें कि झज्जर के अंदर क्षतिपूर्ति पोर्टल कितने दिन चला और जल भराव की वजह से डेंगू की बीमारी से और बिजली की चपेट में आने जिन लोगों की डैथ हुई है क्या सरकार ने उसका संज्ञान लिया या नहीं? मेरे विधान सभा क्षेत्र झज्जर के साथ भेदभाव क्यों किया गया? मेरा यह प्रश्न है।

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष जी, जुलाई, 2023 में हुई भारी बारिश के कारण आई जबरदस्त बाढ़ की वजह से मेरे हल्के में भी बड़ी भारी तबाही हुई है। हमारे इलाके के अंदर बहुत ज्यादा वॉटर लॉगिंग हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : किरण जी, तोशाम हल्का मेरे हल्के के बिलकुल साथ लगता है। वहां तो पानी के अभाव में फसल सूखने लग रही है।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल) : उपाध्यक्ष जी, वहां के किसान अपनी फसल की सिंचाई के लिए पानी मांग रहे हैं और माननीय सदस्या कह रही हैं कि वहां पर वॉटर लॉगिंग हो रही है।

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष जी, मेरे हल्के में वॉटर लॉगिंग बहुत जबरदस्त तरीके से हो रही है। अगर आपको विश्वास न हो तो आप मेरे साथ चलकर देख लें। मेरे हल्क के बापोड़ा, मीरान, धीरन, दांग, सांगवान, भेरा, ईसरवाल, संड़वा, मालवास इत्यादि गांवों में बहुत ज्यादा बारिश के कारण बहुत जबरदस्त वॉटर लॉगिंग हुई है। यह इस बार ही नहीं हुआ है अपितु ऐसा हमेशा होता है। इस बार तो और भी बुरा हाल हुआ है। उपाध्यक्ष जी, अगर मंत्री जी को पूरी जानकारी नहीं हो तो इनको कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मेरा हल्का है और मुझे अपने हल्के के बारे में अच्छी तरह से एक-एक चीज मालूम है। मैं यह पूछना चाहती हूं कि मंत्री ने एक बात कही थी कि फसल बीमा योजना स्वैच्छिक है। उपाध्यक्ष महोदय, यह सबसे बड़ा झूठ है। इसमें स्वेच्छा जैसा कुछ नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : किरण जी, आप प्रश्न पूछ लें। फसल बीमा योजना अलग विषय है। यह कालिंग अटैंशन मोशन बाढ़ के विषय के बारे में है इसलिए आप बाढ़ के बारे में प्रश्न पूछें।

श्री जय प्रकाश दलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दोबारा से कहता हूं कि अगर कोई भी किसान चाहता है तभी उसकी फसल का बीमा होता है। अगर कोई किसान इसमें पार्टीसिपेट नहीं करना चाहता तो न करें, उसको पार्टीसिपेट करने के लिए कोई भी बाध्य नहीं करेगा।

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष जी, आप यह बतायें कि सदन के पटल पर अगर कोई गलत बात कहता है तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी?

श्री जय प्रकाश दलाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह फैसला किया जाये कि सदन के अंदर झूठ कौन बोल रहा है? अगर फसल बीमा योजना स्वैच्छा से न हो तो फैसला किया जाये कि हम दोनों में से झूठ कौन बोल रहा है? इसके लिए हाऊस की एक कमेटी बनाई जाये जो इस बात की जांच करे कि झूठ कौन बोल रहा है? जिसकी बात को झूठ पाया जाये उसको हाऊस की सदस्यता छोड़ देनी चाहिए।

श्रीमती किरण चौधरी: उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में हजारों की संख्या में यहां पर एफिडेविट ला कर रख दूंगी, जहां पर स्वेच्छा से नहीं बल्कि जबरदस्ती बिना किसान की अनुमति के के.सी.सी. यानी किसान क्रेडिट कार्ड से फसल बीमा योजना का प्रीमियम काटा जाता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: किरण जी, यह बहुत पुरानी बात हो गई है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाश दलाल: उपाध्यक्ष महोदय, इस बात का फैसला किया जाये कि यह स्वैच्छिक है, ऑप्शनल है या कम्पलसरी है। हर बार हाउस में इस बात की चर्चा होती है। मैं कहना चाहता हूं कि जिसकी बात गलत निकले वह हाउस का सदस्य न रहे। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी: उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ सदन के पटल पर यह बात कह रही हूं कि फसल बीमा योजना स्वैच्छिक नहीं है बल्कि जबरदस्ती किसानों के खाते से इसके प्रीमियम का पैसा काटा जाता है। मैं सदन को गुमराह नहीं कर रही हूं बल्कि मंत्री जी गुमराह कर रहे हैं और ये हमेशा ही हाउस को गुमराह करते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाश दलाल: अगर मैं गलत हूंगा तो मैं हाउस का मैम्बर नहीं रहूंगा और अगर ये गलत हैं तो इनको यहां से हटाओ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: किरण जी, बात तो यह है कि यह स्वेच्छा से है या अनिवार्य है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी: उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी जो भी बोल रहे हैं वह सदन को गुमराह करने वाली बात बोल रहे हैं। मंत्री जी मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं?(शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: किरण जी, आप जो बात कह रही हैं और अगर वह सही नहीं है तो मंत्री जी उस पर अपनी टिप्पणी तो देंगे। मंत्री जी ने यह कहा है कि जो फसल बीमा योजना है वह स्वेच्छा से है।

श्रीमती किरण चौधरी: उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि फसल बीमा योजना स्वेच्छा से केवल कागजों में दिखाई गई है। जो किसान अपनी फसल का बीमा नहीं करवाना चाहते जबरदस्ती उनके किसान क्रेडिट कार्ड से फसल बीमा योजना का प्रीमियम काट लिया जाता है और सच्चाई यही है। उनके अकाउंट से बिना बताए पैसा काट लिया जाता है। (शोर एवं व्यवधान)

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है कि यह बिल्कुल ही वॉलंटियरली है। वॉलंटियरली भी यह उनके लिए है जो लोनी नहीं हैं। जो लोनी किसान हैं उनका बैंक में जो 2 प्रतिशत या 5 प्रतिशत शेयर है वह काटते हैं और वह इसलिए काटते हैं (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाश दलाल: उपाध्यक्ष महोदय, अगर किसान बैंक में लिख कर दे दे कि मुझे अपनी फसल का बीमा नहीं करवाना है तो बैंक उसका पैसा नहीं काटता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल: उपाध्यक्ष महोदय, इसका मतलब तो यह वॉलंटियरली हो गया लेकिन किसान ने जो लोन लिया हुआ है और अगर किसान अपनी फसल का बीमा करवाता है तो फसल के मुआवजे का कम्पनी की तरफ से जो पैसा आयेगा वह बैंक में आयेगा। फसली बीमा इसलिए होता है कि फसल बेच कर उस लोन को वापिस करेंगे और फसल हुई नहीं तथा फसल का खराबा हो गया। उस खराबे का मिला कम्पनसेशन और कम्पनसेशन अगर बैंक में जायेगा तो किसान को जो फसल के नाते से पैसा देना था वह पैसा बैंक कम्पनसेशन से ही लेगा। इसलिए बैंक वाले लिखवा कर ले लेते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने फसल बीमा योजना को लोन रिकवरी स्कीम बना दिया है। (शोर एवं व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री(श्री कंवर पाल) : उपाध्यक्ष महोदय, आजकल हर चीज का बीमा होने लग गया है। यहां तक कि कोई मेले में भी जाता है तो उसका भी बीमा होता है। एक सबसे बड़े वर्ग को विपक्ष मिसगाइड करके कह रहा है कि बीमा मत करवाओ, बीमा गलत है। दुनिया में हर चीज का बीमा हो रहा है। सर्च लाइट मंगवाते हैं उसका भी बीमा होता है, हवाई जहाज का भी बीमा होता है और यहां तक कि अगर हम मेले में जाते हैं तो उसका भी बीमा होता है और कांग्रेस पार्टी एक सबसे बड़े वर्ग को मिसगाइड करती घूम रही है और कह रही है कि बीमा मत करवाओ, बीमा गलत है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी गलत बात कह रहे हैं। ठीक है, इंश्योरेंस होना चाहिए लेकिन जो इंश्योरेंस कम्पनी हैं वे प्राइवेट हैं और लोन रिकवरी की स्कीम लगा कर उनको ही आमदनी होती है। अगर आपको फसल बीमा करना है तो आप नैशनलाइज्ड कम्पनी से कीजिए, नैशनलाइज्ड बैंको से कीजिए। जैसे एल.आई.सी. है चाहे तो आप उसमें रोटेटिंग फंड रखो या हैफेड के जिम्मे लगाओ। आप किसी भी ऐजेन्सी के जिम्मे लगाओ जो सरकारी हो। यह तो आपने प्राइवेट कम्पनियों को दे रखा है। बैंक रिकवरी स्कीम में पैसा काटते हैं।

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, अब तो स्पष्ट हो गया है । नेता प्रतिपक्ष ने स्पष्ट कर दिया है । सदन को कभी गुमराह नहीं करना चाहिए । अगर खुद मंत्री सदन को गुमराह करते हैं तो और भी बुरी बात है ।

श्री उपाध्यक्ष : किरण जी, आप अपना बाढ़ से रिलेटिड प्रश्न पूछिये ।

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बाढ़ से रिलेटिड प्रश्न ही पूछूंगी ।

श्री जय प्रकाश दलाल : उपाध्यक्ष महोदय, अगर इनका प्रश्न स्वेच्छिक है अर्थात जरूरी नहीं है तो मैं जवाब नहीं दूंगा ।

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, ये देखिये, मंत्री जी को मालूम ही नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : किरण जी, आप प्रश्न पूछिये ।

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने उन कम्पनियों के बारे में बोला है और कहा है कि प्रिमियम चार्ज लिया जाता है जबकि ये कम्पनियां निर्धारित ही नहीं की गई हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : किरण जी, आप प्रश्न नहीं पूछ रही हैं इसलिए आप बैठ जाइये ।

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, ये क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रश्न ही नहीं पूछ रही हैं ।

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, आप सभी को बोलने के लिए इतना-इतना समय दे देते हैं लेकिन मुझे बोलने ही नहीं दिया जा रहा है । ये क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : किरण जी, आप या तो प्रश्न पूछिये या फिर बैठ जाइये । कालिंग अटैंशन पर डिस्कश करने का एक टाईम होता है। इसको और कितनी देर चलाना है ?

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न ही पूछ रही हूं । I am only asking question. I am not saying anything else. You are being biased, this is not right. उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह सच्ची बात नहीं है कि जो ये बीमा कम्पनियां है उनको निर्धारित भी नहीं किया गया है उसके बावजूद भी किसानों का प्रिमियम काटा गया है ? सरकार इसका जवाब दें । दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहती हूं कि इतने सारे सदस्यों ने ड्रेन्ज के बारे में कहा है कि इनकी सात-आठ सालों से सफाई नही हो रही है । जो ये इतने सालों से डैमेज हो रही थी, उसके लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेवार थे और किस-किस पर क्या कार्यवाही की गई है ? वह हमें बताएं । इसके अलावा बाढ़ के कारण जो हमारे हल्के में 30-40 घर तहस-नहस हो गये हैं जिनके बारे में खुद मंत्री जी ने भी माना है उन घर वालों को सरकार की तरफ से कितना कम्पनसेशन दिया जा रहा है और जिनकी पूरी फसल नष्ट हो गई है उन किसानों को कितना कम्पनसेशन दिया जा रहा है ? हमारे मनरेगा और जो लेबरर्ज हैं, जो गरीब आदमी हैं जिनका बाढ़ के कारण सब कुछ खत्म हो गया है, उनको सरकार की तरफ से कितना कम्पनसेशन दिया जा रहा है ? मेरे इन सारे प्रश्नों के उत्तर दिये जाएं । मैं आज दोबारा से एक बात सदन के अन्दर कहती हूं कि जो भी सदन को इस तरह से गुमराह करता है वह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है । अगर मंत्री ही सदन को इस तरह से गुमराह करते हैं तो इससे ज्यादा और दुर्भाग्य नहीं हो सकता ।

श्री नीरज शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, पहली बात तो यह है कि हमारे प्रश्न का जवाब नहीं मिला है1 मैंने पर्टिकूलर इलाके और बाढ़ को लेकर प्रश्न लगाया था । अगर जवाब मिलता तो हम उसकी सप्लीमैंट्री भी पूछ लेते । जब हमें जवाब ही नहीं मिला तो हम सप्लीमैंट्री कैसे पूछें ?

श्री उपाध्यक्ष : नीरज जी, आप अपना प्रश्न पूछिये ।

श्री नीरज शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ढ़ाई मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा लेकिन आप मुझे बीच में मत टोकना । मेरा तो सिर्फ यह कहना था कि हमारे फरीदाबाद के अन्दर भी बाढ़ आई है । वहां जो कच्ची कॉलोनियां बसी हुई हैं वे पिछले आठ-दस साल में तो चोरी छिपे नहीं बसी हैं । ऐसे ही इश्तहार दे

देते हैं । उस डूब के क्षेत्र में सरेआम कच्ची कॉलोनियां काटी गई हैं । पिछले 10 साल में शासन-प्रशासन ने ऐसे भू-माफियों पर क्या कार्यवाही की है ? घटना होने से कोई नहीं रोक सकता । कम से कम आगे तो लोग बर्बाद न हों । आज भी हम अमृत काल में चल रहे हैं । डूब के क्षेत्र के अन्दर जो कच्ची कॉलोनी होती हैं उनमें लोग दो लाख रूपये में मकान ले लेते हैं । अब उनकी स्थिति यह है कि वे बेचारे क्षतिपूर्ति पोर्टल पर भी नहीं जा सकते । वे पांच-पांच, छः-छः दिन कैसे शौचालय गये हैं वह सभी को पता है ? अगर मदद का यह फोटोग्राफी सैशन ना हो तो उनका कोई हाल भी नहीं पूछे ? आज भी उनको मदद के नाम पर क्या मिल रहा है एक ब्रैड का पैकेट, एक बिसलरी की पानी की बोतल, चार पूरी और सब्जी । साहब, उनका पूरा मकान बाढ़ में चला गया है । आप उन भू-माफियों पर कार्यवाही कीजिए जिन्होंने डूब के क्षेत्र में कच्ची कॉलोनियां काट दी । आप उनसे उन गरीब आदमियों के पैसे वापिस दिलवाइये जिन्होंने वहां पर मकान लिए हैं । आज भी वे आदमी जिन्दा हैं, उन्होंने गरीब लोगों को धोखा क्यों दिया ? आप उनको कहें कि उन गरीब लोगों को खोड़ी जमालपुर की तरह तबाह ना करो । जो प्राकृतिक आपदा है वह तो आएगी । जैसे प्रभु की कृपा है वह आएगी, उसको हम कुछ नहीं कह रहे हैं लेकिन फरीदाबाद जैसे शहर में बाढ़ क्यों आ रही है ? इल्लीगल माईनिंग पर रोक कौन लगाएगा, उस माईनिंग ट्रांसपोर्टेशन पर रोक कौन लगाएगा ? हम इन सबका जवाब उप मुख्यमंत्री जी से मांग रहे है । आप माईनिंग और ट्रांसपोर्टेशन की भी तो जवाबदेही तय कीजिए । सरकार में कोई ऐसा सिस्टम हो ताकि इल्लीगल माईनिंग हर कीमत में रूके । अन्त में सिर्फ 30 सैकेंड में मेरा एक सुझाव है कि हमारे वर्ष 2031 के मास्टर प्लान में तिलपत शूटिंग रेंज के पास यह लिखा हुआ था कि वहां पर एक कृत्रिम झील बनाई जाए जिसमें यमुना नदी का एक्सैस पानी आ जाए । ऐसा होने से बाढ़ से भी बचाव होगा और आस-पास की भूमि भी रिचार्ज होगी । उस मास्टर प्लान को पास हुए कई वर्ष हो गये लेकिन अभी तक उसकी डी.पी.आर. भी नहीं बनाई गई है । हमारी जो गुरूग्राम में नहर है, पता नहीं क्या सिस्टम है लेकिन बाढ़ के समय उसका पानी रोक देते हैं । किसान तो कह रहे हैं कि हमें पानी दे दो जहां खेती होनी है वहां बाढ़ आ रही है । हमारे पास ऐसा भी सिस्टम होना चाहिए कि जहां बाढ़ आ रही है -उसका पानी जरूरत के मुताबिक सिंचाई के लिये दूसरे एरिया में जाये । इससे हम प्राकृतिक आपदा से भी बच जायेंगे और वह पानी भी यूज हो जायेगा । उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी अनुमति से अवैध भू-माफिया से संबंधित कुछ कागजात विधान सभा के पटल पर रख रहा हूं ।

श्री भव्य विश्नोई: उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मैं जन हितैषी सरकार को आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर कुछ सकारात्क सुझाव देना चाहता था लेकिन मुझे बताया गया है कि ऐसा कोई प्रावधान इस चर्चा में नहीं है । आज जिस प्रकार से माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय पर लगातार आक्रमण हो रहे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए तथा उन पर दयादृष्टि रखते हुए मैं कुछ सवाल नहीं करूंगा । (हंसी) उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री जी मेरे बड़े भाई के समान है । मैं आपकी अनुमति से जो सुझाव मैंने सोचे थे, उन्हें लिखित रूप में विधान सभा के पटल पर रखना चाहूंगा । धन्यवाद ।

श्री हरविन्द्र कल्याण: उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में बाढ़ के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के संबंध में चर्चा हो रही है । उपाध्यक्ष महोदय, 45 वर्ष के बाद ऐसा मंजर देखा गया है जो पहले हम अपने बड़े बुजुर्गों से सुना करते थे । अभी भी गांव के अंदर बुजुर्गों ने बताया कि वर्ष 1975 में ऐसे हालात पैदा हुए थे । यमुना नदी का जलस्तर कई दिनों तक लगातार खतरे के निशान से ऊपर तक चला था क्योंकि मेरी विधान सभा यमुना नदी के तट पर है और हमने यह अनुभव भी किया था । हमारे लगभग 20 दिन बहुत ही कठिन दौर से गुजरे थे । पूरा प्रशासन और स्थानीय ग्रामीणों के साथ मिलकर हमने यमुना बांध के ऊपर रहकर बांध कैसे टूटने से बचे उसकी लगातार निगरानी की थी । इसमें लाखों की संख्या में मिट्टी के कट्टे, हजारों की संख्या में पेड़ और सैंकड़ों की तादाद में बड़े-बड़े पत्थरों को ट्रकों में लाया गया था । पूरा प्रशासन और स्थानीय ग्रामीण लोग दिन-रात यह काम करते रहे थे । उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि उसके बाद एक विषय यह आया था कि विभाग के विशेषज्ञों की एक कमेटी बननी चाहिये । आज मुझे जवाब के अंदर यह पढ़कर अच्छा लगा कि सभी ई.आई.सीज. की संयुक्त अध्यक्षता के अंदर एक कमेटी का गठन प्रस्तावित है । इस समय सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं, इसलिए मैं उनसे अनुरोध भी करना चाहूंगा और सुझाव भी देना चाहूंगा कि उस कमेटी में आई.आई.टी. रूड़की के बाढ़ व नदी विषय के जो विशेषज्ञ हैं उनको सलाहकार के रूप में जरूर शामिल करना चाहिये । जब घरोंडा के अंदर इस प्रकार की समस्या आई थी तो उसका हमारा अनुभव रहा है । जब उस समय हमारे यहां की स्थिति हाथ से निकल रही थी तो आई.आई.टी. रूड़की के प्रोफेसर ई. अहमद को बुलाया गया था जोकि इस विषय के विशेषज्ञ थे । उनके आने से हम लोगों को बहुत लाभ हुआ था । इस प्रकार से आई.आई.टी.रूड़की से बुलाकर उनको कमेटी में सलाहकार के रूप में जरूर जोड़ा जाये, यह मेरा सुझाव व अनुरोध भी है ताकि भविष्य के लिये बाढ़ के बचाव के लिये एक ठोस योजना समय रहते बनाई जा सके । धन्यवाद ।

उप मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री वरूण चौधरी जी ने इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा की शुरूआत की थी । सरकार ने इस संबंध में एक डिटेल्ड रिप्लाई सदन के पटल पर रखी है । उसके बाद बहुत से माननीय सदस्यों ने चेयर के माध्यम से इस संबंध में जवाब भी पूछे हैं । मैं एक-एक करके सभी माननीय सदस्यों के प्रश्नों के जवाब देने के लिये प्रयासरत रहूंगा कि आज ही सदन को सभी प्रश्नों के जवाब दे दूं । मेरे ख्याल से दो-चार प्रश्नों के डाटा बड़े लैंथी हो सकते हैं, उनको हम टेबल भी कर देंगे या फिर दिनांक 28 अगस्त, 2023 तक संबंधित माननीय सदस्यों तक पहुंचा भी देंगे । उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यगण जो फैक्ट्स के बारे में पूछ रहे हैं उनको यह भी समझना चाहिये कि हर चीज एक दिन में सॉल्व नहीं हो सकती । एक माननीय सदस्य ने कहा कि क्षतिपूर्ति पोर्टल और फॉर्म की कंफ्यूजन अंबाला जिले में है । एक क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाया गया था । हम राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (State Disaster Response Funds) को लेकर आगे बढ़े थे । पहले जो इस पोर्टल की डिवैल्पमैंट की गई थी वह सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में एग्रीकल्चर एरिया को कवर करने के लिये ही थी । उसके बाद जरूरत के मुताबिक रैजीडैंशियल एरिया को भी इसमें ऐड किया था । उपाध्यक्ष

महोदय, जब flood like situations आई तो हमने एनीमल हसबैंड्री डिपार्टमैंट से भी बात की कि कहीं किसी के पशु को नुक्सान न हुआ हो । हमने धीरे-धीरे अर्बन एरियाज की प्रॉपर्टीज भी इसमें ऐड की । फिर अर्बन एरियाज में रैजीडैंशियल के साथ-साथ कई इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज की भी डिमांड आई । Short span of time में ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए दोनों मैथ्ड अपनाए गए । रूरल में 100 प्रतिशत क्षति-पूर्ति है और अर्बन के अंदर क्योंकि परपजिज अनेक हैं तो सबको short time में कैटर किया गया । पिछले एक हफ्ते से अर्बन के अंदर भी अगर कोई व्यक्ति घर बैठकर जल्दी डाटा अपलोड करना चाहता है तो वह ई-क्षति-पूर्ति पोर्टल पर अपलोड कर सकता है । इसके लिए आज शाम तक अगले 10 मिनट का समय शेष है । सैनी साहब ने एक्सैसिव वॉटर की बात कही । इसे न तो मैं मना कर रहा हूं, न आप मना कर रहे हैं । यह पहली बार है कि 800-800 परसैंट तक एक्सैसिव रेनफॉल हरियाणा में मॉनीटर किया गया है । 300 परसैंट के नजदीक रेनफॉल जो नॉर्दन इण्डिया के डिस्ट्रिक्ट्स, स्टेट्स में आया वह एक्यूमूलेट होकर यमुना और घग्गर नदी में आया । सिरसा में मेरे जीवनकाल का वर्ष 2010 का वाक्या मुझे याद है, उस समय हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे । तब 24,700 क्यूसिक पानी घग्गर नदी में आया था और रानियां की ओर बांध टूटा था । इससे 16 गांव प्रभावित हुए थे । इस बार उसी ओटू हैड पर हुड्डा साहब भी गए, सेम डे मैं भी गया, सेम डे चौधरी रणजीत सिंह जी भी गये, अभय सिंह चौटाला जी भी गये । 50 हजार क्यूसिक पानी उस समय ओटू हैड के नीचे से गया । यह हमारी तैयारी थी कि एक जगह से भी बांध नहीं टूटा । श्री मेवा सिंह ने कहा कि हमारे एरिया में बांध टूटे । मेरा कहना है कि बांध नहीं टूटे । इस बार बांध के ऊपर से पानी ओवरफ्लो होकर आ गया । उसके बाद बांधों में कटाव आ गया । मैं स्वयं पानीपत गया था । सनौली गांव का जो वाक्या रखा गया है उसके विषय में मैं कहना चाहूंगा कि सनौली में पानी का जहां कटाव आया था वहां पर कंक्रीट का स्लैब था stone pitching भी नहीं थी । वहां पर बहाव इतना ज्यादा था कि लगातार 4 दिन तक 3 लाख क्यूसिक पानी एक फ्लो में यमुना नदी में चला । उसके कारण वहां पर कटाव हो गया । जहां तक हायेस्ट वॉटर लैवल की बात है तो उसके लिए समयानुसार पॉलिसीज बनाई जाती हैं और उसको माइनिंग विभाग टेक अप करता है । इसका डाटा अभी मेरे पास नहीं आया है । मैं चाहूंगा कि उसको भविष्य में सदन में टेबल करूं कि किस ड्रेन में, किस रिवर बैड में कब-कब कितनी माइनिंग हुई है और उससे उसकी कितनी डैप्थ बढ़ाई गई ? इस फ्लड सिचुएशन के बाद यह फैक्ट है कि भारत सरकार ने हरियाणा पंजाब की घग्गर नदी की हैड टू टेल की पूणे के एक इंस्टीच्यूट से स्टडी करवाई थी । उसके बाद एक रिपोर्ट आई थी जो भारत सरकार के पास फाइनल अप्रूवल के लिए गई है । हरियाणा पूरे तौर पर तैयार है । जैसे ही रिवर बैड की अप्रूवल आएगी तो हमने जो और खुदाई करनी है हम उसके लिए फंड्स तुरंत गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया के पास डिप्लॉय करेंगे । घग्गर नदी का रिवर बैड बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं है । इसकी ऑरिजनल मल्कीयत 1 एकड़ चौड़ाई की है । उसके बाद flood plains हैं । इस पर दो समय बांध बनाए गए थे । एक प्रताप सिंह कैरों जी के समय में ऐलनाबाद की साइड में और दूसरा चौधरी देवी लाल जी के समय में दूसरी तरफ बांध बना था । दोनों ही समय फ्लड आई भी और किसानों ने बांध की मांग की थी । घग्गर नदी के

ही रिवर बैड से मिट्टी उठाकर वहां पर बांध बनाया गया और फिर गवर्नमैंट्स ने ओटू हैड से लेकर धीरे-धीरे पंचकुला तक जहां-जहां लगा, फार्मर की लैण्ड पर ही अधिकतम जगह पर बांध बनाए गए हैं । उन बांधों की मल्कियत भी आज किसानों के नाम है । इससे उनकी जमीन सुरक्षित रहती है, इसलिए यह काम उनकी सहमति से हुआ है । नीरज जी फरीदाबाद में यमुना नदी की बात कर रहे थे तो वहां पर भी पंचायत के तटबंध बने हुए हैं । मैं वहां पर स्वयं जाकर आया था । यमुना नदी में पानी का फ्लो इतना ज्यादा था कि यमुना नदी साढ़े पांच किलोमीटर की चौड़ाई में चल रही थी । ऐसा शायद आज तक के इतिहास में कभी देखने को नहीं मिला । उसके बावजूद भी फरीदाबाद एमसी एरिया में एक बूंद भी पानी नहीं आया । ये नक्शे में जो इल्लिगल कॉलोनीज दिखा रहे हैं वे एग्रीकल्चर लैण्ड के अंदर लोगों के फार्म हाउसिज थे । उन फार्म हाउसिज को कम्पनीज ने लाइसैंस लेकर काटने का काम किया । (विघ्न)

श्री नीरज शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, वह एक कच्ची कॉलोनी है, फार्म हाउस नहीं है ।

श्री दुष्यंत चौटाला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को इसका डाटा भी दे दूंगा । मलिक साहब ने कमेटी की रिपोर्ट की बात कही थी । मेरे पास कमेटी की रिपोर्ट भी है । कमेटी विजिट करके आई थी । इनके वहां पर पानी निकाला गया था । मैं उस रिपोर्ट की कॉपी इन्हें सोमवार को दे दूंगा । निर्मल जी, जो आपके साथ मैम्बर थी, उनसे भी कम्युनिकेट किया गया । आपने स्वयं फोन नहीं उठाया जोकि ऑन रिपोर्ट है । (विघ्न)

श्री जगबीर सिंह मलिक : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मोबाइल कभी बंद नहीं होता । इस बात की माननीय उप-मुख्यमंत्री महोदय मेरे हल्के में भी तसल्ली कर सकते हैं । मेरा मोबाइल रात को भी चलता है । मैं उसे कभी बंद नहीं करता । ये इस बात को किसी से पूछकर देख लें । अगर मैं किसी के फोन को उठा नहीं पाता तो फिर मैं उसे कॉल बैक करता हूं । आप गलत बयानी मत कीजिए । ये ऐसा न कहें कि मैं मोबाइल बंद रखता हूं । मैंने मोबाइल को कभी बंद नहीं किया । ये इस बात तो विद्ड्रॉ करें ।

श्री दुष्यंत चौटाला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मलिक साहब को सोमवार को रिपोर्ट की कॉपी दे दूंगा । बलराज कुण्डू जी ने कहा कि इनके एरिया में फ्लड आई थी । मैं बताना चाहता हूं कि इनके एरिया में फ्लड नहीं बल्कि एक्सैसिव रेनफॉल हुई थी । एक्सैसिव रेनफॉल के कारण इन्होंने इस साल का जो डाटा मांगा है उसके विषय में मैं कहूंगा कि फ्लड कंट्रोल बोर्ड ने 1100 करोड़ रूपये अप्रूव किये हैं । केवल 3 महीने में सारे प्रोजैक्ट कम्पलीट नहीं हो जाते । फ्लड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग में 3 तरह के एजेंडाज रखे जाते हैं । पहला, शॉर्ट टर्म एजेंडा होता है । ये इस साल 146 थे और छठे महीने तक ये सारे कम्पलीट हो चुके हैं । दूसरा, मिड टर्म एजेंडा होता है । ये 350 थे । इनमें लम्बी पाइपलाइन ले डाउन होनी है, पम्प्स लगने हैं, बिजली की तारों से रैगुलर सोलर पम्पिंग या बिजली की पम्पिंग होनी है । ये कार्य अगले साल के छठे महीने में खत्म होने हैं । तीसरा, लोंग टर्म एजेंडाज होते हैं । ये 2 से 3 साल की अवधि के लिए होते हैं । इनमें बड़ी पाइपलाइंस अंडरग्राउंड ले डाउन होती हैं, ऐक्विजीशंज भी होती हैं । इसमें कुल 98 एजेंडाज थे जिसके लिए सरकार ने 435 करोड़ रूपये दिए हैं । (विघ्न) महम में कौन-कौन से काम टेक अप हुए हैं इसका ब्यौरा मैं इनके पास अलग से भिजवा दूंगा ।

श्री बलराज कुण्डू : उपाध्यक्ष महोदय, महम हल्के के बैंसी, खरक, निंदाना, बलम्भा, सुखदर्शनपुर, भ्राण, फिरोजपुरा आदि गांवों में महम ड्रेन और लाखन माजरा ड्रेन टूटी है । इसका माननीय उप-मुख्यमंत्री महोदय पता भी करवा सकते हैं । इनके बैंक्स जर्जर हो चुके हैं । सफाई के नाम पर सिर्फ ढ़कोसला किया जाता है, कुछ भी नहीं किया जाता । ये इसे पता करवा सकते हैं नहीं तो मैं गांव वालों से इसकी फोटोग्राफी और विडियोग्राफी करवाकर इनके पास भिजवा दूंगा । मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का गांव निंदाना है । निंदाना गांव के 50 घरों में दरारें आ गई हैं । वे गरीब आदमी हैं और वे अपने घरों के बाहर बैठे हैं । मैं इसका पूरा डाटा दे सकता हूं । मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि आप अपने गांव से इसका डाटा मंगवाना । वे गरीब आदमी हैं । माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने गांव में जो सीवरेज सिस्टम डलवाया था इस बरसात में वह सारा सिस्टम बैठ गया । वह सीवरेज सिस्टम तो चला नहीं लेकिन उसने कम से कम 50 गरीब आदमियों के घरों को जरूर गिरा दिया । गांव के करीब 100 गरीब आदमियों के घर भी गिर चुके हैं । (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने हल्के की बात कहना चाहता हूं । (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : कुण्डू जी, आप माननीय उप-मुख्यमंत्री महोदय का जवाब सुनिये ।

श्री दुष्यंत चौटाला : उपाध्यक्ष महोदय, यह डिबेट का एक अलग इशू है । इनके एरिया में फ्लड नहीं आई बल्कि एक्सैसिव रेनफॉल हुआ है । पहले तो ये करैक्ट हो जाएं । (विघ्न) फ्लड यमुना नदी और टांगरी नदी में आई थी । टांगरी नदी फ्लड से टूट भी गई थी । जहां पर एक्सैसिव रेनफॉल के कारण वॉटर अकुमुलेशन हुई है वह एक्सैसिव रेनफॉल में काउंट होगा । (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, जहां डिटेल्स और मांगी गई थी । (विघ्न)

श्री बलराज कुण्डू : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने हल्के की बात कहना चाहता हूं । (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : कुण्डू साहब, आप अपनी सीट पर बैठ जाइये । ऐसे सैशन नहीं चलता । आप प्लीज, अपनी सीट पर बैठिये । (शोर एवं व्यवधान)

श्री दुष्यंत चौटाला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि हमने वहां पर 12 मोबाइल वीटी (Vertical turbines) पम्प्स लगाए हैं और (11,713 नंबर) 6 मीटर की जो पाइप्स होती हैं उन HDPE (High-Density Polyethylene) पाइप्स को हमने पूरे तौर पर डिप्लॉय किया है । (विघ्न)

श्री बलराज कुण्डू : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में 1000 एकड़ जमीन में पानी फैला हुआ है । अगर आप कहें तो मैं मौके पर जाकर भी दिखा सकता हूं । (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष:कुडूं साहब, आप यही बातें पहले कह चुके हैं। प्लीज, अब आप बैठ जाएं।

17:00 बजे

श्री दुष्यंत चौटाला: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि या तो माननीय सदस्य मेरी बात सुनना नहीं चाह रहे हैं या अपनी हाजिरी लगवानी है। मैं यही बात कह रहा हूं कि इनके क्षेत्र में फ्लड नहीं आयी है बल्कि वहां पर एक्सैसिव रेनफॉल आया है।

श्री बलराज कुंडू: उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी हाजिरी नहीं लगवा रहा हूं बल्कि मैं तो अपने हल्के की समस्या रख रहा हूं।

श्री दुष्यंत चौटाला: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि एक्सैसिव रेनफॉल से जो नुकसान हुआ है, वह एस.डी.आर.एफ. में कवर होगा। मैं माननीय सदस्य को मना नहीं कर रहा हूं बल्कि उनकी बात को करैक्ट कर रहा हूं।

श्री बलराज कुड्डूं: उपाध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कुड्डूं जी, आप पहले अपनी बात का जवाब सुन लें।

श्री दुष्यंत चौटाला: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को हर चीज को उल्टा portray नहीं करना चाहिए कि वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी का गांव है। चूंकि वहां पर गांव तो माननीय सदस्य का भी है और दूसरे माननीय सदस्यों के भी गांव होते हैं।

श्री बलराज कुड्डूं: उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ संबंधित विषय पर ही अपनी बात रख रहा हूं।

श्री दुष्यंत चौटाला: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि मैं तो सिर्फ उनकी बात को करैक्ट कर रहा हूं। वहां पर फ्लड नहीं आया है। माननीय सदस्या श्रीमती किरण चौधरी जी ने कहा है कि तोशाम में फ्लड आया है लेकिन वहां पर कोई नहर या नदी नहीं टूटी है। वहां पर एक्सैसिव रेनफॉल हुआ है। Hon’ble Deputy Speaker Sir, I would like to tell the Hon’ble Madam through you that the first word she said on the floor of the House चाहें तो रिकार्ड से निकलवाकर दिखा देंगे।

Smt. Kiran Choudhry: Hon’ble Deputy Speaker Sir, I would like to tell the Hon’ble Deputy Chief Minister through you that I spoke about entire other places when I spoke about Tosham that it was excessive rain.

श्री बलराज कुड्डूं: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जहां पर पानी भरा हुआ है क्या उनके लिए मुआवजा की व्यवस्था होगी या नहीं?

श्री दुष्यंत चौटाला: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि इसके लिए बिल्कुल व्यवस्था होगी।

श्री उपाध्यक्ष: कुडूं साहब, आप पहले अपनी बात का जवाब तो सुन लें।

श्री बलराज कुडूं: उपाध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कुडूं जी, प्लीज, आप बैठ जाएं। ये अपनी बात रखने का तरीका नहीं है।

श्री बलराज कुडूं: उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात ही रख रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: कुडूं जी, आप बार-बार खड़े होकर बोल रहे हैं। यह कोई तरीका नहीं है।

श्री दुष्यंत चौटाला: उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला जी ने बात कही है तो उस संबंध में बताना चाहूंगा कि हमारे डिप्टी कमिश्नर्ज ने जहां-जहां पर बांधों पर सिच्यूएशन लगी कि वहां पर ब्रेकेज या शीपेज हो सकती है तो उन सभी जगहों पर दो जिलों फतेहाबाद और सिरसा में एडवांस प्रिपेयर्डनैस की है। चीका कैथल जिले का पार्ट था, शाहबाद और थानेसर कुरूक्षेत्र जिले का पार्ट था और अंबाला जिले के अन्दर अनप्रैसिडेंटिड रेनफॉल एक्यूमुलेट हुआ और तुरंत वहां पर ब्रेकेज देखने को मिली। जहां पर इलैक्ट्रिसिटी और बल्ब की बात कर रहे हैं तो सिरसा में जिस दिन पहला ब्रेकेज आया था उसी दिन डायरेक्शंज दे दिये गये थे इसलिए बिजली विभाग ने सभी जगहों पर पॉवर कनैक्शंज भी दिये और पूरा थ्रू एंड थ्रू मैं 40 किलोमीटर तक खुद बांध पर ट्रैवल करके आया था। यह 40 किलोमीटर ओटू हैड से लेकर ऐलनाबाद वाले पोल तक और उससे आगे राजस्थान बॉर्डर के 17 किलोमीटर तक गया था। इस प्रकार 37 किलोमीटर एक तरफ और 37 किलोमीटर वापसी का एरिया मेरा देखा हुआ है। वहां पर दिन में भी बल्ब जल रहे थे इसका मतलब बिजली की तारें लगी हुई थी। दूसरी बात मिट्टी की आती है। मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा कि ऐसी स्थिति में सरकार कभी भी मिट्टी खरीदकर नहीं देती है। यह तो हमारी सहमति है कि सोसायटी में बड़ा नुकसान न हो जाए, इसलिए सहमति से कलैक्ट करके देते हैं। इसके अलावा बात रखी गयी कि वहां पर जो ट्रांसपोट्रेशन हुई थी उसके लिए कई जगहों पर सामाजिक संस्थाओं और दानवीर लोगों ने भी तेल के पैसे दिए। अगर कहीं पर पंचायतों के पास फंड्ज नहीं थे तो संबंधित डिप्टी कमिश्नर्ज ने हर पंचायत में बाद में फंड्ज पहुंचाने का काम किया है कि अगर वहां पर लोगों का खर्चा हुआ है तो उसकी भरपाई की जाए **(इस समय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)** अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य सिरसा जिले का डेटा लेना चाहेंगे तो मेरे पास जिले का डेटा भी है। हमने 2,94,20,828 रूपये वहां की पंचायतों के खातों में भेजने

काम किया है। केवल रिहैबिलिटेशन में कहीं पर पंचायत ने अपने खर्चे पर खाना खिलाया या पंचायत ने अपने खर्चे पर डीजल भरवाया या पंचायत ने अपने खर्चे पर लोगों को कट्टे खरीदकर देने का काम किया कि उनमें मिट्टी भर लें। हमें कहीं पर ऐसी व्यवस्था भी करनी पड़ी कि घग्घर नदी के साथ मकान बना हुआ है और वह अकार्डिंग टू लॉ नहीं था और अगर उसका घर टूटा है, कोई रिहैबिलिटेट करना पड़ा या राशन देना पड़ा तो उसके लिए सरकार द्वारा सभी इफैक्टिड 12 जिलों के लिए 10 करोड़ रूपये भेजा गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इसके अलावा एक चीज और कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्य ने कहा कि पानी बहुत आया है, पानी बिल्कुल आया है।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है क्योंकि मेरा नाम कोट किया गया है।

श्री अध्यक्ष: अभय सिंह जी, इसमें नाम कोट करने से कोई प्वायंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता है।

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य के जवाब के लिए नाम कोट नहीं किया है बल्कि मैं तो माननीय सदस्य के कॉलिंग अटैंशन मोशन का जवाब दे रहा हूं। जहां तक घग्गर नदी के एरिया के अंदर की बात है, अगर कोई किसान वहां खेती करता है तो वह सरकार को लिखित में देता है कि हम एक फसल तक का कम्पनसेशन सरकार से लेने का काम करेंगे । अगर मैं पिछली फसल की बात करूं तो यदि किसी किसान ने बैंक में कम्पनसेशन का क्लेम नहीं किया है तो इस बार उस किसान को सरकार की तरफ से पूरा कम्पनसेशन दिया जायेगा । जहां तक सनोली गऊशाला की बात है तो मैं वहां पर खुद गया था । वहां पर कई सौ गऊवंश थे । वहां पर इन लोगों ने floodplain के एरिया के अंदर गऊशाला बना रखी है और उस गऊशाला में पानी आ जाने के कारण हमने तुरन्त उन गऊवंशों को रीएलोकेट करने का काम किया । वहां पर चार गऊवंशों की डैथ भी हुई थी और जो बचे हुए गऊवंश थे हमने उनको सैफ्ली पास की गऊशालाओं में भेजने का भी काम किया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम बोला गया है इसलिए मेरा प्वॉयंट ऑफ ऑर्डर है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभय जी, आपने जो प्रश्न रखा था उसके संदर्भ में माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने आपका नाम लिया है । इन्होंने आपके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगाया है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मुझ पर एलिगेशन भी लगाये हैं और सदन में झूठ भी बोला जा रहा है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदय, उसके बाद आदेश भी दे दिये गये थे कि जो गऊशाला floodplain में बनी हुई है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वॉयंट ऑफ ऑर्डर है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभय जी, आपका किस बात पर प्वॉयंट ऑफ ऑर्डर है । क्या आपको पता है कि प्वॉयंट ऑफ ऑर्डर क्या होता है ? (शोर एवं व्यवधान) अभय जी, आप मेरी एक बात सुन लीजिए । It is clearly mentioned in Rule 112 (5), (6) (4) & (1) of Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:

> "**(5)** A point of order is not a point of privilege.
>
> **(6)** A member shall not raise a point of order :—
>
> (a) to ask for information, or
>
> (b) to explain his position, or
>
> (c) when a question on any motion is being put to the House, or
>
> (d) which may be hypothetical, or
>
> (e) that division bells did not ring or were not heard.
>
> **(4)** No debate shall be allowed on a point of order, but the Speaker may, if he thinks fit, hear members before giving his decision.
>
> **(1)** A point of order shall relate to the Interpretation or enforcement of these rules or such Articles of the Constitution as regulate the business of the House and shall raise a question which is within the cognizance of the Speaker."

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप पहले मेरी बात सुन लीजिए । जब यह इशू शुरू हुआ था तब मैंने यह बात सबसे पहले उठाई थी कि क्या हमारा जो क्वैश्चन पूछा जायेगा उसका केवल आंसर ही आयेगा या उस पर कोई जवाब देगा तो उस पर भी कोई प्रश्न पूछा जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष : अभय जी, यह डिबेट का विषय नहीं है । आप पहले मेरी बात सुन लीजिए । (शोर एवं व्यवधान).

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी एक बात सुन लीजिए । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभय जी, आप मेरी बात सुन लीजिए । यह कॉलिंग अटैंशन मोशन है । No debate is allowed on this calling attention motion. इस पर कोई डिबेट नहीं हो सकती है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, क्या कॉलिंग अटैंशन मोशन पर अपनी सप्लीमैंट्री नहीं पूछी जा सकती है ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभय जी, आपने सप्लीमैंट्री पूछ ली है और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने आपकी बात का जवाब दे दिया है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, सप्लीमैंट्री किसने पूछी है? मैंने कोई सप्लीमैंट्री नहीं पूछी है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभय जी, आपने अपना क्वैश्चन पहले पूछ लिया है अब आप प्लीज, बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा पूछे गये क्वैश्चन का जो मर्जी जवाब दे दें । (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें यह कहना है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा जी, आप मेरी बात सुनिये । अगर किसी मंत्री ने आपके जवाब का रिप्लाई गलत दिया है तो उसके बहुत प्रोविजन्स होते हैं और बहुत सारे नियम भी होते हैं जिसके खिलाफ आप मंत्री जी को नोटिस दे सकते हैं इसलिए इस पर डिबेट नहीं हो सकती है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं इस पर न तो डिबेट की बात कर रहा हूं और न ही सप्लीमैंट्री की बात कर रहा हूं लेकिन मेरी एक क्वैरी है कि जब मंत्री जी की तरफ से कोई भी जवाब आता है तो क्या एक मैम्बर होने के नाते वह क्लैरिफिकेशन नहीं पूछ सकता है ? (शोर एवं व्यवधान) आप उस वक्त सदन में उपस्थित नहीं थे लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब सदन में उपस्थित थे उन्होंने कहा था कि अगर मंत्री जी की तरफ से कोई जवाब गलत आता है तो मैम्बर अपनी क्लैरिफिकेशन पूछ सकता है ।

श्री अध्यक्ष : हुड्डा जी, उप मुख्यमंत्री जी ने जवाब दे दिया है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, जो जवाब दिया जा रहा है वह सही नहीं दिया जा रहा है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभय जी, अगर आपको जवाब गलत लगता है तो आप इनके खिलाफ नोटिस दे सकते हो । (शोर एवं व्यवधान)

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदय, चौधरी ईश्वर सिंह जी ने घग्गर नदी की जो बात कही थी कि चीका के अंदर वह ब्रीच हुई है । मेरे संज्ञान में ऐसी कोई चीज नहीं आई है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप किसी मैम्बर की बात नहीं सुन रहे हो और आप हर बार मेरे साथ कोई भड़ास निकालने की कोशिश करते हो ।

श्री अध्यक्ष : अभय जी, आप रिस्पैक्टफुली बात कीजिए ।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, आप हर हालत के अन्दर कोई न कोई भड़ास निकालने की कोशिश करते हो।

श्री अध्यक्ष: अभय जी, प्लीज आप बैठ जाएं।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं बैठना नहीं चाहता। मैंने आज आपको एक मेल लिखी थी। आप उसे पढ़ लीजिए ।

श्री अध्यक्ष: अभय जी, मैंने आपकी मेल पढ़ ली है।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, इसके लिए भी आप हाऊस के बाद टाइम फिक्स कर लीजिए।

श्री अध्यक्ष: अभय जी, कोई बात नहीं कर देंगे।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक-एक कच्चा चिट्ठा खोलकर दिखाऊंगा कि आप क्या-क्या करते रहे हो।

श्री अध्यक्ष: अभय जी, कोई बात नहीं है।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको जो मेल भेजी है मुझे उस मेल का जवाब भी मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: अभय जी, मैं आपको जवाब दूंगा। मैं आपको हर चीज का जवाब दूंगा। अब आप बैठना चाहते हैं तो बैठ जाइए।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं बैठना नहीं चाहता।

वॉक आउट

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए, आपकी बात पूरी हो गयी है।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, आप मुझे सदन में अपनी बात कहने का मौंका नहीं दे रहे हैं इसलिए मैं सदन से वॉक आउट कर रहा हूं।

(इस समय इंडियन नेशनल लोकदल के माननीय सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर अपनी बात रखने के लिए समय न दिये जाने के विरुद्ध सदन से वॉक आउट कर गए।)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव(पुनरारम्भ)

श्री दुष्यंत सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, जहां माननीय सदस्य श्री ईश्वर सिंह जी ने चीका की बात कहीं कि वहां पर एक ही प्वाइंट तीन बार ब्रीच हुआ। जैसे कि श्री हरविन्द्र कल्याण जी का आई.आई.टी. रुड़की के विशेषज्ञों की सलाह लेने का सुझाव आया था तो हम उनसे भी चैक करवा लेते हैं कि क्या कारण है? अगर हमें वहां पर लम्बी लैंथ की एक्सेसिव स्टोन पिंचिंग करवानी है तो वह भी करवाएंगे। मगर जो डाटा मेरे पास आया है वह यह है कि घग्घर नदी में लगभग 14 जगह सरकार ने नई स्टोन पिचिंग करवाई है। जो अधिकतम अम्बाला, कैथल तथा कुरुक्षेत्र जिले के अन्दर है। यमुना नदी के अन्दर हमारी सरकार ने पिछले वर्षों में स्टोन पिचिंग के अन्तर्गत यमुनानगर में 40 करोड़ रुपये, करनाल में 10 करोड़ रुपये, पानीपत में 8 करोड रुपये, सोनीपत में 3 करोड़ रुपये तथा फरीदाबाद जिले में 2.7 करोड़ रुपये खर्च करने का काम किया है। जहां तक रि-मॉडलिंग और साइफ्नस की बात है, वह एक

टैक्निकल इशू है। मैं चाहूंगा कि इसे इरिगेशन डिपार्टमैंट इमिजेटली टेक अप कर ले क्योंकि हासी-बुंटाना लिंक के नीचे से जो साइफ्न बन गया वहां निरंतर ब्लॉकिज आती है। इस बारे में ओटू हैड में जब फ्लड लेवल बढ़ रहे थे तो हमने टेलिफोन के माध्यम से भी डिप्टी कमिश्नर से चर्चा की कि वहां पर इस बार जो बहुत ज्यादा हरा घास आया। उसकी ब्लॉकेज गेट्स में हुई थी। वहां पर लोगों ने जे.सी.बीज. की मदद से निरंतर उसको फ्लस आउट किया। यही कारण था कि ओटू हैड में हम 50,000 क्यूसिक पानी के फ्लो को भी सहन कर पाए। कई जगह अगर साइफ्नस की क्लीनिंग नहीं हुई तो यह कारण हो सकता है मगर टेक्निकली इसको चैक करवाकर ही मैं फैक्ट्स बता पाऊंगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री शीशपाल ने ट्यूबैवल कनैक्शन शिफ्टिंग की बात कही, इस पर मैं कहना चाहूंगा कि हमारे बिजली बोर्ड की पॉलिसी है। अगर आपको अपना ट्यूबैवल शिफ्ट करवाना है तो जो आपकी एक्सिवसिव लाइन लगेगी। जैसे आपने कहा कि 100 मीटर शिफ्ट करवाना है तो आप उसकी फीस भरे। सरकार ने तुरंत उसके ट्रांसफर की प्रोविजन बना रखी है। इसके अन्दर जो डिसमैंटल मैटेरियल है जो टूट-फूट होती है या खम्भे टूट जाते हैं। वह आपको अपनी जेब से भरना पड़ता है। अगर रि-एलोकेशन के अंदर कोई मैटेरियल यूटिलाइज होता है तो सरकार उसको यूटिलाइज करने का काम करती है। अध्यक्ष महोदय, जहां माननीय सदस्य श्री गोगी जी ने माइनिंग डिपार्टमैंट और इरिगेशन डिपार्टमैंट की बात रखी। इस पर मैं कहना चाहूंगा कि इसका जवाब डिजास्टर से संबंधित नहीं था कि कब-कब, कितनी-कितनी माईनिंग हुई। एक डाटा तो मेरे पास आ चुका है जिसमें कुरुक्षेत्र हैरीटेज सर्किट, वाई.डब्ल्यू.एस., सर्कल फरीदाबाद, एच.के.बी. सर्कल, जगाधरी, वाई.डब्ल्यू.एस. सर्कल, भिवानी, वाई.डब्ल्यू.एस. सर्कल, जींद, वाई.डब्ल्यू.एस. सर्कल, करनाल, बी.डब्ल्यू.एस. सर्कल, फतेहाबाद, बी.डब्ल्यू.एस. सर्कल, हिसार, बी.डब्ल्यू.एस. सर्कल, कैथल, बी.डब्ल्यू.एस. सर्कल, सिरसा, एस.वाई.एल. सर्कल, अम्बाला, जे.एल.एन.डब्ल्यू.एस. सर्कल, रेवाड़ी, जे.डब्ल्यू.एस. सर्कल, झज्जर, एल.डब्ल्यू.एस. सर्कल, भिवानी तथा वाई.डब्ल्यू.एस. सर्कल, रोहतक के अन्दर हमारी जो इरीगेशंज चैनल्ज और ड्रेनेज हैं इनकी साफ-सफाई के लिए पिछले वर्ष में 191 करोड़ रुपये खर्च किया गया। अध्यक्ष महोदय, जहां तक युमना और घग्गर की खुदाई की बात है यह मैं फैक्चुअली कह सकता हूं कि पिछले दो वर्षों में यमुना नदी में जो माइनिंग होती है उससे डिसल्टिंग होती है वहां हुई होगी। घग्घर के अंदर इसमें कोई पैसा खर्चा नहीं गया है। मगर सरकार ने इसके लिए अब जरूर एक पॉलिसी बनाई है जो फार्मर्स के लिए सैन्ट्रिक पॉलिसी है। इस फ्लड्स के अंदर ही हम यह समझ पाए कि जहां-जहां यमुना नदी का ब्रीच हुआ और जहां थोड़ी जगह पर घग्गर नदी का ब्रीच हुआ, वहां किसान की फसल में सिल्ट आ गया। जिसे हम देशी भाषा में यमुना सैंड कहते हैं, यह आ चुका है। इसके लिए पॉलिसी अप्रूव हो चुकी है कि अगर किसी किसान के खेत में एक इंच रेता होगा तो किसान तुरंत उसको बेच भी सकता है। उसका पूरा पैसा किसान को जाएगा। केवल इसके लिए किसान को ई-रवाना कटवाना पड़ेगा। अगर रेता एक इंच से तीन इंच तक होगा तो उसे बेचने का सारा पैसा किसान को मिलेगा। इसमें केवल सरकार को इंफोर्म करना पड़ेगा।

अगर किसी किसान के खेत में रेता तीन इंच से दो फीट तक चढ़ा हुआ है तो इसके अंदर 20 हजार रुपये........(विघ्न)

श्री मेवा सिंह : अध्यक्ष जी, एक इंच तो कोई भी नहीं दे सकता।

श्री अध्यक्ष : मेवा सिंह जी, आप बैठिए और उप मुख्यमंत्री जी का जवाब सुनिए।

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष जी, हमने पॉलिसी बनाई है। हमने तीन इंच तक भी दे दिया। एक इंच तक उसको सिर्फ ई-रवाना कटवाना है। तीन इंच तक उसको डिपार्टमैंट को इंफॉर्म करना है सारा पैसा उसका है। तीन इंच से लेकर दो फुट तक अगर उसके खेत में रेता इक्युमेलेट हुआ है तो 20 हजार रूपये तो उसको मिनीमम मिलेंगे और 20 हजार रूपये के ऊपर जितने का भी रेता बिकेगा उसका बीस परसैंट किसान को, 40 परसैंट लोकल पंचायत को और 40 परसैंट माईनिंग डिपार्टमैंट को रेवेन्यू ऑक्शन के समय जायेगा। अगर दो फुट से ऊपर रेता है तो इसके अंदर शेयरिंग कम्पनसेशन तो सेम रहेगी लेकिन उसके अंदर यह है कि परपोर्शन में कम्पनसेशन का जो उसको 20 हजार रूपया प्रॉयरिटी पर मिलता था वह नहीं मिलेगा। दो फुट से ऊपर जिसके खेत में आज रेता एक्युमलेटिड है उसकी टोटल वैल्यू की 15 परसैंट वैल्यू लैंड ऑनर को मिलेगी, 42.5 परसैंट ग्राम पंचायत को और 42.5 परसैंट ही माईनिंग डिपार्टमैंट को मिलेगी क्योंकि बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाती है। फसल तो उसकी 15 हजार रूपये एस.डी.आर.एफ. की तरफ से खराब हुई मानी गई है लेकिन उसको लाखों रूपये इसमें मिल जायेंगे तो इस तरह से 42.5-42.5 शेयर पंचायत और माईनिंग डिपार्टमैंट को जायेगा। हमने इसका रेट भी फिक्स कर दिया है। 200 रूपये मीट्रिक टन हमने सैंड का रेट भी तय कर दिया है। सरकार इसकी तुरंत नोटिफिकेशन करके किसानों को इसका लाभ देने का काम करेगी।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि ऑक्शन में किसान का इतना कम शेयर क्यों रखा गया? अगर वह शेयर बढ़ता है तो इससे किसान को फायदा होगा क्योंकि किसान की तो फसल गई और आगे भी फसल आने की कोई उम्मीद नही है। इसमें कम से कम 60 परसैंट किसान का हिस्सा होना चाहिए बाकी आप पंचायत और माईनिंग डिपार्टमैंट को दे दो। इसको सरकार को अमैंड करना चाहिए। यह किसान के हितों के खिलाफ है। सरकार ऑक्शन करे लेकिन उससे किसान को भी फायदा होना चाहिए।

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष जी, हुड्डा साहब भी मुख्यमंत्री रहे थे और इन्होंने भी इस एरिया में फ्लड देखा है लेकिन इन्होंने व किसी और सरकार ने भी ऐसी कोई पालिसी नहीं बनाई। हमने कम से कम पॉलिसी तो बनाई है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष जी, उप मुख्यमंत्री जी ने सवाल का जवाब दे दिया कि इतना-इतना पैसा ड्रैनेज की व्यवस्था को सुधारने के लिए खर्च किया गया लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या ग्राऊण्ड पर ड्रेनेज की वास्तव में सफाई हुई है या नहीं? इसकी चैकिंग हुई है या नहीं? मैं फ्लड के दौरान अम्बाला और शाहबाद के साथ-साथ पूरे बाढ़ग्रस्त इलाके में गया था। मैं कम से कम 10 गांवों में गया। वहां पर पंचायत ने मुझे कहा कि पिछले तीन साल से उनकी ड्रैनेज की सफाई नहीं हुई है। इसी प्रकार से सरस्वती

नदी की सफाई भी नहीं हुई। जो हांसी-बुटाना नहर है जो इस प्रकार की आपदा में यूजफुल होती उसको भी सरकार ने बंद ही कर दिया। इसी प्रकार से ये जो कौशल्या डैम बना है। जो डैम अथॉरिटी थी उसके एस.ई. की इंसपैक्शन रिपोर्ट है। उप मुख्यमंत्री जी को वह इंसपैक्शन रिपोर्ट देखनी चाहिए। उसमें यह कहा गया है कि यह डैम टूटने का खतरा है इसके बैराज में जो 6 फ्लड गेट्स हैं उनमें से 4 तो ऑपरेटिव ही नहीं हैं। इस बार तो बच गए। जो पंचकूला में कौशल्या डैम है मैं उसकी बात कर रहा हूं। इसकी मेरे पास रिपार्ट है। उनका यह कहना है कि जो 6 फ्लड गेट्स हैं उनमें से 4 तो काम ही नहीं कर रहे हैं। जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में बरसात हो रही है अगर उस हिसाब से थोड़ा और पानी आ जाता तो यह डैम टूट भी सकता था। अगर ऐसा हो जाता तो फिर पता नहीं कितनी बर्बादी होती। यह प्रिकॉशन लेने का समय है।

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष जी, हमारे साथी इंदू राज जी ने पशु चारे के बारे में कहा। डिप्टी कमिश्नर्ज को एच.डी.आर.एफ. में जो गाईडलाईन्ज दी गई हैं उसमें क्लीयरली लिखा गया है कि पशु चारा भी वे खरीदकर दे सकते हैं। उसमें यही शर्त है कि सभी पशु एक ही बाड़े में होने चाहिएं। इसी प्रकार से जिस बात का जिक्र रेनू बाला जी ने किया था मैंने सैंड की पॉलिसी के बारे में पहले ही बता दिया है। गीता भुक्कल जी ने कम्पनसेशन के बारे में जिक्र किया था। इस बारे में मेरा यही कहना है कि it relates to Ministry of Agriculture, यह फ्लड के विषय से सम्बंधित इशू नहीं था। अब जो इस क्रॉप के सीजन के अंदर इंश्योरी फॉर्मर्ज का कोई नुक्सान होगा उसको प्रॉपर्ली 100 परसैंट कम्पनसेशन फ्लड इफैक्टिड एरियाज में चाहे वह प्राईवेट हो और चाहे गवर्नमैंट की तरफ से हो, हम देने का काम काम करेंगे।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष जी, हमारे यहो पर लो लाईंग एरिया में सारे के सारे खेत पहले भी भरे थे और आज भी भरे हैं। वहां पर डिवॉटरिंग करवाई जा रही है। फसल तो वहां पर भी बर्बाद हुई है, घर भी, गांव भी और तालाब भी ओवरफ्लों हुए हैं। जो हमारा कालिंग अटैंशन मोशन है उसमें it was mentioned. हमारा कोई फ्लड एफैक्टिड एरिया नहीं था बल्कि वहां पर जो बेमौसमी बारिश की वजह से जल भराव की स्थिति होने की वजह से जो हमारे क्षेत्र में आज भी खेत और गांव में पानी भरा है उनके बारे में और दूसरा जो हमारा क्षतिपूर्ति पोर्टल नहीं चला, उसके बारे में भी कोई न कोई निर्णय सरकार के स्तर पर लिया जाना चाहिए।

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदय, यह समस्या मेरे पास आई थी कि कई जिलों में क्षतिपूर्ति पोर्टल पर 18 तारीख जो अंतिम तारीख थी, उस दिन तक दिक्कतें आई थी इसलिए उसको बढ़ा कर हमने 25 तारीख तक कर दिया था। आज के दिन हरियाणा का ऐसा कोई गांव नहीं है जो क्षतिपूर्ति के लिए पोर्टल पर अपना डाटा अपलोड न कर पाया हो। माननीय सदस्या ने जो समस्या बताई थी वह यह थी कि रोहतक और झज्जर में उपायुक्त ने गांवों के नाम नहीं भेजे थे जिसके कारण वह डाटा अपलोड नहीं हो पाया था। वह डाटा हमने पूरे हरियाणा के लिए खोल दिया था और हमारे पास 4554 गांवों के किसानों का डाटा अपलोड हुआ है। इसका मतलब हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक गांव में अगर कोई क्षति हुई थी तो

किसानों ने अपलोड किया था। अगर माननीय सदस्या चाहेंगी कि स्पेसिफिकली झज्जर जिले में डीवॉटरिंग की क्या स्कीम बनाई थी तो उसके बारे में मेरा कहना है कि वह सूचना मैं इनको भिजवा दूंगा।

श्रीमती गीता भुक्कल: अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय उप-मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि हमारा झज्जर का एरिया डिप्रैस्ड है और डूबा ही रहता है इसलिए वहां के लिए तो स्पेसिफिकली कोई न कोई स्कीम अवश्य बनाई जाये।

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदय, श्री अमरजीत जी के एरिया में और श्री रामकुमार गौतम जी के एरिया में भी इस तरह की दिक्कत आई है। यह एक पूरी बैल्ट है जो पिल्लू खेड़ा से शुरू होती है और दादरी तक जाती है और दादरी से घूम कर झज्जर जिले में आती है। यह समस्या आज की नहीं है बल्कि दशकों पुरानी समस्या है लेकिन यह पहली बार हुआ है कि इस पर 1 हजार करोड़ से अधिक रुपया हमने खर्चा है कि पाइपलाइन डालकर तथा शैलो ट्यूबवैल्स लगा कर उस एरिया का पानी कैसे निकाला जाये। आज उसका लाभ भी मिला है। श्री बलराज कुंडू जी बैठे हुए हैं इनसे पूछ लीजिए। इसके अतिरिक्त नारनौंद हल्के के बास, खरबला इत्यादि गांवों में पिछले साल के मुकाबले इस बार फसल खराब नहीं हुई हैं। कुंडू जी के सामाण गांव के साथ लगते गांवों के लिए पाइपलाइन का पैसा मंजूर हो गया है। ये लोंग टर्म प्रोजैक्ट्स थे और इनके लिए लम्बी-लम्बी पाइन लाइनें बिछनी थी इसलिए इनमें समय लगना ही था। कुंडू जी बतायें कि क्या मोखरा गांव में पाइनलाइन नहीं डल रही हैं?

श्री बलराज कुंडू: अध्यक्ष महोदय, दो गांव अजायब और मोखरा में एक-दो पाइपलाइन डली हैं लेकिन यह भी देखा जाये कि हमारे एरिया में जल भराव कितना है?

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि ये नैशनल हाईवे का काम करते हैं तो इनको तो पता ही है कि 1 किलोमीटर, 50 किलोमीटर और 100 किलोमीटर का काम करने का टाईम पीरियड़ अलग-अलग ही होगा।

श्री बलराज कुंडू: अध्यक्ष महोदय, जब तक पानी निकालने के लिए ये पाइपलाइन नहीं डल जाती और पानी की निकासी नहीं हो पाती तब तक बर्बाद फसलों का मुआवजा देने का प्रावधान तो सरकार को करना चाहिए। क्षतिपूर्ति पोर्टल को बंद न किया जाये तथा इसको टैम्पोरेरी नहीं खोलना चाहिए बल्कि चालू रखा जाना चाहिए ताकि किसान अपनी खराब फसल का डाटा अपलोड करते रहें।

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदय, जिसकी भी फसल खराब हुई है उसका मुआवजा दिया जायेगा। जिसकी 100 प्रतिशत फसल खराब हुई है तो उसका 15 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जायेगा। इसी प्रकार से मैंने श्री नीरज शर्मा जी की बात का जवाब दे दिया था। इसके साथ ही साथ उन्होंने डॉ. करणी सिंह रेंज के पास एक लेक बनाने की बात भी कही थी उसके बारे में मुझे जानकारी मिली है कि वह पी.एल.पी.ए. से संबंधित एरिया है इसलिए उसके लिए फॉरेस्ट की क्लीयरेंस नहीं मिली थी। इसी कारण ग्रेटर प्लान में जो लेक की डिवैल्पमैंट होनी थी वह नहीं हो पाई। इसी तरह से श्री हरविन्द्र कल्याण जी का जो मामला आया था उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि करनाल जिले के लिए 10 करोड़

रुपया स्टोन पीचिंग के लिए दिया गया था। इनके एरिया में एक टापू करके कोई गांव था वहां पर मैं जा कर देख कर आया था। वहां पर 20 फुट चौड़ाई का बांध यमुना नदी के पानी के प्रैशर से कटाई में आया था। उस कटाव से यमुना नदी ने जो पुरानी यमुना आज से 200 साल पहले करनाल शहर के पास बहा करती थी वह रूट पकड़ लिया। इस पूरे रूट में चाहे वह श्री रामकुमार कश्यप जी का इंद्री का एरिया हो या श्री हरविन्द्र कल्याण जी का घरौंडा का एरिया हो उसमें यमुना नदी के पानी का फ्लो अधिक बना। माननीय सदस्य श्री हरविन्द्र सिंह कल्याण जी का इसके लिए आई.आई.टी. रुड़की के कंसल्टैंट रखने का जो सुझाव आया है, उसको सरकार जरूर विचार में लेने का काम करेगी।

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप-मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि जिन्होंने डीसिल्टिंग का काम नहीं किया उनके खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया है? दूसरी बात यह है कि जिन लोगों के घर भारी बारिश और जल भराव के कारण क्षतिग्रस्त हो गये हैं उनको आपने किस तरह का कम्पनसेशन दिया है? इसके अतिरिक्त आप किसानों को कितना मुआवजा दे रहे हैं तथा जो मनरेगा के मजदूर हैं क्या उनको भी आप कम्पनसेशन दे रहे हैं?

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, सदन में इस पर पहले भी कई बार जवाब दिया गया है कि हम कितना कम्पनसेशन देंगे । मैं उसको दोबारा पढ़ देता हूं । अगर यही रिपिटिड डाटा मुझे हर सैशन में देना पड़ता है तो मेरे को भी खुशी है ।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हमें वह डाटा बताया जाए ।

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं पूरा डाटा बता देता हूं कि अगर किसी किसान का 25 प्रतिशत से 33 प्रतिशत तक नुकसान हुआ है तो उसको व्हीट का, पैडी का, कोटन का और शुगरकेन का 9 हजार रूपये प्रति एकड़ कम्पनसेशन दिया जा रहा है । मस्टर्ड का व अदर क्रप्स का 7 हजार रूपये प्रति एकड़ कम्पनसेशन दिया जा रहा है । अगर वह नुकसान 33 प्रतिशत से 50 प्रतिशत होता है तो सेम अर्थात सभी फसलों का 9 हजार रूपये प्रति एकड़ कम्पनसेशन दिया जाता है ।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जिन गरीब लोगों के घर क्षतिग्रस्त हो गये हैं उनको सरकार कितना मुआवजा दे रही है ?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, सरकार इस मुआवजे की राशि को और बढ़ाएगी या नहीं बढ़ाएगी ? यह बताइये ।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, धान का तो सरकार को 50 हजार रूपये प्रति एकड़ मुआवजा देना चाहिए क्योंकि धान की फसल का तो बिल्कुल ही सत्यानाश हो गया है । मंत्री जी जो पॉलिसी लेकर आए हैं उसमें वह खेत में इक्ट्ठे हुए जो रेत की बात कर रहे हैं उसमें भी सरकार किसान से अपना हिस्सा ले रही है । यह बात ठीक नहीं है । किसान की तो सारी फसल बर्बाद हो रही है और ऊपर से सरकार भी उनसे हिस्सा ले रही है । यह तो बहुत गलत बात है ।

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या को अपनी रिप्लाई में एक चीज जरूर बोल सकता हूं ।

श्री बलराज कुडू : अध्यक्ष महोदय,-------(विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कुंडू जी, प्लीज आप बैठ जाइये । ऐसे बिना परमिशन के खड़ा नहीं होना है ।(विघ्न)

Smt. Kiran Choudhry: Speaker Sir, I just want to know specially whether Minister take any action against those officers or those people concerned who were responsible for not having this drain cleaned? My second question is - What kind of benefits you are giving to those people whose homes are completely destroyed or absolutely trashed?

Shri Dushayant Chautala : May I reply back to your questions, Madam ?

Smt. Kiran Chaudhary: Yes please. I am waiting.

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जहां यह बोला कि जिस भी अधिकारी ने यह किया क्या उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा ? यह डाटा मेरे पास circle-wise Irrigation Department. से आया है It does not relate to the Revenue and Disaster Management Department. इरीगेशन डिपार्टमैंट से एक-एक डिविजन वाईज किस-किस ड्रेन पर काम हुआ और किस-किस ड्रेन के ऊपर कितना-कितना एक्सपैंडेचर हुआ, वह डाटा मैं सोमवार व मंगलवार को सदन के पटल पर सैप्रेटली रख दूंगा । This is reply to her first question. Her second question is that किसको कितना मुआवजा दिया गया है? अगर माननीय सदस्या ये चाहें तो आज मैं कॉमर्शियल प्रोपर्टीज का डाटा भी ले डाऊन कर दूंगा नहीं तो आप एस.डी.आर.एफ. की वैबसाईट से रिवाईज नॉर्म्स जिसके अन्दर हमने ज्यादा बारिश आने से घरों में क्रैक्स आने पर भी मुआवजा देना शुरू किया है । जो इस साल अप्रैल से पहले कभी भी हरियाणा प्रदेश में नहीं दिया गया था । अगर किसी के घर में एक्सैसिव रेन फॉल से क्रैक आ जाते हैं जो चीज मैं कुंडू जी को बोल रहा था कि आपके वहां एक्सैसिंग रेन फॉल है फल्ड नहीं है । हरियाणा की हिस्ट्री में पहली बार फल्ड डिक्लेयर किया गया है । कितनी बार फल्ड आया है । चाहे वह वर्ष 1995 का हो, चाहे वर्ष 1976-77 का हो, पहले कभी भी हरियाणा ने फल्ड डिक्लेयर नहीं किया था । उसका एक रीजन हमने जो नोट किया है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी गाड़ियों का फल्ड इंश्योरैंस रखते हैं । ऐक्सैसिव रेन फॉल में उसकी गाड़ी पानी में डूबने पर इंश्योरैंस कम्पनी उसको क्लेम नहीं देती है । फूटहिल्स में जितने लोग रहते हैं उनमें किसी की हैचरी है, किसी की फैक्टरी है इसलिए व्यवसायी भी इंश्यरैंस करवाकर रखते हैं । अगर हम फल्ड डिक्लेयर न करें तो इंश्यरैंस कम्पनी उनको इस

चीज का पैसा नहीं देगी lThis was the reason excessive rainfall के साथ हमें 12 जिलों को फल्ड इफैक्टिव घोषित करना पड़ा । मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि अगर कॉमर्शियल प्रोपर्टी पर नुकसान आता है तो उनको 75 हजार रूपये मुआवजा दिया जाता है ।(विघ्न)

श्री बलराज कुंडू : अध्यक्ष महोदय, -------(विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कुंडू जी, आप बिना परमिशन के नहीं बोल सकते । प्लीज आप बैठ जाइये । नहीं तो मैं आप को नेम कर दूंगा । आप बैठ जाइये ।(विघ्न)

श्री बलराज कुंडू : अध्यक्ष महोदय, -------(विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कुंडू जी, मैं आपसे बार-बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप बैठ जाइये । प्लीज आप बैठ जाइये, बैठ जाइये, बैठ जाइये ।(विघ्न)

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास यह डाटा है अगर माननीय सदस्या चाहेंगी तो मैं उनको यह एस.डी.आर.एफ. की कॉपी दे दूंगा क्योंकि यह बहुत लैंथी है और बहुत लम्बी डिस्कशन है कि किस-किस चीज पर कितना-कितना मुआवजा दिया जाता है लेकिन वह भी हम इनको देने का काम करेंगे । एक कारण जरूर है कि ओवर इयर्स जो यह फ्लड सिचुएशन क्रिएट हुई है और जो इस बार की कोस्ट फ्लड एसैसमैंट में आया है वह बहुत बड़ा है । रोड इंफ्रास्ट्रैक्चर्ज में जितने हमारे फल्ड इफैक्टिड एरियाज हैं खासतौर से मैं पंचकूला की बात करूं तो अध्यक्ष महोदय आपने खुद देखा है कि नैशनल हाई-वे शिमला वाला कितना बड़ा रोड इंफ्रास्ट्रैक्चर कंक्रीट का बनाया गया था फिर भी एक तरफ के पूरे नैशनल हाई-वे को फल्ड अपने साथ बहाकर ले गया । इस तरीके से 12 तो हमारे ऐसे नैशनल हाइवेज हैं जो कही न कही अर्बन एरिया को डूबने से बचाने में सेफगार्ड का काम भी कर गए । इसका मुख्य उदाहरण फतेहाबाद है । अगर फतेहाबाद का बाई पास न बना होता तो फतेहाबाद की आधी आबादी आज जलमग्न हो गई होती । हमारे सारे आफिसर्ज ने दिन रात मेहनत करके यह सारा काम किया । यहां तक कि जो अंडर पासिज साइफन थे, उनके लिए भी कंक्रीट की दीवारें उठाने का काम किया गया जोकि बाढ़ से बचाव का एक कारण रहा । हमारी कई नई सड़कें हैं जिनकी संख्या लगभग 150 के करीब है । ये ऐसे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जोकि फ्लड रिकार्डिड एरियाज के अंदर, रिकार्ड टाइम में अब नए इनेक्ट हुए हैं । कहीं न कहीं इनकी वजह से भी पानी का डायवर्जन हुआ । अम्बाला में आप लोगों ने देखा होगा कि बाढ़ से किस तरीके के हाल बने हुए थे । असीम जी के हल्के में नैशनल हाइवे के उपर से और पेहवा के अंदर भी नैशनल हाइवे के उपर जोकि छह फुट उंचा है, यहां पर पिछली बार के फ्लड रिकार्डिड आंकड़े से भी डेढ़ मीटर उंचा पानी गया है तो यह एक तरह से once in a life time वाली बात ही हुई । इसको करटेल कर दिया गया है। करटेल

करके अधिकतर एरिया में डिवाटरिंग भी हो चुकी है । पानी निकालने के लिए निरंतर पम्प सेट्स चल रहे हैं और कही भी कोई ऐसा रिहायसी एरिया नहीं है जहां आज पानी खड़ा हो । यही नहीं जिन जिनका हमारे पास क्षतिपूर्ति के लिए डाटा आया है, जिसको पहले पटवारी/कानूनगो वेरिफाई किया करते थे, की बजाय हमने तो यह परमीशन पहले से ही दे दी थी कि क्षतिपूर्ति सहायकों को अगली सुबह से इस काम में लगाया जाये और डिप्टी कमिश्नर इमिजियेटली क्षतिपूर्ति के आंकड़ों को वेरिफाई करके, इन्हें सरकार को भेजने का काम करे । अध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज एंश्योर कर सकता हूँ कि इस आपदा में चाहे वह एक्सेसिव रेनफाल के कारण हो या चाहे इस फ्लड के कारण हो, हमारे किसी भी नागरिक के जान माल का, उसकी प्रोपर्टी का, उसके पशुधन का, उसके खेत खलिहान का या व्यवसाय का अगर कोई भी नुकसान हुआ है तो अंडर एस.डी.आर.एफ. गाइडलाइन्ज, इनकी पूर्ति करने का तुरंत काम किया जायेगा । धन्यवाद।

विशेषाधिकार मामलों के संबंध में विशेषाधिकार समिति का प्रथम प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना ।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब श्री नरेन्द्र गुप्ता, विधायक, चेयरपर्सन, विशेषाधिकार समिति, श्री जोगी राम, विधायक तथा श्री अनूप धानक, विधायक द्वारा श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक के विरूद्ध दी गई सूचना पर अभिकथित विशेषाधिकार भंग के प्रश्न संबंधी विशेषाधिकार समिति का प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे और यह भी प्रस्ताव करेंगे कि सदन को अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाये

चेयरपर्सन, विशेषाधिकार समिति (श्री नरेन्द्र गुप्ता) : महोदय, श्री जोगी राम, विधायक और श्री अनूप धानक, विधायक द्वारा श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक के खिलाफ 21 फरवरी, 2023 को दिए गए विशेषाधिकार के कथित उल्लंघन के नोटिस के प्रश्न के संबंध में , मैं विशेषाधिकार समिति की प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आरोपों के अनुसार,

श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक ने हिसार हवाई अड्डे के उद्देश्य के लिए अधिकृत भूमि एवं आस-पास की भूमि के संबंध में कुछ गलत और भ्रामक तथ्य प्रस्तुत किए थे जो कि उन्होंने ज्ञानपूर्वक, अभिप्रायपूर्वक तथा जानबूझकर प्रस्तुत किए हैं । उन्होंने विशेष रूप से सदन की तथा विशेषत: सदस्यों की प्रतिष्ठा, गरिमा तथा शान को कम किया है। अत: स्पष्ट रूप से उक्त सदस्य का कृत्य सदन में विशेषाधिकार का उल्लंघन है। इसके अतिरिक्त सदन में जब

श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक वक्तव्य दे रहे थे, उस समय उनका व्यवहार/आचरण अन्य सदस्यों के प्रति भी अनुचित तथा असंसदीय रहा है।

चूंकि यह मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है एवं अभी समिति के समक्ष विचाराधीन है इसलिए समिति को अपनी रिपोर्ट देने के लिए और अधिक समय की आवश्यकता है, इसलिए मैं यह प्रस्ताव करता हूँ

कि सभा में अतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की पहली बैठक तक बढ़ा दिया जाये ।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:-

कि सदन को अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाये ।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है :-

कि सदन को अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाये ।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

नेवा पोर्टल के माध्यम से सदन की मेज पर रखे गए कागज पत्र

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री सदन में नेवा (NeVA) पोर्टल के माध्यम से कागज पत्र रखेंगे ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री कंवर पाल): अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में नेवा (NeVA) पोर्टल के माध्यम से कागज पत्र संख्या 1 से 35 रखता हूं :-

हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (2023 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 1)

हरियाणा नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (2023 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 2)

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 6/जी.एस.टी-2, दिनांकित 01 मार्च, 2023

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 7/जी.एस.टी-2, दिनांकित 01 मार्च, 2023

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 8/जी.एस.टी-2, दिनांकित 01 मार्च, 2023

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 9/जी.एस.टी-2, दिनांकित 01 मार्च, 2023

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 10/जी.एस.टी-2, दिनांकित 24 अप्रैल, 2023

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 11/जी.एस.टी-2, दिनांकित 24 अप्रैल, 2023

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 12/जी.एस.टी-2, दिनांकित 24 अप्रैल, 2023

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 13/जी.एस.टी-2, दिनांकित 24 अप्रैल, 2023

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 14/जी.एस.टी-2, दिनांकित 24 अप्रैल, 2023

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 15/जी.एस.टी-2, दिनांकित 24 अप्रैल, 2023

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 16/जी.एस.टी-2, दिनांकित 9 मई, 2023

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 17/जी.एस.टी-2, दिनांकित 31 मई, 2023

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 33/जी.एस.टी-2, दिनांकित 27 जुलाई, 2023

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 34/जी.एस.टी-2, दिनांकित 27 जुलाई, 2023

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 35/जी.एस.टी-2, दिनांकित 27 जुलाई, 2023

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 36/जी.एस.टी-2, दिनांकित 27 जुलाई, 2023

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 37/जी.एस.टी-2, दिनांकित 27 जुलाई, 2023

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 38/जी.एस.टी-2, दिनांकित 7 अगस्त, 2023

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 39/जी.एस.टी-2, दिनांकित 7 अगस्त, 2023

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 40/जी.एस.टी-2, दिनांकित 7 अगस्त, 2023

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 41/जी.एस.टी-2, दिनांकित 7 अगस्त, 2023

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 42/जी.एस.टी-2, दिनांकित 7 अगस्त, 2023

हरियाणा ग्रुप डी कर्मचारियों (सेवा की भर्ती एवं शर्तें) अधिनियम, 2018 की धारा 26 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार मानव संसाधन विभाग अधिसूचना संख्या 13/13/2018- 4 जी.एस.-II, दिनांकित 5 मई, 2022

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2021-22 के लिए माल और सेवा कर ढांचा की वार्षिक रिपोर्ट

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड की 46 वीं वार्षिक रिपोर्ट तथा वित्तीय स्थिति विवरण

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2021-22 के लिए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड की 23 वीं वार्षिक रिपोर्ट

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2021-2022 के लिए हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की 25 वीं वार्षिक वित्त रिपोर्ट

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा, 28(2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2021-22 के लिए हरियाणा मानवाधिकार आयोग की वार्षिक रिपोर्ट

राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा, 37 (7) तथा 38 (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2021-2022 के लिए हरियाणा वित्तीय निगम की 55 वीं वार्षिक रिपोर्ट

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (1) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2019-20 के लिए हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड की 53वीं वार्षिक रिपोर्ट

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (1) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2020-21 के लिए हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट

नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्ति तथा सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 की धारा 19-क (1) (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2020-2021 के लिए हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के लेखा प्रतिवेदन एवं वार्षिक लेखे

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) के उपबंधों के अनुसरण में हरियाणा सरकार के ग्रामीण एवं शहरी जल आपूर्ति योजना (वर्ष 2023 की रिपोर्ट संख्या 3) की कार्य प्रणाली की निष्पादन लेखा परीक्षा पर भारत के नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट

विधायी कार्य –

पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक

1. हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2023

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब माननीय शहरी स्थानीय निकाय मंत्री हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करेंगे ।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (डॉ. कमल गुप्ता) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करता हूं ।

श्री अध्यक्ष: हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2023 पुर:स्थापित हुआ ।

(**विधेयक पुर:स्थापित हुआ**)

2. हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2023

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब माननीय शहरी स्थानीय निकाय मंत्री हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करेंगे ।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (डॉ. कमल गुप्ता) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करता हूं ।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे श्री भारत भूषण बतरा, विधायक एवं श्री वरूण चौधरी, विधायक की ओर से हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2023 (2023 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 2) को डिसएप्रूव का नोटिस मिला है । यदि सदन की सहमति हो तो सदन का समय बचाने के लिये इस प्रस्ताव पर विधेयक पर चर्चा करने से पहले विचार किया जाये ।

श्री भारत भूषण बतरा: अध्यक्ष महोदय, वैसे तो चेयर की मर्जी है लेकिन रूल्ज यह कहता है कि पहले डिसएप्रूव पर आर्गुमेंट्स होगी । वह सुनी जायेगी और उसके बाद डिसीजन होगा तथा उसके बाद बिल पेश होगा ।

श्री अध्यक्ष: बतरा साहब, हां-हां, ऐसा ही होगा ।

श्री भारत भूषण बतरा: अध्यक्ष महोदय, दोनों इक्ट्ठे नहीं होंगे अर्थात् पहले हमें डिसएप्रूव पर आर्गुमेंट्स की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और फिर जब बिल आयेगा तब अपॉर्चुनिटी मिलेगी ।

श्री अध्यक्ष: बतरा साहब, मैंने यही कहा है । माननीय सदस्यगण, इस विषय पर चर्चा विधेयक पर विचार के समय की जायेगी ।

श्री अध्यक्ष: हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2023 पुर:स्थापित हुआ ।

(**विधेयक पुर:स्थापित हुआ**)

3. हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करेंगे ।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करता हूं ।

श्री अध्यक्ष: हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023 पुर:स्थापित हुआ ।

(**विधेयक पुर:स्थापित हुआ**)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब सदन सोमवार, दिनांक 28 अगस्त, 2023 प्रात: 11:00 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है ।

***17:38 बजे**

¼rRi”pkr~ lHkk सोमवार] fnukad 28 अगस्त] 2023 izkr% 11%00 cts rd ds fy, *LFkfxr gqbZ A½